खण्ड-301, अंक-4
बुधवार, 27 पौष, शक संवत् 1894
(17 जनवरी, 1973 ई0)

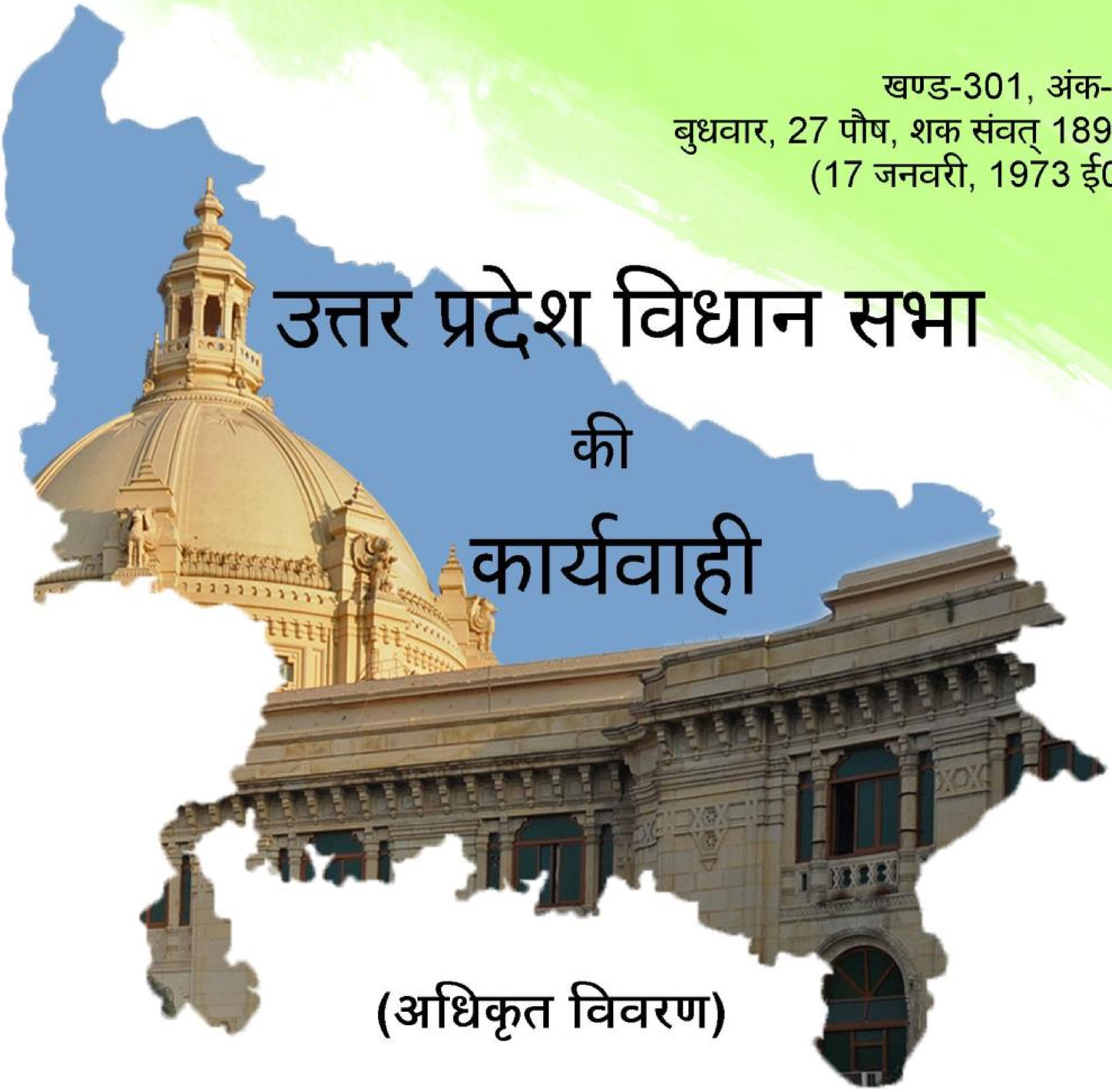

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 301 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1973

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, 17 जनवरी, 1973

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में, अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य 353

अजब सिंह, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अनन्तराम जायसवाल, श्री
अनवार अहमद, श्री
अब्दुल गफ्फार हाशमी, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पांडेय, श्री
अमर नाथ दुबे, श्री
अवधेश कुमार, श्री
अवधेश प्रताप मल्ल, श्री
अशरफ अली खां, कुंवर
आबिद अली, श्री
आशाराम, श्री
आशा सिंह, श्रीमती
इन्द्रजीत, श्री
इम्तियाज हुसैन, श्री
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री
उदय नाथ, श्री
उदय प्रताप सिंह, श्री
उदित नारायण शर्मा, श्री
उपेन्द्र नाथ दीक्षित, श्री
उमाकान्त बाजपेयी, श्री (उर्फ भैया जी)
उमादत्त शर्मा, श्री
उमानाथ सिंह, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
ऋषिपाल सिंह, श्री
ए0 सी0 ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हैया लाल बाल्मीकि, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
करन सिंह, श्री
कलारानी मिश्र, श्रीमती
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याण सिंह, श्री
काजी जलील अब्बासी, श्री
काजी मसूद, श्री
किशन लाल, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम ऐजाज रसूल)
कृपा दयाल, श्री
कृष्णकान्त अवस्थी, श्री
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्ण मगन सिंह, श्री
कृष्ण सिंह, श्री
कृष्णस्वरूप वैश्य, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ अग्रवाल, श्री
केशव चन्द्र सिंह, श्री
केशवराम, श्री (जिला बरेली)
केशोराम, श्री (जिला बदायूं)
के0 एस0 मोहरिया, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गजेन्द्र सिंह, श्री
गया प्रसाद, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरजा शंकर तिवारी, श्री
गिरधारी लाल, चौधरी
गुलाब सिंह, श्री
गोपाल दत्त ओझा, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री

गोस्वामी राधाकृष्ण, श्री
घासी राम जाटव, श्री
चन्द्रपाल आजाद, श्री
चन्द्रप्रताप नारायण सिंह, कुंवर
चन्द्रभान शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रमणि कान्त सिंह 'जूदेव', श्री
चन्द्र मोहन सिंह नेगी, श्री
चरण सिंह, श्री
चिरंजी लाल, श्री
छेदा लाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर यादव, श्री
जंगबहादुर सिंह, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश्वर दयाल डाक्टर (उर्फ डा० मन्ना)
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ खन्ना, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगन्नाथ, श्री
जयनारायण सिंह, श्री
जयराम यादव, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जितेन्द्र पाल सिंह, श्री
जे० एन० सिन्हा, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
डूंगर सिंह बिष्ट, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तेजनारायण त्रिवेदी, श्री
तेज बहादुर, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
त्रिलोकचन्द, श्री
त्रिवेणी राय, श्री
दल सिंगार यादव, श्री
दीपनारायण बन, श्री
दीपनारायण मणि त्रिपाठी, श्री
दुर्जन, श्री
दुलारे लाल, श्री
देवकी नन्दन विभव, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र नाथ मिश्र, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
धूम प्रसाद, श्री
नगीना सिंह, श्री
नत्था राम रावत, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नसीमुद्दीन सिद्दीकी, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नित्यानन्द स्वामी, श्री
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निहाला सिंह, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नैन सिंह, श्री
नैपाल सिंह, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पन्ना लाल गुप्त, श्री
परमाईलाल, श्री
पारसनाथ सिंह, श्री
पूरन चन्द, श्री
प्यारी देवी गुप्ता, श्रीमती
प्यारे लाल, श्री
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रेम चन्द्र शर्मा, श्री
प्रेम नारायण अहेरवार, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बशगोपाल शुक्ल, श्री
बंशीधर, श्री
बंशीधर पाण्डेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बदन सिंह यादव, श्री
बद्री प्रसाद, श्री
बनारसी राम, श्री
बलराम सिंह यादव, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बसन्त लाल, श्री (जिला जालौन)
बसन्त लाल, श्री (जिला लखनऊ)
बसन्त लाल शर्मा, श्री
बांके लाल, श्री

बिशन लाल यादव, श्री
बिहारी लाल, श्री
बेनी सिंह, श्री
बैजनाथ, श्री (जिला देवरिया)
बैजनाथ, श्री (जिला वाराणसी)
ब्रजराज सिंह, श्री
भगवत दयाल सिलोइया, डाक्टर
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगवती सिंह, श्री
भगवती सिंह, विशारद, श्री
भगेलू सिंह, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बरेली)
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बस्ती)
भाभी यादव, श्री
भारत सिंह चौहान, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मदन मोहन मिश्र, श्री
मनफूल सिंह, श्री
मनोहर लाल, श्री
महमूद अली खां, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महराम सिंह, श्री
महातम प्रसाद तिवारी, श्री
महाबीर सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
महावीर सिंह चौहान, श्री (जिला अलीगढ़)
महीरजध्वज सिंह, श्री (उर्फ बाबू भैया)
महीलाल, श्री
महेश्वरदत्त सिंह, श्री
माखन लाल, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मुंशी लाल चमार, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुस्तफा कामिल किदवई, श्री
मेहरबान सिंह, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोतीलाल यादव, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहन लाल कपूर, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला आगरा)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला कानपुर)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुवीर सिंह यादव, श्री
रमापति त्रिपाठी, श्री
राजनाथ सिंह, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबहादुर चन्द्र, श्री
राजबिहारी सिंह, श्री
राज मंगल पांडेय, श्री
राजितराम पांडेय, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राम अवध, श्री
राम करन यादव, श्री (जिला गाजीपुर)
राम किंकर, श्री
राम किशोर शुक्ल, श्री
राम कुंवर सिंह, श्री
राम कुमार दीक्षित, श्री
राम कुमार शास्त्री, श्री
राम कृष्ण द्विवेदी, श्री
राम गोपाल संड, श्री
रामचरण त्रिपाठी, श्री (जिला इलाहाबाद)
रामचरण सिंह, श्री (जिला आगरा)
रामजियावन, श्री
रामजीलाल सहायक, डाक्टर
राम दुलारे, श्री
राम दुलारे मिश्र, श्री
रामधारी शास्त्री, श्री
राम नगीना मिश्र, श्री
राम निहोर, श्री
राम निहोर राय, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
राम प्यारे, श्री
राम प्यारे शुक्ल, श्री
रामप्रसाद, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री
रामबचन, श्री (जिला आजमगढ़-रामी की सराय)
राम बिलास पांडेय, श्री

राममूर्ति 'अंचल', श्री
राम रतन पांडय, श्री
राम रतन प्रसाद, श्री
राम लगन दूब, श्री
राम लाल चतुर्वेदी, श्री
राम लाल भाई, श्री
राम लाल राही, श्री
रामशिरोमणि दूबे, श्री
राम सागर, श्री
रामसिंह, श्री
राम सिंह खन्ना, श्री
राम सूरत सिंह, श्री
राम सेवक, श्री
राम हर्ष मिश्र, श्री
रितुराज सिंह, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
रूपराम, श्री
लक्ष्मण स्वरूप, श्री
लक्ष्मी रमण आचार्य, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लालन शर्मा, श्री
लाल बहादुर सिंह, श्री
लालसा, श्री
लालू राम, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वासुदेव, श्री
वासुदेव सिंह वद्य, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजयपाल सिंह, श्री (जिला बुलन्दशहर)
विजय बहादुर सिंह, श्री
विजय शंकर सिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विशम्भर सिंह यादव, श्री
विश्राम दास, श्री
विश्वनाथ कपूर, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
शंकर प्रसाद जायसवाल, श्री
शंकुतला देवी, श्रीमती
शचीन्द्र नाथ बख्शी, श्री
शफीक अहमद खां, श्री
शमीम आलम, श्री
शम्भू नाथ चौधरी, श्री
शम्भू नारायण सिंह, श्री
शान्ती चरण पिड़ारा, श्री
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिव कुमार, श्री (जिला शाहजहांपुर)
शिव कुमार पांडेय, श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिव कैलाश, श्री
शिवदास, श्री
शिव प्रसाद पांडिया, श्री
शिव महेन्द्र सिंह, कुंवर (उर्फ शेर सिंह)
शिवराज सिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिव शंकर, श्री
शिवशंकर सिंह, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुकरू लाल, श्री
शेर सिंह दानू, श्री
शेष नारायण शुक्ल, श्री
शौनाथ सिंह चौधरी, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्यामलाल कनौजिया, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्याम सुन्दर लाल गुप्त, श्री (उर्फ छन्नू बाबू)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री
श्रीकृष्ण बाजपेयी, श्री
श्री निवास प्रसाद सिंह, राजा
श्रीराम सिंह, श्री
श्रीशचन्द्र, श्री
संतोष कुमारी, श्रीमती
सच्चिदानन्द, श्री
सजीवन लाल, श्री
सतीश चन्द्र, श्री
सत्तार अहमद अन्सारी, श्री
सन्तू राम, श्री
सरदार सिंह, श्री
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सवसुख सिंह, श्री
सिया दुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सुखपाल पांडेय, श्री
सुखबीर, श्री
सुखलाल कोरी, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री

सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूबेदार सिंह, श्री
सूर्य नाथ उपाध्याय, श्री
सेवाराम, श्री
सैयद मुर्तजा अली खां, नवाब
सोहन लाल धुसिया, श्री
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हंसराज, श्री (उर्फ हंसा)
हबीब अहमद, श्री
हमीदा हबीबुल्ला, बेगम
हरनारायण, श्री
हरवंश प्रसाद, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरि प्रसाद शाही, डाक्टर
हरिवंश सहाय, श्री
हरिदत्त कांडपाल, श्री
हरीसिंह विष्ट, श्री
हलीमुद्दीन राहत मौलाई, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हीरा सिंह बोरा, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हुकुम सिंह परिहार, श्री
होती लाल अग्रवाल, श्री

प्रश्नोत्तर

बुधवार, 17 जनवरी, 1973

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

जूता कुटीर उद्योग को बिक्री-कर से मुक्त करने की मांग

** 1—डाक्टर प्रकाश नारायण गुप्ता (जिला आगरा)—

क्या वित्त मंत्री कृपया बतायेंगे कि जूता कुटीर उद्योग में लगे उत्तर प्रदेश के जूता बनाने वालों ने उन पर लगने वाले बिक्री-कर को हटाये जाने के संबंध में कोई मांग पिछले कुछ मासों में उनको प्रेषित की है ? यदि हां, तो क्या सरकार जूता बनाने वाले कुटीर उद्योगियों पर से उक्त कर हटाने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों?

वित्त, मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

जूतों पर वर्तमान बहुसूत्री बिक्री-कर के संबंध में आगरा जूता गृह उद्योग समिति के प्रत्यावेदन शासन को प्राप्त हुये थे।

उनकी मांगों पर शासन द्वारा विचार किया जा रहा है।

डाक्टर प्रकाश नारायण गुप्ता—

क्या माननीय वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वे यह निर्णय कब तक ले लेंगे ? क्या इन तथ्यों के ऊपर निर्णय लेते वक्त यह ध्यान रखेंगे कि मुरादाबाद और वाराणसी के गृह उद्योग जो कि जरी के काम से संबंध रखते हैं, उनके ऊपर टैक्स हटाया जा चुका है ? इसके साथ ही क्या वे यह भी ध्यान रखेंगे कि बड़ी-बड़ी फैक्टरीज में, जैसे बाटा है, जो जूते बनाये जाते हैं उनके कम्पटीशन में गृह उद्योगों को प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

जी हां, जो सुझाव माननीय सदस्य ने दिया है और जो कठिनाइयां बताई हैं उनको ध्यान में रखा जायगा। जो आगे का बजट आयेगा उसके प्रस्तुत होने तक इसमें निर्णय किये जान की अपेक्षा है।

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

अध्यक्ष जी, मैं माननीय वित्त मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि रूस को कितने रुपये के जूते प्रति वर्ष भेजे जाते हैं ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

श्रीमन्, इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी, क्योंकि यह प्रश्न बिक्री-कर से संबंधित है और रूस को कितने जूते भेजे जाते हैं यह आंकड़े इस समय मेरे पास नहीं है।

श्री राम कुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश में वे कौन-कौन से मुख्य स्थान हैं जहां पर कि जूतों का उद्योग चल रहा है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

मान्यवर, आगरा है, कानपुर है और थोड़ा-थोड़ा हर एक शहर में यह उद्योग चल रहा है।

श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद)—

क्या माननीय वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जूते का निर्माण और इसी प्रकार के दूसरे गृह उद्योग से बने हुये सामान के सम्बन्ध में क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि बिक्री-कर प्रथम प्वाइन्ट पर न लगाकर दूसरे प्वाइन्ट पर लगाया जाय ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

जी हां, इस पर विचार किया जायेगा। सरकार का यह विचार है कि यह सेल्स टैक्स की प्रणाली और दूसरी कर प्रणालियों में संसाधनों को एकत्रित करने के दृष्टिकोण से भी जनता और व्यापारियों को कम से कम असुविधा हो, इसके लिये एक समिति का गठन किया जाय जो इस बात की पूरी तरह से जांच करे।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

क्या वित्त मंत्री जी बतायेंगे कि इस उद्योग से सरकार को कितनी वार्षिक आय होती है ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो आपका नया प्रश्न है। मंत्री जी यदि जवाब दे सकते हों तो दें।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

इसकी सूचना अभी मेरे पास नहीं है।

श्री जयराम वर्मा—

मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कई वर्ष पूर्व एक सेल्स टैक्स कमेटी बनी थी उसके सुधार के सम्बन्ध में, जिसने यह सिफारिश की थी कि गृह उद्योगों के माल के सम्बन्ध में बिक्री-कर प्रथम प्वाइन्ट पर न लगाकर दूसरे प्वाइन्ट पर लगाया जाय ? यदि हां, तो सरकार ने उसके सम्बन्ध में अब तक क्या उपाय किये हैं ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

श्रीमन्, उसकी रिपोर्ट्स पर समय-समय पर विचार हुआ है। आज की स्थिति यह है कि 80 प्रतिशत बिक्री-कर इस प्रदेश का सिंगिल प्वाइन्ट टैक्स के ऊपर लगेगा और बाकी मल्टिपल टैक्स सिंगिल टैक्स हो जायगा। इसके सम्बन्ध में बिक्री-कर अधिनियम में प्राविधान किया गया है और उसका परिष्कार किया गया है।

श्री पारस नाथ सिंह (जिला बहराइच)—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जूते के उद्योग बड़े-बड़े शहरों में ही केन्द्रित हो गये हैं जब कि गांवों में भी इस उद्योग से लोग अपनी रोजी-रोटी करते हैं। तो क्या कुटीर उद्योगों के माध्यम से गांवों में भी इस उद्योग को बढ़ाने की सरकार कृपा करेगी ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

श्रीमन्, बिक्री-कर के सम्बन्ध में जो नियम लागू होंगे वे सारे प्रदेश के जूता उद्योगों के ऊपर लागू होंगे।

श्री जयराम वर्मा—

अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि मेरे प्रश्न को माननीय वित्त मंत्री ने समझने का प्रयास नहीं किया। मैं उसको साफ किये देता हूं। अब तक यह था कि छोटे उद्योगों में जो सामान बनते हैं बर्तन या जूते वगैरह, उन्हीं पर सेल्स टैक्स लगता है पहले प्वाइंट पर। मेरा कहना यह है कि उन बनाने वालों पर सेल्स टैक्स न लगाकर जो उनसे खरीद कर फिर बेचते हैं, जो बड़े व्यापारी होते हैं उन पर सेल्स टैक्स लगा दिया जाय तो कोई परेशानी न होगी। इसमें सिंगल प्वायंट या मल्टी प्वायंट का कोई सवाल नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

श्रीमन्, जैसा कि मैं पहले माननीय सदस्य, आगरा को बतला चुका हूं, माननीय नेता विरोधी दल ने जो सुझाव दिया है, उसी आधार पर इस पर विचार हो रहा है।

मुंसिफी के पदों के लिए लोक सेवा आयोग की परीक्षा की भाषा

**२—श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया), श्री सच्चिदानन्द (जिला लखनऊ), श्री त्रिलोक चन्द (जिला बुलन्दशहर) तथा श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा माह दिसम्बर, सन् 1972 में आयोजित उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में मुंसिफी पदों के लिये जो परीक्षा निर्धारित है उसमें कतिपय प्रश्न पत्रों का उत्तर अंग्रेजी में ही लिखना अनिवार्य कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? जब कि पिछले वर्षों में इस प्रकार की परीक्षा में इस तरह का कोई प्रतिबन्ध नहीं था और परीक्षार्थियों को हिन्दी या अंग्रेजी में प्रश्न पत्रों के उत्तर लिखने की छूट दी गई थी ?

नियोजन राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)—

मुंसिफी पदों की आगामी परीक्षा दिसम्बर में न होकर फरवरी, 1973 में होगी। इस परीक्षा का एक विषय "वर्तमान काल" है। नियमों के अन्तर्गत लोक सेवा आयोग ने केवल इस प्रश्न-पत्र का उत्तर अंग्रेजी में देना अनिवार्य कर दिया था। परन्तु शासन की सामान्य नीति के अनुसार, आगामी परीक्षा में भी, गत वर्षों की भांति, इस प्रश्न-पत्र का उत्तर हिन्दी अथवा अंग्रेजी में दिये जाने की व्यवस्था करने के लिये आयोग को लिख दिया गया है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

जब शासन की सामान्य नीति प्रश्नों के उत्तर हिन्दी या अंग्रेजी में लिखने की थी और गत कई वर्षों से उसका पालन हो रहा है तो क्या कारण है कि इस वर्ष यानी 72–73 की परीक्षा के लिये लोक सेवा आयोग ने यह निर्देश दिया कि केवल अंग्रेजी में ही प्रश्नों के उत्तर लिखे जायं ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

कुछ गलतफहमी हो गयी। गत दिसम्बर में परीक्षा हुई नहीं है, फरवरी में उसकी परीक्षा होगी और उसके लिये निर्देश दे दिया गया है कि जैसे पूर्व में हिन्दी या अंग्रेजी में उत्तर देने की छूट थी, उसी तरह से अब भी परीक्षा में छूट रहेगी।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

आपने लोक सेवा आयोग को कब लिखा और उसका उत्तर आपको प्राप्त हुआ है ? यदि प्राप्त हुआ है, तो वह क्या है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

लोक सेवा आयोग को 9 जनवरी को लिखा गया था और उनकी स्वीकृति भी आ गयी है जिसमें उन्होंने लिखा है कि कंडिडेट्स को भी हमने सूचना भेज दी है कि वे प्रश्नों के उत्तर हिन्दी या अंग्रेजी में दे सकते हैं ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

फरवरी में कब परीक्षा होगी, इसकी निश्चित तारीख बतलायेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

यह कोई प्रश्न नहीं है । फरवरी में परीक्षा होगी ।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । क्या सदन में आज रोशनी कम है कि हम लोग आपको दिखलायी ही नहीं पड़ते ?

श्री अध्यक्ष—

मैंने देखा था कि 5 सदस्य खड़े थे, सबको मैं एक साथ तो बुला नहीं सकता था ।

श्री चन्द्रभान शर्मा—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि पिछले कितने सालों से हिन्दी और अंग्रेजी में लिखने की बराबर प्रथा चली आ रही है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

निश्चित तिथि तो नहीं बतला सकता, सम्भवतः सन् 1953 में यह आदेश जारी हुआ था ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

माननीय मंत्री ने स्वीकार किया कि ऐसी एक सामान्य नीति रही है लेकिन लोक सेवा आयोग ने उस नीति को तोड़ दिया है । तो क्या माननीय मंत्री जी ऐसा नहीं समझते हैं कि लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष ने उस सामान्य नीति की अवहेलना की है ? यदि यह समझते हैं तो उनके खिलाफ कोई कार्यवाही करने की बात सोच रहे हैं ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

मान्यवर, ऐसी कोई धारणा नहीं थी । कुछ ऐसी गलतफहमी हो गयी और उसको सुधार दिया गया है । कोई ऐसी बात नहीं है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या माननीय मंत्री जी इसकी जांच करायेंगे कि वास्तव में गलतफहमी थी या इसके पीछे कहीं कोई दूसरा आशय था ? यदि केवल गलतफहमी थी तब तो बात दूसरी है लेकिन यदि इससे सिद्ध हो कि इसका आशय दूसरा यानी अंग्रेजी थोपने का था तो क्या माननीय मंत्री जी उसकी जांच करायेंगे ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

खैर इसके लिये जांच करा लेंगे। लेकिन जहां तक हमें पता है ऐसी कोई बात नहीं थी।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

क्या मंत्रीजी बतायेंगे कि 1953 से हिन्दी और अंग्रेजी के माध्यम से परीक्षा हो रही थी तो क्या आधार समझकर लोक सेवा आयोग के चेयरमैन ने केवल अंग्रेजी में परीक्षा कराने की व्यवस्था की ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

मान्यवर, केवल अंग्रेजी में इस पेपर के उत्तर देने की गलतफहमी हो गई थी कि नालिज को बढ़ाने के लिये और जब यह बात नोटिस में आई तो यहां से लिख दिया गया कि हिन्दी और अंग्रेजी में उत्तर दिये जायं।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)—

मान्यवर, जब हाईकोर्ट और सुप्रीमकोर्ट के फैसले अंग्रेजी में होते हैं और गवर्नमेंट आफ इंडिया का भी काम दोनों में चल रहा है तो केवल हिन्दी माध्यम रखने से इनकी एफीशियेन्सी क्या सफर नहीं करेगी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

कोई ऐसी परीक्षा नहीं हुई है जिसमें हिन्दी माध्यम न रहा हो और यह परीक्षा 4, 5 तथा 6 फरवरी को होने जा रही है इसमें दोनों में उत्तर दिये जा सकते हैं।

श्री रामगोपाल संड (जिला इलाहाबाद)—

गलतफहमी के कारण यह हो गया और मंत्री जी ने यह भी कहा कि इसकी जांच करायेंगे तो क्या मंत्री जी इसकी भी जांच करायेंगे कि अंग्रेजी को फिर से थोपने का प्रयास हो रहा है और लोक सेवा आयोग अंग्रेजी के मोह में फंस गया इसलिये आज्ञा दी कि अंग्रेजी में पर्चे हों ?

मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—

मान्यवर, मुझे उनकी नीयत पर संदेह नहीं है। मैं समझता हूं कि किसी भ्रान्ति में उन्होंने कर दिया और गलती का सुधार हो रहा है।

श्री पारसनाथ सिंह—

यह जो भ्रम हो गया तो प्रसारण में होगा कि प्रश्न-पत्रों का उत्तर अंग्रेजी में दिया जायेगा तो ऐसे अभ्यर्थी जो हिन्दी माध्यम से उत्तर देने में अपने को सक्षम समझते थे उन्होंने फार्म नहीं भरा होगा तो उनके ऊपर जो प्रभाव पड़ा उसकी पूर्ति करने का प्रयास करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

शंका के ऊपर कोई प्रश्न नहीं हो सकता।

श्री हिम्मत सिंह—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि अब तक अनबेयर एक्टस सप्लाई होते थे ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी।

सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग, नैनीताल में अग्निकांड

**3—श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी (जिला गढ़वाल), श्री सुरेन्द्र विक्रम, श्री शम्भूनाथ चौधरी, श्री सच्चिदानन्द, श्री महावीर सिंह (जिला सहारनपुर), श्री रामगोपाल संड तथा श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य (जिला बदायूं)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि 17 दिसम्बर, 1972 को उत्तर प्रदेश की ग्रीष्म कालीन राजधानी नैनीताल की 72 वर्ष पुरानी सेक्रेटेरियट बिल्डिंग अग्निकांड के कारण पूर्णतया ध्वस्त हो गई ? यदि हां, तो उसको बचाने के संबंध में क्या-क्या प्रयास किये गये तथा उपरोक्त काण्ड में कितनी हानि होने का अनुमान है ?

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री राजबिहारी सिंह)—

16/17 दिसम्बर, 1972 की रात्रि में प्रश्नगत भवन के मुख्य ब्लाक का प्रथम खण्ड अग्नि से ध्वस्त हो गया है। आग को फैलने से रोकने के लिये सचिवालय में लगे 14 मिनीमैक्स यन्त्र और होज पाइप प्रयोग में लाये गये, स्थानीय फायर ब्रिगेड बुलाया गया और हल्द्वानी से भी फायर ब्रिगेड आया। अनुमानित क्षति लगभग 5 लाख रुपये है।

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी—

क्या मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि इस प्रदेश के भूतपूर्व मंत्री श्री प्रताप सिंह ने एक पत्र माननीय राज्यपाल तथा प्रधान मंत्री को लिखा है और इसमें यह तथ्य लिखा है कि यह अग्नि दुर्घटना मामूली आग लगने की नहीं थी बल्कि वह एक षडयन्त्र था जिस में कुछ खास दस्तावेजों को जलाने का प्रयास किया गया था ?

श्री राज बिहारी सिंह—

शासन को इसकी जानकारी नहीं है।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि वहां आग बुझाने में मिनिमेक्स यंत्र तथा फायर ब्रिगेड ने ठीक से काम नहीं किया और इस से तोड़फोड़ का अन्देशा मालूम पड़ता है ?

श्री राज बिहारी सिंह—

जी नहीं, बहुत अच्छी तरह से काम किया है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या इस अग्निकांड में बहुत सी मुख्य पत्रावलियां भी जलायी गई हैं जो वहां के अधिकारियों की शिकायतों से संबंधित थीं ? यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी थी ?

श्री राज बिहारी सिंह—

यह सही है कि प्रथम खंड पर 22–23 कमरे हैं और उनमें जो पत्रावलियां थीं, यह सही है कि वह बिल्कुल भस्म हो गई हैं। बहुत सी जली होंगी, यह सही बात है।

श्री रामगोपाल संड—

माननीय मंत्री जी ने बताया कि वहां 14 मिनिमेक्स यंत्र और होज पाइप बुलाये गये लेकिन फिर भी 5 लाख रुपया की बिल्डिंग और रिकार्ड जल गये और 22-23 कमरे जल गये तो मंत्री जी कृपया बतायें कि यह आग किस समय लगी और कितने घंटे के बाद हल्द्वानी से यह यंत्र और फायर ब्रिगेड वाले आये और कितनी देर में यह आग बुझाई ?

श्री राज बिहारी सिंह--

साढ़े 11 बजे रात को एंग्लो इंडियन इंस्पेक्टर के कमरे में धुआं उठता दिखाई दिया और वहां 12 बजे तक अधिकारी पहुंच गये, 2 बजे तक आग काबू में आई और साढ़े 4 बजे तक उस पर पुरा काबू पा लिया गया ।

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)--

यह आग कैसे लगी क्या इसकी कोई जानकारी अभी तक सरकार को हुई है ?

श्री राज बिहारी सिंह--

ऐसा मालूम पड़ता है कि जाड़े के दिन थे और इन दिनों में वहां कमरों में अंगीठियां जलती हैं,स ऐसी सम्भावना है कि नीचे बिजली जल रही थी और रात को एंग्लो इंडियन इंस्पेक्टर के आफि की अंगीठी ठीक से नहीं बुझायी गई थी और उससे आग लगी ।

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--

सेक्रेटेरियेट के जिस प्रथम खंड में आग लगी वहां पर क्या पर्वतीय फल विकास निगम का दफ्तर था जिसको कि सेब के व्यापार में लम्बा घाटा हुआ है ?

श्री राज बिहारी सिंह--

जिन कमरों में आग लगी है वहां कोई विकास परिषद् निगम का दफ्तर नहीं था ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम--

कौन-कौन से कार्यालय उस इमारत में थे कि जिनमें यह आग लगी है ?

श्री राज बिहारी सिंह--

उप-निदेशक, शिक्षा विभाग, जिला विद्यालय निरीक्षक, एंग्लो इंडियन विद्यालयों के निरीक्षक, उप-निदेशक, पशुपालन विभाग, उप-प्रबन्धक, सहकारी समितियों तथा फर्नीचर से भरा राज्य सम्पत्ति विभाग का गोदाम, यह कार्यालय वहां थे ।

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--

क्या मंत्री जी इसकी जांच करायेंगे कि उप-शिक्षा निदेशक के कार्यालय के कुछ लोगों के खिलाफ मैजिस्ट्रेट ने जांच की थी और संबंधित फाइलों को जलाने के लिये कुछ कर्मचारियों ने जानबूझकर वहां आग लगाई और 2 कर्मचारी शिक्षा विभाग के पकड़े भी गये ? यदि ऐसा है, तो उनके नाम क्या हैं ?

श्री राज बिहारी सिंह--

जो कर्मचारी पकड़े गये थे वह तो ऐंग्लो इंडियन निरीक्षक आफिस का एक चपरासी था और जिला विद्यालय निरीक्षक के आफिस का एक चौकीदार था कि जिसने आग लगने की सूचना दी थी ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

आग लगने से जो 5 लाख रुपये की क्षति हुयी है, तो इसकी कौन सी एजेन्सी द्वारा जांच करायी जा रही है और इस जांच की क्या प्रगति है ?

श्री राज बिहारी सिंह--

इसकी जांच सरकार के विशेष सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग को सौंपी गयी है ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या सरकार ने कोई ऐसा आदेश निकाला है कि मंत्रियों के यहां और कार्यालयों में अंगीठियों का प्रयोग न हो और यदि हो तो सावधानी से किया जाय और उन्हें ठीक प्रकार से बुझाया जाय ?

श्री राज बिहारी सिंह—

जहां तक मंत्रियों का सम्बन्ध है उनके यहां पर अंगीठियों का कोई प्रयोग नहीं होता है। नैनीताल में सरकारी दफतरों में अंगीठियों का प्रयोग अवश्य होता है लेकिन उनको आदेश है कि एक आदमी अंगीठी जलवाये और शाम को बुझाते वक्त भी देख ले। उसके लिये रोस्टरिंग करवाया गया है।

श्री चन्द्रभान शर्मा—

श्रीमन्, इतना बड़ा अग्निकांड हो गया है और इसकी जिम्मेदारी मुख्तलिफ दफतरों के लोगों पर फेंकी जा रही है। तो मैं जानना चाहता हूं कि जिन चपरासियों को पकड़ा गया है, उनपर क्या-क्या आरोप लगाकर पकड़ा गया है ?

श्री राज बिहारी सिंह—

आरोप शायद ये हैं कि अंगीठी ठीक से नहीं बुझायी गयी थी और कोई खास बात नहीं है।

कुंवर चन्द्र प्रताप नारायण सिंह (जिला देवरिया)—

यहां पर लाइब्रेरी में आग लगी तो सरकार द्वारा पूरे सचिवालय में सिगरेट वगैरह पीना बन्द कर दिया गया तो उसी प्रकार से वहां पर यह आदेश देने की कृपा करेंगे कि अंगीठी न जलाकर हीटर्स ही जलायें जायें ?

श्री राज बिहारी सिंह—

अंगीठियों के जलाने को बन्द करने पर विचार हो रहा है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

जो अग्निकांड हुआ है, बहुत भयंकर हानि हुयी है। इसकी जांच आप अपने विभाग के उच्च अधिकारी से ही कराने जा रहे हैं। तो क्या मामले की जांच इस विभाग के अधिकारी के अतिरिक्त किसी दूसरे आयुक्त, किसी मंडल के आयुक्त किसी जिला जज से कराने में सरकार को कोई आपत्ति है ?

श्री राज बिहारी सिंह—

इस समय इस प्रकार का कोई विचार नहीं है कि किसी दूसरे अधिकारी द्वारा इसकी जांच करायी जाय। इसके लिये जैसा कि पूर्व कहा गया विशेष सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, भेजे गये हैं जिनका सम्बन्ध नैनीताल से कुछ नहीं है।

वेतन आयोग की रिपोर्ट में विलम्ब

**4—श्री राम गोपाल सेठ, श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य, श्री विश्वनाथ कपूर (जिला फैजाबाद) तथा श्री सूरज लाल गुप्त (जिला गोंडा)—

विधान सभा की दिनांक 12-12-72 के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 1 के उत्तर के संदर्भ में क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या उसे वेतन आयोग की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है ? यदि हां, तो उसे कब से लागू करने जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

जी नहीं। कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर अंतिम निर्णय लेने और उन्हें रिपोर्ट में शामिल करने में सम्भावित समय से अधिक समय लगा। रिपोर्ट प्राप्त होने पर आयोग की संस्तुतियों के अनुसार उसे लागू करने की तिथि आदि प्रश्नों पर विचार किया जायगा।

श्री राम गोपाल संड—

माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में इसी सदन में शुक्रवार को उत्तर दिया था कि 16–17 तारीख तक वेतन आयोग की रिपोर्ट आ जायगी। मान्यवर इन्हीं मंत्री जी ने 12 दिसम्बर, 1972 को मेरे प्रश्न के उत्तर में उत्तर दिया था कि 31 दिसम्बर तक वेतन आयोग की रिपोर्ट आ जायगी। मैं यह जानना चाहता हूं कि वे कौन से महत्वपूर्ण विषय हैं जिन पर आयोग विचार करने जा रहा है और क्या उन्होंने आपसे तिथि बढ़ाने के लिए समय मांगा है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

मैं वेतन आयोग के अध्यक्ष से दो बार मिला। कल भी मैं ईद मुबारक देने गया था। उनका कहना यह था कि रिपोर्ट तो तैयार हो चुकी है। आयोग के 15 मेम्बर है। लगभग 7–8 मेम्बर ने तो हस्ताक्षर कर दिए हैं लेकिन कुछ नोट आफ डिसेन्ट लगाने के प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं। यदि उनकी बात मान ली जाती है तो वे नोट आफ डिसेन्ट न लिखें। इस बात पर विचार हुआ है कि अगर वे नोट आफ डिसेन्ट दे रहे हैं तो आयोग विचार करता है .....

श्री रामगोपाल संड—

मान्यवर, इन्होंने लिखा है कि महत्वपूर्ण विषय है। अन्तिम निर्णय लेना है। तो बताया जाय कि वे महत्वपूर्ण विषय कौन से हैं ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

मान्यवर, वेतन आयोग की रिपोर्ट तो उन्हीं के पास है। उन्होंने बताया है कि पे-स्ट्रक्चर के बारे में मेम्बर्स में विचारों का आदान-प्रदान हो रहा है। वे नोट आफ डिसेन्ट लिखना चाहते हैं उन को भी आयोग को देखना है। उसमें समय लग रहा है। किसी भी दिन वेतन आयोग की रिपोर्ट मिल सकती है।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

श्रीमन्, वेतन आयोग की रिपोर्ट में देरी कितनी भी हो, क्या आगामी बजट में उसका प्रोविजन कर देंगे ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

जी हां।

श्री रामगोपाल संड—

मान्यवर, इसी सदन के अन्दर शुक्रवार को मुख्य मन्त्री जी ने आश्वासन दिया था कि 20 तारीख तक निश्चित मैं लिखूंगा, वे रिपोर्ट दे देंगे। मगर आज के उत्तर से ऐसा नहीं लगता है कि बीस तारीख तक रिपोर्ट सरकार को दे देंगे। चार दिनों के अन्दर कौन से कारण हो गये कि 20 तारीख से आगे भी रिपोर्ट प्रस्तुत करने में सरकार समय मांग रही है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मैंने कोई आश्वासन नहीं दिया था। मैंने कहा था कि हमारे अधीन नहीं है। हम उत्सुक हैं कि वे जल्दी से जल्दी रिपोर्ट दे दें। यह भी कहा था कि जब वे रिपोर्ट दे देंगे तो हम पेश कर देंगे।

श्री विश्वनाथ कपूर—

मान्यवर, 15 तारीख के "दैनिक जागरण" म फर्स्ट पेज पर वेतन आयोग की रिपोर्ट लीकेज हो गई। उसमें वेतन क्रम छापे गये। उसे पढ़कर कर्मचारियों में असंतोष व्याप्त है कि कोई खास चीज नहीं बढ़ाई जा रही है। क्या वेतन आयोग उस आधार पर विचार कर रहा है। और क्या उसके लिये समय बढ़ाया गया है या नहीं ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

मैं यह नहीं कह सकता कि वेतन रिपोर्ट जो छपी है वह सही है या गलत। लेकिन मुझे रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

श्री विश्वनाथ कपूर—

मान्यवर, क्या कोई निश्चित समय बढ़ा दिया है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

श्रीमन्, मैंने जैसा बताया और जैसा कि माननीय मुख्य मन्त्री ने भी घोषणा की उन पर बाधित नहीं है। वे किसी भी दिन रिपोर्ट दे सकते हैं। एकाध दिन बढ़ाने या घटाने की बात होगी तो कर दिया जायेगा।

श्री विश्वनाथ कपूर—

मान्यवर, वेतन आयोग का कार्यकाल समाप्त हो गया तो क्या आपने समय बढ़ाया।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

जितने कार्यकाल की आवश्यकता होगी उतना बढ़ा दिया जायगा।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मान्यवर, यह प्रश्न ऐसा हो गया जिससे कि सदन के अन्दर कई एक आश्वासन आ गये हैं। हम इस बात से सहमत हैं कि आप वेतन आयोग को बाध्य नहीं कर सकते लेकिन कम से कम इस बात को तो आप स्वीकार करेंगे कि वह वेतन आयोग आपके परामर्श से गठित हुआ है और समय निर्धारण भी उसका सरकार के द्वारा ही हुआ है। और जो बयान आप इस तरह से देते हैं उसकी सेन्क्टीटी नहीं रह जायगी अगर हर रोज 'भेड़िया आया, भेड़िया आया' इस तरह कहा जायगा। कोई निश्चित तिथि बता दें जिससे सदन के अन्दर और बाहर भी सन्तोष व्याप्त हो सके।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मान्यवर, मैंने कहा कि वेतन आयोग से जब बात हुई तदनुसार हमारा यह कर्तव्य था सौजन्य और कर्तव्य के नात भी कि जब सदन में यह प्रश्न उठा तो उन्होंने शुरू से स्थिति बताई थी उस चिट्ठी की हम घोषणा कर देते। उन्होंने कहा था कि 15 तक हम कर देंगे। हमने भी कह दिया। कल भी अध्यक्ष, वेतन आयोग से बातचीत हुई। उन्हें अभी दो-चार दस दिन का समय लग सकता है। वह आशा करते हैं कि किसी भी दिन रिपोर्ट दे देंगे। इसलिये किसी भी निश्चित तिथि की घोषणा करना सम्भव नहीं है। यही कह सकता हूं कि जिस दिन भी रिपोर्ट मिल जायगी हम प्रस्तुत कर देंगे।

श्री रामगोपाल सण्ड—

क्या मन्त्री जी को विदित है कि मूल्य सूचकांक बहुत बढ़ गया है। अभी मुख्य मंत्री जी ने स्वीकार किया कि दस दिन लग सकते हैं। उन्होंने दस दिन कहा लेकिन हो सकता है कि दो महीने लग जायं क्योंकि हम अध्यक्ष, वेतन आयोग को बाध्य नहीं कर सकते। भारत सरकार

का भी मूल्य सूचकांक बढ़ गया है। स्थिति यह है कि चीनी के मूल्य बढ़ गये हैं, डालडा के मूल्य बढ़ गये हैं। राशन की दुकानों पर गेहूं नहीं मिल रहा है। इन सारी चीजों को देखते हुए क्या मंत्री जी कोई अविलम्ब राहत देने की घोषणा करने जा रहे हैं ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

जैसा अभी मैंने सम्मानित कृष्णानन्द राय जी के प्रश्न के उत्तर में कहा हम तो बजट में ही शामिल करना चाहते हैं।

श्री चन्द्रभान शर्मा—

क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि वेतन आयोग के चेयरमैन ने अवधि बढ़ाने की मांग की है, और यदि हां ? तब कब तक की मांग की है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

जैसा अभी माननीय मुख्य मन्त्री जी ने कहा कि मीटिंग बुलाकर अध्यक्ष, वेतन आयोग प्रत्येक सदस्य से बात कर रहे हैं। वह जितने दिन का आग्रह करेंगे समय बढ़ा दिया जायगा।

तारांकित प्रश्न

*1—2 श्री शम्भूनाथ चौधरी—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

*3—श्री चन्द्रभान शर्मा—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

सार्वजनिक निर्माण विभाग के अन्तर्गत ओवरसियरों के वेतन में भिन्नता की शिकायत

*4—श्री चन्द्रभान शर्मा—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सार्वजनिक निर्माण विभाग के अन्तर्गत सेतु परिकल्पना खण्डों में विशेष वेतन 25 रु० नये खण्डों के ओवरसियरों को भुगतान किया जा रहा है तथा पुराने कार्यशील खण्डों के ओवरसियरों को इस लाभ से वंचित रक्खा जा रहा है ? यदि हां, तो जब नये तथा पुराने खण्डों के अधीन कार्यरत ओवरसियरों के कार्यों में कोई भिन्नता नहीं है तो यह विभेद क्यों?

सार्वजनिक निर्माण उपमन्त्री (श्री वीरबहादुर सिंह)—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री चन्द्रभान शर्मा—

क्या मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि पुराने और नये ओवरसियरों के संपूर्ण वेतनमान में भिन्नता है ? यदि हां, तो कितनी ?

श्री बीरबहादुर सिंह—

कोई वेतनमान की भिन्नता नहीं है।

*5—चौधरी रामपाल सिंह यादव—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

डेरापुर–मुंगीसापुर मार्ग (कानपुर) का निर्माण

*6––चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर) (अनुपस्थित)––

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर जिले के डेरापुर से मुंगीसापुर तक बनाये जाने वाली सड़क का कार्य कब से प्रारंभ किया गया है और अब तक इस सड़क के निर्माण का कार्य कहां से कहां तक पूरा कर दिया गया है और कितना भाग शेष रह गया है। क्या यह सही है कि इस सड़क के बनाये जाने में विलम्ब हो रहा है ? यदि हां, तो उसका कारण क्या है और यह सड़क कब तक बन जायगी ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री लक्ष्मीशंकर यादव)––

जिला कानपुर में डेरापुर-मुंगीसापुर मार्ग पर निर्माण कार्य सितम्बर-अक्तूबर, 1970 में प्रारम्भ किया गया था। अब तक 200 मीटर भाग (किलोमीटर 9 में) पक्का कर दिया गया है। पुल तथा पुलियों का समस्त कार्य समाप्त कर दिया गया है। सड़क के शेष भाग में कार्य प्रगति पर है। अभी तक इस मार्ग के निर्माण में कोई विलम्ब नहीं हुआ है। अगस्त, 1973 तक मार्ग के पूरा बन जाने की संभावना है।

लिफ्ट सिंचाई तथा नल कूप विभाग, इलाहाबाद में इंजीनियर तथा ओवरसियर

*7––श्री सर्वसुख सिंह (जिला इलाहाबाद)––

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि इलाहाबाद में बेलन नहर, लिफ्ट सिंचाई तथा नलकूप विभाग में कितने ऐसे इंजीनियर और ओवरसियर हैं जो तीन वर्ष से अधिक समय यहां बिता चुके हैं? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री राजबिहारी सिंह––

केवल 2 सहायक अभियन्ता तथा 7 अधिदर्शक हैं। यह तैनाती जनहित में है।

श्री सर्वसुख सिंह––

क्या माननीय मन्त्री जी इन सहायक अभियन्ता और अधिदर्शक के नाम बताने की कृपा करेंगे ?

श्री राजबिहारी सिंह––

सर्व श्री बालमुकुन्द गुप्त और मु0 नकी हुसैनकजल अब्बास सहायक यांत्रिक अभियन्ता हैं, सर्वश्री एस0 के0 कंसन, श्याम लाल शुक्ला, वी0 एस0 सक्सेना, राम प्रसाद राय, मकबूल आलम, त्रिलोकीनाथ और कन्हैया सिंह अधिदर्शक हैं।

श्री रामगोपाल संड––

अभी माननीय मन्त्री जी ने 8–9 नाम गिनाये। यह तीन वर्ष से अधिक समय से इलाहाबाद में है। कौन से कारण हैं कि उनको स्थानान्तरित नहीं किया गया?

श्री राजबिहारी सिंह––

यह नियम है कि साधारणतः इंजीनियर अपने सर्किल में तीन साल तक रहेगा। 30 जून, 72 तक तीन साल पूरे नहीं हुए थे इसलिये ट्रांसफर नहीं किया गया। इसी प्रकार अधिदर्शक अपने सरकिल में सात साल तक रह सकते हैं। सात साल की अवधि पूरी नहीं हुई थी इसलिये उनका भी ट्रांसफर नहीं किया गया।

श्री रामगोपाल संड––

क्या मन्त्री जी को यह ज्ञात है कि प्रश्नकर्ता ने कुछ अभियन्ताओं के खिलाफ पत्र लिखा था और यदि हां, तो क्या उस पर जांच करायी ?

श्री अध्यक्ष--

इन्हीं अभियन्ताओं के बारे में पत्र लिखा था ।

श्री रामगोपाल संड--

वहां के कुछ इंजीनियरों के खिलाफ भ्रष्टाचार इत्यादि की शिकायत की थी । यदि हां, तो क्या कार्यवाही की?

श्री राज बिहारी सिंह--

यह सूचना अभी-अभी माननीय सदस्य से मिली है । इसके पहले ऐसा कोई पत्र नहीं मिला ।

श्री सर्वसुख सिंह--

क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि जिन इन्जीनियर्स और ओवरसियर्स के नाम लिये गये हैं, उनके विरुद्ध कोई शिकायत आपको मिली है?

श्री राजबिहारी सिंह--

मान्यवर, इसके लिये नोटिस की जरूरत पड़ेगी ।

चित्रकूट मेले के लिये प्राइवेट बसों को परमिट

*8--श्री सर्वसुख सिंह--

क्या परिवहन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या चित्रकूट (बांदा) के गत कार्तिकी अमावस्या वाले मेले के अवसर पर व्यक्तिगत बसों को भी चलाने की परमिट दी गई थी? यदि हां, तो यह परमिट किसने और क्यों जारी किया और इससे राजकीय रोडवेज को कितना घाटा हुआ?

परिवहन उप मन्त्री (श्री आबिद अली)--

जी हां । सम्भागीय परिवहन अधिकारी, झांसी द्वारा गत कार्तिकी अमावस्या के मेले के अवसर पर व्यक्तिगत बसों को चित्रकूट (बांदा) मेला यात्रियों की सुविधा हेतु अस्थायी परमिट दिये गये थे । इसके अतिरिक्त सम्भागीय परिवहन अधिकारी, इलाहाबाद व वाराणसी द्वारा इसी अवसर पर अस्थायी परमिट रिजर्वड् पार्टीज की सुविधा हेतु व्यक्तिगत बसों को दिये गये थे ।

मेले के अवसर पर होने वाली आय के लेखा-जोखा को अलग से न रखे जाने के कारण हानि लाभ का ब्योरा देना सम्भव नहीं है ।

श्री सर्वसुख सिंह--

क्या मन्त्री जी बतलायेंगे कि क्या सरकारी बसों की कमी थी जिसके कारण प्राइवेट बसों को चित्रकूट मेले के परमिट दिये गये?

श्री आबिद अली--

बसों की वहां पर कमी थी ।

श्री सर्वसुख सिंह--

इस सम्बन्ध में उत्तर का जो अन्तिम भाग है कि इस मेले में होने वाले आय-व्यय का लेखा जोखा अलग नहीं रक्खा गया है, यह गोलमाल का उत्तर है । चित्रकूट का बहुत बड़ा मेला होता है और वहां लाखों आदमियों की भीड़ होती है । हर मेले की आय-व्यय का हिसाब अलग

रक्खा जाता है तो इस मेले का भी होगा। तो क्या मन्त्री जी बतलायेंगे कि इस मेले का आय व्यय का लेखा जोखा अलग से क्यों नहीं है?

श्री आबिद अली—

किसी मेले का अलग से लेखा-जोखा नहीं रक्खा जाता है। इसीलिये इसका भी नहीं रक्खा गया है।

श्री रूपनाथ सिंह यादव (जिला इलाहाबाद)—

क्या मन्त्री जी बतलायेंगे कि जिन लोगों को प्राइवेट परमिट दिये गये हैं उनके नाम क्या है?

श्री आबिद अली—

मान्यवर, 60 आदमियों को प्राइवेट परमिट दिये गये हैं। आप चाहते हैं तो नाम पढ़े देता हूं:

(1) श्री एस0एल0 जैसवाल, (2) श्री एम0 एम0 विश्वकर्मा (3) श्री दलीप सिंह (4) श्री हरभजन सिंह (5) श्री एस0 पी0 जैसवाल (6) श्री अनन्तलाल गुप्ता (7) श्री शौकत अली (8) श्री वीरेन्द्र वर्मा (9) श्री राज बहादुर लाल (10) श्री राम निवास (11) श्री मिश्री लाल (12) श्री एस0 के0 जैसवाल (13) श्री छबिनाथ मिश्रा (14) श्रीमती शांती देवी (15) श्री अक्षय लाल (16) श्री के0 पी0 पांडे.....

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

यह जितने प्राइवेट बसों के परमिट दिये गये हैं उनमें श्री सालिगराम जायसवाल की रिकमन्डेशन कितने पर है? मेरा ख्याल है कि सभी पर है। ऐसा मेरा चैलेन्ज है।

श्री आबिद अली—

मेरे पास इसकी कोई सूचना नहीं है।

श्री बंशीधर पांडेय—

मेरे प्रश्न के उत्तर में क्या जवाब दिया है यह मैंने सुना नहीं हैं।

श्री आबिद अली—

मेरे पास इसकी कोई सूचना नहीं है।

श्री बंशीधर पांडेय—

यह लिख कर दे दें।

श्री राम गोपाल संड—

यह जो 15,16 नाम पढ़े हैं, यह इलाहाबाद की बड़ी-बड़ी ट्रांसपोर्ट कम्पनियों के हैं, जिन्होंने अलग-अलग नामों से परमिट लिये हैं और जिनके पास 50,50 बसें हैं। तो जब सूचना आ जावेगी वह प्रश्नकर्त्ता को लिख कर भेजने की कृपा करेंगे ?

श्री आबिद अली—

आर0 टी0 ओ0 ने दिया होगा, तो जांच की जरूरत तो है ही।

श्री रामगोपाल सण्ड—

मान्यवर मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया। मैंने यह आरोप लगाया कि दो बड़ी कम्पनियों इलाहाबाद की, जिन्होंने आवेदन पत्र दिये, जिनके पास 40—50 बसे हैं उनको ही क्यों दिया गया है। यदि मंत्री जी के पास सूचना नहीं है, तो जब सूचना आ जावेगी, तो लिख कर भेजने की कृपा करेंगे ?

श्री आबिद अली—

जो 60 परमिट देने के लिये डी0 एम0 ने कहा था उसको मैंने दिया। इसमें किसी जांच की जरूरत नहीं है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

60 परमिट उनको दिया, जो निजी बस के ओनर्स हैं सरकारी रोडवेज की कितनी गाड़ियां चल रही हैं ?

श्री आबिद अली—

20 गाड़ियां।

आगरा नहर के रजबहों में पानी की कमी

*9—श्री हुकुम सिंह परिहार (जिला आगरा, फतेहाबाद)—

क्या सरकार को पता है कि आगरा नहर का रजबहा टरमीनल और रजबहा इरादतनगर के इस वर्ष न चलने के फलस्वरूप हजारों बीघा भूमि बंजर रह गई है और इन रजबहों की टेल पर अभी तक बिल्कुल भी पानी नहीं पहुंचा है ? यदि हां तो क्या सरकार इन नहरों में पानी देने का शीघ्र प्रबन्ध करेगी ?

श्री राजबिहारी सिंह—

इन दोनों रजबाहों की टेलों पर समुचित रूप से पानी पहुंच रहा है। केवल नवम्बर, 1972 में काई और सेवार के कारण टेल पर पानी नहीं पहुंचा। अब सफाई के बाद स्थिति पूर्ववत हो गयी है।

*10—श्री हुकुम सिंह परिहार—

क्या यह सही कि इस आगरा नहर की गंगा परियोजना से 1973 में पानी मिलेगा ? यदि हां, तो तब तक के लिये सरकार क्या वैकल्पिक प्रबन्ध अस्थायी रूप से करेगी ?

श्री राजबिहारी सिंह—

अक्तूबर, 1974 तक मिलेगा। इस बीच कोई वैकल्पिक प्रबन्ध विचाराधीन नहीं है।

श्री हुकुम सिंह परिहार—

मान्यवर, नहर की सफाई सितम्बर के महीने तक हो जाती थी। इस साल नवम्बर तक सफाई नहीं हुयी और दिसम्बर तक सफाई होती रही। दिसम्बर के महीने में पानी नहीं पहुंचा तो किसानों की हजारों एकड़ जमीन असिंचित रह गयी। जो फसल बोयी गयी थी, वह सूख गयी। इसकी जिम्मेदारी सरकार और उसके अधिकारियों पर है। तो क्या सरकार उन किसानों को मुआवजा देने पर विचार करेगी और उन अधिकारियों के खिलाफ कायवाही करेगी, जिनकी वजह से फसल सूखी ?

श्री राज बिहारी सिंह—

जैसा मैंने निवेदन किया था, नवम्बर मास में पानी जरूर नहीं पहुंच पाया, लेकिन फसल बिल्कुल बरबाद नहीं। पानी पहुंचा ही नहीं, यह बात सत्य से परे है। हमारे पास जो आंकड़े है, उनसे साबित है कि इस साल अधिक सिंचाई हुई। चार कुलाबे हैं उनकी तुलना करें तो पिछले साल 211 नं0 कुलाबे से 78 एकड़ सिंचाई हुई थी इस वर्ष 102 एकड़ हुई। 211—ए कुलाबे से पिछले साल 7 एकड़ सिंचाई हुयी थी, इस साल 12 एकड़ हुई। 212 से पिछले साल 54 एकड़ सिंचाई हुई थी, इस साल 132 हुई। 212—ए से पिछले साल 16 एकड़ हुई थी, इस साल 13 एकड़ हुई। इस तरह सिंचाई अधिक हुई। तो मुआवजा देने का सवाल ही नहीं उठता, बल्कि अधिकारियों को तो इनाम दिया जाना चाहिये।

श्री हुकुमसिंह परिहार—

मेरा मान्यवर, निवेदन है कि यह सिंचाई जो मंत्री जी ने बताई है, वह दिसम्बर महीने में हुयी। अक्टूबर-नवम्बर में बिल्कुल सिंचाई नहीं हुई, यह बात मंत्री जी खुद ही मंजूर करते हैं। दिसम्बर में जो फसल बरबाद हुई वह अलग है। मैं रबी की बात कर रहा हूं। क्या रबी की जो फसल बरबाद हुई, उस पर मुआवजा देने की कृपा करेंगे ?

श्री राज बिहारी सिंह—

मान्यवर, यह सम्भव नहीं है, कि यदि देर से पानी पहुंचा तो मुआवजा दिया जाय।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

माननीय मंत्री जी के उत्तर से संबंधित माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि कुलावा 4 से कितनी सिंचाई हुई। मान्यवर, यह तो इनके कागज में दिया हुआ है। मौके पर कितनी हुई, क्या माननीय मंत्री जी उसकी जांच करायेंगे ?

श्री राज बिहारी सिंह—

मौके पर ही सिंचाई हुयी है। अगर माननीय सदस्य को देखने की इच्छा हो तो हमारे साथ चल कर देख सकते हैं।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

मान्यवर, प्रश्न 10 के संबंध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि सन् 1974 में आगरा नहर से कितने क्यूसेक पानी इस परियोजना को देने की उनकी योजना है ?

श्री राज बिहारी सिंह—

मान्यवर, इसके लिए सूचना की जरूरत होगी।

श्री हुकुमसिंह परिहार—

सन् 1973 से पानी देने के लिए इसी विधान सभा में वादा किया गया था। अब मंत्री जी कहते हैं कि सन् 1974 से पानी दिया जायेगा। 1 वर्ष देर से पानी देने का क्या कारण है और इस बीच सरकार वहां पानी का दूसरा प्रबन्ध करेगी ?

श्री राज बिहारी सिंह—

सन् 1974 से पहले पानी देने का दूसरा विकल्प नहीं है। सन् 1973 में वादा किये जाने की बात कही गयी। माननीय सदस्य की बात है वैसे मुझे उसकी कोई जानकारी नहीं है।

यमुना प्रोजेक्ट में कार्यरत एस० ई०

*11—श्री लक्ष्मण स्वरूप (जिला मेरठ) (अनुपस्थित)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यमुना प्रोजेक्ट में इस समय कौन-कौन एस० ई० कार्य कर रहे हैं और इस प्रोजेक्ट में कौन-सी ठेकेदार कम्पनी कार्य कर रही है?

सिंचाई मंत्री (श्री महमूद अली खां)—

सूचना संलग्न सूची में दी गई है।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 507 पर)

गोरखपुर जिले में सड़क पर अतिक्रमण का निवारण

*12—श्रीमती मसाली देवी (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले के अन्तर्गत बरहलगंज कस्बे में कितने पक्के मकानों एवं गुमटियों को 20 नवम्बर, 1972 से 28 नवम्बर, 1972 तक हटाया गया? कितने ऐसे दुकानदार हैं, जो गोरखपुर-वाराणसी मार्ग पर बहरलगंज कस्बे में पुल की ओर जाने वाले नई सड़क पर अपनी गुमटी बना लिये हैं और उन्हें न उजाड़ने का कौन सा कारण है?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—

इस कस्बे में 20 से 28 नवम्बर तक निम्न अतिक्रमण हटाये गये :—

1—पक्की दीवार तथा स्लैब..	8
2—दो पक्की दीवार तथा टिन शेड	87
3—पक्की दीवार तथा छप्पर	29
4—टिन शेड	13
5—लकड़ी की गुमटियां	30
6—पक्का बाउन्ड्री वाल	2
कुल योग ..	169

प्रश्नगत नई सड़क पर किसी भी दूकानदार ने गुमटी नहीं बनाई है। अतः इन्हें उजाड़ने का कोई प्रश्न नहीं उठता है।

तहसील बिल्हौर (कानपुर) में नलकूप योजना का सुझाव

*13—श्री रामकुमार दीक्षित (जिला कानपुर) (अनुपस्थित)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर जनपद की बिल्हौर तहसील के गंगा-तटीय अत्यधिक ऊंचा एवं असिंचित क्षेत्र जो राधन से लेकर बिठूर तक फैला है, उसमें सरकारी नलकूप लगाने की कोई योजना है? यदि हां, तो कहां-कहां और यह निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ हो जायगा?

श्री महमूद अली खां—

इस समय नलकूप लगाने की कोई योजना नहीं है।

*14—श्री मोहनलाल कपूर—

[छठे बुधवार के लिए स्थगित]

नलकूप खण्ड, बदायूं के सुपरवाइजरों का स्थानान्तरण

*15—श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं) (अनुपस्थित), श्री सुल्तान सिंह (जिला आगरा) तथा श्री सच्चिदानन्द—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बदायूं नलकूप खण्डों में ऐसे कौन-कौन सुपरवाइजर हैं जो गत 5 से 7 साल तक की अवधि पूरी हो जाने के कारण यहां से स्थानान्तरित किये गये थे और उनके स्थानान्तरण किन-किन कारणों से रद्द कर दिये गये? सात वर्ष से अधिक नलकूप मण्डल, बरेली के खंडों में जिन सुपरवाइजरों के हो गये हैं उनका स्थानान्तरण कब होगा ?

श्री महमूद अली खां—

सर्वश्री गोकरन प्रसाद तथा राजेन्द्र कुमार शर्मा को स्थानान्तरित किया गया था। उक्त दोनों सुपरवाइजरों का स्थानान्तरण आदेश जनहित में रद्द किया गया।

इस समय नलकूप मंडल, बरेली में कोई ऐसा सुपरवाइजर नहीं है जिसको वहां सात वर्ष पूरे हो गये हों ।

*16—श्री दुर्जन—

[छठे बुधवार के लिए स्थगित]

तुरतीपुर ड्रेन तथा कमरौली ड्रेन, हरदोई डिवीजन में सफाई का अभाव

*17—श्री कन्हैयालाल बाल्मीकि (जिला हरदोई) (अनुपस्थित)—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि हरदोई डिवीजन, शारदा कैनाल हरदोई में तुरतीपुर ड्रेन तथा कमरौली ड्रेन की सफाई गत कई वर्षों से नहीं हुई ? यदि हां, तो उसका कारण क्या है ?

श्री महमूद अली खां—

जी हां। धनाभाव के कारण सफाई नहीं हो पायी है।

*18—श्री रामधारी शास्त्री—

[छठे बुधवार के लिए स्थगित]

*19—श्री नित्यानन्द स्वामी—

[सरकार से असम्बद्ध होने के कारण निरस्त]

सिंचाई आयोग की रिपोर्ट तथा विचारणीय विषय

*20—श्री मोहम्मद असरार अहमद (अनुपस्थित), श्री चन्द्रभान शर्मा, श्री शफीक अहमद खां (जिला बरेली) तथा श्री राम किंकर (जिला प्रतापगढ़)—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि माननीय चतुर्भुज शर्मा की अध्यक्षता में जो सिंचाई आयोग नियुक्त है उसने कोई अन्तरिम रिपोर्ट सरकार को दी ? यदि हां, तो कब और उसकी मुख्य-मुख्य सिफारिशें क्या हैं तथा उसकी प्रतिलिपि सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री राजबिहारी सिंह—

जी नहीं, आयोग ने कोई अन्तरिम रिपोर्ट नहीं दी है।

श्री चन्द्रभान शर्मा—

सिंचाई आयोग रिपोर्ट कब तक पेश कर देगा ?

श्री राजबिहारी सिंह—

आयोग को 2 वर्ष के भीतर रिपोर्ट पेश कर देनी चाहिए।

श्री शफीक अहमद खां—

यह आयोग कब गठित किया गया था ?

श्री राजबिहारी सिंह—

15–2–1972 को गठित किया गया था।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

इस आयोग के विचार करने के मुख्य विषय कौन-कौन हैं ?

श्री राजबिहारी सिंह—

प्रदेश में समस्त उपलब्ध संसाधनों का मूल्यांकन और सभी प्रयोजनों अर्थात् जल विद्युत, सिंचाई, औद्योगिक और घरेलू प्रयोग के लिए उसके उपयोग पर सामान्य रूप से विचार।

(2) वर्तमान सिंचाई कार्यों और जिन सिंचाई कार्यों पर कार्य प्रगति पर है उनसे उपलब्ध सिंचाई सुविधा का मूल्यांकन, उत्तर प्रदेश की दीर्घकालीन सिंचाई आवश्यकताओं का निर्धारण, प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में आवश्यक सिंचाई सघनता पर सुझाव, वर्तमान क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने के विषय में प्रस्ताव, भू-तल जल व भू-गर्भ जल द्वारा सिंचित होने वाले क्षेत्रों का निर्धारण।

भूगर्भ व भूतल जल द्वारा राजकीय तथा निजी सिंचाई के बीच समन्वय, भूगर्भ जल के उत्तम उपयोग पर विचार और नियंत्रण की आवश्यकता पर सुझाव। उपरोक्त आधार पर प्रदेश की सिंचाई आवश्यकताओं की पूर्ति की 'मास्टर प्लान, बनाना और प्राथमिकता के आधार पर विभिन्न नदी, घाटियों और विभिन्न क्षेत्रों में निर्माण की जाने वाली बहुउद्देशीय वृहद सिंचाई, माध्यमिक तथा लघु सिंचाई प्रायोजनाओं का नामांकन। आयोग द्वारा बनाई गई मास्टर प्लान के लिए आवश्यक धनराशि का अनुमान;

(3) उपलब्ध जल पूर्ति से कृषकों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने के उपायों एवं तरीकों आदि पर विचार करना ;

(4) जल अनुवेधन, जलोत्सारण एवं बाढ़ की समस्याओं पर विचार और उनके समाधान हेतु आवश्यक सुझाव देना;

(5) वर्तमान सिंचाई कार्यों से प्रत्यक्ष वित्तीय परिणाम की जांच करना और सीधे प्राप्त होने वाली प्रत्याय (डाइरेक्ट रिटर्न) के आधार पर इनसे हो रही हानि को कम करने के उपायों पर सुझाव देना तथा सिंचाई प्रायोजनाओं (प्रोजेक्टस) को स्वीकृति किये जाने के मान-दंड जैसे लाभ-लागत-अनुपात आदि पर सुझाव देना;

(6) सिंचाई योजनाओं के नियोजन एवं कार्यान्वयन, विशेष कर प्रयोजनाओं को शीघ्रता से पूर्ण किये जाने और उनके विकास काल में कमी लाने के उद्देश्य से विभाग के प्रशानिक एवं संगठनात्मक ढांचे की जांच करना तथा आज की खेती के लिए सघन सिंचाई की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सिंचाई विभाग के संगठन और कार्य प्रणाली की जांच और उसमें आवश्यक परिवर्तन के सुझाव देना;

श्री अध्यक्ष—

इसके लिए जो सदन का समय है उसके बीच में यह रिपोर्ट नहीं आ सकेगी।

श्री चन्द्रभान शर्मा—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस आयोग के सदस्य कौन-कौन व्यक्ति हैं ?

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

कितने विरोधी दल के माननीय सदस्य हैं ? या सब सरकारी हैं ?

श्री अध्यक्ष—

यह आयोग एक व्यक्ति का है या और उसमें कई व्यक्ति हैं ?

श्री राजबिहारी सिंह—

मैं पूरी लिस्ट पढ़े देता हूं—

1—श्री चतुर्भुज शर्मा—अध्यक्ष
2—सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार,
3—सचिव, वित्त, विभाग,
4—इंजीनियर इन चीफ सिंचाई विभाग,
5—श्री ए0 सी0 मित्रा, अवकाश प्राप्त इंजीनियर-इन-चीफ, सिंचाई विभाग,
6—श्री बी0 पी0 सक्सेना, अवकाश प्राप्त मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग,
7—श्री ध्यान पाल सिंह, उप-कुलपति, पन्त नगर, कृषि विश्वविद्यालय,
8—कृषि निदेशक,
9—सेन्ट्रल वाटर ऐंड पावर कमीशन के वाटर विंग का सदस्य अथवा उसका प्रतिनिधि,
10—जियालाजिकल सर्वे आफ इंडिया का एक प्रतिनिधि,
11—डा0 पी0 एल0 रावत, अर्थशास्त्री, लखनऊ विश्वविद्यालय,
12—श्री जगन्नाथ चौधरी, एम0 एल0 ए0 (बलिया),
13—श्री शिव कुमार मिश्र ,,
14—श्री कन्हैयालाल ,,
15—श्री प्रियदर्शी जेटली ,,
16—श्री मंगल उपाध्याय ,,
17—श्री मुंशीलाल चमार ,,
18—श्री चंचल सिंह गिल ,,
19—श्री सुल्तान आलम खां, एम0 एल0 सी0
20—श्री शांति प्रपन्न शर्मा, एम0 एल0 ए0
21—श्री यादवेन्द्र दत्त दुबे, एम0 एल0 ए0
22—श्री शिवानन्द नौटियाल, ,,
23—श्री हरवंश प्रसाद पांडेय ,,

श्री चन्द्रभान शर्मा—

क्या माननीय मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि इस आयोग की अब तक कितनी मीटिंग हुई हैं ?

श्री राजबिहारी सिंह—

अब तक 5 मीटिंग हो चुकी हैं। छठी मीटिंग जनवरी के लास्ट वीक में होने जा रही है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

इस आयोग में जैसा कि मैंने देखा, एक्सपर्ट्स बहुत कम है और बाकी लोग अधिक हैं। तो मंत्री जी क्या प्राविधान करेंगे कि श्री के0 एल0 राव जैसे देश में जो विख्यात लोग हैं उनको भी

इस आयोग में स्थान मिल सके और इस आयोग की रिपोर्ट भी समय समय पर आती रहे ताकि उसका कार्य लोगों को मालूम हो सके ?

श्री राजबिहारी सिंह---

मान्यवर, यह सुझाव आपका आयोग के पास भेज दूंगा ।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)---

जब सरकार ने एक सिंचाई आयोग गठित कर रखा है तो क्या उस आयोग ने सिंचाई की दर एक-चौथाई बढ़ाने के लिये सरकार को कोई सलाह दी थी ? यदि नहीं, तो 1 अक्तूबर, 1972 से ट्यूबवेल और नहरों का सिंचाई रेट 25 फीसदी बढ़ाने का क्या कारण है ?

श्री राज बिहारी सिंह---

इसके लिये तो नोटिस की आवश्यकता होगी ।

श्री कल्पनाथ सिंह---

इसमें नोटिस की क्या बात है ? माननीय मंत्री जी यही बता दें कि 25 फीसदी बढ़ाया है या नहीं ?

श्री राज बिहारी सिंह---

सिंचाई रेट जो बढ़ा हुआ है वह तो सबको मालूम है । उसमें बताने की क्या बात है ।

श्री रूपनाथ सिंह यादव---

यहां की सिंचाई दर बहुत ज्यादा है । तो क्या सरकार यह विषय भी आयोग को रेफर कर देगी कि प्रदेश की हालत देखते हुये गरीब किसानों का रेट कुछ कम करेंगे ?

श्री राजबिहारी सिंह---

जहां तक मेरी जानकारी है इस प्रदेश में सिंचाई का रेट अन्य प्रदेशों से कम है ।

श्री कल्पनाथ सिंह---

जो सिंचाई आयोग गठित है उसकी रिपोर्ट आने के पहले ही जो एक चौथाई सिंचाई का रेट 1 अक्तूबर, 1972 से बढ़ा दिया तो क्या इस बढ़े हुये सिंचाई रेट को वापस लेकर फिर से सिंचाई आयोग की रिपोर्ट के अनुसार ही कोई काम करेंगे ?

श्री राजबिहारी सिंह---

सिंचाई आयोग को जो काम सौंपा गया है उसमें रेट बढ़ाने, घटाने का सवाल नहीं है । इसलिये इसे वापस लेने का कोई सवाल नहीं है ।

श्री कल्पनाथ सिंह---

जब एक सिंचाई आयोग गठित है और उसके समक्ष सारे पहलू रखे हुये हैं तो उस आयोग की रिपोर्ट आने के पूर्व ही सरकार ने किन कारणों से एक-चौथाई रेट बढ़ा दिये ?

श्री राजबिहारी सिंह---

जैसा मैंने निवेदन किया सिंचाई आयोग के जिम्मे यह काम नहीं सौंपा गया है कि सिंचाई रेट क्या हो ? यह काम तो सरकार का है । सरकार ने उसको उचित समझा और बढ़ाया ।

श्री शिव कुमार पांडेय (जिला सुल्तानपुर)--

जो किसान तालाब या कुयें से भी अपने खेत में पानी ले जाय लेकिन अगर उनकी नाली में से भी पानी ले गया तो नहर का सिंचाई रेट लगा लेते हैं। तो क्या आयोग को इस बात का भी अधिकार है कि इस प्रकार से जो गलत सिंचाई ली जाती है इसका भी वह सुधार करे ?

श्री अध्यक्ष--

यह उनके टर्म्स आफ रेफरेन्स में नहीं हो सकता।

श्री शिवकुमार पांडेय--

इस तरह की जो गैरवाजिब सिंचाई ली जा रही है इसमें तो वह दखल दे।

श्री राजबिहारी सिंह---

आयोग के टर्म्स आफ रिफरेन्स में यह काम तो है नहीं।

श्री कल्पनाथ सिंह--

इस सवाल पर नियम 49 के लिये मैं सूचना दे रहा हूं स्वीकार कर लीजियेगा। यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है।

श्री अध्यक्ष--

इसके ऊपर मुख्य मंत्री जी जबाव देने वाले थे ऐसा मालूम होता है। वह खड़े हुये थे लेकिन फिर बैठ गये। आप प्रश्न पूछ लीजिये।

श्री कल्पनाथ सिंह--

क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि जो 1 अक्तूबर, 1972 से एक चौथाई सिंचाई रेट बढ़ाया गया है वह सिंचाई आयोग की संस्तुति अगर आ जाय तभी बढ़ाया जाय ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

ऐसा तो कोई विचार नहीं है।

रजबहा कुरावली, जिला मैनपुरी के कुलाबा में बढ़ोत्तरी

*21--श्री नरोत्तम सिंह (जिला बदायूं) तथा श्री रघुवीर सिंह यादव (जिला मैनपुरी)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिले में रजबहा कुरावली के कुलावा नं0 2 पर एक 6 इंच का और दूसरा कुलावा लगाने के लिये सिंचाई मंत्री को श्री गणेश चन्द्र काछी भूतपूर्व एम0 एल0 ए0 मैनपुरी ने एक प्रार्थनापत्र मई, 1972 में दिया था जिसकी जांच अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, मैनपुरी ने करके 6 के बजाय 3 इंच का कुलाबा रजबहा कुरावली के कुलाबा नं0 2 पर और लगाये जाने की सिफारिश दिनांक 19 जुलाई, 1972 को अधीक्षक अभियन्ता, द्वितीय मण्डल सिंचाई विभाग, कानपुर को दी थी ? यदि हां, तो कब तक कुलाबा लगा दिया जावेगा ?

श्री महमूद अली खां--

अपने पत्र दिनांक 29-3-72 में श्री काछी ने रजबहा कुरावली के फलांग पांच व छः पर लगे कुलाबे के दहन को दूना करने का निवेदन किया था। जांचोपरान्त दहन बढ़ाकर 9 इंच कर दिया गया है।

नोटः--तारांकित प्रश्न संख्या 20 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हो गया।

अतारांकित प्रश्न

1—श्री दुर्जन भाई—

[छठें बुधवार के लिए स्थगित]

ट्यूबवेल्स विभाग के कर्मचारियों की सेवा समाप्ति

2—श्री सूबेदार सिंह (जिला मैनपुरी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ट्यूबवेल्स विभाग के वर्तमान डायरेक्टर महोदय ने इस पद पर कार्य करते हुए अपने कार्यकाल में कितने कर्मचारियों की सेवायें समाप्त की और क्यों ? इसमें से कितने हरिजन जाति के थे ?

श्री महमूद अली खां—

अस्थायी रूप से नियुक्त 10 सहायक कृषि प्रसार निरीक्षकों को उनकी सेवाओं की आवश्यकता न रह जाने के कारण नौकरी से हटा दिया गया। इनमें से कोई भी हरिजन नहीं था ।

हल्द्वानी-भावर में कच्ची गूलों को पक्का करने की योजना

3—श्री इन्द्र लाल (जिला नैनीताल)—

विधान सभा की बैठक दिनांक 13 दिसम्बर, 1972 की नत्थी (ग) के प्रश्न सं० 21 के उत्तर के क्रम में क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतावेंगे कि जिन 185 मील 5 फर्लांग निजी गूलों को सरकारी नियन्त्रण में लेकर पक्का करने की जो योजना बनाई गई है यह कौन-कौन सी गूलें किस-किस कुलाबे नम्बर की हैं और यह योजना कब तक पूर्ण हो जायगी ?

श्री महमूद अली खां—

योजना स्वीकृत होने पर ही यह बताया जा सकता है कि योजना के अन्तर्गत किन कुलाबों की गूलों को पक्का किया जायगा और उन पर निर्माण कार्य कब तक पूरा हो सकेगा।

विविध विषय

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

मैं एक विषय आपके समक्ष रख रहा हूं । आज विद्युत् की काफी कमी प्रदेश में है और . . .

श्री अध्यक्ष—

वह नं० 6 पर आयेगा ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

आज सदन का कार्य स्थगित होना चाहिये, वरना उसका महत्व ही समाप्त हो जायेगा . . .
(व्यवधान)

श्री राम गोपाल संड (जिला इलाहाबाद)—

सारे प्रदेश में आज बिजली नहीं मिल रही है ।

(एक साथ कई माननीय सदस्य व्यवधान करने लगे)

श्री अध्यक्ष—

यह विषय नं० 6 पर आयेगा, अभी नहीं । कार्य-सूची के अनुसार आप कृपया कार्य करा सकते हैं ।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

आप किस प्रकार यह नम्बरिंग करते हैं, इससे तो कार्य-स्थगन का परपज ही डिफीट हो जायेगा । (शोर)

श्री राम गोपाल संड--

आज पीने का पानी तक नहीं मिल रहा है । सब जगह अंधकार छाया हुआ है·· (व्यवधान) . .आप कहते हैं अभी नहीं । यदि यह 4 बजे आयेगा तो कैसे काम चलेगा । आप मुख्य मंत्री जी से वक्तव्य तो दिलवा दीजिये अभी ।

श्री अध्यक्ष--

आपके इच्छा के अनुसार कार्य चलेगा या नियमानुसार ? आप नियम के अनुसार कार्य करा सकते हैं ।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

हम भी नियम के अन्तर्गत ही बात करते हैं । प्रदेश के अन्दर आज कई समस्यायें ऐसी हैं जिनको आप टाल नहीं सकते । बिजली की समस्या ऐसी है जिसको आप टाल नही सकते. . .

श्री अध्यक्ष--

सदन आपकी आज्ञानुसार नहीं चलेगा । मैंने कहा कि वह विषय नं० 6 पर आयेगा तब आप उसको लें । अभी कार्य सूची के अनुसार कार्य चलने दें । पहले नं० 5 वाला आइटम आयेगा ।

एक सदस्य--

मेरी बात सुन लें । मेरे यहां सड़ा हुआ आटा मिल रहा है । नसबन्दी अभियान में. . . .

श्री अध्यक्ष--

आप कृपया बैठें ।

श्री पारस नाथ सिंह (जिला बहराइच)--

ब्लाक प्रमुखों के चुनाव की तारीख फिर टाल दी गयी है, मुझे एक प्रश्न पूछ लेने दीजिये. . .

श्री अध्यक्ष--

इस तरह से नहीं । प्रोग्राम के मुताबिक कार्य चलने दीजिये ।

कस्बा रेनुकूट, थाना पिपरी, जिला मिर्जापुर में कुछ दूकानों व दूकानदारों के मकानों को भिसमार किये जाने से जनता में असंतोष के संबंध में वक्तव्य

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री राज बिहारी सिंह)--

मिर्जापुर से पिपरी जाने वाली सार्वजनिक निर्माण विभाग मार्ग पर कुछ लोगों ने सड़क की पटरियों पर झोपड़ियां बनाकर उनमें दूकानें रख ली थी जिससे मार्ग अवरुद्ध हो गया था । और आवागमन में कठिनाई होने के साथ-साथ दुर्घटना होने की भी सम्भावना बनी रहती थी प्राप्त सूचना के अनुसार पिछले वर्ष आयुक्त, वाराणसी मंडल तथा अन्य के परामर्श से यह निर्णय लिया गया था कि उन झोपड़ियों के स्थान पर सड़क की पटरी के बाद एक किनारे पर 20 फुट चौड़ी भूमि में जिला परिषद्, मिर्जापुर द्वारा पक्की दुकानें सुव्यवस्थित रूप से बना दी जायं और उन झोपड़ी वाले दुकानदारों को, जो सरकारी भूमि से हटाये जायं इन

नवनिर्मित्त दूकानों में उचित किराये पर बसा दिया जाय। जिला परिषद् द्वारा तदनुसार लगभग 250 दुकानों का निर्माण आरम्भ किया गया है। जिन झोपड़ी वालों को इस सिलसिले में हटाया गया है उनको इस योजना से कोई विरोध नहीं है, बल्कि उन लोगों में से कुछ ने पक्की दुकानों के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र भी दिये हैं। दुकानों का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। इस बीच प्रभावित लोगों को अन्य स्थान पर अस्थायी झोपड़ियां लगाने की अनुमति दे दी गई है। अधिकांश रूप से विरोध करने वाले वे व्यक्ति हैं, जो अब तक झोपड़ियों का अनुचित रूप से किराया व पगड़ी वसूल करके अनुचित लाभ उठाते रहे हैं। जिला मजिस्ट्रेट, मिर्जापुर ने सूचित किया है कि उनको आयुक्त, वाराणसी मंडल से इस सम्बन्ध में कोई स्टे आर्डर नहीं प्राप्त हुआ है।

2—दफा 144, जाफ्ता फौजदारी के उलंघन में राष्ट्रीय श्रमिक संघ हिन्डालको के तत्वाधान में एक खुली मीटिंग की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में रेनूकूट में दिनांक 9 जनवरी, 1973 को श्री राज नारायण सिंह तथा एक अन्य व्यक्ति को भारतीय दंड विधान की धारा 188 के अन्तर्गत गिरफ्तार किये जाने की सूचना शासन को प्राप्त हुई है। किन्तु इन दोनों की गिरफ्तारी के समय अथवा बाद में शान्ति एवं व्यवस्था की कोई समस्या उत्पन्न होना नहीं बताया जाता है।

अभी सूचना मिली है कि दो दुकानों को स्टे-आर्डर प्राप्त हुआ है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

इसमें लिखा है "किन्तु इन दोनों की गिरफ्तारी के समय अथवा बाद में शान्ति एवं व्यवस्था की कोई समस्या उत्पन्न होना नहीं बताया जाता है।" और ऊपर साथ ही यह भी बताया गया है कि उनकी तरफ से कोई विरोध नहीं हुआ, तो क्या कारण है कि वहां पर दफा 144 लगाने की आवश्यकता पड़ी ? क्या इसलिये कि कोई विरोधी दल का नेता आगे न बढ़ने पाये ?

श्री राजबिहारी सिंह—

झोपड़ी में रहने वालों से जो नाजायज तौर पर किराया आदि, नजराना वसूल करते थे, उनकी तरफ से उपद्रव की आशंका थी।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

आप अध्यक्ष जी 15 तारीख के राज नारायण जी के तार को यहां मुझे सुनाने की इजाजत दें। जिसमें उन्होंने यह लिखा है कि जिलाधीश हमारे तथा राम नरेश कुशवाहा के नागरिक अधिकारों के साथ गर कानूनी और मनमानी हरकतें कर रहे हैं। आज पेशी की तारीख थी हम लोग गेट तक कचहरी लाने के लिये लाये गये किन्तु वहां ले जाने से इंकार कर दिया, इन्कार कर रहे हैं। हम लोग फाटक पर एक बजे से बैठे हैं। तो एक तरफ तो यह कहा जाता है कि शान्ति भंग की कोई आशंका नहीं थी, न उनकी गिरफ्तारी के पहले न बाद में, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि दफा 144 लगाने की वजह क्या थी ? और क्या श्री राज नारायण जी को जेल से कचहरी ले जाने के लिये लाया गया ? यदि हां, तो क्या उनको फिर कचहरी पंहुचाया गया या नहीं और इस सबका कारण क्या था ?

श्री राज बिहारी सिंह—

श्रीमन्, मिर्जापुर जेलखाना और पिपरी में करीब 150 मील का अंतर है। इसलिये जेल में क्या हुआ यह मुझे मालूम नहीं, जहां तक पिपरी का ताल्लुक है वहां पर 144 इसलिये लगाई गई थी कि वहां पर उनमें बाहर से आये हुए मजदूर रहते थे और कुछ लोग उनसे गलत

[श्री राजबिहारी सिंह]

ढंग से किराया वसूल करते थे, जबकि वह जमीन पी० डब्लू० डी० विभाग की थी । और कुछ स्थानीय लोग उनसे सौ-सौ, हजार-हजार रुपये पगड़ी लेकर झोपड़ियां बनवाते हैं । इस लिये शासन ने निर्णय किया कि झोपड़ियां हटा दी जांय और जो लोग दूकान करना चाहते हैं उनके लिये पक्की दूकाने बनवा दी जांय । ढाई सौ दूकाने बनायी जा रही हैं । जो लोग झोपड़ियों से हटाये गयें हैं, उनमें 78 आदिमियों ने प्रार्थना-पत्र दिया है कि उनको दूकान अलग करवा दी जाय । पिपरी में बिलकुल शान्ति है ।

श्री कल्पनाथ सिंह---

मेरा प्रश्न यह नहीं था । प्रश्न केवल इतना था कि जो वक्तव्य माननीय मंत्री जी का है उसकी अन्तिम लाइन पढ़ें--इन दोनों की गिरफ्तारी के समय अथवा बाद में शान्ति एवं व्यवस्था की कोई समस्या उत्पन्न होना नहीं बताया जाता है । जब शान्ति व्यवस्था का कोई प्रश्न उपस्थित ही नहीं था तो 144 लगाने का क्या कारण था और फिर राज नारायण जी को गिरफ्तार क्यों किया गया ?

मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)---

जहां तक मुझे स्मरण है 144 पहले से लगी हुई थी । इसीलिये लगी हुई थी, जो झोपड़ियां वगरह हटायी गयीं उससे कुछ लोगों को नुकसान पंहुचा तो आपस में झगड़े का डर पैदा हो गया था । 144 लगी थी, उसके बावजूद राज नारायण जी गये, 144 को भंग किया । इसमें गिरफ्तार कर लिये गये । जैसा कि माननीय सदस्यों को मालूम है मैं समझता हूं कि 24 घंटे के अन्दर फिर उनको रिहा भी कर दिया गया ।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)---

माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि 24 घंटे में उनको छोड़ दिया गया...

श्री कल्पनाथ सिंह---

बयान में लिखा है...

श्री अध्यक्ष---

उनको बोल लेने दीजिये । बात यह है कि इसी सदन में प्रार्थना की थी कि उनको रिहा कर दिया जाय, माननीय मुख्य मंत्री से कहा था । उसके बाद छोड़े गये ।

श्री कमलापति त्रिपाठी---

24 घंटे का मेरा मतलब था कि जब सदन में उस प्रश्न को उठाया गया, उससे चौबीस घंटे नहीं बीते, उसके पहले ही सम्मानपूर्वक, सधन्यवाद उनको जेल से मुक्त कर दिया गया ।

श्री अनन्तराम जायसावल---

जहां तक मुझे याद पड़ता है 13 जनवरी, 1973 को शाम को मैं माननीय मुख्य मंत्री से मिला था । उस दिन ही उन्होंने कह दिया था कि राजनारायण जी छूट गये । मैं समझता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी को मिर्जापुर का प्रशासन धोखा दे रहा है । आज तार मिला हुआ है, उस पर मोहर 17 जनवरी, 1973 की है । राज नारायण जी ने जेल से तार दिया है । इसमें लिखा है--जिलाधीश हमारे तथा रामनरेश कुशवाहा वगैरह के नागरिक अधिकारों के साथ गैरकानूनी मनमानी हरकतें कर रहे हैं, आज पेशी की तारीख

थी हम लोग गेट पर कचहरी ले जाने के लिये लाये गये प्रशासन कोर्ट में अभी तक गेट पर बुलाने के बाद ले जाने से इनकार कर रहा है फाटक पर एक बजे से बैठे हैं।

श्री अध्यक्ष—

यह 17 तारीख का है ?

श्री अनन्तराम जायसवाल—

यह आज सुबह सात बजे प्राप्त हुआ है। डाकखाने की मोहर 17 जनवरी, 1973 की लगी है।

श्री अध्यक्ष—

भेजा कब गया ?

श्री अनन्तराम जायसवाल—

भेजने की कोई तारीख नहीं है। लेकिन मोहर 17 जनवरी, 1973 की लगी है। माननीय सदस्य तिवारी जी मिर्जापुर से तशरीफ ला रहे हैं। उनका भी कथन है कि जेल में ही हैं। इस की तरफ माननीय मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करते हुये स्पष्ट उत्तर की मांग करूंगा।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मुख्य मंत्री, वह कहते हैं कि वह जेल में हैं।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मैं जांच कर लूंगा। जहां तक सूचना है, बावजूद सरकारी हुकुम के कि जेल से बाहर जायं वह जेल में ही बैठे हुये हैं।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

जैसा मुख्य मंत्री जी ने कहा कि राज नारायण जी को सम्मान पूर्वक रिहा कर दिया गया और उनका मुकदमा वापस ले लिया तो क्या यह बात सही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मैं जांच कराये लेता हूं वैसे मुझे मालूम है कि वह वहां प्रतिष्ठित हैं। जाने के लिये बाहर तैयार नहीं हैं।

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)—

जिस सेक्सन में वह पकड़े गये हैं वह जमानती दफा है और जमानत की दरखास्त पड़ी लेकिन जानबूझ कर जिलाधिकारी की तरफ से तंग किया जा रहा है ताकि उनकी जमानत की दरखास्त पेश न हो ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जब छोड़ दिये गये तो जमानत किस बात की।

श्री रामधारी शास्त्री—

किस तारीख को और किस वक्त वह छोड़े गये ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जिस दिन यह प्रश्न सदन में उठा और जायसवाल जी ने कहा कि उनको छोड़िये उसी दिन हमने उसके लिये आदेश दिया और शाम को सूचना दी गृह सचिव ने कि उनको छोड़ देने के आदेश जारी हो गये हैं।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

माननीय मुख्य मंत्री जी ने बताया कि आदेश दे दिये गये उन्हें छोड़ने के और उनको यह भी सूचना मिली कि वह जेल से बाहर नहीं गये तो क्या विधान के अन्दर ऐसी कोई व्यवस्था है कि कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से जेल के अन्दर बैठा रहे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

नित्यानन्द जी बड़े प्रकांड वकील हैं। कोई ऐसी व्यवस्था हो तो थोड़ा सा मुझे प्रकाश दें।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

जेल के अन्दर बैठे हैं तो किस फंड से भोजन की वह व्यवस्था करते हैं ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

जिन लोगों की झोपड़ी हटाई गयी है उनमें से कितनों के लिये दूसरी जगह व्यवस्था की गयी है ?

श्री राजबिहारी सिंह—

200 झोपड़ी हटाई गयी और जिला परिषद् 250 मकान बना रहा है। इसके अलावा शेष लोग सड़क से दूर झोपड़ी लगा लें।

श्री राम प्यारे (जिला मिर्जापुर)—

जिस तरह से जिला परिषद् दूकानें बना रही है उसी नक्शे के हिसाब से क्या दूकानदारों को बनाने की इजाजत दी जा सकती है ?

श्री राज बिहारी सिंह—

पी० डब्लू० डी० रोड पर कोई मकान अथवा दूकान न बनाये, यह बन्दिश है। दूकानदार उस जगह को छोड़कर मनमाने मकान अथवा दूकान बना लें इसमें सरकार को क्या एतराज हो सकता है।

श्री राम प्यारे—

जिला परिषद् ही पी० डब्लू० डी० की सड़क पर दूकानें बना रहा है जिस पर दूकानदार काबिज थे। मेरा निवेदन यह है कि जिला परिषद् को जिस तरह से इजाजत दी है उसी तरह से दूकानदारों को इजाजत दे दी जाय ?

श्री राजबिहारी सिंह—

श्रीमन्, यह जिला परिषद् का सवाल है। ये दुकानें जिला परिषद् से आवेदन-पत्र पर दी गई और जो उचित समझा गया, निर्णय दिया गया.....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न तो केवल वक्तव्य के लिये था।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि वहां पर हिन्डालको के बजूद में आने के उपरान्त ये दुकानें हटायी गई ? यह बात बहुत दिन से चल रही थी । पहले वक्तव्य में मंत्री जी ने कहा था कि कमिश्नर साहब का आदेश जिलाधीश को प्राप्त नहीं हुआ । अभी मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा है कि ऐसा आदेश दिया गया था । ऐसी स्थिति में जिलाधीश ने कमिश्नर के आदेशों का उल्लंघन किया ? तो क्या सरकार जिलाधीश के खिलाफ कार्यवाही करेगी ?

श्री राज बिहारी सिंह--

जिन दुकानों को न गिराने के सम्बन्ध में कमिश्नर ने आदेश दिया था वे नहीं गिराई गई इसलिये सजा देने का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मान्यवर, मंत्री जी ने बताया कि सार्वजनिक निर्माण विभाग के मार्ग पर लोगों ने 10/15 साल से मकान बना लिये थे इसकी सारी जिम्मेदारी सार्वजनिक निर्माण विभाग के इंजीनियर्स और ओवरसियर्स की थी । क्या मंत्री जी इन इन्जीनियर्स और ओवरसियर्स के खिलाफ, जिनकी वजह से कि प्रदेश में संकट पैदा हो गया है, कार्यवाही करेंगे ? मैंने यहां तक सुना है कि लोगों से रुपया लेकर ऐसा किया गया है ।

श्री राजबिहारी सिंह--

मान्यवर, यह नया सवाल है । यह दूसरी बात है कि पी0 डब्लू0 डी0 की जमीन पर ये दुकान बनी । ऐसे ही कई अन्य जगहों पर भी निर्माण हुये हैं । इसके ऊपर सरकार सख्ती से सोच रही है कि उनको हटाया जाय ।

श्री रामबिलास पांडेय (जिला आजमगढ़)--

मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानकारी चाहता हूं कि 12 तारीख को माननीय मुख्य मंत्री जी ने आदेश दिया था और आज 17 तारीख हो गई है और जब मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कराया गया माननीय राजनारायण जी दिल्ली में किसी खास मीटिंग में जाना चाहते हैं किन्तु आज 17 तारीख हो गई है, उनके आदेश देने के बावजूद भी किस कायदे और कानून से राजनारायण जी जेल में ही बन्द हैं ? यदि वे बाहर हुये हैं तो किस तारीख को बाहर हुये हैं ? मैं स्पष्ट जानकारी चाहता हूं ।

श्री राजबिहारी सिंह--

माननीय मुख्य मंत्री जी ने आदेश दिया था कि राजनारायण जी को रिहा कर दिया जाय । उनका यह आदेश 13 तारीख को भेज दिया गया था और राजनारायण जी को सर्व करा दिया गया था । चूंकि इसमें जमानत का मामला था अतः पर्सनल बांड भरने की बात थी । उस पर दस्तखत करने से उन्होंने इन्कार कर दिया । . . . (घोर व्यवधान)

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री रामबिलास पांडेय--

अध्यक्ष जी, अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि राजनारायण जी सधन्यवाद और सम्मान सहित छोड़ दिये गये किन्तु माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि उनके आदेश के बावजूद के भी जमानत के कार्य में रुकावट पड़ रही थी इसलिये वे नहीं छूट पाये । इससे साबित होता है कि व अभी जेल में ही हैं । जैसा कि अभी जो तार आया है उससे पता चलता है

[श्री रामविलास पांडेय]

कि जिलाधीश ने कमिश्नर के आदेश की अवहेलना की है और उन्होंने राज नारायण जी को जलखाने में बन्द कर रखा है और उन्हें हैरेस किया जा रहा है... (व्यवधान) ।

श्री अध्यक्ष--

मुख्य मंत्री जी ने कहा कि यह सूचना उन्हें अभी मिली और वे इसकी जांच करायेंगे । उन्होंने वायदा किया है...

श्री बांके लाल (जिला देवरिया)--

मुख्य मंत्री ने कहा कि उन्हें सधन्यवाद और सम्मान पूर्वक छोड़ दिया गया उनका बयान दूसरा है, इनका बयान दूसरा है, दोनों की बातों में फर्क है । माननीय मुख्य मंत्री का कहना सत्य है या राज्य मंत्री का कहना सही है ?

श्री अध्यक्ष--

सही जांच से क्या निकलता है, यह माननीय मुख्य मंत्री जी कल बतलायेंगे ।

श्री बांके लाल--

माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो कुछ यहां कहा है उससे उन्होंने सदन में अपने विश्वास को खोया है ।

श्री राज बिहारी सिंह--

माननीय मुख्य मंत्री जी ने स्पष्ट शब्दों में सदन के सामने निवेदन किया कि जैसे ही 13 तारीख को इस सम्बन्ध में सदन में चर्चा चली, माननीय मुख्य मंत्री ने उनको छोड़ने का आदेश दे दिया । उनको गृह सचिव ने बतलाया कि आपके आदेश के अनुसार श्री राजनारायण सिंह को छोड़ने का आदेश दे दिया गया है । माननीय मुख्य मंत्री जी ने मान्यवर, यही कहा ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

यह नहीं कहा ।

श्री राजबिहारी सिंह--

माननीय मुख्य मंत्री का कहना है कि गृह सचिव ने उनको सूचना दी कि श्री राजनारायण सिंह को छोड़ने का आदेश दे दिया गया है ।.....

श्री कल्पनाथ सिंह--

माननीय मुख्य मंत्री ने क्या कहा, यह उन्हीं को कहने दीजिये । आप भाष्य न करें ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

माननीय मुख्य मंत्री ने कहा कि उनको सम्मानपूर्वक, सधन्यवाद छोड़ दिया गया, यह निराधार और गलत है । क्योंकि मुख्य मंत्री ने अपने बयान में कहा कि जब उनको सम्मानपूर्वक और सधन्यवाद छोड़ दिया गया तो जमानत का क्या सवाल उठता है । जब बेलेबिल आफेंस होता है तो अदालत के सामने पर्सनल बांड पर सिक्योरिटी होती है । इस लिये अभी जो उन्होंने बयान दिया है वह गलत है, बिलकुल गलत है । इसकी जांच करने की जरूरत है कि किस आधार पर माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह बयान दिया ।

श्री चरण सिंह (जिला मेरठ)--

अध्यक्ष महोदय, अभी जो माननीय माधवप्रसाद त्रिपाठी जी ने कहा उससे मैं सहमत हूं। क्योंकि माननीय त्रिपाठी जी ने साफ कहा कि उन्हें ससम्मान, सधन्यवाद रिहा कर दिया गया। तो इसमें दो सवाल उठते हैं। एक तो यह कि वे रिहा हुये ही नहीं और आपने जो कहा वह गलत कहा कि श्री राजनारायण सिंह को सम्मानपूर्वक, सधन्यवाद रिहा कर दिया गया। आपने छोड़ने का आर्डर तो कर दिया लेकिन ऐसा मालूम होता है कि छोड़ने का आर्डर यहां से गया ही नहीं। मेरा ख्याल है कि माननीय त्रिपाठी जी ने यह प्रिज्यूम कर लिया कि वे छोड़ दिये गये होंगे क्योंकि उन्होंने छोड़ने का आर्डर दे दिया है। माननीय मुख्य मंत्री जी को इस बात को स्वीकार कर लेना चाहिये।

श्री कमलापति त्रिपाठी--

आदेश यही था।

श्री बांके लाल--

आदेश आपका कुछ भी हो, आपके आदेश का पालन नहीं हुआ और इस पर आपको इस्तीफा दे देना चाहिये।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

इस्तीफे की बात तो एडजर्नमेंट मोशन के ऊपर आयेगी और उसके ऊपर माननीय मुख्य मंत्री पर और माननीय वित्त मंत्री दोनों को इस्तीफा देना चाहिये।

श्री कमलापति त्रिपाठी--

इस्तीफा तो दूंगा नहीं, जिस दिन निकाल देंगे चला जाऊंगा। राजनीति में इस तरह की बातें होती ही रहती हैं इसको सभी राजनीतिज्ञ जानते हैं।

इस तरह से मैं जाने वाला नहीं हूं।

श्री बांके लाल--

झूठ बोलना ही बहुत बड़ी राजनीति है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

माननीय बांके लाल जी बहुत क्रुद्ध मालूम होते हैं।

श्री बांके लाल--

आप मधुर-मधुर बातें करते हैं और विरोधी पक्ष को नीची नजर से देखते हैं, विरोधी पक्ष को धोखे में डालते हैं, यह बात मुझे ठीक नहीं लगती।

श्री कमलापति त्रिपाठी--

जब यह प्रश्न यहां उठाया गया तो मैंने आदेश दिया कि तत्काल श्री राजनारायण सिंह को छोड़ दिया जाय। होम सेक्रेटरी ने शाम को मुझे यह सूचना दी कि उनकी रिहाई का आदेश जारी कर दिया गया है। लेकिन तार जो आया है उससे मालूम होता है कि अभी वे वहीं पर हैं। तो इसकी मैं जांच करा लूंगा। मुझे राम प्यारे ने बताया कि वह जेल से बाहर नहीं जा रहे हैं। लेकिन तार से पता चला कि वे जेल के भीतर हैं इसलिये कि उनसे जमानत मांगी गई जो उन्होंने नहीं दी। मुझे जो सूचना दी गई वह स्पष्ट नहीं थी। अगर ऐसा किया गया तो यह मेरे आदेश के विरुद्ध था। मैं इसकी जांच करा लूंगा।

श्री चन्द्रभान शर्मा—

क्या मुख्य मंत्री जी उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

वह तो उन्होंने कहा कि जांच करायेंगे।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)—

मुख्य मंत्री जी ने कहा कि दफा 144 लगी हुई थी जो पिछले साल से लगी हुई है और उन्होंने यह भी कहा कि स्थिति सामान्य है तो क्या दफा 144 उठा दी जायेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मान्यवर, यह तो दूसरा प्रश्न है। इसका पता लगा लें।

श्री अध्यक्ष—

आपको मालूम है कि दफा 144 साल भर से लगी हुई है ?

श्री राजबिहारी सिंह—

इसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

श्री चरण सिंह—

माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी ने कहा कि उनसे जमानत मांगी जा रही है तो क्या यह चीज मुख्य मंत्री जी के नोटिस में नहीं लाई गई ? अगर आपके नोटिस में यह बात होती तो यह बात आप नहीं कहते।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

माननीय मुख्य मन्त्री जी ने कहा कि 13 तारीख को आदेश भेज दिये गये कि राजनारायण जी को छोड़ दिया जाये और वह आदेश जारी हो गये। इसका मतलब यह हुआ जैसा कि उन्होंने कहा कि बिना शर्त उन्हें छोड़ दिया जाये। लेकिन ऐसा मालूम होता है कि उसका अनुपालन नहीं हुआ। उन्हीं के माध्यम से यह सूचना आई होगी जो मंत्री जी सदन में दे रहे हैं। उन्होंने इस सूचना को चेक करने की परवाह नहीं की। आदेश उनके जरिये से भेजा गया था तो उसके खिलाफ यह सूचना कैसे आ रही है कि राजनारायण जी से जमानत मांगी जा रही है तो इसमें घपला लगता है कि आदेश गये या नहीं ? यदि गये हैं तो उनका अनुपालन क्यों नहीं किया जा रहा है। इसमें कई चीजें निकल रही हैं। यदि मुख्य मन्त्री जी के आदेश उपलब्ध हों तो उसको सदन में पढ़ कर सुना दिया जाये।

श्री अध्यक्ष—

किसके आदेश आप चाहते हैं।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

12 तारीख को आदेश जारी हो गये हैं कि राज नारायण जी को बिना शर्त छोड़ दिया जाये, सम्मानपूर्वक छोड़ दिया जाये, यह आदेश जिलाधीश को पहुंचा या नहीं ? यदि पहुंचा तो उसका अनुपालन क्यों नहीं किया गया। फिर जब जवाब सेक्रेटरी के पास आया कि राजनारायणजी जमानत नहीं दे रहे हैं तो यह बात उन को स्ट्राइक होनी चाहिये थी कि जो आदेश भेजा गया है, यह उसके प्रतिकूल है और जैसा कि माननीय चरणसिंह जी ने बताया कि उनको निश्चित जानकारी है कि वह जमानत नहीं दे रहे हैं इसलिये नहीं छोड़े जा रहे हैं तो यह बात स्पष्ट हो जानी चाहिये। जवाब जब यह आया है तो इससे मालूम होता है कि या तो वह आदेश जिलाधीश के

मिला नहीं या फिर वह इतना भ्रष्ट हो गया है कि उसको शासन के आदेश की परवाह नहीं रह गई है।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मान्यवर, मैंने कहा है कि मैं इसकी जांच करा लूंगा। जो आदेश दिये जा चुके हैं उनका पालन होना है। लेकिन जैसा कि कहा कि उनके छोड़ने पर कोई शर्त लगाई गई है तो वह क्यों लगाई गई है और कैसे लगाई गई है। इसकी मैं जांच करा लूंगा और आप के पास भेज दूंगा।

श्री अध्यक्ष—

अब बहुत प्रश्न हो चुके हैं।

श्री अजन्तराम जायसवाल—

क्या मुख्य मन्त्री जी आश्वासन देंगे कि इन प्रश्न-उत्तरों के बाद तुरन्त वायरलेस के द्वारा श्री राजनारायण को छुड़वाया जायगा?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

आपकी आज्ञा का पालन तो मैं करता ही रहता हूं।

श्री रामधारी शास्त्री—

यह बता दिया जाय कि अब उनको छोड़ा जायगा या नहीं?

प्रदेश के बिजली अभियंताओं द्वारा हड़ताल से उत्पन्न स्थिति के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—

अब मैं कार्य-स्थगन प्रस्ताव ले रहा हूं, मैंने इस को स्वीकृति के लायक समझा है, अब वह जिनका प्रस्ताव है उसे वह उपस्थित करें। यह सर्वश्री माधव प्रसाद त्रिपाठी, हिम्मत सिंह, मोहन लाल कपूर, विश्वनाथ कपूर, राम विलास पांडेय, चन्द्रमोहन सिंह नेगी, नित्यानन्द स्वामी, रूपनाथ सिंह यादव, शफीक अहमद खां, शम्भूनाथ चौधरी, चन्द्रभान शर्मा, त्रिलोक चन्द और चरण सिंह की तरफ से आया है। यह बिजली परिषद् के इंजीनियरों की हड़ताल के विषय में है। इसके विषय में वह चर्चा चाहते हैं और प्रार्थना की है कि सदन का काम रोका जाय, वह इसको नियमतः पेश करें, मैं इसकी इजाजत दे रहा हूं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से यह कार्यस्थगन प्रस्ताव उपस्थित करता हूं :—

"उत्तर प्रदेश के बिजली अभियन्ताओं ने कल प्रातः 6 बजे से सम्पूर्ण राज्य में अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल आरम्भ कर दी है। हड़ताल से पूर्व रिहन्द सहित अनेक प्रमुख बिजली उत्पादन केन्द्रों पर भारी तोड़फोड़ की सूचना मिली है तथा बिजली उत्पादन सारे प्रदेश में ठप्प है। विद्युत् पूर्ति अस्त-व्यस्त हो गई है। अनेक नगरों में जलपूर्ति, प्रकाश व अन्य अनिवार्य सेवाओं में बाधा पड़ गयी है। पेयजल की पूर्ति ठप हो गई है। औद्योगिक उत्पादन व सिंचाई कार्य को भारी क्षति पहुंच रही है। बिजली के अभाव के कारण अस्पतालों व कन्या होस्टलों की स्थिति बहुत ही भयावह हो गई है। इस हड़ताल से सारे प्रदेश का अर्थतन्त्र झकझोर उठा है और चारों तरफ हाहाकार व घोर असंतोष व जनरोष व्याप्त है।

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी]

सरकार पर्याप्त नोटिस होने पर भी इस समस्या को सुलझाने में या रास्ता निकालने में पूर्णतया असफल रही है। अतएव इस सुनिश्चित अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय पर चर्चा के लिये कार्य-स्थगन का प्रस्ताव प्रस्तुत करने की मैं सूचना देता हूं।"

इसलिये मैं सदन से इसकी अनुज्ञा मांगता हूं क्योंकि इस समस्या को लेकर सारे प्रदेश में अंधकार छा गया है।

(कोई आपत्ति न होने पर)

श्री अध्यक्ष—

किसी को आपत्ति नहीं है तो इसकी अनुज्ञा दी गयी।

(विपक्ष की ओर से मेजें थपथपायी गयीं)

नियम 61 में दिया गया है कि यदि ऐसा प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुज्ञा प्राप्त हो जाय तो दिन का कार्य समाप्त होने के लिए साधारणतया नियत समय से एक घंटा पूर्व या यदि अध्यक्ष ऐसा निदेश दें, तो ऐसे पूर्व समय पर जब कि दिन का कार्य समाप्त हो जाय, उस प्रस्ताव को लिया जायगा।

यदि कार्य 4 बजे से पहले समाप्त हो जाय तो उस वक्त लिया जायगा अन्यथा 4 बजे लिया जायगा।

श्री विश्वनाथ कपूर (जिला फैजाबाद)—

इसके पूर्व भी आप करा सकते हैं। आपको विदित होगा कि सारी रेल गाड़ियां ठप्प हो गयी हैं, सारा कृषि उद्योग समाप्त हो गया है और सारे उद्योग ठप्प हो गये हैं। अब इसके बाद यह एक छोटा सा बिल है बिक्री कर। यह तो लागू भी है आर्डिनेन्स के जरिये से। तो इस पर चर्चा आरम्भ कर दी जाय ?

श्री अध्यक्ष—

नियमों के अनुसार ही करा सकता हूं। इसके पूर्व नहीं करा सकता हूं।

श्री रामगोपाल संड (जिला इलाहाबाद)—

श्रीमन्, न पानी मिल रहा है, न बिजली मिल रही है। मेरी प्रार्थना है कि आप इसे पहले ले लीजिए ?

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

श्रीमन्, आने वाली फसलें बिजली और पानी न होने के कारण बरबाद हो जायेंगी।

श्री राम गोपाल संड—

श्रीमन्, आपके झांसी में भी पानी बन्द हो गया है। आप इसे पहले ले लीजिए ? वहां पर बिजली भी फेल हो गयी है।

श्री अध्यक्ष—

नियम में यह है कि यह 4 बजे लिया जाय। यह कार्य-स्थगन तो है ही। लेकिन आप चाहते हैं कि अभी कार्य बन्द कर दिया जाय, यह तो नियम में नहीं है।

श्री राम बिलास पांडेय (जिला आजमगढ़)—

मान्यवर, इसे जितनी जल्दी ले लेंगे, उतना ही अच्छा होगा। श्रीमन्, पानी बन्द हो गया है, बिजली बन्द हो गयी है, रेलें ठप्प हो गयी हैं।

श्री राम सागर (जिला जौनपुर)—

श्रीमन्, मैंने भी एक प्रस्ताव दिया था। आप इसे नियम 51 में ही ले लें।

श्री अध्यक्ष—

काम रोक कर ही कार्य होगा।

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, 1973†

*वित्त मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, 1973 पर विचार किया जाय ?

श्रीमन्, उच्च न्यायालय में एलाइड केमिकल के केस में जो निर्णय हुआ था उसको ध्यान में रख कर इस बिक्री कर की धारा 3 की उपधाराओं का स्पष्टीकरण करके प्रतिस्थापित किया जाना आवश्यक हो गया था।

साथ-साथ बहुत समय से सदन में भी चर्चा रहती थी कि टैक्स इवेजन को रोकने के लिए चेक पोस्ट बनायी जायं। हमारे प्रदेश के व्यापारियों और खास तौर से गाजियाबाद आदि स्थानों पर दिल्ली से सस्ता सामान आ जाता था क्यों कि वहां पर बिक्री कर कम है, और जो ईमानदार व्यापारी है, उनको कठिनाई होती थी। इस प्रकार की चेक पोस्टस हरियाणा और पंजाब में बनी हुयी हैं। इसके साथ ही साथ व्यापारियों को रिफन्ड आदि की सुविधा नहीं थी। स्पष्टतया उनकी यह भी मांग थी कि जो सेल्स टैक्स एडवाइजरी कमेटी में उनका कम किया जाना आवश्यक है।

आगरा के गुप्ता उद्योग और दूसरे कुटीर उद्योग के मल्टी प्वाइन्ट टैक्स के स्थान पर अगर सिंगिल प्वाइन्ट परचेज टैक्स लगा दिया जाय तो उसका भी प्राविधान नहीं था तो उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने जो निर्णय बिक्री कर ऐक्ट के सम्बन्ध में दिया था और जिसके बारे में अध्यादेश लाना पड़ा था उसके स्थान पर और साथ साथ इवेजन को रोकने और व्यापारियों को सुविधायें देने के लिए और अन्य कमियों को दूर करने के लिये यह विधेयक लाया गया है। इसमें एक तो चेक पोस्टस सम्बन्धी उपबन्ध हैं और यह है कि किस प्रकार से व्यापारियों को डिक्लेरेशन फार्म्स भरने पड़ेंगे और इसके साथ साथ पहले भी चेक पोस्ट की योजना 1956–58 में लागू की गई थी। उसमें कमियां होने के कारण चेक पोस्ट योजना सफल नहीं रही।

रेल, नदी वायुयान से भी सामान लाते हैं तो उनमें भी फार्म "सी" लागू हो इसमें यह व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ इसमें अगर कोई व्यापारी अन्तर्राज्यीय व्यापार के सम्बन्ध में इच्छुक हैं और वह दूसरे प्रदेशों से माल खरीदता हैं तो उन्हें केन्द्रीय बिक्री कर से मुक्ति मिल सकती है इसलिये उन्हें फार्म "सी" की सुविधा इसके अन्तर्गत दी जा रही है, ताकि प्रदेशों में छोटे उद्योग बढ़ सकें और दूसरे राज्यों से अगर अपने यह उद्योग लगाने के लिये अगर वे मशीनरी आदि खरीदना चाहते हैं तो उन्हें अन्तर्राज्यीय और केन्द्रीय बिक्री कर से मुक्ति मिल सकेगी और साथ ही साथ व्यापारियों से जो मांग की जाती थी उसके लिये कोई सीमा नहीं थी इसलिये व्यापारियों को दिक्कत होती थी और जमानत की राशि अलग अलग नियत करने का अधिकार अनिश्चित रूप से था। अब इसमें खंड 11 के अन्तर्गत व्यापारियों के द्वारा जो जमानत दी जायगी वह बिक्री कर की राशि तक ही होगी इसलिये व्यापारी

---

†12 जनवरी, 1973 की कार्यवाही में छपा है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

वर्ग को कुछ राहत मिलेगी । साथ ही साथ अगर कहीं अनअकाउन्टेड माल पकड़ा जाता था तो उसमें जमानत पर छोड़ने का उपबन्ध नहीं था और राजस्व का भी कोई लाभ नहीं था ।

अब खंड 18 के द्वारा इस प्रकार के अनअकाउन्टेड फार माल जो अनधिकृत अधिकारी द्वारा अधिग्रहीत किया जाता था उसको कानूनी शक्ल देने का इसमें प्रविधान किया गया है ताकि अनअकाउन्टेड फार माल से भी राजस्व प्राप्त हो और जमानत में छोड़ सकने का भी प्राविधान हो । साथ ही साथ व्यापारियों की यह भी मांग थी और कई बार प्रश्न उठा था कि अगर सरकार को व्यापारी बिक्री कर समय से नहीं देते तो पिनाल्टी लगती है, व्याज देना पड़ता है लेकिन अगर सरकार के ऊपर रिफन्ड देय हो तो वह बिना व्याज के होता है । इसलिये इस विधेयक के द्वारा छः प्रतिशत व्याज छः मास के अन्दर रिफन्ड न हुआ तो छः परसेन्ट व्याज मिलेगा रिफन्ड के अमाउन्ट पर । इस पर बहुत दिनों से मांग थी और इसमें न्याय का भी तकाजा था ।

साथ ही साथ खंड 4 द्वारा अधिनियम में जो साढ़े तीन प्रतिशत के हिसाब से मल्टी-पाइन्ट टैक्स की व्यवस्था पुराने अधिनियम में थी इससे जिन बहुस्थानीय बिक्री कर की ऐसी व्यवस्थाओं पर जिनमें स्पष्टतया बहुस्थानीय बिक्रीकर न हो, पहले मिसलेनियस आइटेम्स के ऊपर बिक्री कर लगाया जाता था । अलग अलग प्रकार के फैसले हुआ करते थे और काफी मुकदमेबाजी होती थी । इसलिये जो बहु स्थानीय बिक्री कर बिक्री योग्य वस्तुएं विज्ञापित की जायं और जो अवैधो त रह जायं उनके लिये निश्चित दर नियत कर दें इससे मुकदमेबाजी और पेचीदगियां कम हो जायेंगी ।

साथ-साथ अगर कोई कम्पनी फ्राड करती है, इवेजन करती है पहले उस पर अभियोग चलाने का प्राविधान नहीं था । अगर कोई फ्राड करने की कोशिश करे तो सम्पत्ति हस्तान्तरित कर दे तो उसमें प्रतिबन्ध न होने से राजस्व का अहित होता था । तो खंड 32 के द्वारा प्राविधान किया जा रहा है । यह इसमें मुख्य संशोधन है जो कि व्यापारियों को सहूलियत देने के लिये है या करापवंचन रोकने के लिये भी है और मुख्य चेक पोस्ट बनाने के लिये है । ताकि प्रदेश के व्यापारियों की जो मांग थी और इस सदन में भी मांग उठी थी कि चेक पोस्ट्स बनायी जायं तो उसको एक कानूनी शक्ल इस संशोधन विधेयक में दी जा रही है । मुझे आशा है कि सम्मानित सदन इस विधेयक पर विचार करेगा और इसको स्वीकार करेगा ।

*श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)--

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, 1973 को जनता की राय जानने के लिये 3 माह तक परिचालित किया जाय। श्रीमन् मंत्री जी का भाषण स्वयं में बड़ा भ्रम पूर्ण है। टैक्स का इवेजन तो व्यापारी करता है लेकिन श्रीमन् यहां जो सदन का इवेजन करते हैं वह हमारे माननीय मंत्री जी करते हैं। आपने कहा कि व्यापारियों को सुविधा देने के लिए चेक पोस्ट्स कायम कर रहे हैं। श्रीमन् यदि आप को कभी रोडवेज की बस में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ हो, भगवान न करे कि कभी बैठना पड़े, तो आप देखेंगे कि रास्ते में जितनी भी म्युनिसिपैलिटीज पड़ती हैं चाहे टाउन एरिया है या कोई है तो हर जगह गाड़ी को रुकना पड़ता है। पहले तो सवारियों को बैठने में परेशानी और फिर वह वहां खड़ी रहती है । अब इनकी चैकपोस्टस होंगी तो सवाल यह है कि व्यापारी कितना माल ले जायेगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

दूसरे यह कि कि अगर किसी निश्चित समय पर माल पहुंचाना है तो वह नहीं पहुंच पायेगा क्योंकि हर जगह माल की जांच होगी। मैं मंत्री जी से पूछता हूं कि जो इवेजन करने वाला है क्या वह इवेजन नहीं करता। वह तो पचासों तरीके से करता है। इसलिए आप ऐसी व्यवस्था करें जिससे कि व्यापारियों को सहूलियत मिले। मान लीजिये कोई व्यक्ति बिक्री करता है तो जिस प्वाइन्ट पर बिक्री करता है वहां उसको पकड़ें। अब व्यापारी माल लेकर जा रहा है, उसकी बिक्री होगी या नहीं, आपको तो बिक्री पर टैक्स लेना चाहिये। क्योंकि आपने इसमें स्पष्ट व्यवस्था नहीं की है इसलिये मेरा यह सुझाव है कि आप बिक्री कर तब लीजिये जब कि बिक्री हो जाय। जब तक बिक्री न हो जाय तब तक बिक्री कर लेने का अधिकार भी नहीं है।

दो एक बात आपने अभी अपने भाषण में कही है जो कि अच्छी है। एक बात आपने रिफंड की कही, दूसरी बात जमानत की सीमा तय करने की कही और तीसरी यह कि व्यापारियों को व्याज मिलेगा तो यह सभी बातें अच्छी है और मैं उनका स्वागत करता हूं। अब प्रश्न यह आता है कि आखिर इवेजन क्यों है? हमारे यहां कानून है और हम जगह-जगह राहत देने की बात करते हैं। मैं समझता हूं कि इस सदन में किसानों के लिए बोलने वाले 90 प्रतिशत लोग हैं। वह उनके लिये बोलते हैं। उन्हें बोलना भी चाहिए क्योंकि उन की स्थिति को ठीक करना है। लेकिन व्यापारी, जो छोटे व्यापारी हैं, उनकी समस्याओं पर सरकार गौर नहीं करती। वह सेल्स टैक्स के दफ्तर में जाय या जहां भी जाय उसको हीन भावना से देखा जाता है। और समझा जाता है कि सौ में से सौ व्यापारी दोषी हैं। सौ में से 70 या 80 दोषी हो सकते हैं लेकिन सौ के सौ ही दोषी हों ऐसा नहीं है। लेकिन उनके खिलाफ एक प्रीजम्प्शन है। हालांकि कोर्ट में भी क्रिमिनल के खिलाफ प्रीजम्प्शन होता है लेकिन वह यह है कि ही इज इन्नोसेंट अनलेस ही इज प्रूव्ड अदरवाइज।

(इस समय 12 बज कर 55 मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री वासुदेव पीठासीन हुए।)

उसको आप इन्नोसेंट मानते हैं जब तक अदरवाइज प्रूव न हो जाय लेकिन सेल्स टैक्स का व्यापारी जब खड़ा होता है तो उस को मुल्जिम औरभ्रष्ट माना जाता है। उसको हिन्दुस्तान में सबसे खराब आदमी समझा जाता है।

आपने सेल्स टैक्स जिस प्रकार से कर दिया है उसके अनुसार व्यापारी अपने को ईमानदार रखने में असमर्थ पा रहा है। मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि बिक्री-कर के जो नियम हैं उनको आप एक बार जनता के बीच में परिचालित कर दें। व्यापारी और वकील जो सेल्स टैक्स का काम करते हैं उनके आप के पास सुझाव आवेंगे। आप जानते है कि सेल्स टैक्स हर प्रदेश में नहीं है। अगर कहीं है तो वह दर नहीं है जो आप के यहां है। हमारे प्रदेश का उद्योगपति अपना माल दूसरे प्रदेशों में जहां कम सेल्स टैक्स देना पड़ता है, बेचता है। उद्योग को इससे नुकसान होता है। आपके सेल्स टक्स की दरें पड़ोसी राज्यों से ज्यादा है। दिल्ली में यह दरें बहुत कम हैं।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि आप जो टैक्स इवेजन की सबसे बड़ी समस्या कहते हैं, वह आप का एक सूत्री टैक्स का ढांचा न होने से है आप का जहां सामान बन रहा है वहां पर सेल्स टैक्स ले लीजिये, जैसा कि इक्साइज ड्यूटी है। कपड़ा पर है। यह मिल पर लग जाता है और उसके बाद में ड्यूटी नहीं पड़ती है। यहां पर सेल्स टैक्स 36 जगह लगता है। हर आदमी को देना पड़ता है। खुदरा व्यापारी तक को देना पड़ता है। इससे उपभोक्ता परेशान होता है। इसमें व्यापारी को भी परेशानी है कि उसको इसके लिये मुनीम रखना पड़ता है। छोटा व्यापारी जो कि मामूली दूकानदार है। मुश्किल से 200, 300 रुपये महीने में पैदा कर पाता है। उसके लिये मुनीम रखना संभव नहीं है। पार्ट टाइम भी 100, 150 रुपया ले लेगा। बहुसूत्री की जगह एक सूत्री सेल्स टैक्स हो जाय तो व्यापारी की यह असुविधा दूर हो जावेगी और टैक्स इवेजन समाप्त हो जावेगा।

[श्री नित्यानन्द स्वामी]

मैं यह पूछना चाहता हूं कि सरकार यह बतलाये कि सरकार को उसमें क्या कठिनाई है। सरकार ने यहां पर इस सदन में एक उत्तर में कहा था कि एक सूत्री टैक्स के बारे में कमेटी विचार कर रही है और उसके बाद सेल्स टैक्स में परिवर्तन करने की बात सोच रहे हैं। लेकिन इस सरकार ने व्यापारी की इस कठिनाई की ओर बिलकुल ध्यान नहीं दिया है और आज व्यापारी को मजबूर कर दिया है कि वह दो बही रक्खे और दो हिसाब रक्खे। व्यापारी को बेईमानी करके सेल्स टैक्स इवेजन करना पड़ता है। बहुत बड़ी मात्रा में व्यापारी ऐसा कर रहा है और दो तीन लोगों के बारे में मैंने आप से बतलाया भी था। सेल्सटैक्स आफिसर व्यापारी से मिल कर सेल्सटैक्स इवेजन करा रहा है। वह साफ-साफ कहते हैं कि इतना रुपया ले आओ जो चाहो टैक्स लगा लो। तो एक सूत्री टैक्स लगाने पर विचार करें। लाखों आदमी व्यापारी हैं तो इस पर विचार करना आवश्यक है। मान्यवर, दूसरा सुझाव बिक्री-कर की विभिन्न दरों के बारे में है। जो आपका जनरल मरचेन्डाइज का सामान है, जैसे कंघी आदि, उन हरेक चीजों पर अलग-अलग दरें हैं। अगर इस तरह की चीजों का सामूहिक रूप से एक दर कर दें, जैसा और प्रदेशों के अन्दर है, तो मैं समझता हूं, इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है। हरेक आइटम पर अलग-अलग दर रखने पर व्यापारी को असुविधा होती है। सामूहिक रूप से इन चीजों की एक दर बना कर इसको सरल कर दें तो इससे आपका सेल्स टैक्स भी बढ़ेगा।

आपने कहा कि बिक्री-कर का इवेजन होता है। मैं आप के सामने एक उदाहरण रख दूं। अनाज के जो छोटे-छोटे व्यापारी हैं, जब अनाज अढ़तियों से खरीदते है तो एक परसेंट परचेज टैक्स देते हैं और जब उसे बेचते है तो एक परसेंट बिक्री-कर देते हैं। इस प्रकार ये छोटे-छोटे व्यापारी दो परसेंट टैक्स देते हैं—खरीदने के वक्त परचेज टैक्स और बेंचने के वक्त सेल्स टैक्स। उसमें जब अढ़तिया देता है, तो बिक्री-कर अढ़तिया पर होना चाहिये। इन लोगों के एक डेपुटेशन को मैंने आपसे मिलाया था। आपके अधिकारियों ने भी इस बात को मान लिया है। लेकिन अभी आदेश नहीं हुये।

हमारे प्रकाश नारायण गुप्ता जी का प्रश्न था—जूते का कुटीर उद्योग, जिसको इस प्रदेश के लाखों हरिजन भाई करते हैं, चमड़े का काम करते हैं, इस तरह के कुटीर उद्योगों को भी नहीं बक्सा है। आप कहेंगे कि कुटीर उद्योगों को सुविधा दी है। लेकिन यह जो आप का कुटीर उद्योग है, यह आप के बिक्री-कर के द्वारा मार खा गया। छोटे-छोटे उद्योग लगा कर एक आदमी बैठा है लेकिन सेल्स टैक्स से उसके मुनाफे का मार्जिन घट जाता है। इस तरह से कुटीर उद्योग पनप नहीं पाते। मैं आप को एक उदाहरण दे रहा हूं। देहरादून में ट्रक के बाडी बिल्डर हैं, जो ट्रकों की बाडी बनाते हैं। वह तो हाथ का काम है। उस पर सेल्स टैक्स कैसे लगा लिया।

यह जो बिक्री-कर के बकाये की बात है, उसमें इवेजन एक चीज है और बकाया दूसरी चीज है। माननीय कृष्णस्वरूप वैश्य का प्रश्न था, जिसमें प्रदेश के आंकड़े, इस संबंध में, दिये थे—मालूम नहीं 32 करोड़ था या 28 करोड़। इतना टैक्स का बकाया है। यह बकाया क्या छोटे दूकानदारों पर है? नहीं। छोटे दूकानदारों पर तो पांच मिनट में आप की तलवार चल जाती है। यह बड़े-बड़े व्यापारियों पर बकाया है, जिनसे सरकार अपने चुनाव का खर्चा चलाती है, जिन व्यापारियों से सरकार स्वयं दबती है, उन पर करोड़ों रुपये का बिक्री-कर बकाया है। उसकी सरकार उगाही करने की कोशिश नहीं करती। क्योंकि अगर ऐसा करने की कोशिश करेगी, तो वे सरकार की सहायता नहीं करेंगे। तो यह जो बिक्री-कर का भारी बकाया उन पर है, उसकी उगाही आप कैसे करेंगे। इसको राइट-आफ कर दिया पिछली बार भी आपने कहा था कि इसको राइट आफ किया था।

एक बात मैं बिक्री-कर के अधिकारियों के बारे में कहूंगा । बिक्री-कर के अधिकारी सामान्य-रूप से, मैं कोई एक दो की बात नहीं करता, आमतौर से बिक्री-कर के अधिकारी बड़ा खराब व्यवहार दूकानदारों के साथ कर रहे हैं । दुकान पर जायेंगे शाम के 5,6 व 7 बजे, जब पीक आवर्स होते हैं काम के । अफसर हैं, पीछे चपरासी हैं और साथ में सिपाही दुकान पर बलवा बोल देते हैं । किताब उठाते हैं और उनके बहीखाते उलटने-पुलटने शुरू कर देते हैं । दुकान पर एक हंगामा-सा उत्पन्न कर देते हैं । क्या बिक्री कर अधिकारी के पास मुआएना करने का समय निश्चित नहीं हो सकता है ताकि वे ऐसे समय पर न जायें । अगर रेड करना ही है तो रेड करने के दूसरे समय भी हो सकते हैं । अगर यह भी नहीं हो सकता तो कम से कम व्यवहार की तो कमी नहीं होनी चाहिये। हमारे यहां व्यवहार की बहुत कमी है और बिक्री कर अधिकारी आम तौर से व्यापारियों के साथ बड़ा दुर्व्यवहार करते हैं । क्या आप कोई पाबन्दी इस पर नहीं लगा सकते हैं ? आखिर आपके सामने हर रोज शिकायतें आती हैं कि व्यवहार की कमी है और अधिकारी दुर्व्यवहार करते हैं तथा उनके साथ नाजायज बर्ताव करते हैं । मैं कहता हूं कि हजारों रुपयों एक-एक बिक्री कर अधिकारी बना लेता है एक-एक जगह के ऊपर । अगर साइकिल लेकर आता है ट्रांसफर होने पर तो कार ले कर वहां से वापस जाता है । ऐसे हालात के अन्दर आप कम से कम इस मामले पर विचार करें । बिक्री कर अधिकारियों के ऊपर कोई न कोई नियंत्रण आपका होना चाहिये।

आपने काम करने का ढंग क्या रखा है एक मिसाल आपको दी थी और एक प्रश्न भी किया था । अपिलेट जज के पास 95 प्रतिशत काम देहरादून जिले का है लेकिन उनका हेडक्वार्टर सहारनपुर में है । वे हर रोज कार से जाते हैं और उनके साथ इतना बड़ा अमला जाता है जिसका टी० ए० व डी० ए० का खर्चा अलग से होता है । यह सब आप वहन करते हैं जबकि वे अपीलें सुनते हैं 2–3 । कोई बात आप सुनने के लिये तैयार नहीं है कि देहरादून ही उनका हेडक्वार्टर बना दें । सरकार समझती है कि सहारनपुर बड़ी जगह है । अगर ९५ प्रतिशत काम देहरादून का है तो फिर आप देहरादून को ही अपीलेट कोर्ट का हेडक्वार्टर क्यों नहीं बनाते हैं ? आपके सामने 2–4 बातें उदाहरण के आधार पर कहीं । मैं अभी खत्म नहीं कर रहा हूं, 5–7 मिनट और लूंगा ।

यह जो संशोधन विधेयक आप लाये हैं यह बिलकुल अपूर्ण है और एकतरफा है । इससे व्यापारियों को कोई सुविधा नहीं मिलेगी । इसको आप उनके ऊपर जबरदस्ती थोपना चाहते हैं । व्यापारियों की मांग है कि सेल्स टैक्स एक सूत्री हो और सेल्स टैक्स सरल हो । जब तक टैक्स की प्रक्रिया को सरल नहीं करेंगे तब तक व्यापारियों को राहत नहीं मिलेगी । आप व्यापारियों को राहत देने की बात करते हैं, मैं बड़ी नम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि वह कोरा नारा है और व्यापारियों के प्रति जो आपका रवैया है वह न्यायपूर्ण नहीं है । इसलिये मैं माननीय मंत्री जी को सुझाव दूंगा कि आप इसमें कोई जल्दी न करें बल्कि इसको परिचालित करने के लिये जाने दें जनता में।

बड़े संक्षेप में मैं सुझाव दिये हैं । व्यापारी इस काम को जानते हैं । मैं तो सेल्स टैक्स की प्रैक्टिस भी नहीं करता हूं और न मुझे इसकी जानकारी है । लेकिन जो लोग मिलते हैं वे बताते हैं । मैं कोई दुकानदार भी नहीं हूं । अगर सरकार इन कठिनाइयों को दूर करना चाहती है तो फिर एक बड़ा ऐक्ट लाये जिसमें सेल्स टैक्स को एकसूत्री करें, सरल करें और टैक्स इवेजन को रोकें । तभी आप व्यापारियों को सुविधा देंगे । मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि वे उस बड़े ऐक्ट को कब लायेंगे क्योंकि यह अपूर्ण ऐक्ट है । वे इसको बिदड्रा कर लें और कम से कम इसको परिचालित कर दें ताकि व्यापारियों को सुविधा मिल जाये । इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे मेरे सुझाव पर विचार करने की कृपा करें।

*श्री कृष्णस्वरूप वैश्य (जिला बदायूं)—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, 1973 को सदन की एक प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय जो अपना प्रतिवेदन 3 माह के भीतर दे और जिसे परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो । (समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायंगे ।)

उपाध्यक्ष महोदय, अंग्रेजी में एक कहावत है, "मेरी इन हेस्ट एंड रिपेंट इन लेजर" यानी जल्दी की शादी और बाद में पछताना । यही सरकार की हालत है बिक्री-कर के बारे में। जबसे, 4 साल से मैं यहां आया हूं इस सदन में तो कितने ही बार इसमें संशोधन आ चुका है और हर बार जब यहां से यह पास होकर गया तो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में यह सरकार हार गयी और हमें उसमें फिर संशोधन करना पड़ा। केन्द्रीय बिक्री कर ऐक्ट में भी कुछ संशोधन करना पड़ा जब वह आया। यह इस बात का प्रमाण है कि हम जो ऐक्ट बनाते हैं वह इतनी जल्द-बाजी में बना देते हैं, एक गम्भीर मनन और चिन्तन के बाद नहीं बनाते, इसीलिए हमको बार-बार उसमें संशोधन करने पड़ते हैं। सरकार ने एक कमेटी का गठन जे0 डी0 शुक्ला के नेतृत्व में किया—टैक्सेशन इंक्वायरी कमेटी और उसके सामने बहुत से व्यापारिक प्रतिनिधि मंडल पेश हुए और उन्होंने अपने सुझाव दिये थे। आशा थी कि उन सुझावों और टैक्सेशन इंक्वायरी कमेटी की रिकमडेशंस के आधार पर हम सारे बिक्री-कर के ढांचे पर पुनर्विचार और पुनर्गठन करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इसलिए मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि आप इसको एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दें जहां सारे बिक्री ऐक्ट के ऊपर पुनर्विचार हो सके और सुझाव आ सकें और शुक्ला जी की कमेटी की जो सिफारिशें हैं उनके संदर्भ में भी सारे बिक्री के ढांचे की पुनर्रचना हम कर सकें।

गत वर्ष से गोंडा जिले के बलरामपुर में व्यापारियों का एक सम्मेलन हुआ था। उस समय आचार्य जी वित्त मंत्री थे और वे उसमें गये थे । उनसे व्यापारी वर्ग ने कहा था कि कम से कम ऐसा अवसर दीजिये कि हम अपनी बात कह सकें। आपके बिक्री-कर के अधिकारी हों, आप हों और हम हों। आप कर लगाना चाहते हैं, हम कर देना चाहते हैं, लेकिन जो हमारी वास्तविक कठिनाइयां हैं, व्यावसायिक कठिनाइयां हैं उनको सोच और समझ कर उनके संदर्भ में इस ऐक्ट की रचना की जाय, और मैं समझता था कि जब हम यह विधेयक ला रहे हैं तो उन सुझावों पर हम विचार करके पूरे ढांचे की पुनर्रचना करते ।

टैक्सेशन इंक्वायरी कमेटी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश का बिक्री-कर ऐक्ट ऐसा घोटाला है जिसे आसानी से हर आदमी समझ नहीं सकता। कर लगाने की विधि सरल होनी चाहिए ताकि जो कर देना चाहता है वह दे सके। परन्तु हमारे जो कर हैं वे इतने प्रकार के हैं इतने कन्फ्यूज करने वाले हैं साधारण व्यापारी जो अनपढ़ है और छोटा-सा रोजगार चलाता है वह अगर ईमानदारी से कर देना चाहे, ईमानदारी से राजस्व में पैसा देना चाहे तो दे नहीं सकेगा। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि हम सारे ऐक्ट पर इस संदर्भ में विचार करें और व्यावसायिक प्रतिनिधियों को, उनके संगठनों को इस बात का अवसर प्रदान करें कि वे अपने सुझाव, प्रस्ताव आपको दे सकें।

इसलिए मैं चाहूंगा कि आप इसको एक समिति के सुपुर्द कर दें जहां यह विचार कर सकें। आपने कहा कि अन्य प्रदेशों से जो माल आता है वहां पर कम टैक्स है, उत्तर प्रदेश में अधिक टैक्स है, इसलिए माल की चोरी होती है, टैक्स की चोरी होती है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपने स्वयं स्वीकार किया कि बहुत-सी वस्तुएं ऐसी हैं जिन पर दिल्ली में कर कम और उत्तर प्रदेश में अधिक हैं। तो यह निश्चित जानिये कि जिन चीजों पर दिल्ली में कर कम है और उत्तर प्रदेश में अधिक है तो हमारे व्यवसाय को उन चीजों में नुकसान होगा। होजरी है,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जनरल मर्चेंडाइज है, इनमें बहुत सी चीजों पर उत्तर प्रदेश में अधिक टैक्स है, दिल्ली में कम है। तो आज जो हम अपना बिक्री-कर अधिनियम बनायें वह ऐसा होना चाहिए कि अन्य प्रदेशों में जितना कर लगा हुआ है हर व्यवसाय पर वह समान होना चाहिए जिससे कोई चोरी की गुंजायश न रहे। आप चोरी रोकने के लिए चौकियां बनायें ताकि कर-वंचना न हो, सरकार को पैसा मिले—इसमें हमें आपत्ति नहीं है, परन्तु आपका ऐक्ट, विधियां, प्राविधान, नियम और उपनियम इतने सरल होने चाहिए कि जो ईमानदार दूकानदार है वह चोरी न कर सके।

ऐक्ट में ऐसा रास्ता नहीं होना चाहिए जो आदमी चोरी कर सके। जैसा स्वामी जी ने निवेदन किया, अच्छा हो हम एक सूची कर लगायें। इससे भी अच्छा हो यदि उत्पादन शुल्क एक साथ मूल्य के साथ जोड़ दिया जाय। जहां से वस्तु निकलती है वहीं पर टैक्स लगा दिया जाय। इससे जो भिन्न-स्तरों पर कीमत बढ़ती हैं और टैक्स की चोरी का अवसर प्रदान होता है वह नहीं होगा। जिन वस्तुओं पर किन्हीं परिस्थितियों में उत्पादन के साथ न जोड़ा जा सके उन पर एक सूची टैक्स होना चाहिये। जिस समय हम आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो नमक सत्याग्रह किया करते थे कि नमक जैसी चीज पर टैक्स नहीं होना चाहिये। परन्तु जब हम आज स्वयं शासक बने तो नमक और खाद्यान्न पर भी टैक्स लगा दिया।

खाद्यान्न और नमक जैसी वस्तुओं को बिक्री-कर से मुक्त करना चाहिये और जो लग्जरी की चीजें हैं उन पर कर की दरों को बढ़ा देना चाहिए। अगर कोई बिक्री-कर अधिकारी किसी व्यापारी से किन्हीं कारणों से रुष्ट हो जाय और मनमाना टैक्स लगा दे तो उसको बचने के लिये क्या रास्ता है? आप कहेंगे अपील करे। लेकिन अपील करने के लिये पहले उतना ही टैक्स ऐडवान्स जमा करे। मुझे अपने नगर का उदाहरण याद है। एक मिश्रीलाल व्यापारी थे। उनकी जिले के बिक्री-कर अधिकारी से किन्हीं कारणों से नाराजी हो गयी। उन्होंने 2 लाख रुपये का टैक्स उनके ऊपर लगा दिया। जिस आदमी के साथ अन्याय हो जाय उसको न्याय मिलना चाहिये परन्तु प्राविधान यह है कि पहले पूरा टैक्स जमा करो उसके बाद अपील करो।

आज एक नहीं अनेक उदाहरण मिलेंगे इस प्रदेश के अन्दर जब व्यापारियों का रोजगार समाप्त हो गया, उनके मकान, दुकान बिक गये इस मनमाने ढंग से टैक्स लगाने के कारण। मैं नहीं कहता कि टैक्स न लिया जाय परन्तु हमारे नियम सरल होने चाहिये जिससे किसी आदमी के साथ अन्याय न हो और जो टैक्स देना चाहता है वह टैक्स दे सके। हमें ऐसा प्राविधान करना चाहिये कि टोकेन रुपया जमा कर के अपील कर सके। कम से कम 10 या 25 प्रतिशत राशि जमा करने के लिये रखिये। इसके अतिरिक्त जो अपील का जज हो वह आपके विभाग का नहीं होना चाहिये, वह जुडिशियरी से सम्बन्धित होना चाहिये ताकि न्याय अलग से मिल सके। व्यापारी जो अपने कागजात को दाखिल करे उनको माना जाय और उन्हीं के आधार पर टैक्स लगे।

जनरल मर्चेन्डाइज की एक ही दुकान पर बहुत तरह की चीजें बिकती हैं। जनरल मर्चेन्डाइज में तो खासतौर से हजारों किस्म की चीजें होती हैं। हर वस्तु पर आज भिन्न-भिन्न टैक्स की दरें हैं। इसके कारण एक व्यापारी जो कई प्रकार की चीजें बेचता है उसको कई रजिस्टर आदि रखने पड़ते हैं। इससे उसको बड़ी परेशानी होती है। इसके लिये जरूरी यह है कि आप एक सा कर सब वस्तुओं के लिये निर्धारित कर दें। आप ऐसा कर दें कि टैक्स की एक निर्धारित रकम रख दें कि 1 लाख रुपये साल की जिसकी बिक्री होगी उसको इतना रुपया कर का देना होगा। आज यह कर दें कि पिछले 3 सालों का एवरेज निकाल कर उन पर कर निर्धारित कर दें जैसे जिनकी बिक्री एक लाख रुपये साल है उनको 1 हजार या 5 हजार जो भी हो वह देना होगा। इसका नतीजा यह होगा कि छोटे-छोटे व्यापारी जो अपना हिसाब नहीं रख पाते हैं वे हिसाब आदि रखने से बच जायेंगे और उनको बड़ी सहूलियत पैदा हो जायेगी। आप को पैसा भी मिल जायेगा, और उनकी परेशानियां भी दूर हो जायेंगी।

[श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य]

आपने रिफंड पर जो सूद देने की बात कही है वह स्वागत योग्य है। परन्तु अन्य बातें ऐसी हैं जिन पर गम्भीरता के साथ विचार करने की जरूरत है और वह तभी हो सकता है जब इस बिल को प्रवर समिति के समक्ष भेजा जाय। यदि सिंगिल प्वाइन्ट टैक्स हो जाय तो यह बहुत ही अच्छा होगा। कुटीर उद्योगों की बनी वस्तुओं पर भी टैक्स माफ होना चाहिये। इससे एक ओर आप व्यापारियों का तो लाभ करेंगे ही, दूसरी ओर आपको टैक्स भी अधिक प्राप्त होगा। कर जितना सरल होगा, जितना कम होगा, उतना ही अधिक पैसा आप को कर के रूप में प्राप्त होगा, यह निर्विवाद सत्य है। यदि आप इन नियमों को सरल कर दें तो आप की यह धारणा कि दुकानदार बेईमान है दूर हो जायेगी। आज जो करोड़ों रुपया आपका कर का बकाया है वह है किन पर? यह टैक्स सभी सुविधा सम्पन्न लोगों पर ही बकाया है। छोटे व्यक्ति पर यदि कुछ रुपया बकाया होता है तो उसको तो तहसीलदार बुला कर बन्द कर देता है। उसको सिविल इम्प्रीजिनमेंट दिया जाता है। मगर कोई लखपती यदि टक्स नहीं देता है, जिसकी आप तक पहुंच होती है वह नहीं देता है तो उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जाती।

इस विधेयक की धारा 23 में आपने जो उपबन्ध लगाये हैं उससे खास तौर से व्यापारी को बड़ी परेशानी होगी। आपके अधिकारी मनमानी करेंगे। मामूली सी बात में यदि सेल टैक्स अधिकारी नाराज हो गया तो वह व्यापारी को परेशान कर सकेगा। आप जिससे कर लेना चाहते हैं उसको सुविधाएं भी दें। आप उसके सामने ऐसी परिस्थितियां भी उत्पन्न करें जो बेईमानी न कर सकें और जो टैक्स का पैसा मिलता है उसका सही उपयोग करें। यह भी एक कर लगाने का तरीका है।

*श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं जो संशोधन श्री नित्यानन्द स्वामी ने पेश किया इसके समर्थन में कुछ कहना चाहता हूं। इस सदन के अन्दर यह प्रथा पड़ती चली जा रही है। कितने ही महत्वपूर्ण बिल आयें उनको जल्दी-जल्दी में पास कर दिया जाय ताकि उनको ठीक तरह से विचार में भी न लाया जा सके। इसका नतीजा यह होता है कि जो बुनियादी गलतियां आ चुकी हैं उन पर तो नजर नहीं जाती और मसहलतों को ध्यान में रख कर बिल पारित कर दिये जाते हैं। इसमें कोई हर्ज मंत्री जी का नहीं है कि अगर वैश्य जी के संशोधन को मान लें। तो इस पर बहुत गम्भीरता और शान्ति के साथ विचार हो सकता है। बिक्री-कर की इस प्रदेश में जो हालत है वह आपके सामने है। ४५ करोड़ रुपये के करीब टैक्स वाजिब हैं उनके वसूल करने का कोई नियम हमारी मिनिस्ट्री नहीं बना सकी।

यह टैक्स बड़े बड़े अधिकारियों की आमदनी का जरिया बन रहा है। वह लोग उसकी वसूलयाबी में जितनी देर कर सकते हैं करने की कोशिश करते हैं। व्यापारी यह समझता है कि जितनी देर उसकी जेब में रुपया रह जाय वह उसको किसी कारोबार में लगायेगा और उससे फायदा होगा। इसलिए जितने मुहकमे के अफसर हैं या वसूल करने वाले अधिकारी कलेक्टर और एस० डी० एम० वगैरह हैं, उनकी आमदनी का यह जरिया बन गया है। जिन पर टैक्स वाजिब है उनको वह वसूलियाबी में छूट दे देते हैं। उनकी जेब से लाखों रुपये की आमदनी उनके पास जाती है। इन बातों पर सोचा नहीं जाता बल्कि ऐसे कानून पेश किये जाते हैं जिनसे छोटे व्यापारियों पर ज्यादा सख्ती होती है। छोटे व्यापारी वारेन्ट पर जारी करके, उसको

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जेल में बन्द कर के वसूल कर रहे हैं। लेकिन बड़ी-बड़ी हस्तियों से टैक्स लेने की हिम्मत न मंत्रियों में है और न अफसरों में है।

बिल में जो दो तीन सहूलियतें दी गयी हैं उनका मैं स्वागत करता हूं। जिनके ऊपर टैक्स लगने के बाद टैक्स कम हो जाता है उनको टैक्स की वापसी कई वर्षों तक नहीं होती थी। इसकी वजह से उनके कारोबार पर असर पड़ता था। बहुत से लोग इस झगड़े में तबाह हो गये। बहुत से अफसरों ने दुश्मनी के कारण उन पर इतना टैक्स लगा दिया कि उनको देना मुश्किल हो गया। अगर उन्होंने अपनी आबरू बचाने के लिए पैसा दाखिल कर दिया। तो उनको कई वर्षों तक पैसा वापस नहीं मिलता था। अब यह कर दिया है कि 6 परसेंट का उनको सूद मिलेगा। इसका स्वागत किया जाना चाहिए।

दूसरी बात यह है कि चेक पोस्टों का सिस्टम जारी करने की बात आपने कही है। अच्छा है। लेकिन इसमें एक उलझन पैदा होगी। जो व्यापारी माल की खरीद फरोक्त करने के लिए वहां माल लेकर पहुंचेंगे वहां उनसे वसूल कर लिया जाय तो ठीक है लेकिन यहां का जो काश्तकार है वह बहुत सी चीजें पैदा करता है। अगर उसका माल इस प्रान्त में अच्छी तरह से नहीं बिकता, अगर वह इस प्रान्त के बाहर बेचने के लिए ले जाना चाहता है तो उसको बहुत सी तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। इस प्रदेश का कर्मचारी इतना भ्रष्ट हो गया है। कि वह एक आदमी को तंग करके हर जायज नाजायज तरीके से पैसे कमाने का आदी हो गया है। लिहाजा आप को यह सिस्टम जारी करने के पहले यह अहतियात कर लेना चाहिये कि जो प्रोड्यूसर है उसके साथ ऐसा व्यवहार किया गया तो वह बहुत परेशान होगा उसके साथ बड़ा अन्याय होगा।

यह जो चेक पोस्ट सिस्टम रखने जा रहे हैं उस सम्बन्ध में कुछ न कुछ विचार कीजिये, प्रवर समिति के अन्दर इसे भेजिये जहां पर इस पर विचार-विमर्श हो। लेकिन आप की आदत के अन्दर यह शामिल हो गया है कि आफिसर्स ने जो रिपोर्ट दी आनन फानन उसके मुताबिक बिल तैयार कर दिया जिसके फलस्वरूप बड़े व्यापारियों से तो करोड़ों रुपये के टैक्स वसूल नहीं होते हैं लेकिन छोटे व्यापारियों को सताया जाता है। इस पर विचार करने के लिये आप के पास समय नहीं है। इस टेंडेंसी को रोकने के लिये वह हमारे सुझाव को मान लें। हमारे जितने कर अधिकारी हैं उन्होंने यह तरीका अख्तियार कर रखा है कि बड़े व्यापारियों से तो वे पैसा तथा सामान लेते हैं, उनसे नजराना पाते हैं और जो घाटा इससे सरकार को होता है वह छोटे व्यापारियों से ज्यादा से ज्यादा वसूल करके पूरा किया जाता है। छोटा व्यापारी यह सजा पाकर पनप नहीं पाता है।

हजारों केसेज ऐसे हैं जिन पर इतने अधिक टैक्सेज लगे हुए हैं कि वह सर नहीं उठा सकते। शामली शहर में एक सेल्स टैक्स आफिसर ४, ६ महीने हुए आया है। उसने बड़े व्यापारियों से समझौता कर लिया है और उनकी मार्फत वह मोटी-मोटी रकमें लेता है और छोटे व्यापारियों को उनकी दूकान पर जाकर चाय पीता है, उनको जलील करता है, अपनी खातिर करवाता है। उनको तरह-तरह से तंग करता है। ऐसी सूरत में आप इसे चेक करने हेतु उनको सहूलियत दें और इसके लिये हमारे सुझाव पर विचार करें। छोटे अफसरान जब किसी व्यापारी से फायदा नहीं उठा पायेंगे और आपने तय कर रखा है कि जितना टैक्स लगा दिया गया है पहले उसे वह दाखिल करें तब उनको राइट आफ अपील होगा तो व्यापारी उनकी नजरों में चढ़ जायंगे, जिनके खिलाफ वह अफसरान होंगे उनको वह नाप के रख देंगे और इतना ज्यादा टैक्स लगायेंगे कि वह अदा न कर सके और इस प्रकार अपील के राइट से वंचित रह जायं। इसका क्या हश्र होगा? लिहाजा इसको प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जहां इन सब पहलुओं पर विचार कर लिया जाय ताकि व्यापारियों के हित में जितनी बातें हों उनका समावेश इसमें हो सके।

*श्री विश्वनाथ कपूर (जिला फैजाबाद)—

मैंने यह बिक्री-कर संशोधन विधेयक पर जो जनता की राय मांगने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था उसका कारण यही है कि अगर आप इसे वापस नहीं लेते हैं तो महंगाई बढ़ेगी, गरीबी बढ़ेगी और साथ-साथ भ्रष्टाचार बढ़ेगा। इससे नौकरशाही का शिकंजा और तेज हो जायगा। (व्यवधान) आप विधेयक को देखें तो पायेंगे कि 12 परसेंट तक इसमें टैक्स लगा दिया गया है। तीन का 5 परसेंट कर दिया गया, ढाई का 7 परसेंट कर दिया गया है। ऐसी सूरत में महंगाई नहीं बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा।

श्री राजमंगल पांडेय (जिला देवरिया)—

धन की कमी है।

श्री विश्वनाथ कपूर—

मैं कह रहा था कि महंगाई बढ़ेगी तो आप स्वयं देख लें मान्यवर, इसमें पेज 2 पर इन्होंने साढ़े सात प्रतिशत की दर से कर बढ़ा दिया है। वह अभी तक साढ़े तीन प्रतिशत था। 5 प्रतिशत के स्थान पर 12 प्रतिशत कर दिया है और 2 प्रतिशत का साढ़े तीन प्रतिशत कर दिया है। तो मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आखिर इस कर की दर को बढ़ा दिये जाने से क्या सामान का दाम कम हो जायेगा या सस्ता हो जायेगा। आखिर यह टैक्स गरीब जनता पर ही तो पड़ेगा।

इस प्रदेश में 80 प्रतिशत जनता गांवों में निवास करती है और 60 प्रतिशत लोगों की आमदनी बिलो लेबुल है। उनके पास खाने-पीने, रहने-सहने के लिये कोई साधन नहीं है और उसी को बढ़ी हुई दर से टैक्स देना पड़ेगा। मुझे इस विधेयक को देख कर ताज्जुब तो इसलिये भी हुआ कि हमारे वित्त मंत्री जी जो अपने को पुराने और सबसे बड़ा समाजवादी मानते हैं, वे इसे लाये हैं। पांडेय जी की राय है कि उसके लिये पैसे की आवश्यकता है। तो क्या यदि पैसे की आवश्यकता आपको हो तो आपको चोरी करनी चाहिये, गरीबों का गला काट दिया जाना चाहिए, गरीबों के ऊपर टैक्स पर टैक्स लाद दिया जाना चाहिए। क्या यही समाजवादी नीति है। मैं कहता हूं कि यदि सारे ठाट-बाट मंत्री लोग समाप्त कर दें, क्या जरूरत है बिल्डिंग्स को एयर कंडीसन्ड बनाने की, क्या जरूरत है विधान सभा हाल को एयर कन्डीसन्ड बनाने की? यदि यह सारा पैसा रोक लिया जाय तो काफी पैसा बच सकता है। मान्यवर, यही नहीं 70 करोड़ रुपया सेल्स टैक्स का बकाया है और वह गरीबों पर बकाया नहीं है बड़े-बड़े लोगों पर है, वह वसूल हो जाय तो इसे लगाने की आवश्यकता ही न रह जाय। लेकिन मंत्री जी को उनसे वसूल करने की छुट्टी ही नहीं मिलती।

श्री राजमंगल पांडेय—

मान्यवर, एक स्पष्टीकरण चाहता हूं कि हाल को एयर कन्डीसन्ड बनाने के बारे में या टैक्स बढ़ाने के बारे में यदि आप इसे अतिशयोक्ति न मानें तो अभी जो हमारे विधान सभा के माननीय सदस्यों के इमाल्यूमेंट्स बढ़ाने के बारे में या उन्हें कूपन तथा टेलीफोन आदि की सुविधा देने के बारे में जब सवाल आया था तो उस समय हम लोग उतने उत्सुक नहीं थे जितने कि उत्सुक उधर के लोग थे।

श्री विश्वनाथ कपूर—

पांडेय जी यहां से क्या कह कर गये थे यह तो सभी को मालूम होगा लेकिन एक बात मैं आपको यह और बताना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में आप लोग कलकत्ते तक गये थे। आपकी मंत्रि परिषद् के सदस्य इन्हीं कूपनों के सम्बन्ध में कलकत्ते से लखनऊ आये थे। इससे पता चलता है कि आप लोग कितने व्यग्र थे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राज मंगल पांडेय---

मैं तो यह कह रहा हूं कि आप लोगों का इसमें कितना सक्रिय योगदान रहा है। एम० एल० ए० के इमोल्यूमेंट्स बढ़ाने, उन्हें टेलीफोन तथा आवास आदि की सुविधा दिये जाने क सम्बन्ध में क्या विरोध पक्ष का सक्रिय हाथ नहीं रहा है जो कि आप टैक्स के बारे में बात कर रहे हैं ?

श्री विश्वनाथ कपूर---

हम तो चाहते हैं कि जहां पर पेड़ के नीचे गांवों में प्राइमरी स्कूल के बच्चे पढ़ते हैं, वहीं पर विधान सभा की बैठकें जिलों में हुआ करें। तभी आपको आभास हो सकता है गरीब कैसे अपने जीवन-यापन कर रहे हैं। इसके साथ ही मैं एक चीज आपको और बता देना चाहता हूं कि अभी प्रधान मंत्री का एक आदेश हुआ है कि सारे प्रदेशों में पेंशन जारी कर दिया जाय ताकि आने वाले इलेक्शन में टिकट के मामले से छुट्टी मिल जाय...

(व्यवधान)

मैं तो इसलिये कह रहा हूं कि आप कितने उत्सुक हैं। मैं भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में बोल रहा था। इस विधेयक की धारा 23 में जो लिखा है उसके सम्बन्ध में मैं कहता हूं कि सेल्स टक्स विभाग के अधिकारी, सेल्स टैक्स आफीसर और असिस्टट सेल्स टैक्स अधिकारी, क्या-क्या करते हैं। उनको गाड़ी चाहिए, उनको मोटर चाहिए। जो बड़े आदमी हैं वे तो टैक्स देने से बच जाते हैं ... उनका कोई सवाल नहीं है।

श्री जगजीवन राम ने कहा कि मैं इनकम टैक्स रिटर्न देना भूल गया था तो उनके ऊपर कोई पेनाल्टी नहीं लगी, इसलिये कि वे बड़े आदमी हैं, दस साल तक भी वे रिटर्न देना भूल गये तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर कोई गरीब आदमी नहीं दे तो उसे यहीं जबह कर दिया जायगा, उसे कोई माफ नहीं करेगा क्योंकि वह मंत्रियों को खुश नहीं कर सकता, वह कांग्रेस सत्ता दल को खुश नहीं कर सकता या अधिकारियों को खुश नहीं रख सकता। अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि सरकार के पास व्यापारियों का पैसा रह जाता है तो उसका कोई ब्याज नहीं देते थे लेकिन अब ब्याज देने का प्राविधान करने जा रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि यहां भी एक भ्रान्ति है। आप धारा 30 को देख लें। "यदि उपधारा (1) के अनुसार वापस करने योग्य पायी गयी धनराशि उस आदेश के दिनांक से जिसके आधार पर धनराशि वापस की जाती है, अथवा उत्तर प्रदेश बिक्री कर (संशोधन) अधिनियम, 1973 के प्रारम्भ होने के दिनांक से, जो भी पश्चातवर्ती हो, छः महीने की अवधि के भीतर वापस नहीं की जाती है तो व्यापारी ऐसे आदेश के दिनांक से अथवा, जैसी भी दशा हो, ऐसे प्रारम्भ के दिनांक से वापसी के दिनांक तक के लिये छः प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज का हकदार होगा।"

यह देखने से मालूम होता है कि जिस दिन आदेश हुआ था उसी दिन से उनको मिलेगा लेकिन स्पष्टीकरण को जरा देख लें।

"स्पटीकरण---वापसी का दिनांक वह समझा जायेगा जब वापसी का वाउचर तैयार करने की सूचना निर्धारित रीति से व्यापारी को दे दी जाय।"

एक तरफ तो आप कहते हैं कि जिस दिन आदेश हुआ उसके 6 महीने के अन्दर अगर धनराशि की वापसी नहीं की जाती है तो 6 प्रतिशत की दर से ब्याज देय होगा और दूसरी तरफ स्पष्टीकरण में कहते हैं कि वापसी का दिनांक वह समझा जायगा जब वापसी का वाउचर तैयार करने की सूचना निर्धारित रीति से व्यापारी को दे दी जाय।

इस तरह से दोनों में विरोधाभास है। यानी अगर क्लर्क ने वाउचर बना दिया और यदि व्यापारी को निर्धारित रीति से सूचना नहीं मिले तो 6 महीना नहीं जोड़ा जायेगा, तो मान्यवर, यह प्रश्न ऐसा है कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप टैक्स लगाने के एक बहुत

[श्री विश्वनाथ कपूर]

बड़े ऐब की जनता से छिपा कर एक गलतफहमी और भ्रान्ति पैदा करना चाहते हैं और इसलिये इसमें यह जोड़ दिया गया है जिसके जरिये कुछ अधिकार ले रहे हैं।

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, 1973 में प्रतिनिहित विधायन के सम्बन्ध में ज्ञापन-पत्र को आप देखें। इसके अन्तर्गत 10 खंड दिये गये हैं जिनके विषय में आप कतिपय नियम बनाने व व्यवस्था करने के निमित्त शक्ति ले रहे हैं। माननीय मंत्री जी बतलायें कि इसकी कौन सी आवश्यकता है। सेल्स टैक्स ऐक्ट में यह प्राविधान है कि अगर कोई नियम नौकरशाही बनाना चाहती है तो 4 सप्ताह पहले उसे प्रस्तुत करना चाहिये लेकिन नहीं, इसमें और टाइम इसलिये देना चाहते हैं कि अगर सरकार समझती है कि उसकी आवश्यकता नहीं है और जो नियम बना हुआ है उसे निकाल दिया जाय तो 4 सप्ताह के बाद वह समाप्त हो जायेगा। और आर्डिनेंस की तरह से उसको लागू कर दिया जायेगा। यह क्या है, क्या इस तरह से प्रजातंत्र रहेगा? टैक्सेशन की हालत दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। आज इस बात को कोई सुनने वाला नहीं है। ठीक हैं, मंत्री जी बैठे हुए हैं, जितना चाहे टैक्स लगा लें। लेकिन प्रश्न यह नहीं है, जितना आप चाहे टैक्स लगा लें लेकिन अभी जो इवेजन हो रहा है उसके लिये आप क्या कर रहे हैं। जितना बकाया पड़ा है उसी को अगर वसूल कर लिया जाय तो मैं समझता हूं कि इस तरह से किसी पर टैक्स लगाने की आवश्यकता नहीं रहती। मैं पुनः मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे इस चीज को देख लें और अगर वाकई चाहते हैं कि समाजवाद आये और गरीबों की गरीबी दूर हो, कम हो तो उनसे मैं यही कहूंगा कि जो टैक्सेशन का प्रपोजल—5 से 12 प्रतिशत और साढ़े 3 से 7 प्रतिशत करने का वे लाये हैं उसको वापस ले लें।

श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद)—

उपाध्यक्ष महोदय, बिक्री-कर किसी राज्य में उसकी आमदनी का सबसे बड़ा और लचीला स्रोत होता है। जैसे हमारे प्रदेश में ऐसा है कि सन् 1970–71 में बिक्री-कर से 47 करोड़ रुपये या उससे कुछ ज्यादा की आमदनी हुई और सन् 1971–72 में 50 करोड़ या उससे कुछ ज्यादा आमदनी हुई होगी। और 1972–73 में मैं समझता हूं कि 54/55 करोड़ की हो जायेगी। इसलिये जरूरी है कि जो सब से बड़ी आमदनी का जरिया है उसका प्रबन्ध अच्छा होना चाहिये। ऐसा प्रबन्ध किया जाये कि इससे आमदनी के रास्ते में रुकावट न हो और जो रुकावट हो वह दूर की जाये। लेकिन इसके साथ ही साथ यह प्रबन्ध भी जरूरी है कि जिनसे टैक्स लिया जाता है वे व्यर्थ में किसी कठिनाई को न भोगें। ऐसा प्रबन्ध होना चाहिये कि लोग आसानी से टैक्स दे सकें। यह ऐसा टैक्स नहीं है कि जो व्यापारी अपने पास से देता हो, यह उपभोक्ता से वसूल करके सरकार को देता है। इसलिये व्यापारी का कर्तव्य है कि वह उपभोक्ता से टैक्स वसूल करके ईमानदारी से सरकार को दे और अगर उसको व्यापारी नहीं देता है या देने में कठिनाई पैदा करता है या उसकी तरफ से कोई ऐसी बात होती है कि जितना टैक्स मिलना चाहिये उतना नहीं मिलता है या करापवंचन होती है तो आवश्यक हो जाता है कि व्यापारी के साथ सख्ती की जाये और ऐसा प्रबन्ध किया जाये कि वह करापवंचन न कर सके और जितना टैक्स वह उपभोक्ता स वसूल करता है वह सरकार को दे।

लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि इस बात के होते हुये भी सरकार को देखना होगा कि प्रबन्ध इस तरह का हो कि व्यर्थ में कोई कठिनाई पैदा न हो। इस संशोधन विधेयक के द्वारा कुछ सुधार का प्रयास किया गया है और कठिनाइयों के निराकरण का भी प्रयास किया गया है। मैं स्वागत करता हूं कि प्रदेश के बार्डर पर चेक पोस्ट लगान की व्यवस्था की जा रही है। लेकिन ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कि माल के आने जाने में विलम्ब न हो और व्यापारी को तंग न किया जाये। इसको देखना होगा नहीं तो इनसे कोई लाभ नहीं होगा। चेक पोस्ट लगने से बहुत सा माल जो व्यापारी बिना टैक्स दिये हुये अब भी दूसरी शाखा के नाम लिखा देते हैं, वह रुक जायेगा।

इसमें कठिनाई के निराकरण का प्रयास किया गया है लेकिन सबसे जरूरी चीज की ओर ध्यान नहीं गया है। जो छोटे तबके के व्यापारी हैं जैसे चमड़े के व्यापारी हैं या पीतल के बर्तन बनाने वाले हैं जो छोटे पैमाने पर बहुत थोड़ा सा माल बनाते हैं उनकी कठिनाइयों को दूर किया जाये। इनसे टैक्स क्यों न लिया जाता है। सेल्स टैक्स के अन्तर्गत यह आते हैं इसलिये इनसे लिया जाता है, इनके साथ सख्ती हो जाती है। यह करना चाहिये था कि छोटे पैमाने पर चीजें बनाने वाले, जैसे जूता और पीतल के बर्तन बनाने वाले जो लोग हैं, उनसे यह कर न लिया जाकर उनसे लिया जाये जिनको यह अपना सामान बेचते हैं और उनको टैक्स से मुक्त किया जाता। इसका परिणाम यह होता है कि गरीब आदमी जो छोटे-छोटे उद्योगों में लगे हैं वे इस परेशानी से बच जाते और बड़े व्यापारी जो उनसे माल खरीदते हैं और फिर बेचते है वह कर देते। इस तरह से इन छोटे लोगों की परेशानी दूर हो सकती थी।

आज से दस, 12 वर्ष पहले एक बिक्री-कर समिति बनी थी उसने व्यापारियों से इस तरह की कठिनाइयों के सम्बन्ध में सलाह कर के अपनी रिपोर्ट दी थी सुधार करने के लिये। उसमें सुझाव दिया गया था कि इस तरह से जो छोटे लोग माल के बनाने वाले हैं जिनसे पहले प्वाइंट पर टैक्स लिया जाता है या उनका बहुपदीय सेल्स टैक्स है उन को छोड़ दिया जाय और सेकिन्ड प्वाइंट पर जो बड़ा आदमी उनसे खरीद कर माल बेचता है उन पर वह कर लगाया जाय। यह रिपोर्ट सन् 63–64 में आई थी लेकिन इस मामले पर विचार नहीं किया। मैं जानना चाहता हूं कि आप ने इस संशोधन विधेयक के द्वारा क्या कारण है कि इन छोटे-छोटे काम करने वालों की दिक्कतों पर गौर नहीं किया? आप ने उनकी कठिनाइयों पर विचार नहीं किया इसका मतलब यह है कि गरीबों की इस विधेयक में उपेक्षा की गई है और उनकी ओर ध्यान नहीं है। अगर आपका ध्यान उनकी ओर जाता तो लोग छोटे पैमाने पर काम में लगे हैं उनको भी प्रोत्साहन मिलता ताकि वे अपने काम को और आगे बढ़ा सकते और उनके द्वारा उन कामों के बढ़ाये जाने से और बहुत से लोग भी इन कामों में लग जाते हैं और बेकारी दूर होती। इस पहलू पर कतई ध्यान नहीं दिया गया और अन्य बातों को इसमें लाने की कोशिश की गई है।

मैं जनना चाहता हूं कि क्यों विभाग ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया? क्या विभाग नहीं चाहता कि छोटे पैमाने पर काम करने वालों की इस मुसीबत को दूर किया जाय? यह वह लोग हैं कि जो ठीक तरीके से अपने हिसाब किताब को नहीं रख पाते और अन्दाज से सेल्स टैक्स अधिकारी उन पर कर लगा देते हैं, उन पर अन्दाज से बिक्री-धन मान कर वह कर लगा देते हैं। एक अनुमान वसे ही कर लेते हैं कि उन्होंने इतने का माल तैयार करके बेचा होगा। इस निर्धारण में भारी गलती हो जाती है, कभी-कभी यह सेल्स टैक्स अधिकारी, जिन की गरीबों के साथ को हमदर्दी नहीं है इतना अधिक बिक्रीधन असेस करते हैं कि यह बेचारे छोटे लोग परेशान हो जाते हैं। उनके लिये काम करना ही कठिन हो जाता है, वह ऐसे जाल में फस जाते हैं जिससे उनको छुटकारा पाना कठिन हो जाता है और कभी कभी उनको इससे बचने के लिये रिश्वत भी देनी पड़ती है कि उन पर कहीं ज्यादा कर न लगा दें। उन्हें अधिकारियों के पास अप्रोच करना पड़ता है और अपने को बरी कराने के लिये इस दिक्कत से उनको रुपया देकर प्रयास करना पड़ता है। ऐसी स्थिति से जो हमारे सेल्स टैक्स अधिकारी हैं और जो ईमानदार नहीं हैं और जो ईमानदारी से काम करना नहीं चाहते वह इसका बेजा लाभ उठाते हैं और इन छोटे लोगों को बहुत तंग करते है।

इसके अलावा यह बिक्री-कर कहीं पर एकपदीय और कहीं पर बहुपदीय है कहीं-कहीं यह उस स्तर पर कर लगाते हैं जहां पर व्यापारी उपभोक्ता को सीधे बेंचता है। इस तरह से ऐसी जगह पर कर लगात हैं तो नीचे का व्यापारी परेशान हो जाता है। दोनों तरीकों में यह बहुपदीय और एकपदीय होता है। हमारा प्रयास यह होना चाहिये कि जहां तक सम्भव हो, चाहे हर जगह सम्भव न भी हो, लेकिन एकपदीय कर की ही हमारी चेष्टा होना चाहिये लेकिन जहां यह आसान न हो वहां पर बहुपदीय होना चाहिये। जहां पर भी कर एकपदीय हो वहां दूसरी दृष्टि से होना चाहिये कि शुरू के फर्स्ट प्वाइट पर या आखिरी प्वाइंट पर लेंगे तो निणय

[श्री जयराम वर्मा]

यह लेना चाहिये कि जो बड़ा व्यापारी है उसके स्तर पर वह कर लगे न कि छोटे व्यापारी के स्तर पर। लेकिन सरकार ने कभी इस पर गौर नहीं किया है और इसमें भी कोई सुधार करने की कोशिश नहीं की है।

जहां पर एकपदी है, जहां पर उपभोक्ता को बेचा जाता है, वहां इसे बदल कर वही करा लगे जहां बड़े व्यापारियों को सेल्स टैक्स लेना होता है, उनसे सेल्स टैक्स लेना आसान होता है क्योंकि वह सही रूप में हिसाब-किताब रखते हैं, कोई गड़बड़ी नहीं होती है लेकिन छोटे व्यापारियों लिए हिसाब रखना मुश्किल हो जाता है। उनकी स्थिति ऐसी नहीं होती है कि वह ज्यादा खर्च करके कोई मुनीम आदि रख कर हिसाब रखें, उनके लिए सम्भव नहीं है। तो मेरा कहना है कि इस पर विचार करना चाहिये। इसमें गरीबों के प्रति उपेक्षा हुयी है। उनकी कठिनाइयों को दूर करने का इसमें कोई प्रयास नहीं किया गया है। आप 12,000 रुपये की बिक्री पर सेल्सटैक्स लेते हैं। चीजें मंहगी हो गयी हैं लेकिन आपने इस पर कोई सोच विचार नहीं किया है।

जहां और सुधार किया गया है वहां यह 12,000 रुपये की सीमा को भी कुछ ऊंचा करना चाहिए था, उस पर वाजिब सेल्सटैक्स करना चाहिए था। जो छोटे व्यापारियों के सामने पहले कठिनाई थीं वह पूर्ववत बनी हुयी हैं। बड़े लोगों के सम्बन्ध में तो आपने सुधार अवश्य किया है लेकिन छोटे लोगों के बारे में, मेरा विचार है, आपने कुछ नहीं किया है। जो अधिकारियों ने आपके सामने रख दिया, वही आपने यहां पर रख दिया। छोटे व्यापारियों की बातें इस विधेयक में छोड़ दी गयी है, पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। इस पर इसमें ध्यान दिया जाता और छोटे व्यापारियों को इस कार्य से कुछ राहत मिल जाती, वह दी जाती। मैं नहीं समझ पाया कि इसमें क्या बात थी। क्या जल्दी थी कि इसके लिए आपको आर्डिनेंस निकालना पड़ा। कहीं देखने में नहीं आया कि बिना आर्डिनेंस निकाले काम नहीं चल पायेगा? इसको इस वक्त आप ले आये होते? वह बात तब भी हो सकती थी।

एक बात के बारे में कि सेल्स टैक्स दी दर बढ़ गयी है, माननीय मंत्री जी ने कोई जिक्र नहीं किया है। माननीय विश्वनाथ कपूर जी ने बताया कि इसमें सेल्सटैक्स की दर बढ़ गयी है। माननीय मंत्री जी ने जरा भी जिक्र नहीं किया कि क्यों इसकी दर बढ़ायी गयी। श्रीमान् जी, सेल्स टैक्स की जब दर ऊंची होती है तो व्यापारियों में किसी न किसी तरह से सेल्स टैक्स स बचने की कोशिश की जाती है। जितनी ही दर ज्यादा होगी, उतनी ही करापवंचन बढ़ेगा। और दर कम होगी तो करापवंचन रुकेगा और आपकी आमदनी बढ़ेगी। लेकिन अगर दर बहुत ऊंची होगी जिसको बर्दाश्त करना व्यापारियों के लिए मुश्किल होगा और वह मजबूर होकर बचने की कोशिश करेगा, करापवंचन होगा और आमदनी में वृद्धि नहीं होगी। इसमें कुछ टैक्सों को बढ़ाने की कोशिश की गयी है।

इसमें एक जगह संशोधन धारा 3 (घ) में चाहते हैं। कृपया इस धारा को हमारे माननीय मंत्री जी देख लें। मेरी समझ में इसका अर्थ नहीं निकलता कि इस संशोधन के करने से क्या मतलब निकलता है। इसमें लिखा हुआ है कि "खाद्यान्नों (जिसके अन्तर्गत अनाज तथा दालें भी हैं) के कर के सम्बन्ध में। अगर इसको धारा 1 के साथ देखा जाय तो इसका अर्थ स्पष्ट होता ही नहीं है। क्या ऐसा माल" कर देने से मतलब साफ होगा? खाद्यान्नों को निकाल कर ऐसा माल लिख देने से मामला अस्पष्ट हो गया। मैं समझता हूं कि वही अर्थ रह गया। खाद्यान्नों से जहां क्रय कर दो प्रतिशत से अधिक नहीं था वहां साढ़े तीन प्रतिशत कर दिया गया ऐसी जरूरत क्यों पड़ी और खाद्यान्नों पर क्रय कर लगाते हैं उस पर अगर क्रय कर और बढ़ा दिया जाता है तो जहां हाहाकार मचा हुआ है, कीमतें बढ़ी हुई हैं, और बढ़ जायेंगी। क्या आज की स्थिति में इसे सोचना नहीं चाहिये था। अगर इसका और अर्थ है तो उसको साफ करेंगे।

ऐसा माल लिख देने से कोई अर्थ नहीं है। मैं समझता था कि आपका अर्थ उसी से है। इसके अलावा सेन्ट्रल सेल्स टैक्स ऐक्ट, 1956, की धारा 14 में कुल माल विशेष महत्व के घोषित किये जाते हैं। उन पर सेल्स टैक्स राज्य सरकार भी लगाती हैं। ऐसी व्यवस्था है कि जितनी दर नियत है उस हद तक अपने यहां राज्य बिक्री-कर की दर कर सकते हैं वह तो साढ़े तीन परसेंट किया गया है। इसके अलावा जिन मालों के ऊपर और क्रय कर लगेगा उन पर पांच प्रतिशत की जगह पर बारह प्रतिशत किया गया है वह माल कौन से हैं। पांच प्रतिशत कहां काफी नहीं था। बारह प्रतिशत क्यों किया गया है। इतना फर्क करने की क्या जरूरत थी। अगर मंत्री जी बता दें कि फलां माल था। उसमें पांच प्रतिशत अपर्याप्त था, बारह प्रतिशत करना जरूरी था। यह बात मेरी समझ में नहीं आती है। मेरी समझ में यह काम बिल्कुल गलत किया गया है।

क्रय-कर में जहां करापवंचन नहीं होता था वहां अब होगा और आमदनी कम हो जायेगी। इसके अलावा और कुछ बात भी कही गई। वह बात पहले सफे पर लिखी गई है। इसमें लिखा हुआ है कि फालतू या अप्रयोज्य या पुराना माल.....इनको जो बेचने वाला आदमी है वह व्यापारी होगा यह मतलब है या जो व्यापारी इसको उससे मतलब है। लिखा यह है कि जो व्यापारी माल को बेचेगा उनको। क्या अर्थ है। जो आदमी बेचेगा वह भी व्यापारी मान लिया जायेगा या जो व्यापारी बेचेगा वह बेचने वाला आदमी माना जायेगा। यह बात भी स्पष्ट नहीं है। अगर यह मतलब है कि बेचने वाले को भी व्यापारी मान लिया हो तो वह बात दूसरी है। अगर व्यापारी बेचे तब तो माल की गणना में लेंगे लेकिन पहले से कोई रजिस्टर्ड व्यापारी नहीं हैं केवल इसी का व्यापार करता हो तो क्या यह माल नहीं माना जायेगा इसमें सेल्स टैक्स नहीं लगेगा। अगर व्यापारी ही इस काम को करता है तब तो सेल्स टैक्स लगेगा। दूसरा आदमी करता है तो सेल्स टैक्स नहीं लगेगा। यह बात स्पष्ट नहीं है। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी ने भी इस पर गौर नहीं किया कि यह यहां किस मतलब से ले आया गया है।

श्री उपाध्यक्ष—

"कोई व्यापारी" लिखा हुआ है।

श्री जयराम वर्मा—

व्यापारी है तो इस माल का बेचने वाला कहा जायेगा। अगर कोई व्यक्ति बेचता है तब क्या होगा। व्यापारी इसको अगर बेचे तो इस माल का बेचनेवाला व्यक्ति कहा जायगा और अगर कोई व्यक्ति इसको बेचे तो क्या होगा, इसमें यह स्पष्ट नहीं है। यह कंफ्यूजन इसमें है। इसमें सुधार करने जा रहे हैं तो सारी बात स्पष्ट होनी चाहिए। इसलिए मैं समझता हूं कि यह संशोधन विधयक आज पास नहीं करना चाहिए। या तो इसको घुमाया जाय या प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय। इसी तरह से धारा 3 (क) को देखें तो उसमें विक्रय कर बढ़ाया गया है। इसकी क्या जरूरत पड़ गयी।

माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में कोई संकेत नहीं किया कि क्यों इसकी जरूरत हो गयी। कम दर रखने पर कहां कठिनाई थी। ऐसी बहुत सी बातें इसमें हैं जिनको स्पष्ट करना चाहिए था। इन्होंने अपने भाषण में कहा कि व्यापारियों को सहूलियत दी गयी है और उनकी कठिनाइयों को दूर किया गया है। लेकिन मैं उनसे कहूंगा कि पृष्ठ-3 पर धारा-9 को देखें। इसमें लिखा है कि यदि किसी कर की वसूली किसी न्यायालय या अधिकारी के किसी आदेश से स्थगित रही हो और ऐसा स्थगन आदेश बाद में विखंडित कर दिया गया हो तो उपधारा (1) में अभिदिष्ट ब्याज ऐसी किसी अवधि के लिए भी देय होगा जिसमें ऐसा आदेश प्रभावी रहा हो। इसका मतलब हुआ कि अगर किसी अधिकारी के द्वारा या अदालत के द्वारा कहीं पर वसूली स्टे कर दी गयी हो और बाद में वह स्टे वापस हो जाय तो जितने जमाने में स्टे रहा उस जमाने का भी सूद उससे लिया जायेगा। इस तरह से जहां पर सूद नहीं लेना चाहिए वहां पर भी सूद लेने की व्यवस्था कर दी गयी है।

[श्री जयराम वर्मा]

सूद 18 प्रतिशत लगाया गया वह इसलिए कि व्यापारी उपभोक्ता से पैसा वसूल करके अपने पास न रख सके क्योंकि अगर वह रखगा तो उसको इतना ज्यादा सूद देना पड़ेगा। लेकिन यहां पर जितने दिन स्टे रहेगा उतने दिन का भी सूद स्टे वापस होने पर भी उसको देना पड़ेगा। यह व्यापारी को सुविधा नहीं दी गयी है और न ही उसकी कठिनाई दूर करने की बात की गयी है। इससे तो उसकी कठिनाई और बढ़ गयी है। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि सबसे बड़ा और लचीला स्रोत आमदनी का है। जैसा सरकार के हाथ में गुंजाइश है कि अगर जरूरत हो तो टैक्स की दर को बढ़ा सके। और अगर दर बहुत ऊंची है और करापवंचन हो रही है तो सरकार उस दर को कम कर सकती है। लेकिन टैक्स लगाया जाय और वसूल न किया जाय तो यह मुनासिब नहीं है। सेल्स टैक्स का बकाया काफी हो गया है। मेरे ख्याल से इस वक्त 45 करोड़ होगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी--

साढ़े 36 करोड़ है।

श्री जयराम वर्मा--

इतना ही सही। लेकिन यह जो बकाया है, यह बड़े व्यापारियों पर बाकी है, छोटे व्यापारियों पर नहीं। छोटे किसानों से मालगुजारी वसूल करने में इतनी सख्ती की जाती है कि 10 रुपया बकाया होने पर भी किसान को हवालात में बन्द कर दिया जाता है और जिन व्यापारियों पर लाखों रुपया बकाया है उनसे इस सख्ती से कर नहीं वसूला जाता है। समाजवाद में इतना बड़ा अन्तर क्यों है? माननीय मंत्री जी जिस समाजवाद को मानते हैं उसमें छोटे और बड़े के साथ व्यवहार में इतना अन्तर है। छोटे बकायादारों को हवालात में बन्द कर दिया जाता है और बड़े व्यापारियों को जो टेक्स उपभोक्ता से वसूल कर लेते हैं लेकिन जमा नहीं करते हैं, उन पर सख्ती नहीं की जाती है। यदि बड़े व्यापारी को मालूम हो जाय कि जिस तरह से मालगुजारी की बकाया के लिये किसान को हवालात में बन्द कर दिया जाता है, उसी तरह से बड़े व्यापारी भी बन्द कर दिये जावेंगे तो व्यापारी बकाया नहीं रक्खेगा क्योंकि वह जेल जाने से बहुत डरता है। अगर उसको मालूम हो जाय कि इस समाजवाद में छोटे और बड़े आदमी के बीच अन्तर नहीं किया जावेगा तो...

श्री रूपनाथ सिंह यादव (जिला इलाहाबाद)--

यह सरकार समाजवादी नहीं है, इसलिये इस बात को ध्यान में रखकर आप भाषण दें।

श्री जयराम वर्मा--

जब तक मंत्री जी अपने को समाजवादी कहते हैं तब तक मैं कहूंगा कि छोटे और बड़े के बीच व्यवहार में अन्तर नहीं होना चाहिये। यह दूर किया जाय और बड़े आदमियों के साथ वसूली सख्ती से की जाय। बड़े बड़े व्यापारियों को लाखों रुपया देना है फिर भी सख्ती नहीं की जा रही है। इस बिल में भी कोई ऐसा संकेत नहीं आया है कि सेल्स टैक्स वसूल करने में सख्ती की जावेगी। जब बकाया सेल्स टैक्स नहीं वसूल होता है तो नये कर लगाने का औचित्य नहीं है। जो सरकार बकाया टैक्स वसूल करने में असमर्थ है वह नये टैक्स क्यों लगाये या दरें क्यों बढ़ाये। वसूल करके आप सिद्ध कीजिये तभी आप को नये कर लगाने का हक है। लेकिन जब पुराना वसूल नहीं होता है तो नये कर लगाना मुनासिब नहीं है। इसी तरह से इसमें कहा गया है कि सेल्स टैक्स वापस करने की व्यवस्था की गई है। जो माल अन्तर्राज्यीय व्यापार के दौरान में बेचा जाता है और उस विक्रय पर सेंट्रल ऐक्ट के अन्तर्गत कर लग जाता है

और राज्य बिक्री-कर भी लग जाता है तो इस अवधि में उसे रिफण्ड करने की व्यवस्था है, ठीक है। दुबारा टैक्स नहीं होना चाहिये। इसमें जो बिल का उद्देश्य दिया गया है वह नहीं है। रिफण्ड के कारण ही यह आर्डीनेन्स लाना पड़ा है। यह कहां की बड़ी बात थी। इस तरह से पहले भी काम चलता रहा है और अब भी चलता रहता। मैं तो समझता हूं कि पहले भी इस तरह की सेल्स टैक्स की वापसी होती रही है। बहुत निश्चित तो नहीं। लेकिन ऐसी जरूर कोई व्यवस्था रही होगी कि ये सेल्स टैक्स दुबारा न लगे और वापस हो जाय।

तो श्रीमन्, मेरे कहने का मतलब यह था कि यह जो संशोधन विधेयक के बारे में यह बात कही गयी है कि बहुत सुधार करने की कोशिश की गई है वह मुझे दिखाई नहीं देती। जो आवश्यक था, वहां पर कुछ नहीं किया गया। वहां पर देखा ही नहीं गया। प्रदेश के छोटे उद्योगों का पनपना कितना जरूरी है लेकिन उनकी उपेक्षा की गयी है। सेल्स टैक्स कमेटी की रिपोर्ट में इस बात की सिफारिश की गयी है, तब भी उस सिफारिश को स्वीकार नहीं किया गया। अभी आप उस पर कहते हैं कि विचार करेंगे। सेल्स कमेटी की यूनानीमस रिपोर्ट है कि ऐसा होना चाहिये। उस पर तो विचार किया नहीं गया। उसको बहुत पहले लागू कर दिया होता तो जो छोटे पैमाने पर काम करने वाले हैं, चीजें बनाने वाले हैं, उनकी कठिनाई दूर हो गयी होती।

तो इन बहुत सी बातों को देखने से हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि इस संशोधन विधेयक की दृष्टि बड़े लोगों की तरफ थी, छोटे लोगों की तरफ नहीं थी और असल जो जरूरत थी, उसको करने का प्रयास नहीं किया गया। इसलिये जरूर इस पर विचार होना चाहिये, क्योंकि एक बार संशोधन विधेयक आया और जो चीज रह गयीं तो उनको फिर नहीं लिया जायेगा। इसलिये कोई जल्दी नहीं है। इसको प्रवर समिति के सुपुर्द कर दें। जो संशोधन जरूरी हैं, उनको भी इसमें शामिल किया जा सके और जो सुधार करने की जरूरत है, उसको किया जा सके। इसलिये माननीय मंत्री जी को उन संशोधनों को मान लेना चाहिये। इन शब्दों के साथ, जो कुछ चीजें उसमें की गयी है, उसके लिये मैं जरूर उनकी प्रशंसा करता हूं, लेकिन लोगों के दिल में यह बात चुभी है कि समाजवाद का नाम लेते हुये भी, गरीबों और अमीरों के बीच में जो व्यवहार में अन्तर है, उस व्यवहार को दूर करने का प्रयास बिल्कुल नहीं किया गया।

श्री रामगोपाल सण्ड (जिला इलाहाबाद)--

मान्यवर, मैं मंत्री जी का ध्यान प्रदेश में जो गल्ला व्यापारियों ने हड़ताल की थी, उसकी ओर ले जाना चाहता हूं। मैं बड़े व्यापारियों का हिमायती नहीं हूं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि गल्ले के बारे में--केवल गेहूं के बारे में नहीं--सभी गल्ले के ऊपर--कितना मल्टी-प्वाइंट टैक्स लगा रखा है। मान लीजिये 2 बोरा गल्ला हाथरस में एक गांव से आया। एक रुपया प्रति क्विंटल परचेज टैक्स और 1 रुपया सेल्स टैक्स, यानी दो रुपये लिया गया। हाथरस से एक बड़ा व्यापारी 2/4 ट्रक गल्ला ले गया। उसने भी एक रुपया पर्चेज टैक्स और एक रुपया सेल्स टैक्स दिया। इस तरह यह टैक्स अब 4 रुपये हो गया। तो मान्यवर, इस तरह से टैक्स खाद्यान्नों पर पड़ रहा है, जबकि महाराष्ट्र, केरल और मैसूर आदि प्रदेशों में गल्ले पर कोई बिक्री-कर नहीं लेते। अब वह व्यापारी उस माल को यदि मुट्ठीगंज में लाता है तो फिर उस पर एक रुपये पर्चेज टैक्स और एक रुपये सेल्स टैक्स पड़ गये, यानी यह टैक्स 6 रुपये हो गया। मान लीजिये उसमें से फिर 50 बोरा प्रतापगढ़ या जौनपुर जाता है, तो फिर यह परचेज टैक्स और सेल्स टैक्स लगाकर वह टैक्स 8 रुपये हो गया। फिर जब छोटे-बड़े कर्मचारियों ने एक मन, दो मन या 20 सेर गल्ला लिया तो फिर दो रुपये लगे। तो मान्यवर, यह गल्लें के ऊपर गोरख-धन्धा चल रहा है।

उसी गल्ले का दाम इलाहाबाद में 8 रुपये प्रति क्विन्टल बढ़ गया और अगर प्रतापगढ़, फूलपुर या हन्डिया चला गया तो रुपया और बढ़ जायगा। मैं समझता हूं सितम्बर--अक्तूबर में

[श्री राम गोपाल सण्ड]

इलाहाबाद में मुट्ठीगंज और कटरा में व्यापारियों ने 4 दिन तक हड़ताल की थी। श्याम सूरत उपाध्याय जी को मुख्य मंत्री जी ने इलाहाबाद भेजा था। वे जाकर आश्वासन दे आए कि केवल 1 रुपये बिक्री-कर और 1 रुपये पर्चेज टैक्स एक प्वाइन्ट पर लगेगा जैसा कि श्री जय राम वर्मा जी ने कहा। हाथरस के व्यापारियों पर या छोटे-बड़े व्यापारियों पर जो मन-दो मन गेहूं लेते हैं नहीं लगना चाहिये। मान्यवर, यह सरकार बहुत लुटेरी है। इन्होंने मल्टी प्वाइन्ट सेल्स टैक्स जो गल्ले पर लगाया है वह बंगला देश की आजादी के नाम पर लगाया है। यह जनवरी, 1972 में लगाया था। गल्ले की महंगाई के अनेक कारण हैं। पानी नहीं बरसा और बहुत से क्षेत्रों में गल्ले का अकाल पड़ गया है। दूसरा कारण यह है कि बाहर से गल्ला नहीं आया। वहां यह भी कारण है कि आपने बंगलादेश की मदद करने के लिये मल्टी प्वाइन्ट सेल्स टैक्स लगाया। अनाज का उपयोग तो गरीब अमीर सभी करते हैं।

मान्यवर, होजरी उद्योग की छोटी मिलें बनारस में हैं। इसी प्रकार से छोटे-छोटे कुटीर उद्योग के नाम से कानपुर में और प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में मिलें हैं। उत्तर प्रदेश का सारा धन इस सरकार की गलत नीति के कारण दिल्ली, लुधियाना और कलकत्ता जा रहा है। साढ़ तीन प्रतिशत कर आपने बंगला देश के नाम पर लगा दिया 10 अक्तूबर, 1971 से। यह टैक्स लगाया बनियान पर, मौजे पर और उन चीजों पर जिन्हें गरीब पहनते हैं। बनियान सभी गरीब आदमी पहनते हैं। बढ़िया बनियान कोई बड़े आदमी पहनते हों। अन्डरवीयर पर यह टैक्स लगा। मफलर सभी पहनते हैं। दिल्ली और पंजाब के अन्दर 1 प्रतिशत है। यह उत्तर प्रदेश की सरकार श्रमिकों पर और गरीबों पर यह बोझ डाल रही है। रुमाल, तौलिये व जांघियों पर भी यही साढ़े तीन प्रतिशत कर लगा है। क्या इसी प्रकार से आप कुटीर उद्योगों को बढ़ाना चाहते हैं? हमारे यहां के व्यापारी दूसरों की प्रतिस्पर्धा में उनका मुकाबला भी नहीं कर पाते हैं। वे बड़ी कठिनाई से अपना उद्योग चला रहे हैं क्योंकि आपने होजरी गुड्स पर साढ़े तीन प्रतिशत कर लगा रखा है।

मान्यवर, आपकी अनुमति से मैं बिक्री-कर संशोधन विधेयक की धारा-24 को पढ़ देना चाहता हूं। इसके अन्तर्गत आपने सेल्स टैक्स कमिश्नर, असिस्टेन्ट सेल्स टैक्स कमिश्नर, सेल्स टैक्स आफिसर व बड़े-बड़े गजेटेड आफिसरों को अधिकार दिये हैं जिनका जनता से कोई वास्ता नहीं है। अगर आप उनके बारे में कोई जांच आयोग बिठायें या गुप्तचर विभाग से जांच करायें तो आपको मालूम होगा कि उन लोगों ने करोड़ों रुपये की सम्पत्ति संग्रहीत कर रखी है और घूस लेने के कारण ही 36 करोड़ रुपये की सेल्स टैक्स की बकाया धनराशि है। वह बकाया छोटे-छोटे व्यापारियों पर नहीं है जो मुट्ठीगंज, प्रतापगढ़ में 10-12 बोरे गेहूं बेचते हैं बल्कि वह बकाया उनके ऊपर है जो 1,000-1,000 और 10,000-10,000 क्विंटल गेहूं बेचते हैं। मैं इस धारा के 3-4 वाक्य पढ़ देता हूं :—

(1) "यदि कर-निर्धारक अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण हो कि किसी व्यापारी का, किसी कर-निर्धारण वर्ष या उसके भाग के लिये, सम्पूर्ण विक्रय धन या उसका कोई भाग कर-निर्धारण से रह गया है अथवा कम निर्धारित किया गया है अथवा उस पर ऐसी दर स कर का निर्धारण किया गया है जो इस अधिनियम के अधीन कर निर्धारण किये जाने की दर से कम हो अथवा उसके संबंध में गलत तौर पर किन्हीं कटौतियों या छूट की अनुज्ञा दी गयी हो, तो कर निर्धारक अधिकारी व्यापारी को नोटिस जारी करने और ऐसी जांच करने, जिसे वह आवश्यक समझे, के पश्चात् उस व्यापारी पर विधि के अनुसार कर का निर्धारण या पुनर्निर्धारण कर सकता है।"

सही है यह अधिकार आप उन्हें दें, मगर यहां पर एक वाक्य मंत्रीजी को लिखना चाहिए था जसा कि रूपनाथ सिंह यादव जी ने कहा कि अगर किसी सेल्स टैक्स आफिसर ने घूस लेकर कम कर निर्धारण कर दिया है और उसको बड़े अधिकारी ने डिटेक्ट किया है तो संबंधित अधिकारी को

भी दंड मिलेगा। इस धारा में तो आपने सेल्स टैक्स कमिश्नर, असिस्टेंट सेल्स टैक्स कमिश्नर व सेल्स टैक्स आफिसर को छूट दी है। ये अधिकारी छोटे-छोटे व्यापारियों को सताने के लिये उनके बही खातों को अपने कब्जे में ले लेंगे और अगर घूस दे दी गयी तो फिर छोड़ देंगे। इस 24वीं धारा में आपने उन्हें बड़े अधिकार दिए हैं।

इसी प्रकार आपने उन्हें सताने के लिये धारा संख्या 23 रखी है। छोटे-छोटे व्यापारी तो रजिस्टर रखते ही नहीं है क्योंकि वे बेचारे इतने पढ़े-लिखे हैं ही नहीं। इसलिये जैसा कि श्री नित्यानन्द स्वामी जी व कृष्ण स्वरूप वैश्य ने कहा मैं उसका समर्थन करते हुये निवेदन करना चाहता हूं कि इसको प्रवर समिति में भेज दिया जाए जिसके अन्तर्गत सभी बातों पर विचार हो। छोटे-छोटे व्यापारियों पर तो सेल्स टैक्स लगाते हैं और बड़े-बड़े व्यापारियों से कर वसूल नहीं कर पाते हैं।

मैंने एक सवाल जुलाई में किया था। आपने तो बड़े-बड़े 10 व्यापारियों के नाम पढ़ दिए थे। कानपुर में 36–38 करोड़ रुपये की रकम बकाया है। उनकी दुकान जब्त करने के लिये कोई धारा इसके अन्तर्गत नहीं रखी गयी है। जो 36 करोड़ रुपया बकाया है बड़े व्यापारियों के ऊपर वह तो हाई कोर्ट से स्टे ले लेते हैं। इन सारी चीजों पर, बिक्री-कर व्यापारी क्यों नहीं देते हैं, गल्ले का बहुसूत्री कर समाप्त होकर एक-सूत्री लगे, बड़े-बड़े उद्योगों पर दिल्ली और कलकत्ते के समान बिक्री-कर लगाया जाय इन सारी चीजों पर विचार होना चाहिये था। यह न कर मंत्री जी ने आर्डिनेंस पास किया और उसके अन्तर्गत मनमाने ढंग से विधेयक ले आये और जैसा कि विश्वनाथ जी कपूर ने कहा सरकार ने मनमाने ढंग से टैक्स के रेट बढ़ा दिये हैं। कहीं पर 2 परसेंट से साढ़े 3 परसेंट, कहीं साढ़े 5 परसेंट कर दिया है। इनका विधेयक टेम्पारेरी विधेयक है। इनके यहां जितने कर्मचारी काम करते हैं जिलों में बिक्री-कर कार्यालय के कर्मचारी उनमें मैं सेल्स टैक्स कमिश्नर, असिस्टेंट सेल्स टैक्स कमिश्नर की बात नहीं करता हूं, 14 हजार जो कर्मचारी हैं उनकी सेवा की नियमावली नहीं बनी है। 15-20 साल से काम कर रहे हैं लेकिन उनको स्थायी नहीं किया जा रहा है जबकि 3 साल से अधिक जिनकी सेवा है उनको स्थायी किया जाना चाहिए यदि उनके विरुद्ध गलत प्रविष्टियां उनकी चरित्र-पंजिका में नहीं है। ऐसा कुछ नहीं आया।

इसलिए यह विधेयक गल्ला व्यापारियों के अहित में है, जो उपभोक्ता हैं और होजरी व्यापारी हैं उनके विरुद्ध है। इसमें उन 14 हजार कर्मचारियों का ध्यान नहीं रखा गया जो 15 साल से काम कर रहे हैं और इसमें यह स्पष्ट नहीं है कि बड़ी व्यापार की मंडियों जैसे कानपुर, लखनऊ से कैसे बिक्री-कर वसूल किया जायगा जैसे कि एक किसान से वसूल किया जाता है। ऐसी कोई प्रक्रिया इसमें नहीं है। इसलिये मैं कृष्ण स्वरूप वैश्य जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं कि इसको एक प्रवर समिति के अन्तर्गत भेजा जाय जहां हम सब प्रश्नों पर विचार करके इस विधेयक को तैयार करें और ऐसी व्यवस्था करें जिससे 56 करोड़ रुपया जो सरकार का बड़े व्यापारियों पर बकाया है सेल्स टैक्स का वह हमको मिले और जो उपभोक्ता है, गरीब व्यापारी हैं उससे जो रुपया कर के रूप में वसूल होता है वह विकास-कार्य के अन्तर्गत लगे—इन सारी चीजों पर विचार किया जाना चाहिये।

मैं वैश्य जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय हुकुम सिंह परिहार।

3 बजे से कार्य-स्थगन लिया जायगा, वह 5 बजे समाप्त हो जायगा। इसलिये समय का ध्यान रखें।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

कार्य-स्थगन तो 5 घंटे चलेगा ? कार्य-स्थगन के माने हैं कि कार्य-रुक जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

इसमें नियम ऐसा है अविलम्बनीय लोक-महत्त्व के निश्चित विषय पर विचार करने के प्रस्ताव पर चर्चा यदि पहले समाप्त न हो जाय, आरम्भ होने से दो घंटे पूरे होने पर आपसे आप समाप्त हो जायगी और उसके पश्चात् कोई प्रश्न नहीं रखा जायेगा ।

"अध्यक्ष भाषणों के समय को निर्धारित करेंगे: परन्तु कोई भाषण 15 मिनट से अधिक अवधि का नहीं होगा ।"

श्री बंशीधर पांडेय—

तब ठीक है, मान्यवर ।

श्री हुकुमसिंह परिहार (जिला आगरा)

मान्यवर, बिक्री-कर संशोधन विधेयक को मैंने देखा। उसमें जो संशोधन किये गये हैं वह गरीबों के और उपभोक्ताओं के हित में नहीं हैं। होना यह चाहिये था कि बहुत दिनों से मांग चल रही थी और यह कहा भी जाता है कि उस मांग के पक्ष में वातावरण भी देश में बना कि गरीबों से बिक्री-कर खत्म किया जाय। मिसाल के तौर पर आगरा में जूता उद्योग बहुत बड़ा कुटीर उद्योग है जिसमें लाखों कर्मचारी काम करते हैं। इन कर्मचारियों ने समय-समय पर भूख हड़ताल की, आन्दोलन किये, ज्ञापन दिये और जो भी वित्तमंत्री आया उसने उनको आश्वासन दिया कि जूते के कुटीर उद्योग से बिक्री-कर माफ कर दिया जायगा। लेकिन आज तक उस आश्वासन को पूरा नहीं किया गया। अभी-अभी वहां पर भूख हड़ताल चली बिक्री-कर को खत्म करने के लिये। दो-दो सौ आदमी जिलाधीश के कमरे के बाहर खड़े रहे और राज्य मंत्री विभव जी वहां जाकर आश्वासन दे आये कि जूते के उद्योग पर से बिक्री-कर खत्म करा देंगे। उनके आश्वासन पर वह हड़ताल समाप्त हो गयी। लेकिन वह आश्वासन आज भी केवल आश्वासन बना हुआ है और बिक्री-कर समाप्त नहीं हुआ।

एक डेपुटेशन आया जिसमें विधायक भी शामिल हुये, और लोग भी शामिल हुये, मैं भी उसमें था। वह वित्त मंत्रीजी से मिला। वित्त मंत्री जी ने आश्वासन दिया कि आगरे के जूता उद्योग को बचाने के लिये मैं विचार करूंगा और इस पर से बिक्री कर खत्म करने के लिये जल्दी ही फसला कर दूंगा और मुझे यहां तक मालूम है कि उन्होंने एक पत्र भी लिखा वहां के शू कर्मचारी यूनियन के मंत्री को जिसमें उन्होंने स्पष्ट आश्वासन दिया कि जूते पर से जल्दी ही सेल्स टैक्स समाप्त कर दिया जायगा। लेकिन आज तक वह समाप्त नहीं किया गया। आगरे के जूता कुटीर उद्योग पर बहुत बड़ा संकट है। लाखों आदमी उसमें काम करते हैं। मेरा आग्रह है कि उस पर से बिक्री-कर समाप्त किया जाय और सरकार दिये हुये आश्वासन का पालन करे।

दूसरी बात यह कि आगरा में ही नहीं बल्कि प्रदेश भर में हथकरघा उद्योग चलता है। उसमें लाखों छोटे-छोटे कर्मचारी काम करते हैं। खद्दर पर तो सरकार ने छूट दी है लेकिन हथकरघा उद्योग पर समय-समय पर आश्वासन देने के बावजूद भी आज तक बिक्री-कर माफ नहीं किया गया है। वित्त मंत्री जब रामस्वरूप जी वर्मा थे तब एक डेपुटेशन आया था जिसमें मैं भी शामिल था। उसने एक ज्ञापन दिया था जिस पर मंत्रीजी ने स्पष्ट आश्वासन दिया था कि यह जरूरी है कि दरी और हथकरघा उद्योग से सेल्स टक्स माफ किया जाय, लेकिन अभी तक उस आश्वासन को पूरा नहीं किया गया।

श्री उपाध्यक्ष--

अब आप समाप्त करें। माननीय रूपनाथ सिंह यादव। अब आप कृपया बैठें, आपका समय समाप्त हो गया।

*श्री रूपनाथ सिंह यादव--

मान्यवर, इस बिल को देखने के बाद मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह सरकार वास्तव में पूंजी पतियों की दलाली कर रही है।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)--

दलाली में इनका प्रतिशत क्या है ?

श्री बंशीधर पांडेय--

दलाली में प्रतिशत निर्धारित नहीं किया जाता।

श्री रूपनाथ सिंह यादव--

आप इस विधेयक के खंड 30 को देखें। इसको देखने से पता चलेगा कि यह सरकार पूंजी-पतियों के लिये कितना कुछ करने जा रही है। आज साढ़े 36 करोड़ रुपया टैक्स का पूंजीपतियों पर बकाया है। मैं पूछना चाहता हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी बतायें कि कितना रुपया किसानों पर बकाया है ? पूंजीपतियों पर क्यों बकाया है ? अब सन् 74 का चुनाव आ रहा है, इसलिये यह सरकार उनके लिये यह बिल लायी है। धारा 30 में जो व्यवस्था यह सरकार अब करने जा रही है वह पहले मूल अधिनियम में भी नहीं थी। इसमें यह कहते हैं कि अगर रिफंड करने में देरी हो जाय तो 6 प्रतिशत का सूद भी दिया जायेगा। मुझे इसका सख्त विरोध है।

इसके अलावा मान्यवर, धारा 4 के परन्तुक में जो यह लिखा है--"प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा, किसी ऐसे माल के सम्बन्ध में विक्रय धन पर कर की दर कम कर सकती है।" इसका अर्थ यह है कि जब व्यापारी सरकार के पास पहुंचेगा तो यह सरकार कर को कम कर देगी। जब सरकार के हाथ में यह पावर रहेगी तो सरकार इसका फायदा उठाती रहेगी। मैं इसका भी सख्त विरोध करता हूं।

मान्यवर, भारत सरकार के राज्य मंत्री ने बयान दिया है कि 31 मार्च, 1972 तक आय-कर का 438.60 करोड़ रुपया, सम्पत्ति कर का 16.01 करोड़ रुपया, उपहार कर का 2.59 करोड़ रुपया, इस्टेट ड्यूटी का 13.75 करोड़ रुपया बाकी है। यह जितना कर बकाया है उसी के कारण आज मंहगायी बढ़ती जा रही है। जितना भी पैसा बड़े-बड़े पूंजीपतियों पर बकाया है आप उसे वसूल करने की कोशिश ही नहीं करते। दूसरे यह जो काला धन जो करीब 27 हजार करोड़ है, इसके कारण भी महंगायी बढ़ती जा रही है। मैं तो कहता हूं कि अगर जनता जागरुक हुई तो सन् 74 में इस सरकार को चले जाना चाहिये।

मान्यवर, हिन्डालको के बारे में जून में हमारी कमेटी जून मास में बैठी, लू में बैठी, उसकी रिपोर्ट 20 जुलाई को आ गई और उसके बावजूद हिन्डालको और कनोरिया को सस्ती बिजली देने से 100 करोड़ रुपये का घाटा हो रहा है, उसको आपने जब्त नहीं किया। इसलिए मैं चाहूंगा कि जो हमने संशोधन दिये हैं, उस पर मंत्री जी विचार करके उन्हें मान लें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री मोहनलाल कपूर (जिला मेरठ)--

उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, 1973 यहां विचार के लिये पेश है। यह 12 तारीख में पुरःस्थापित किया गया है और तभी उसकी प्रतिलिपि मिली थी। इस बिल का प्रसारण कुछ समय पहले होना चाहिये था। इसकी सदस्यों को भी पूर्व सूचना नहीं और जनता को भी सूचना नहीं। इतना व्यापक बिल बनाया जाये और लोगों को पता न चले कि इसका क्या प्रभाव उन पर पड़ने जा रहा है, तो यह चीज ठीक नहीं। इस प्रकार के आवश्यक बिलों को सरकार बहुत जल्दबाजी में लाती है और दूसरी तरफ उन्हें एकतरफा लाती है।

हमारे प्रदेश की जो आमदनी है उसका एक बहुत बड़ा भाग, और सबसे बड़ा भाग इस कर द्वारा प्राप्त होता है। इसके द्वारा अधिकारियों के ही अधिकार को बढ़ाया गया है। तिवारी जी को याद होगा कि उनसे मेरठ के दुकानदारों को एक शिष्टमंडल मिला था, जिसने बताया था कि किस प्रकार से इन अधिकारियों का व्यापारियों के साथ निंदनीय व्यवहार होता है, कैसे वे उनसे रिश्वत लेते हैं। अधिकारी दुकानदारों से मटर बादाम जो मन आता है ले लेते हैं, उनकी दुकानों पर जूता पहले ही चढ़ जाते हैं।

दुकानदारों की हालत आपके अधिकारियों के कारण जो पहले ही खराब थी अब वह इससे और खराब होगी। दुकानदार लोग कोई आन्दोलन आदि नहीं कर सकते हैं। उनको आपने कोई सुविधा नहीं दी है। उनकी सुविधा यही है जो आपने खंड 9 (2) में कहा है--"यदि किसी कर की वसूली किसी न्यायालय या अधिकारी के किसी आदेश से स्थगित रही हो और ऐसा स्थगन आदेश बाद में विखंडित कर दिया गया हो, तो उपधारा (1) में अभिदिष्ट ब्याज ऐसी किसी अवधि के लिये भी देय होगा जिसमें ऐसा आदेश प्रभावी रहा हो।" तो आप तो उनसे समय का भी पैसा ले लेंगे और उन्हें अपील करने का चांस नहीं देते हैं।

बहुत से अधिकारी मनमाने ढंग से और बदला लेने की भावना से ब्याज बढ़ा कर लगा लेते हैं, और उनके पास ऐसे अधिकरियों से बचने का कोई रास्ता नहीं है। अधिकारियों की यदि गल्ती हो तो उसे दंडित करने का कोई प्राविधान नहीं है। सरकार के पास बहुत सी शिकायतें आती हैं, लेकिन अधिकारियों के प्रति कोई कार्यवाही नहीं होती है। मेरा निवेदन है आप इस विधेयक को प्रवर समिति में अवश्य भेजें। इसे आप जल्दी बाजी में एक तरफा लाये हैं। इसमें अधिकारियों की ताकत बढ़ाई गई है और कर अधिक बढ़ाया गया है। कर लगाने के बाद जो आप पूरी की पूरी राशि जमा कर लेंगे यह अनुचित है, यह कतई नहीं होना चाहिए, बहुत से दुकानदार ऐसे होते हैं जिन पर मनमाना कर लगा दिया जाता है जिससे विवश होकर उन्हें अपना बिजनेस बंद कर देना पड़ता है। इसलिये वह राशि टोकेन के तौर पर केवल 10 परसेंट होनी चाहिये। मेरा यह भी निवेदन है कि बिक्री-कर से संबंधित अधिकारियों को जजी करने का, अपील सुनने का अधिकार नहीं होना चाहिये। इस प्रकार से आप देखें, यह अधूरा बिल है, मैं मंत्री जी से चाहूंगा, वह इसे फिर से प्रवर समिति में ले आयें और वहां पर इसे सर्वांगीण बनाने का वह और हम सब प्रयास करें।

*श्री शम्भू नाथ चौधरी (जिला बलिया)--

यह जो संशोधन विधेयक है, वह मूल अधिनियम, 48 में संशोधन किया जा रहा है। इस संशोधन द्वारा जो मुख्य रूप से प्राविधान करने जा रहे हैं, वह पहले राज्य सरकार को अधिकार था, अब वह अधिकार कमिश्नर को भी देने जा रहे हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इतना ही नहीं यह अधिकार सरकार सभी कमिश्नर को भी देने जा रही हैं। जो खराब मशीनें थी, जो वे बेचते थे, इस परिधि में नहीं आती है। लेकिन अब उनको भी इसकी परिधि में ला दिया गया है और धारा 2 का स्पष्टीकरण इसके लिये दिया गया है। जो खराब मशीनें हैं, प्रयोग नहीं होती हैं, वे भी अब इस परिधि में आ जायेंगी। माननीय मंत्री जी ने आयात-निर्यात का जो खण्ड हटाया, उसमें लाइसेंस प्राप्त व्यापारी था, वह बिलकुल अब हट गया है। उसे पूरा निकाल देने से क्या लाभ है, यह मेरी समझ में नहीं आया। इसको हटा देने से आपको आगे चल कर निश्चित ही कठिनाई होगी। 'माल' की परिभाषा जो आपने की है--"माल" के अन्तर्गत कोई ऐसा माल भी है जिसके सम्बन्ध में व्यापारी इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के प्रभाव से कर के भुगतान के लिये दायी न हो।" यानी सभी माल दिया गया है। यानी आपने माल शब्द का प्रयोग करके एक बहुत-कर लगा दिया है। खण्ड 3--कक में आप देखें, पहले मूल अधिनियम में एक पूरी लम्बी सूची थी, उन वस्तुओं की जिन पर बिक्री-कर नहीं लगता था, अब उसे हटा दिया और जिस सामान पर चाहें, उस पर लगाएंगे और इसका अधिकार आपने पा लिया है। एक तरफ मंहगाई बढ़ रही है। आज एक रुपये में बिक्री-कर की वजह से 14 आना कर बढ़ रहा है, इतना अधिक बिक्री-कर बढ़ा हुआ है और उसकी प्रणाली इतनी दोषपूर्ण है। जितनी जगह सामान जायेगा, उस पर भार उपभोक्ता पर बढ़ता चला जायगा। आपने साढ़े तीन परसेंट का सात परसेंट कर दिया। इसी कारण से ईंट के भट्ठों पर इतनी चोरी होती है जिसकी कोई इंतहा नहीं है, वह कन्ट्रौल नहीं हो पाता है। आप हर जगह पर उसे अब 7 परसेन्ट लगाते चले जा रहे हैं।

पहले सरकार को 5 परसेन्ट तक का ही अधिकार था, अब 7 परसेन्ट और धारा 3(3) में उसे आपने 12 परसेन्ट कर दिया। सोचने पर लगता है सरकार क्या करेगी, क्या यह प्रदेश के नागरिकों का खाल और चमड़ा रहने देगी या नहीं? मैं समझता हूं कि इस सरकार को सन् 74 तक ही रहना है। लेकिन इनके कारनामों से ऐसा लगता है कि जनता का जन जीवन अभी से अस्त-व्यस्त होने जा रहा है। हमारे मंत्री जी ने अभी अपनी बड़ी सेखी बघारी कि अभी तक उनको अपने धन पर कोई व्याज नहीं मिलता था। स्पष्टीकरण में आप कहते हैं--'वापसी का दिनांक वह समझा जायगा जब वापसी का वाउचर तैयार करने की सूचना निर्धारित रीति से व्यापारी को दे दी जाय।" रुपया व्यापारी को जब इनका बाबू वाउचर बना देगा। जब तक वह बड़ी रकम नहीं लेगा तब तक वह बनायेगा नहीं।

श्री उपाध्यक्ष--

छः महीने की अवधि के भीतर वापस किया जाता है, "व्यापारी ऐसे आदेश के दिनांक से अथवा जैसी भी दशा हो, ऐसे प्रारम्भ के दिनांक से वापसी दिनांक तक", आदेश की तारीख से लेकर वाउचर बनाने तक। अभी इस तर्क को रखा था वर्मा जी ने। छः महीने की अवधि के भीतर। अब आप समाप्त करें।

श्री शम्भूनाथ चौधरी--

इस तरह से मैंने यह कहा कि जो दर बढ़ा दिया है इससे उपभोक्ता पर बड़ा भार बढ़ेगा, उसे नहीं बढ़ना चाहिये। यह प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाय।

श्री बंशीधर पांडेय--

मैं दो बातों पर सुझाव दूंगा। यह बिक्री कर का जो है, अभी मैं देख रहा था सात परसेंट का प्राविधान। मुझे खुशी है कि हमारे बिक्री-कर के विभाग ने काफी आगे बढ़ा कर किया है, इसमें दो राय नहीं है। और अभी और गुंजायश है। मेरी अधिकारियों से बात हुई पहले भी अभी करीब-करीब इसका दुगना जा सकता है। काफी अच्छी गुंजायश है। मान्यवर, सबसे बड़ी गड़बड़ी यह होती है कि इंगलैंड के और हमारे कानूनों में यह अन्तर हो जाता है कि सरकार यहां अपने हाथ डेलिगेटेड पावर बहुत ज्यादा ले लेती है। सबसे डेमोक्रैटिक ला वह होता है जो

[श्री बंशीधर पाण्डेय]

आटोमेशन में चलता है। इंगलैंड में जो कानून बन गया उसमें सरकार को इफ ऐंड बट करने की जरूरत नहीं है। जब जरूरत हो तो लेजिस्लेचर में ला कर परिवर्तित करें। 7 परसेंट होगा और आवश्यक होगा तो उससे भी कम होगा। यह डिस्कशन गवर्नमेंट का आ गया। मंत्री और अधिकारी कितनी ही ईमानदारी से कार्य करें। पांडेय पर सात परसेंट लग गया और नारायणदत्त जी के पास किसी दूसरे दोस्त की पहुंच हो गयी, तो उसमें 7 परसेंट से घटा देंगे क्योंकि यह डिस्क्रीशनरी पावर है।

श्री उपाध्यक्ष—

"धारा 31 पहली अक्तूबर, 1958 को प्रवृत्त हुई समझी जायेगी"। यह भी लिखा है। 14 साल पहले से वसूल करना है तो कुछ तो उनको मिलेगा।

श्री बंशीधर पांडेय—

वह ठीक है। एक तो रिट्रास्पेक्टिव एफेक्ट देने लगते हैं। रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट देने का पूरा राइट है। बिक्री कर का जो कानून है, वह ऐसा हो कि कानून बनने के बाद डिस्क्रीशनरी पावर का इस्तेमाल आप कम से कम करें या एक दम इस्तेमाल न करें तो आपकी नीयत में किसी को शक नहीं होगा। अब जैसे एक जगह लिख दिया 6 परसेंट ब्याज दिया जायगा। इसी तरह से आप देखें कि 40 पैसे किलो डालडा के दाम बढ़ा दिये। लोगों का यह ख्याल है कि सरकार को चुनाव लड़ने हैं इस लिये ये दाम बढ़ा दिये। 6 परसेंट ब्याज देने की बात आप कहते हैं लेकिन बिक्री-कर का जो करोड़ों रुपया व्यापारियों पर बकाया है उसको वसूल करने के लिये आप क्या कर रहे हैं? जो न दे सके उसकी कुर्की कीजिये। बंशीधर के नाम जो जमीन है वह अगर टैक्स नहीं दे पाता है तो 188 के मातहत आप उसकी कुर्की कर लेते हैं लेकिन बड़े आदमी की कुर्की नहीं करते यह हाचपाच विधेयक में नहीं होना चाहिये।

जब कोई बात फंसती है तो ला डिपार्टमेंट की राय लेना शुरू हो जाती है। जब कोई गोलकनाथ केस हो जाता है तो संविधान अमेंड होने लगता है। जब कोई केस हाई कोर्ट में उलट जाता है तो सरकार एक्टिव कंसीडरेशन करने लगती है। आप बैठ जाइये, कंसीडर्ड ओपीनियन के साथ इसमें चेंज करें, इससे बिक्री-कर की आमदनी बढ़ेगी। लेकिन आमदनी तो बढ़े और लोगों की उसमें निष्ठा न बढ़े बिक्री-कर में चोरी हो यह उचित नहीं प्रतीत होता। आपके लचरपन से लोगों की निष्ठा घटती जा रही है। स्टेट की आमदनी बढ़े, डेवलपमेंट का काम चले लेकिन उसमें नेकनीयती की झलक तो दिखाई दे लेकिन जहां डिस्क्रीशनरी पावर आप रखते हैं तो लोगों को शक व शुबह करने की गुंजायश होती है। संजय गांधी को इन्द्रा गांधी का लड़का होने के कारण कार मिल गयी, बंशीधर का लड़का बेकार रह गया। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का फारमूला एडाप्ट किया जाता तो यह शक न होता। लाखों खूबसूरत व योग्य लड़कों को लाइसेन्स नहीं मिला लेकिन प्राइम मिनिस्टर का लड़का था इसलिये उसे लाइसेन्स मिल गया।

आदर्श इस देश का यह है कि रामचन्द्र जी ने लोकअपवाद के कारण अग्नि परीक्षा सीता जी के लेने के पश्चात् भी उनको निकाल दिया। आपको भी अग्नि परीक्षा में जाना होगा। जितनी छूट लोग चाहेंगे पाडेय जी को पकड़ करके करवा लेंगे, उनके पास आज चमक है, दमक है, पावर है। लिहाजा इस कानून को आप ऐसा बनायें जिसमें आपको पावर माफ करने की कम हो।

*श्री नित्यानन्द स्वामी—

उपाध्यक्ष महोदय, यह खुशी की बात है कि सदन की भावना माननीय मंत्री जी तक पहुंच गयी वैसे मैं जानता हूं कि भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फायदा नहीं लेकिन फिर भी बहरे कानों

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तक में अपनी यह बात पहुंचाना चाहता हूं कि वह जो यह संशोधन विधेयक लाये हैं इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। व्यापारियों को आप प्रलोभन दे रहे हैं। कि आप उनको सुविधा दे रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि यदि आप टैक्स इवेजन को समाप्त करना चाहते हैं तो आपको एक-सूत्री कर लगाना पड़ेगा। यह एक ऐसा मसला है जिसे सरकार टाल नहीं सकती है। इसे आपको प्रक्रिया का प्रश्न बनाना पड़ेगा। आपने यह गुंजायश की है कि आप लोगों के माल की कुड़की करा देंगे.....

श्री उपाध्यक्ष—

आप तो यह कहे थे कि भैंस के आगे बीन बाजे, भैंस खड़ी पगुराय।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

आप चेक पोस्ट लगा रहे हैं। टैक्स इवेजन के लिये आपको सबसे बड़ा काम यह करना पड़ेगा कि जो 32 करोड़ रुपया आपका बकाया है उसको आप राइट आफ न कीजिये। उनकी एक सूची टांगिये और उनकी कुड़की कीजिये। आप तो 10/50 रुपये वालों या छोटे-छोटे व्यापारियों को तंग करते हैं। इनके बजाय आप अगर बड़े-बड़े लोगों से बकाया कर की वसूली कर दें तो वह ज्यादा लाभदायक होगा। बिक्री-कर प्रक्रिया के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि आपको अपने बिक्री-कर अधिकारियों के ऊपर नियंत्रण करना पड़ेगा। जो लोग निरंकुश हैं, उनको परेशान किया जा रहा है। आप के कान तक यह बात नहीं पहुंचती है। इसलिये मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि यदि वे उचित समझें तो मेरे सुझावों को स्वीकार करें और इस विधेयक को ½ माह के लिये परिचालित कर दें। जहां तक एक-सूत्री कर का प्रश्न है उसे आपको करना पड़ेगा और अधिकारियों का व्यापारियों के प्रति जो रवैया है उसे भी ठीक करना पड़ेगा। कुड़की से लोगों को बड़ा कष्ट होगा। इन सुझावों के साथ मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे इस विधेयक को प्रवर समिति में भेज दें।

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य—

उपाध्यक्ष जी, मैं केवल एक बात कह कर अपनी बात समाप्त कर दूंगा और वह यह कि इस बिल की धारा 24 में यह प्राविधान किया गया है कि कर निर्धारण अधिकारी को जब यह विश्वास हो जायेगा कि पिछले वर्षों में जो कर लगाया गया है वह कम है तो वह पिछले खाते देखकर कर लगाये। इससे किसको लाभ होगा और किसको हानि होगी? कर निर्धारण अधिकारी जिस व्यापारी से प्रेजुडिस हो जायेगा उससे जब से वह चाहेगा पिछले खाते खोल देगा और जितना चाहेगा उतना कर निर्धारण कर देगा। इसके अलावा व्यापारियों से सांठ-गांठ करके कर-निर्धारण कम भी हो सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि बिक्री-कर अधिकारियों को आप बहुत ज्यादा पावर दे रहे हैं और उन्हें ऐसा करने के लिये एक शास्त्र दे रहे हैं। आप उन्हें आर्बिट्रेरी पावर दे रहे हैं।

इसी तरह से धारा 23 में भी उन्हें अधिकार दिया गया है जो कि उनके लिये व्यापारियों को तंग करने का एक सरल रास्ता है। अतः मैं माननीय मंत्री जी से मांग करूंगा कि वे इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लें और इसे प्रवर समिति में भेज दें ताकि उस पर विचार हो सके।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

श्रीमन्, सम्मानित सदस्यों ने जो इस बिक्री-कर संशोधन विधेयक के सम्बन्ध में सुझाव दिये हैं उनका मैं बहुत आभारी हूं। मेरे सम्मानित सदस्य, देहरादून और बदायूं ने इसे परिचालित करने के लिये और जनमत संग्रह के लिये इसे प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव पेश किया है। मुझे दुख है कि मैं उनकी इस आज्ञा को स्वीकार करने में अपने को असमर्थ पाता हूं। क्योंकि यह अध्या-

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

देश जो हमें अनिवार्यतः निकालना पड़ा था उसकी तिथि अब इसी 23 जनवरी को समाप्त हो रही है। और अगर यह विधेयक पारित न हुआ तो इसमें अनेक कठिनाइयां उत्पन्न होंगी। मैं फिर दोहराता हूं कि इस अध्यादेश को लाने की आवश्यकता क्यों हुई।

उच्च न्यायालय के सामने एक रिट विचाराधीन था कि तिलहन पर जो कर लगाया गया है उस कर के रिफंड के बारे में सेंट्रल सेल्स टैक्स अधिनियम के अधीन जो धारा है उनको भी हमारे इस बिक्री-कर अधिनियम में दोहराया जाना चाहिये, यह प्रश्न वहां उठा था। और जो कर अब तक वहां लगता था और जिसके रिफंड करने के लिये कोई प्राविधान ही न था, इसलिये आवश्यक हुआ कि इस प्राविधान को करने के लिये जो केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम है उसके अन्तर्गत उसके अनुरूप करने के लिये और अपने यहां के विधेयक में जो कमियां हैं उनको पूरा करने के लिये इस अध्यादेश को लाना पड़ा। साथ ही साथ जो बहुत सी कठिनाइयां विधेयक के लागू करने में आ रही थीं और इस बारे में व्यापारी वर्ग जो अनेक सुविधाओं की मांग कर रहे थे उनके लिये भी इस विधेयक को अधिनियमित करना उचित प्रतीत हुआ। सम्मानित सदस्य, देहरादून का शायद यह खयाल हुआ या उनको सूचना मिली कि यह बिक्री-कर चेक पोस्टों में लागू किया जायगा। यानी जहां चेक पोस्ट लगे हैं वहीं बिक्री कर लगेगा। ऐसी बात नहीं है। चेकपोस्ट पर तो केवल एक फार्म मिलेगा मोटर गाड़ी वालों के लिये जिसमें इसका उल्लेख होगा कि कौन सा सामान कहां ले जाया जा रहा है। पहले डीलर की मुहर उसमें लगी होगी जिसके यहां से सामान लाया जायगा।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

अगर कोई फार्म भर कर दे दे कि 50 मन माल ले जाया जा रहा है और उसमें से 30 मन ही बिका तो आप तो 50 मन पर बिक्री-कर कैलकुलेट करके ले लेंगे?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

नहीं, ऐसी बात नहीं है। मान लीजिये देहरादून कोई सामान ले जा रहा है 50 मोटर गाड़ियों में, तो वह बतलायेगा कि हम टूथ पेस्ट या फलां-फलां सामान ले जा रहे हैं। इससे बिक्री-कर अधिकारियों को सहूलियत हो जायगी और उनको यह जानकारी रहेगी कि इतने सामान बाहर से इस व्यापारी के नाम आये। इससे करवंचना की गुंजायश न होगी। जितना सामान आयेगा उसका तिमाही स्टेटमेंट बिक्री-कर अधिकारी को देना पड़ेगा ताकि उसको मालूम हो सके, चेक पोस्ट लिखा हुआ रेकार्ड से कि इतना सामान उस व्यापारी के नाम फलां प्रान्त से आया था। बिक्री-कर वहीं वसूल होगा देहरादून में ही। लेकिन विवरण रहा होगा, उसमें इवेजन की कोई गुंजायश न होगी।

चेक पोस्ट की स्थापना का स्वागत किया गया इसके लिये मैं विरोधीपक्ष का आभारी हूं। बहुत दिनों से इस बात की मांग थी। जहां तक सेल्स टैक्स को 12 प्रतिशत करने की बात है, कहा गया कि इसको हम बढ़ा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। यह तो केवल उस सेल्स टैक्स के लिये एक अन्तिम सीमा जो इस प्रस्ताव में रखी गयी है, परचेज में भी सीमा रखना उचित है। जो खाद्यान्नों के लिये संड जी ने मांग की और उन्होंने इलाहाबाद का उल्लेख भी किया कि मल्टीपुल सेल्स टैक्स लगाया जारहा है, इसमें इसीलिये यह गुंजायश रखी गयी है कि अगर किसी समय मल्टी-परपज टैक्स को हटाना पड़े और सिंगल परचेज टैक्स लगाया जाय तो.....

श्री विश्वनाथ कपूर—

अगर ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे, इस तरह से कोई कानून बनता है। कल क्या होगा इसको ध्यान में रखते हुये हम यह कर लेंगे, या किसी कर्मचारी ने ऐसा किया तो यह कर लेंगे, इस अगर और मगर के आधार पर कोई विधेयक बनाने का आपका औचित्य क्या है, इसको आप बतला दें?

श्री नारायणदत्त तिवारी--

जहां तक खाद्यान्न के व्यापारियों का प्रश्न है अगर खाद्यान्न पर एक प्रतिशत टैक्स लगता है तो दो प्वाइंट कर देने पर दो प्रतिशत टैक्स लगेगा। और यह पहले से चला आ रहा है। खाद्यान्न के व्यापारियों ने ही मल्टी प्वायंट सेल्स टैक्स की मांग की थी उन्होंने स्वयं मांग की थी कि मल्टीपिल प्वाइंट कर दिया जाये। अब फिर वे कह रहे हैं कि इस पर विचार किया जाये तो बातचीत उनसे करेंगे और अगर आवश्यकता हुई तो परिवर्तन करेंगे।

श्री चन्द्रभान शर्मा

व्यापारियों से बात करने की क्या आवश्यकता हो गई जब आप अपने हाथ में ले रहे हैं?

श्री नारायणदत्त तिवारी--

रिटेलर्स होंगे या फिर एफ0 सी0 आई0 से बात करेंगे या अगर अपना कारपोरेशन बना तो उससे बात करेंगे। अब अनेक प्रश्न उपस्थित किये गये कि बकाया बहुत है। यह 38 करोड़ रुपया आज का बकाया नहीं है बल्कि 1948 से है जब कि पहली बार सेल्स टैक्स लागू हुआ था। इस 38 करोड़ रुपये में वह धनराशि भी शामिल है जिनका स्थगन हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से हो गया है। यह धनराशि लगभग 8 करोड़ के हैं।

श्री रूपनाथ सिंह यादव--

क्या किसानों के यहां भी कोई बकाया पड़ा हुआ है?

श्री नारायणदत्त तिवारी--

जी हां, बहुत बकाया है। करोड़ों रुपया बकाया है लगान और तकावी का। मैं निवेदन कर रहा था कि बकाया के वसूल करने का प्रयास जारी है। इसके लिये हर जिले में टीम बनी हुई है। उनमें एक पी0सी0एस0 के कैडर का रेवेन्यू आफिसर रहता है, दूसरे सेल्स टैक्स विभाग के अधिकारी होते हैं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

इस एमाउंट में इर्रेकरेबिल कितना है?

श्री नारायणदत्त तिवारी--

उसी को असेस करने के लिये तो यह ज्वाइंट टीम बनी हुई है। इसमें कई टीमें हैं उनसे कहा गया हैं कि शीघ्रता से कार्य करें। आशा है कि इस साल सेल्स टैक्स की आमदनी में करीब 8/10 करोड़ रुपये की वृद्धि होगी।

मैं माननीय बंशीधर पांडेय जी से सहमत हूं कि इस विभाग की आमदनी बढ़ाने की काफी गुंजाइश है। दूसरे छोटे राज्य, आंध्र, मद्रास और बम्बई वगैरा हमसे ज्यादा बिक्री-कर वसूल करते हैं। इसका मुख्य कारण हमारे यह कर का इवेजन है। हमें आशा है कि अब ज्यादा कर वसूल किया जायेगा उसका प्रमाण यह है कि इस साल 8/10 करोड़ रुपया ज्यादा वसूल होगा। अगर आप लोगों का हमें सहयोग मिलता रहेगा तो भविष्य में भी हम बकाया ठीक से वसूल कर सकेंगे और बिना तकलीफ पहुंचाये बिक्री-कर की आमदनी बढ़ सकेगी। अब यह बात आई कि व्यापारियों को कष्ट पहुंचता है और बिक्री-कर अधिकारी अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। ऐसा कहा गया। मैं निवेदन करूंगा कि हमारा इस सम्बन्ध में स्पष्ट निर्देश है बिक्री-कर अधिकारियों को कि वे यथासम्भव पूरी सावधानी से व्यापारियों से व्यवहार करें ताकि व्यपारियों को कम से कम कष्ट हो, कुछ तो कष्ट होगा ही। वैसे वह आदेश भेजते हैं लेकिन यदि कोई कागज मंगाने होते हैं तो उनको दूकानों पर जाना तो पड़ता ही है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

वह पीक आवर पर बिजिनेस के न जांय, आगे पीछे जांय ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

दुकानें खुली होंगी तभी तो जायेंगे ।

श्री बंशीधर पांडेय—

व्यापारी को कहां पास से कर देना पड़ता है, वह तो कन्ज्यूमर देता है, व्यापारी के साथ तो एक आने की भी रियायत नहीं होना चाहिये ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

व्यापारियों को जानबूझकर परेशान करने की बात नहीं है बल्कि जो सेल्स टैक्स अधिकारी जरा सख्त होगा तो वह हित में ही काम करता है मुझे तो यह जानकर खुशी हुई कि इधर वसूली में सख्ती बरती जा रही है । इस माने में किसी तरह के दुर्व्यवहार की बात नहीं है । उसका प्रश्न भी नहीं है । यदि किसी अधिकारी के दुर्व्यवहार की शिकायत होती है तो उसे दूर करने की चेष्टा हमारी रहती है ।

जहां तक नेता विरोधी दल ने सिंगिल प्वाइंट कर और बहुस्तरीय कर का उल्लेख किया । हमारे यहां 110 श्रेणी की वस्तुओं पर सिंगिल प्वाइंट कर है और केवल 8/10 वस्तुओं पर ही आखरी प्वाइंट पर बिक्री-कर देय है । जिस समिति का जिक्र किया गया उस समिति की अध्यक्षता स्वयं माननीय नेता विरोधी दल ने उस समय की थी जब वह सरकार में थे तब से बराबर इन चीजों पर विचार और कार्य होता रहा है.....

श्री जयराम दर्मा—

इनमें से कितने मालों पर अन्तिम प्वाइंट पर है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

मैंने उल्लेख किया कि आगे के लिये भी जिन वस्तुओं पर अन्तिम प्वाइंट पर है उसको प्रथम प्वाइंट पर किया जा सकता है, इस पर विचार हो रहा है । उत्पादन में चीनी, कपड़े और तम्बाकू पर पहले से एक्साइज के द्वारा चल रहा है और उसमें घाटा भी हो रहा है । मगर हम एक्साइज डियूटी के नाम पर सेन्टर से कहते हैं तो ऐसा लगता है कि सेन्टर अपने बजट में ड्यूटी बढ़ा रहा है और बहुत लोग समझते हैं कि सेन्टर यह कर बढ़ा रहा है । यह चीनी, कपड़े और तम्बाकू का एक्साइज टेक्स है तो राज्य सरकार का लेकिन उसे सेन्टर लगाता है, वह रेशनेलाइज करे तो मालूम होता है कि सेन्टर कर बढ़ा है । यह प्रश्न बहुत दिनों से.....

श्री जयराम वर्मा—

मेरा मतलब एक्साइज ड्यूटी से नहीं है, मैं तो उसके बिलकुल खिलाफ हूं, वह केन्द्रीय सरकार के हाथ में नहीं जाना चाहिये, वह हमारे हाथ में ही रहना चाहिये । हम चाहते हैं कि वह फर्स्ट प्वाइंट पर या दूसरे प्वाइंट पर लगे बजाय आखिरी प्वाइंट के ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

अगर हम प्रतिशत के हिसाब से देखें तो करीब 85से 90 प्रतिशत बिक्री-कर सिंगिल प्वाइंट पर मिलता है, और मल्टीप्वाइंट कर 10—15 प्रतिशत व्यापारी ही देते हैं । इससे साफ है कि पिछले सालों में बराबर प्रयास हुआ है कि हमारी सेल्सटेक्स प्रणाली में सिंगिल प्वाइंट टैक्स को अधिकाधिक रूप से लेवी किया जाय और मल्टीमिल प्वाइंट टैक्स को कम से कम लगाया

जाय जिसका कि उल्लेख आपने किया । यह सही है जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा कि दिल्ली से बहुत करवंचना होती है । उन्होंने कम से कम टेक्स रखा है और उस से कर-वंचना होती है ।

इसी संबंध में अभी दो-तीन मास पहले दिल्ली में एक अन्तर राज्य समिति की बैठक हुई थी जिसमें हरियाना, पंजाब, हिमांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार और कई राज्यों के वित्त मन्त्रियों ने भाग लिया था और वहां दिल्ली प्रशासन से एक मत से यह अपील की कि दिल्ली में जो आप कम कर लगाते हैं या आपने जो कुछ मदें कर मुक्त कर रखीं है, इनसे राज्यों में कर वंचना हो रही है । तो दिल्ली प्रशासन ने भी इस पर विचार किया है और एक विधेयक पेश किया जा रहा है लोक सभा में जिसके द्वारा दिल्ली में कर का ढांचा बदला जा रहा है । जब लोक सभा से इस प्रकार का विधेयक पारित हो जायगा तो दिल्ली के बीच में और हमारे बीच में जो करों में इस समय असमानता है, वह बहुत हद तक कम हो जायगी, ऐसी हमें आशा है । तो दिल्ली में टैक्सों में कुछ परिवर्तन होंगे और दूसरी तरह हमारे यहां पर चैक पोस्ट्स लग जायेंगी, जैसे गाजियाबाद में, आगरे के किनारे पर, मध्य प्रदेश की सीमा पर, या देहरादून के आस-पास जहां-जहां भी महत्वपूर्ण पुल हैं, या नाके हैं, जहां पर एक दूसरे प्रदेशों से गुड्स का आयात होता है, वहां पर चैक पोस्ट लगायी जायेंगी तो कुछ प्रशासन की भी सहायता होगी और व्यापारियों को भी इमानदारी से अपने विवरण-पत्र देने में कष्ट न होगा ।.....

श्री नित्यानन्द स्वामी--

इसका अर्थ है कि अब चैक पोस्ट का भी खर्चा बढ़ जायेगा?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

माल का अर्थ यह है कि कर-मुक्त या कर-युक्त दोनों माल की परिभाषा में जोड़े जायेंगे इस समय मुकदमों में कहा जाता है कि इतना माल तो कर मुक्त था और इतना कर-युक्त तो इससे करापवंचना होती थीं, इवेजन होता था खासकर बड़ी-बड़ी कम्पनियों में होता है, इसको रोकने के लिये ऐसा किया गया है । व्यापारियों की मांग थी और बहुत सी बातें तो हम उनकी इच्छानुसार ही इसमें ला रहे हैं । हम व्यापारियों से निरन्तर मिलते रहते हैं इनके न्यूज हमें मिलते रहते हैं । एक सेलसटैक्स एडवाइजरी कमेटी भी है जिसकी यदा कदा बैठक होती रहती है उसमें भी व्यापारी सदस्य हैं, उनके सुझावों पर विचार करके उनको भी इसमें समाविष्ट किया गया है । एक बात रिफंड की है ।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)--

आप धारा 23 और 24 को देखें । क्या इनकी स्वीकृति व्यापारियों ने दे दी थी?

श्री नारायणदत्त तिवारी--

मुझे व्यापारियों की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है, मुझे तो आपकी स्वीकृति की आवश्यकता है ।

श्री कृष्णस्वरूप वैश्य--

परामर्श तो देते होंगे, उनका परामर्श ही क्या था?

श्री नारायणदत्त तिवारी--

परामर्श तो होता रहता है । आज तक क्या होता था, अगर सरकार को कोई रिफंड देना होता था तो कोई ब्याज नहीं दिया जाता था । तो व्यापारियों की इस मांग को हमने मन्जूर किया कि 6 महीने के अन्दर तो 6 प्रतिशत की दर से सूद दिया जायगा । यह पहली बार हुआ है ।

श्री विश्वनाथ कपूर---

6 महीने का समय उस वक्त से माना जायगा जब से उन पर नोटिस तामील हुयी है या आगे से?

श्री नारायणदत्त तिवारी---

जब से वह देय होगा, उस तारीख से । उसकी विधि होती है ।

श्री विश्वनाथ कपूर---

क्या यह उस दिन से देय होगा जिस दिन से बाउचर तैयार होगा?

श्री नित्यानन्द स्वामी---

मेरी प्रार्थना है कि माननीय मन्त्री जी इसे स्पष्ट करें कि यह किस दिन से देय होगा? अगर कार्यालय के अन्दर रेडटेपिज्म, जैसा कि अक्सर होता है, पड़ा रहा और वाउचर बहुत देर में बना तो उस दिन से देय होगा या जिस दिन से आदेश होंगे, उस दिन से ?

श्री नारायणदत्त तिवारी---

मान्यवर, जिस दिन से कोर्ट का आदेश होता है उसके फैसले के बाद से कार्यवाही शुरू होती है । उसका अर्थ यह है कि सेल्स टैक्स आफिसर कर देय जब से मानें तब वाउचर ईशु होगा. . .

श्री रूपनाथ सिंह यादव---

मान्यवर, क्या आप अपने अधिकारियों या कर्मचारियों को सुस्त करना चाहते हैं या चुस्त करना जाहते हैं । अगर रिफन्डेबुल है तो आप ऐसी व्यवस्था कर दें कि उसी अवधि के अन्दर ही जो अवधि नियत की गई हो, धन वापिस कर दें । आपने ऐसी व्यवस्था नहीं की कि कर्मचारी जो दोषी होंगे डिले के वे दंडित होंगे ? यह कहां का समाजवाद है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी---

यह बात तो सही है कि ब्याज देने की नौबत कैसे आई । जब ब्याज देना पड़ेगा तो अवश्य पूछा जायगा ।

श्री रूपनाथ सिंह यादव---

नहीं मान्यवर, अगर किसी ने देर की है तो कार्यवाही की जाय । अगर रिफन्ड में देर हो गई और ब्याज देय हो गया तब कार्यवाही की जाय ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---

मान्यवर, अगर किन्हीं कारणों से रिफन्ड में देर हो गई और व्यापारियों को ब्याज न मिला तब उसी के लिये व्यापारी हमसे कहते हैं कि हमारा कर का बकाया निकलता है । अगर सरकार को देना होता है तो वह हमसे ब्याज ले लेती है और जब सरकार को देना होता है तो बिना वियाज के ही रिफन्ड करती है । यह उसी के लिये है, मान्यवर ।

श्री विश्वनाथ कपूर---

श्रीमन्, ये तो व्यापारियों से अठारह प्रतिशत लेते हैं और फिर छः ही प्रतिशत क्यों देंगे. .

श्री चन्द्रभान शर्मा---

मान्यवर, ये तो पूंजीपतियों की हिमायत कर रहे हैं । क्या ये पेशबन्दी कर रहे हैं क्योंकि इलेक्शन आने वाला है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी---

मान्यवर, मैं पूंजीपतियों की हिमायत नहीं कर रहा हूं।

तो मैं यह आग्रह करूंगा कि माननीय सदस्य अपने संशोधन को वापिस लें और इसको पास कर दें।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर संशोधन विधेयक, 1973 को जनता की राय जानने के लिये तीन माह तक परिचालित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, 1973 को सदन की एक प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय जो अपना प्रतिवेदन तीन माह के भीतर दे और जिसे परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश बिक्री कर (संशोधन) विधेयक, 1973 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड 2 और 3

2---उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, 1948 ई० (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में,---

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15, 1948 ई० की धारा 2 का संशोधन

(1) खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय, अर्थात्:---

"(क) 'कर निर्धारक अधिकारी' का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन कर निर्धारक अधिकारी के समस्त या किन्हीं कृत्यों का सम्पादन करने के लिये राज्य सरकार या बिक्री कर कमिश्नर द्वारा नियक्त व्यक्ति से है;"

(2) खण्ड (ग) में, वर्तमान स्पष्टीकरण को पुनः संख्यांकित करके स्पष्टीकरण 1 कर दिया जाय, और इस प्रकार पुनः संख्यांकित स्पष्टीकरण 1 के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जाय, अर्थात्:---

"स्पष्टीकरण 2---कोई व्यापारी जो फालतू या अनुप्रयोज्य अथवा पुराना स्टोर या सामान, उत्सर्जित पदार्थ, अप्रयुज्यमान अथवा व्यर्थ मशीन, उनके पुर्जे तथा सहायक सामान बेचता है, उसे ऐसे माल को भी बेचने का व्यापार करन वाला व्यक्ति समझा जायगा;" और

(3) खण्ड (ङङ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिये जायं, अर्थात्:---

"(ङ) किसी माल के सम्बन्ध में, "आयातकर्ता" का तात्पर्य ऐसे व्यापारी से है जो राज्य से माल का आयात किये जाने के पश्चात् प्रथम बार उसकी जिक्र करे;

(ङ ङ) किसी माल के सम्बन्ध में, "निर्माता" का तात्पर्य ऐसे व्यापारी से है जो माल का निर्माण किये जाने के पश्चात् राज्य में प्रथम बार उसकी बिक्री करे;"

धारा 3 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 3 में,—

(1) उपधारा (2) के स्पष्टीकरण के स्थान पर, निम्नलिखित स्पष्टीकरण रख दिये जायें, अर्थात्:—

"स्पष्टीकरण—1 इस उपधारा के अधीन न्यूनतम विक्रय धन की गणना करने के प्रयोजनार्थ, किन्तु उपधारा (1) के अधीन देय कर की धनराशि अवधारित करने के प्रयोजनार्थ नहीं,—

(क) कुल धनराशि जितने का व्यापारी द्वारा माल खरीदा जाय अथवा कुल धनराशि जितने का माल बिक्री के रूप में सम्भरित या वितरित किया जाय अथवा उसके द्वारा बेचा जाय, इनमें जो भी अधिक हो, विक्रय धन समझा जायगा; और

(ख) कुल धनराशि जितने का माल व्यापारी द्वारा अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान अथवा उत्तर प्रदेश के बाहर या तो सीधे अथवा अपनी शाखा, डिपो या एजेण्ट के माध्यम से बेचा जाय, उसके विक्रय धन में सम्मिलित की जायगी।

स्पष्टीकरण 2—स्पष्टीकरण 1 में, पद "माल" के अन्तर्गत कोई ऐसा माल भी है जिसके सम्बन्ध में व्यापारी इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के प्रभाव से कर के भुगतान के लिये दायी न हो।";

(2) उपधारा (3) में, खण्ड (ख) में, उप खण्ड (2) में, शब्द "माल का प्रयोग करके" पश्चात् शब्द, अक्षर तथा अंक "या धारा 3—ककक के अधीन घोषणा, या धारा 3—घ अथवा धारा 4—ख के अधीन, यथास्थिति घोषणा या प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् खरीदे गये माल का प्रयोग करके" बढ़ा दिये जायं।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 2 व 3 इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड 4 से 22

4—मूल अधिनियम की धारा 3—क में—

(1) उपधारा (2) में, शब्द, अंक तथा अक्षर 'जो तत्समय प्रथम अनुसूची में या धारा 3—कक अथवा धारा 3—घ क अधीन किसी विज्ञप्ति में निर्दिष्ट न हो, "के स्थान पर शब्द "जो तत्समय तदर्थ जारी की गयी विज्ञप्ति में निर्दिष्ट हों" रख दिये जायं और.....

(2) उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्:—

"(2—क) उपधारा (1) और (2) में अभिदिष्ट माल से भिन्न माल के सम्बन्ध में विक्रय धन कर निर्माता या आयातकर्ता द्वारा बिक्री स्थल पर सात प्रतिशत की दर से कर देय होगा:—

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार, गजट में विज्ञप्ति द्वारा, किसी ऐसे माल के सम्बन्ध में विक्रय धन पर कर की दर कम कर सकती है:

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे माल के सम्बन्ध में, जिसके विक्रय धन पर कर की दर किसी समय सात प्रतिशत से कम हो, राज्य सरकार, गजट में विज्ञप्ति द्वारा, कर की दर सात प्रतिशत तक बढ़ा सकती है।"

धारा 3-कक के स्थान पर नई धारा 3-कक, 3-ककक तथा 3-कककक का रखा जाना

5-मूल अधिनियम की धारा 3-कक स्थान पर, निम्नलिखित धारायें रख दी जायं, अर्थात्:—

"3—कक—कतिपय माल के सम्बन्ध में कर की दर तथा स्थल:—धारा 3-घ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, सेन्ट्रल सेल्स टैक्स ऐक्ट, 1956 की धारा 14 के अधीन अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य में विशेष महत्व के घोषित माल के सम्बन्ध में विक्रय धन पर, व्यापारी द्वारा उपभोक्ता को बिक्री के स्थल को छोड़कर, कर नहीं लगेगा, और कर की दर उक्त ऐक्ट की धारा 15 में तत्समय निर्दिष्ट अधिकतम दर से अनधिक वह दर होगी जो राज्य सरकार, गजट में विज्ञप्ति द्वारा, घोषित करें। ऐक्ट संख्या 74, 1956

3-ककक—कतिपय बिक्रियों के सम्बन्ध में उपधारणा—

यदि इस अधिनियम के अधीन माल पर कर केवल उपभोक्ता को बिक्री के स्थल पर लगाया जाना हो तो किसी व्यापारी द्वारा—

(क) किसी ऐसे रजिस्टर्ड व्यापारी को, जो उन्हें राज्य के भीतर अथवा अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान, उसी रूप और अवस्था में जिसमें उसने माल क्रय किया हो, पुनः बिक्री के लिय क्रय नहीं करता है; या

(ख) रजिस्टर्ड व्यापारी से भिन्न किसी व्यक्ति को,

की गई प्रत्येक बिक्री तब तक उपभोक्ता को की गयी बिक्री समझी जायगी जब तक कि व्यापारी उसे कर निर्धारक अधिकारी के सन्तोषानुसार अन्यथा प्रमाणित न कर दे, और इस प्रयोजन के लिये, ऐसे प्रपत्र में और ऐसी रीति से तथा ऐसी अवधि के भीतर जो निर्धारित की जाय, क्रेता व्यापारी से प्राप्त घोषणा-पत्र भी कर निर्धारक अधिकारी को प्रस्तुत न कर दे।

3-कककक—कतिपय संव्यवहार पर क्रय-कर देने का दायित्व—इस अधिनियम में निहित किसी बात के होते हुए भी, यदि कोई रजिस्टर्ड व्यापारी, जो धारा 3-ककक में अभिदिष्ट घोषणा-पत्र देकर किसी अन्य व्यापारी से माल क्रय करता है, ऐसे माल की पुनः बिक्री राज्य के भीतर अथवा अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान, उसी रूप तथा अवस्था

में जिसमें उसने माल क्रय किया हो, नहीं करता है तो वह ऐसे माल के संबंध में क्रय-धन पर उसी दर से कर का देनदार होगा जिस पर विक्रेता व्यापारी द्वारा बिक्री-कर देय होता यदि ऐसा घोषणा-पत्र प्रस्तुत न किया गया होता ।"

धारा 3-घ का संशोधन

6 मूल अधिनियम की धारा 3–घ में,––

(1) उपधारा (1) में, –

(क) खण्ड (क) में शब्द तथा कोष्ठक "खाद्यान्नों (जिसके अन्तर्गत अनाज तथा दालें भी हैं)" के स्थान पर शब्द "ऐसे माल" रख दिये जायं, और शब्द "दो प्रतिशत" के स्थान पर शब्द "साढ़े तीन प्रतिशत" रख दिये जायं;

(ख) खण्ड (ख) में, उपखण्ड (2) में, शब्द "पांच प्रतिशत" के स्थान पर शब्द "बारह प्रतिशत" रख दिये जायं ।

(2) उपधारा (5) में, शब्द, कोष्ठक, अंक तथा अक्षर "धारा 3-क की उपधारा (2) के प्रथम प्रतिबन्धात्मक खण्ड और द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खण्ड (इसमें प्रथम बार आने वाले शब्द "साढ़े तीन प्रतिशत" के स्थान पर शब्द "खाद्यान्नों की दशा में दो प्रतिशत व अन्य माल की दशा में पांच प्रतिशत" व दूसरी बार आने वाले शब्द "साढ़े तीन प्रतिशत" के स्थान पर "दो प्रतिशत या पांच प्रतिशत" जैसी भी दशा हो, रख कर)" निकाल दिये जायं ।

धारा 4-ख का संशोधन

7––मूल अधिनियम की धारा 4-ख में,––

(1) उपधारा (1) में, खण्ड (क) में, शब्द "अपने प्रथम क्रय के विक्रय-धन" के स्थान पर शब्द "अपने क्रय या प्रथम क्रय, जैसी भी दशा हो, के विक्रय धन" रख दिये जायं; और

(2) उपधारा (3) निकाल दी जाय ।

धारा 7-ग के स्थान पर नई धारा का रखा जाना

8––मूल अधिनियम की धारा 7-ग के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात्:

"7–ग––मृत व्यक्ति द्वारा देय कर का भुगतान उसके प्रतिनिधियों द्वारा किया जायेगा––

(1) यदि किसी व्यापारी की मृत्यु हो जाय तो उसका निष्पादक, प्रशासक या अन्य विधिक प्रतिनिधि इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ व्यापारी समझा जायगा और उक्त मृत व्यापारी के व्यापार के संबंध में इस अधिनियम के उपबन्ध उस पर लागू होंगे:

प्रतिबन्ध यह है कि किसी ऐसे कर या शुल्क के सम्बन्ध में जो निर्धारित किया गया हो अथवा किसी अर्थ-दण्ड के सम्बन्ध में जो आरोपित किया गया हो और मृत व्यापारी द्वारा देय हो, अथवा किसी ऐसे कर, शुल्क या अर्थ-दण्ड के सम्बन्ध में जो उसके द्वारा इस अधिनियम के अधीन देय होता, यदि उसकी मृत्यु न हुई होती निष्पादक, प्रशासक या अन्य विधिक प्रतिनिधि, केवल मृतक की प्राप्त परिसम्पत्तियों तक देनदार होंगे,

(2) उपधारा (1) के उपबन्ध किसी ऐसे व्यापारी पर जो भागीदारी फर्म हो और जिसके किसी भागीदार की मृत्यु के फलस्वरूप वह विघटित हो जाय, आवश्यक परिवर्तनों के साथ, लागू होंगे।"

धारा 8 का संशोधन

9—मूल अधिनियम की धारा 8 में, उपधारा (1-क) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात्:—

"(2) यदि किसी कर की वसूली किसी न्यायालय या अधिकारी के किसी आदेश से स्थगित रही हो और ऐसा स्थगन आदेश बाद में विखण्डित कर दिया गया हो, तो उप-धारा (1) में अभिदिष्ट ब्याज ऐसी किसी अवधि के लिये भी देय होगा जिसमें ऐसा आदेश प्रभावी रहा हो।"

धार 8-क का संशोधन

10—मूल अधिनियम की धारा 8 क में, उपधारा (6) निकाल दी जाय।

नयी धारा 8-ख और 8-ग का बढ़ाया जाना

11—मूल अधिनियम की धारा 8-क के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारायें बढ़ा दी जायं, अर्थात्:

इच्छुक निर्माताओं का अनन्तिम रजिस्ट्रीकरण

"8-ख (1) कोई व्यक्ति जो एक वर्ष में बारह हजार रूपये से अधिक मूल्य की बिक्री किये जाने के लिये माल का निर्माण करने के प्रयोजनार्थ उत्तर प्रदेश में व्यापार स्थापित करने का इच्छुक हो, इस बात के होते हुए भी कि उसको धारा 8-क के अधीन रजिस्ट्री कराने के लिये आवेदन करना आवश्यक नहीं है, कर निर्धारक अधिकारी को, ऐसे प्रपत्र में और ऐसी रीति से जो निर्धारित की जाय, अनन्तिम रजिस्ट्रीकरण के लिये प्रार्थना-पत्र दे सकता है।

(2) अनन्तिम रजिस्ट्रीकरण का प्रार्थना-पत्र निर्धारित रीति से सत्यापित किया जायगा और उसके साथ प्रत्येक कर निर्धारण वर्ष अथवा उसके भाग के लिए जिसके निमित्त वह दिया गया हो दस रुपये का शुल्क भुगतान करने का सन्तोषजनक प्रमाण होगा।

(3) यदि कर निर्धारक अधिकारी का ऐसी जांच करने के पश्चात् जिसे वह आवश्यक समझे, प्रार्थना-पत्र देने वाले व्यक्ति की सदाशयता के सम्बन्ध में समाधान हो जाये तो वह ऐसे व्यक्ति को, ऐसी प्रतिभूति देने पर जिसे कर निर्धारक अधिकारी आवश्यक समझे, निर्धारित प्रपत्र में रजिस्ट्रीकरण का अनन्तिम प्रमाण-पत्र स्वीकृत कर सकता है। इस उपधारा के अधीन मांगी गयी प्रतिभूति या अतिरिक्त प्रतिभूति पर धारा 8-ग के उपबन्ध, आवश्यक परिवर्तनों के साथ, लागू होंगे।

(4) इस धारा के अधीन स्वीकृत रजिस्ट्रीकरण का अनन्तिम प्रमाण-पत्र ऐसी अवधि के लिये प्रवृत्त होगा जो उसमें निर्दिष्ट की जाय, और धारा 8-क के उपबन्ध, यथाशक्य, उसके सम्बन्ध में लागू होंगे:

प्रतिबन्ध यह है कि कर निर्धारक अधिकारी उन कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे और उपधारा (2) में निर्दिष्ट शुल्क का भुगतान करने पर रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण-पत्र में निर्दिष्ट अवधि को बढ़ा सकता है।

(5) प्रत्येक व्यक्ति जिसे इस धारा के अधीन रजिस्ट्रीकरण का अनन्तिम प्रमाण-पत्र स्वीकृत किया गया हो, इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ रजिस्टर्ड व्यापारी समझा जायगा और इस अधिनियम के अधीन कर का देनदार होगा ।

(6) यदि कोई व्यक्ति जिसे इस धारा के अधीन रजिस्ट्रीकरण का अनन्तिम प्रमाण-पत्र स्वीकृत किया गया हो, अपने द्वारा निर्मित माल की बिक्री प्रमाण-पत्र में निर्दिष्ट अवधि के भीतर अथवा कर निर्धारक अधिकारी द्वारा बढ़ायी गयी अवधि के भीतर, जैसी भी दशा हो, प्रारम्भ नहीं करता, तो वह यदि उसने धारा 4—ख की उपधारा (1) के अनुसार रियायती दर पर कर का भुगतान करके अथवा कर का भुगतान किये बिना कच्चा माल खरीदा हो, अर्थ-दण्ड के रूप में ऐसी धनराशि का देनदार होगा जो ऐसे कच्चे माल की बिक्री या खरीद पर धारा 3-क या धारा 3-कक या धारा 3-घ, जैसी भी दशा हो, के अधीन पूरी दर पर प्रयोज्य कर की धनराशि तथा धारा 4-ख की उपधारा (1) के अनुसार भुगतान की गयी कर की धनराशि, यदि कोई हो, के अन्तर के बराबर होगी :

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा के अधीन कर निर्धारक अधिकारी द्वारा कोई अर्थदण्ड ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिये बिना आरोपित नहीं किया जायगा ।

8-ग—(1) यदि कर निर्धारक अधिकारी को—

(क) इस अधिनियम के अधीन शोध्य अथवा देय कर, अर्थदण्ड या अन्य धनराशि की समुचित वसूली के लिए, या

राजस्व के हित में

प्रतिभूति

(ख) इस अधिनियम अथवा तद्धीन निर्मित नियमों के उबन्धों के अधीन निर्धारित प्रपत्रों की समुचित अभिरक्षा या प्रयोग के लिये,

ऐसा करना आवश्यक प्रतीत हो तो वह, लिखित आदेश द्वारा और उन कारणों से जो उसमें अभिलिखित किये जायेंगे, रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र या रजिस्ट्रीकरण का अनन्तिम प्रमाण-पत्र अथवा मान्यता का प्रमाण-पत्र स्वीकृत या नवीकृत करने के लिये या, जैसी भी दशा हो, ऐसे प्रपत्रों को जारी करने के लिये शर्त आरोपित कर सकता है जिसमें व्यापारी से निर्धारित रीतिमें और ऐसे समय के भीतर जो आदेश में निर्दिष्ट किया जाय, उपर्युक्त सभी या किन्हीं प्रयोजनों के लिये ऐसी प्रतिभूति, जो इस प्रकार निर्दिष्ट की जाय, देने की अपेक्षा की जायगी ।

(2) यदि रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र अथवा रजिस्ट्रीकरण का अनन्तिम प्रमाण-पत्र या मान्यता प्रमाण-पत्र, जैसी भी दशा हो, स्वीकृत या नवीकृत करने वाले कर निर्धारक अधिकारी को ऐसा करना आवश्यक प्रतीत हो तो वह किसी समय, जब ऐसा प्रमाण-पत्र प्रवृत्त हो, लिखित आदेश द्वारा और उन कारणों से जो उसमें अभिलिखित किये जायेंगे, उपर्युक्त सभी या किन्हीं प्रयोजनों के लिये उस व्यापारी से जिसे प्रमाण-पत्र स्वीकृत किया गया हो, ऐसे समय के भीतर जो आदेश में निर्दिष्ट किया जाय और निर्धारित रीति से, ऐसी प्रतिभूति अथवा, यदि

व्यापारी ने इस उपधारा या उपधारा (1) के अधीन किसी आदेश के अनुसरण में कोई प्रतिभूति पहले ही दे दी हो तो ऐसी अतिरिक्त प्रतिभूति, जो आदेश में निर्दिष्ट की जाय, देने की अपेक्षा कर सकता।

(3) कर निर्धारक अधिकारी किसी व्यापारी से उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन कोई प्रतिभूति देने की तब तक अपेक्षा नहीं करेगा जब तक कि उसे सुनवाई का अवसर न दे दिया गया हो, और ऐसी प्रतिभूति की धनराशि जिसका किसी व्यापारी द्वारा उपर्युक्त किन्हीं या दोनों उपधाराओं के अधीन दिया जाना अपेक्षित हो कर निर्धारक अधिकारी के अनुमान से उस कर निर्धारण वर्ष के लिये जिसमें ऐसी प्रतिभूति देने की अपेक्षा की जाय, व्यापारी के विक्रय धन पर देय कर से किसी भी दशा में अधिक न होगी।

(4) यदि किसी व्यापारी द्वारा उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन दी गयी प्रतिभूति प्रतिभू-बन्ध-पत्र के रूप में हो और किसी प्रतिभू की मृत्यु हो जाय या वह दिवालिया हो जाय तो व्यापारी उपर्युक्त किसी घटना के होने के तीस दिन के भीतर उसकी सूचना धारा 4-ख या धारा 8-क या धारा 8-ख, जैसी भी दशा हो, के अधीन प्रमाण-पत्र स्वीकृत करने वाले कर-निर्धारक अधिकारी को देगा, और ऐसी घटना होने के नब्बे दिन के भीतर बन्ध-पत्र की धनराशि के लिये नया बन्ध-पत्र देगा अथवा निर्धारित रीति से अन्य प्रतिभूति देगा।

(5) कर निर्धारक अधिकारी लिखित आदेश द्वारा और समुचित तथा पर्याप्त कारण से किसी व्यापारी द्वारा दी गयी सम्पूर्ण प्रतिभूति अथवा उसके किसी को—

(क) व्यापारी द्वारा देय किसी कर या अर्थदण्ड की धनराशि अथवा अन्य धनराशि को वसूल करने के लिये, या

(ख) यदि यह पाया जाय कि व्यापारी ने उपधारा (1) में अभिदिष्ट किन्हीं प्रपत्रों का दुरुपयोग किया है अथवा उन्हें समुचित अभिरक्षा में नहीं रखा है, जब्त कर सकता है:

प्रतिबन्ध यह है कि व्यापारी को सुनवाई का अवसर दिये बिना इस उपधारा के अधीन कोई आदेश नहीं दिया जायगा।

(6) यदि उपधारा (5) के अधीन किसी आदेश के कारण किसी व्यापारी द्वारा दी गयी प्रतिभूति अपर्याप्त हो जाय तो वह इसकी पूर्ति, ऐसी रीति से और ऐसे समय के भीतर जैसा कर निर्धारक अधिकारी द्वारा निदेश दिया जाय, करेगा।

(7) कर निर्धारक अधिकारी उपधारा (1) में अभिदिष्ट किन्हीं प्रपत्रों को किसी ऐसे व्यापारी को जिसने उक्त धारा अथवा उपधारा (2) के अधीन किसी आदेश का या उपधारा (4) या उपधारा (6) के उपबन्धों का पालन न किया हो, तब तक देने से इन्कार कर सकता है जब तक कि व्यापारी ऐसे आदेश या ऐसे उपबन्धों का, जैसी भी दशा हो, पालन न कर दे।

(8) कर निर्धारक अधिकारी, व्यापारी द्वारा प्रार्थना-पत्र देने पर, इस धारा के अधीन अथवा धारा 10 के अधीन व्यापारी द्वारा प्रतिभूति के रूप में जमा प्रतिभू-बन्ध-पत्र वापस करने अथवा कोई धनराशि या उसका भाग लौटाने का, यदि उसकी इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये आवश्यकता न हो, आदेश दे सकता है।

(9) इस धारा के अधीन दिये गये आदेश के विरुद्ध धारा 9 के अधीन अपील की जा सकेगी।

(10) कोई व्यक्ति जो अपीलीय अधिकारी के आदेश से क्षुब्ध हो, अपने पर आदेश तामील किये जाने के तीस दिन के भीतर किन्तु प्रतिभूति देने के पश्चात्, धारा 10 के अधीन पुनरीक्षण के लिये प्रार्थना-पत्र दे सकता है।

(11) इस धारा के उपबन्ध, ऐसी प्रतिभूति के सम्बन्ध में, जिसे धारा 10 की उपधारा (4) के अधीन देने की अपेक्षा की गयी हो, आवश्यक परिवर्तनों क साथ लागू होंगे।"

धारा 9 का संशोधन

12—मूल अधिनियम की धारा 9 में,—

(1) उपधारा (1) के प्रथम प्रतिबन्धात्मक खण्ड में, खण्ड (क) और (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिये जायं, अर्थात्:—

"(क) यदि कर-निर्धारण वर्ष के लिये सभी विवरणियां प्रस्तुत कर दी गई हों तो अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत विवरणियों में, अथवा इस अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों में किसी प्रक्रम पर, स्वीकार किये गये, यथास्थिति, क्रय-धन या विक्रय-धन पर इस अधिनियम के अधीन देय कर या शुल्क की धनराशि, इनमें से जो भी अधिक हो, या

(ख) यदि कर-निर्धारण वर्ष के लिये कुछ विवरणियां प्रस्तुत है न की गयी हों अथवा ऐसे वर्ष के लिये कोई भी विवरणी प्रस्तुत न की गई हो तो अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत विवरणियों में, यदि कोई हों, अथवा इस अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों में किसी प्रक्रम पर, स्वीकार किये गये, यथा-स्थिति, क्रय-धन या बिक्रय-धन पर इस अधिनियम के अधीन देय कर या शुल्क की धनराशि, अथवा निर्धारित कर या शुल्क की धनराशि का 20 प्रतिशत, इनमें से जो भी अधिक हो," और

(2) उपधारा (6) में, शब्द तथा अंक "इंडियन लिमिटेशन ऐक्ट, 1908 की धारा 5" के स्थान पर शब्द तथा अंक "परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5" रख दिये जायें।

धारा 10 का संशोधन

13—मूल अधिनियम की धारा 10 में,—

(1) उपधारा (4) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्

"(4—क) किसी पुनरीक्षण या समाधान के विचाराधीन रहने के दौरान बिक्री-कर कमिश्नर द्वारा प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर, पुनरीक्षण अधिकारी या, जैसी भी दशा हो, अतिरिक्त पुनरीक्षण अधिकारी, किसी कर निर्धारक अधिकारी या अपील सुनने वाले अधिकारी के या अपने द्वारा दिये गये किसी आदेश के अनुसरण में कोई धनराशि वापस किये जाने को तब तक स्थगित करने का निदेश दे सकता है जब तक कि ऐसे पुनरीक्षण या समाधान का निस्तारण न हो जाय।

(2) उपधारा (5) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात्:—

"(5) इस धारा के किसी उपबन्ध के अधीन अथवा धारा 11 के अधीन पुनरीक्षण अधिकारी या अतिरिक्त पुनरीक्षण अधिकारी, जैसी भी दशा हो, द्वारा दिये गये आदेश की प्रतिलिपि प्रार्थी तथा विरुद्ध पक्ष, दोनों ही पर तत्काल तामील की जायगी।"

(3) उपधारा (6) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्

"(6-क) उपधारा (4) के अधीन कोई प्रार्थना-पत्र, कर निर्धारण और मांग की नोटिस तामील किये जाने अथवा शुल्क लगाये जाने या अर्थ दंड आरोपित किये जाने, जैसी भी दशा हो, का आदेश तामील किये जाने के दिनांक से नब्बे दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं दिया जायगा।"

धारा 10-क का संशोधन

14--मूल अधिनियम की धारा 10-क में, खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिया जाय, अर्थात्:--

"(ख) धारा 13 या धारा 13-क की उपधारा (1) अथवा धारा 28-क की उपधारा (4) अथवा धारा 28--ग की उपधारा (2) के अधीन कोई आदेश या कार्यवाही।"

15--मूल अधिनियम की धारा 11 में--

धारा 11 संशोधन

(1) उपधारा (1) में, शब्द, अंक तथा कोष्ठक "धारा 10 की उपधारा (3) के अधीन" के स्थान पर शब्द तथा अंक "धारा 10 के अधीन" रख दिये जायें, और

(2) जहां कहीं भी शब्द "फिर से कर निर्धारित करने वाला अधिकारी अथवा फिर से कर निर्धारित करने वाले अधिकारी" आये हों, उनके स्थान पर शब्द "पुनरीक्षण अधिकारी या, जैसी भी दशा हो, अतिरिक्त पुनरीक्षण अधिकारी" रख दिये जायें, और

(3) उपधारा (9) में शब्द तथा अंक "इंडियन लिमिटेशन ऐक्ट, 1908 की धारा 5" के स्थान पर शब्द तथा अंक "परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5" रख दिये जायं।

धारा 12 का संशोधन

16--मूल अधिनियम की वर्तमान धारा 12 को पुनः संख्यांकित करके उसे उसकी उपधारा (1) दिया जाय और इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारायें बढ़ा दी जायें, अर्थात्:--

"(2) कोई निर्माता जो, इस अधिनियम के अधीन कर का देनदार हों, उपधारा (1) में अभिदिष्ट लेखा के अतिरिक्त, कच्चे माल और उत्पादन के प्रत्येक प्रक्रम पर प्राप्त उत्पाद के सम्बन्ध में भी स्टाक बही रखेगा।

(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन रखने के लिए अपेक्षित लेखे तथा स्टाक बहियां व्यापारी द्वारा या, जैसी भी दशा हो, निर्माता द्वारा ऐसी अवधि के लिये, जो निर्धारित की जाय, परिरक्षित की जायेंगी।"

17--मूल अधिनियम की धारा 13 में,--

(1) उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाये, अर्थात्:--

"(3-क) उपधारा (3) में निहित किसी बात के होते हुए भी उक्त उपधारा के अधीन कोई लेखा, रजिस्टर या लेख-पत्र अभिग्रहण करने वाला अधिकारी, उन कारणों से जो उसके द्वारा अभिलिखित किये जायेंगे और बिक्री-कर कमिश्नर के पूर्वानुमोदन से, ऐसे लेखे, रजिस्टर या अन्य

लेख-पत्र को उनसे संगत वर्षों के सम्बन्ध में इस अधिनियम के अधीन समस्त कार्यवाहियां पूरी होने के दिनांक से तीस दिन से अनधिक अवधि के लिये जैसा वह आवश्यक समझे, रोक सकता है ।"

(2) उपधारा (4-ख) निकाल दी जाय, और

(3) उपधारा (5) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्:—

"(6) किसी सार्वजनिक सेवा वाली मोटर गाड़ी अथवा किसी यान-पात्र से माल का परिवहन करने वाला प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक अग्रेषण एजेन्ट, उस क्षेत्र के जहां से माल भेजा जाय कर निर्धारक अधिकारी को अपने द्वारा परिवहन किये गये या अग्रेषित सभी माल का ऐसा विवरण-पत्र, जो निर्धारित किया जाय, प्रस्तुत करेगा । सम्बद्ध कर निर्धारक अधिकारी को, प्रस्तुत किये गये विवरण पत्रों की शुद्धता का सत्यापन करने के उद्देश्य से, ऐसे परिवाहक या एजेंट के कब्जे में की गई लेखा बहियों या अन्य लेख-पत्रों को मांगने तथा उनकी जांच करने की शक्ति होगी, और वह परिवाहक या एजेन्ट मांग किये जाने पर लेखा बहियों या अन्य लेख-पत्रों को प्रस्तुत करने के लिये बाध्य होगा ।"

धारा 13 क का संशोधन

18—मूल अधिनियम की धारा 13-क में उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराय रख दी जायें, अर्थात्—

(2) उपधारा (1) के अधीन माल अभिग्रहण करने वाला अधिकारी उनकी निरापद अभिरक्षा के लिये सभी आवश्यक उपाय करेगा और अभिग्रहण से संबंधित अन्य लेख-पत्रों के साथ उपधारा (1) के प्रतिबन्धात्मक खंड में अभिदिष्ट सूची संबद्ध कर-निर्धारक अधिकारी को भेजेगा ।

(3) उक्त कर निर्धारक अधिकारी, व्यापारी या, जैसी भी दशा हो, अभिग्रहण किये जाने के समय माल के प्रभारी व्यक्ति पर, जिसे आगे इस धारा में प्राभारी व्यक्ति कहा गया है, एक लिखित नोटिस तामील करेगा जिसमें उससे नोटिस तामील किये जाने के तीस दिन क भीतर यह कारण बताने को कहा जायगा कि उस पर ऐसे कर की धनराशि के, जो उस दशा में देय होती जब ऐसे अभिग्रहण के दिनांक को राज्य में माल की बिक्री की गयी होती, तीन गुने से अनधिक ऐसी धनराशि का अर्थ दण्ड, जैसा नोटिस में निर्दिष्ट किया जाय, क्यों न आरोपित किया जाय ।

(4) यदि ऐसे अधिकारी का, व्यापारी या, जैसी भी दशा हो, प्रभारी व्यक्ति के स्पष्टीकरण पर, यदि कोई हो, विचार करने और उसे सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् यह समाधान हो जाय कि उक्त माल उपधारा (1) में अभिदिष्ट लखों, रजिस्टरों तथा अन्य लेख-पत्र में जानबूझ कर नहीं दिखाया गया है तो वह नोटिस में निर्दिष्ट धनराशि से अनधिक ऐसा अर्थदंड आरोपित करने का, जिसे वह उचित समझे, आदेश देगा ।

(5) उपधारा (4) के अधीन अर्थ-दण्ड आरोपित करने के आदेश की प्रति व्यापारी या, जैसी भी दशा हो, प्रभारी व्यक्ति पर तामील की जायगी ।

(6) माल अभिग्रहण करने वाला अधिकारी, उपधारा (2) में अभिदिष्ट सूची और अन्य लख-पत्र भेजने क पूर्व, अथवा कर निर्धारक

अधिकारी, उपधारा (3) और (4) के अधीन कार्यवाहियां विचाराधीन रहने के दौरान किसी समय, ऐसी धनराशि जमा किये जाने पर जो उसकी राय में आरोपित किये जाने के लिये सम्भाव्य अर्थ-दण्ड को पूरा करने के लिये पर्याप्त हो, व्यापारी या, जैसी भी दशा हो, प्रभारी व्यक्ति के पक्ष में माल छोड़ सकता है ।

(7) अर्थ-दंड या उसका ऐसा भाग जो उपधारा (6) के अधीन जमा की गयी किसी धनराशि का समायोजन करने के पश्चात् शेष रह जाय, अर्थ-दंड आरोपित किये जाने के आदेश की प्रतिलिपि तामील किये जाने के दिनांक से तीस दिन के भीतर, निर्धारित रीति से, जमा किया जायगा । चूक करने पर कर-निर्धारक अधिकारी माल की बिक्री ऐसी रीति से करायेगा जो निर्धारित की जाय और उसका बिक्रय-आगम अर्थ-दंड के प्रति समायोजित करेगा और, धारा 29 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, शेष धनराशि, यदि कोई हो, व्यापारी या, जैसी भी दशा हो, प्रभारी व्यक्ति को वापस कर देगा ।

(8) यदि माल का अभिग्रहण करने वाले अधिकारी, की उपधारा (2) में अभिदिष्ट सूची और अन्य लेख-पत्र भेजने के पूर्व, अथवा कर निर्धारक अधिकारी की, उपधारा (3) और (4) के अधीन कार्यवाहियां विचाराधीन रहने के दौरान किसी समय, यह राय हो कि माल शीघ्र और सहज रूप से नष्ट होने वाला है तो वह अर्थदंड आरोपित किये जाने से संबंधित कार्यवाहियों के पूरा होने की प्रतीक्षा किये बिना माल की बिक्री ऐसी रीति से करायेगा जो निर्धारित की जाय और उक्त कार्यवाहियां पूरा होने तक उसके बिक्रय-आगम को जमा रखेगा । इस प्रकार जमा रखी गयी धनराशि ऐसे अर्थ-दंड, यदि कोई हो, जो आरोपित किया जाय, के प्रति समायोजित की जायगी और शेष धनराशि, यदि कोई हो, व्यापारी या, जैसी भी दशा हो, प्रभारी व्यक्ति को उपधारा (7) के उपबन्धों के अनुसार वापस कर दी जायगी ।

(9) उपधारा (4) के अधीन प्रत्येक आदेश, धारा 9 और 10 के उपबन्ध के अधीन रहते हुए, अंतिम होगा ।"

नयी धारा 13-ख का बढ़ाया जाना

19--मूल अधिनियम की धारा 13-क के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्--

"13-ख--पुलिस आदि से सहायता लेने की शक्ति--

धारा 13, धारा 13-क, धारा 28-क या धारा 28-ग के उपबन्धों के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने वाला अधिकारी राज्य के किसी पुलिस या अन्य अधिकारी अथवा अधिकारियों की सहायता ले सकता है ।"

धारा 14 का संशोधन

20--मूल अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (2) में--

(1) खंड (खख) निकाल दिया जाय,

(2) खंड (छ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय, अर्थात्:--

"(छछ) धारा 28 के अधीन स्थापित जांच चौकी या नाके के प्रभारी अधिकारी को इस अधिनियम के अधीन अपने किन्हीं भी कृत्यों का सम्पादन करने में बाधा डाले या उसे करने से रोके; या" और

(3) खंड (झ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिया जाय, अर्थात्:—

"(झ) धारा 8—ग के अधीन मांगी गई प्रतिभूति दिये बिना व्यापारी के रूप में व्यापार करे या करता रहे;"।

नयी धारा 14-क का बढ़ाया जाना

21—मूल अधिनियम की धारा 14 के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्:—

कम्पनियों द्वारा अपराध

"14—क(1) यदि इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाला व्यक्ति कोई कम्पनी हो तो कम्पनी तथा अपराध किये जाने के समय उसके कार्य संचालन के लिये कम्पनी का प्रभारी, और उसके प्रति उत्तरदायी, प्रत्येक व्यक्ति भी अपराध का दोषी समझा जायगा और तदनुसार वह अपने विरुद्ध कार्यवाही किये जाने तथा दंडित होने का उत्तरदायी होगा :

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा में दी गयी किसी बात से कोई ऐसा व्यक्ति किसी दंड का उत्तरदायी न होगा, यदि वह यह सिद्ध कर दे कि अपराध बिना उसकी जानकारी के किया गया था अथवा उसने ऐसा अपराध किये जाने को रोकने क लिये सभी सम्यक उपाय किये थे ।

(2) उपधारा (1) में निहित किसी बात के होते हुए भी, यदि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया जाय और यह सिद्ध हो जाय कि अपराध उस कम्पनी के किसी डाइरेक्टर, मैनेजर, मैनेजिंग एजेंट या किसी अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुमति से किया गया है अथवा ऐसे अपराध का किया जाना डाइरेक्टर, मैनेजर, मैनेजिंग एजेंट या अन्य अधिकारी की उपेक्षा के कारण आरोप्य हो तो कम्पनी के ऐसे डाइरेक्टर, मैनेजर, मैनेजिंग एजेंट या अन्य अधिकारी भी उस अपराध के दोषी समझ जायेंगे और तदनुसार उनके विरुद्ध कार्यवाही किये जाने तथा दंडित होने के उत्तरदायी होंगे ।

स्पष्टीकरण:—इस धारा के प्रयोजनों के लिये:—

(क) 'कम्पनी' का तात्पर्य किसी निगमित निकाय से है तथा इसके अन्तर्गत कोई फर्म या व्यक्तियों का अन्य समुदाय भी है, और

(ख) किसी फर्म के सम्बन्ध में 'डाइरेक्टर' का तात्पर्य उस फर्म के भागीदार से है ।"

धारा 15 का संशोधन

22—मूल अधिनियम की धारा 15 में, खंड (खख) निकाल दिया जाय ।

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड 4 के उपखंड (2) में मूल अधिनियम की धारा 3—क की उपधारा (2) के बाद बढ़ायी जाने वाली उपधारा (2—क) में जो परन्तुक वाक्य है उसे निकाल दिया जाय और अग्रेतर परन्तुक में भी शब्द "अग्रेतर" हटा दिया जाय ।

मान्यवर, जहां 2(क) के अनुसार कर लगाया गया वहां इस "प्ररन्तुक" से कर अधिकार लिया है । वह माफ भी कर सकते हैं । जब ये चाहेंगे तो सात परसेन्ट लगा देंगे और जब सिफारिश पहुंचेगी तो माफ भी कर देंगे । ऐसा अधिकार नहीं

होना चाहिये । मेरी सदस्यों से प्रार्थना है कि इस पर गौर कर लें । इसमें हर वक्त देखेंगे कि पावर्स डेलीगेटेड हो जाती हैं तो यह सरकार हमेशा इस पावर का दुरुपयोग करेगी । हमेशा व्यापारी को फायदा होता रहेगा और जन धन, जो विकास के कार्यों में खर्च होना चाहिये नहीं होगा । प्रदेश गरीब है, उसके लिये टैक्स की आवश्यकता है । टैक्स लगे । यह दूसरी बात है कि करप्शन है । उसकी आलोचना हम सदन में करते रहते हैं । लेकिन जहां टैक्स लगता है वहां आप छोड़ रहे हैं । यह नहीं होना चाहिये । इसको मन्त्री जी मान लें ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

मुझे खेद है कि मैं इस संशोधन को नहीं स्वीकार कर सकता । यह अधिकार तो प्रत्येक सरकार को, उस सरकार को भी जिसमें सम्मानित यादव जी थे, था । यह अधिकार किसी विशेष मद के लिये किसी कमोडिटी के लिये है । यह अधिकार रहता आया है और आगे भी रहना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 4 के उपखंड (2) में मूल अधिनियम की धारा 3—क की उपधारा (2) के बाद बढ़ायी जाने वाली उपधारा (2—क) में जो परन्तुक वाक्य है उसे निकाल दिया जाय और अग्रेतर परन्तुक में भी शब्द 'अग्रेतर' हटा दिया जाय ।

(श्री उपाध्यक्ष द्वारा नहीं की संख्या अधिक कहने पर)

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

हां, की संख्या ज्यादा है । मैं विभाजन की मांग करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप कह रहे हैं तो मैं फिर वोट लिये ले रहा हूं । प्रश्न यह है कि खंड 4 के उपखंड (2) में मूल अधिनियम की धारा 3-क की उपधारा (2) के बाद बढ़ायी जाने वाली उपधारा (2-क) में जो परन्तुक वाक्य है उसे निकाल दिया जाय और अग्रेतर परन्तुक में भी शब्द "अग्रेतर" हटा दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

मान्यवर, हां की संख्या अधिक है । आप हाथ उठवा लें ।

श्री उपाध्यक्ष—

और कोई दूसरा भी आपका समर्थक है ।

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

हम दिखलाना चाहते हैं कि सदन में कितने समाजवादी हैं । लिखकर वोट हो जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

संशोधन आपके नाम में था । वह गिर गया ।
प्रश्न यह है कि खंड 4 से खंड 22 तक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड 23 से 28

धारा 15-क का संशोधन

23—मूल अधिनियम की धारा 15-क में:—

(1) पार्श्व शीर्षक तथा उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिये जायें:—

"कतिपय दशाओं में अर्थ-दंड

15-क—(1) यदि कर निर्धारक अधिकारी का यह समाधान हो जाय कि किसी व्यापारी या अन्य व्यक्ति—

(क) ने युक्तियुक्त कारण के बिना, अपने विक्रय धन का विवरण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया है अथवा नियत समय के भीतर और निर्धारित रीति से प्रस्तुत नहीं किया है, अथवा इस अधिनियम के उपबन्धों की अपेक्षानुसार विवरण-पत्र प्रस्तुत करने के पूर्व या विवरण-पत्र के साथ इस अधिनियम के अधीन देय कर जमा नहीं किया है; या

(ख) ने इस अधिनियम के अधीन विक्रय-धन का मिथ्या विवरण-पत्र प्रस्तुत किया है; या

(ग) ने अपने विक्रय-धन का ब्योरा छिपाया है अथवा जानबूझकर ऐसे विक्रय-धन का त्रुटिपूर्ण ब्योरा प्रस्तुत किया है; या

(घ) ने मिथ्या लेखा, रजिस्टर या लेख-पत्र रखा है अथवा प्रस्तुत किया है; या

(ङ) ने युक्तियुक्त कारण के बिना, अपने पर निर्धारित कर का भुगतान नियत समय के भीतर नहीं किया है; या

(च) धारा 8-क की उप-धारा (4) के उपबन्धों के अनुसार बिल या कैश मीमो नहीं देता है; या

(छ) इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिये उत्तरदायी होते हुए भी रजिस्ट्रीकरण कराये बिना अथवा धारा 8-ग के अधीन मांग की गयी प्रतिभूति दिये बिना व्यापार करे या करता रहे; या

(ज) रजिस्ट्री के लिये प्रार्थना-पत्र पर या इस अधिनियम के अधीन किसी अन्य कार्यवाही के संबंध में मिथ्या सत्यापन या घोषणा करता है; या

(झ) धारा 13 के उपबन्धों के अनुसार किसी बही, लेखा-पत्रों या लेखे का निरीक्षण अथवा परीक्षण करने की अनुमति नहीं देता है या निरीक्षण अथवा परीक्षण के लिये उन्हें प्रस्तुत करने से इंकार करता है या उसमें उपेक्षा करता है अथवा उनकी प्रतियां लेने की अभ्यनुज्ञा देने से इंकार करता है; या

(ञ) धारा 13 के अधीन अधिकृत अधिकारी को अथवा धारा 28 के अधीन स्थापित जांच चौकी या नाके के प्रभारी अधिकारी को इस अधिनियम के अधीन अपने किन्हीं कृत्यों का सम्पादन करने में बाधा डालता है या करने से रोकता है; या

(ट) कोई ऐसी सूचना, जो उसकी जानकारी में या उसके पास हो और जिसकी उससे इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ प्रस्तुत करने की अपेक्षा

की गयी हो, प्रस्तुत करने से इंकार करता है अथवा उसकी उपेक्षा करता है, अथवा ऐसी सूचना प्रस्तुत करता है जो किन्हीं तात्विक विशिष्टियों में मिथ्या है ; या

(ठ) ऐसा मिथ्या प्रमाण-पत्र या घोषणा-पत्र देता है अथवा प्रस्तुत करता है जिसके कारण किसी क्रय या विक्रय पर इस अधिनियम अथवा तद्धीन बनाये गये नियमों के अधीन कर आरोपणीय न रह जाय; या

(ड) निर्धारित घोषणा-पत्र या प्रमाण-पत्र के ऐसे प्रपत्र का प्रयोग करता है जिसे उसने या उसके प्रतिनियोक्ता अथवा एजेंट ने इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अनुसार प्राप्त न किया हो; या

(ढ) इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों के अधीन निरीक्षण को रोकने के उद्देश्य से अपना व्यापार स्थान बन्द कर देता है अथवा छोड़ देता है; या

(ण) धारा 28–क या 28–ग के उपबन्धों का उल्लंघन करके किसी माल का आयात या परिवहन करता है अथवा आयात या परिवहन करने का प्रयास करता है; या

(त) अपनी गाड़ी या यान को उस दशा में रोकता नहीं है या खड़ा नहीं रखता है अथवा रोकने या खड़ा रखने से इंकार करता है जब धारा 28 के अधीन स्थापित जांच चौकी या नाके के प्रभारी अधिकारी अथवा धारा 13 के अधीन अधिकृत अधिकारी द्वारा ऐसा करने के लिये कहा जाय; या

(थ) धारा 28–ख में यथा-व्यवस्थित पारगमन-पत्र प्राप्त नहीं करता है अथवा उसे नहीं देता है; या

(द) इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों का उल्लंघन करके अन्य प्रकार से कार्य करता है,

तो, वह ऐसी जांच के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे वह आवश्यक समझे यह निदेश दे सकता है कि ऐसा व्यापारी या व्यक्ति उसके द्वारा देय कर, यदि कोई हो, के अतिरिक्त—

(1) खंड (क), खंड (ख), या खण्ड (झ) में अभिदिष्ट दशा में देय करका कम से कम दस प्रतिशत, किन्तु अधिक से अधिक पच्चीस प्रतिशत यदि देय कर दस हजार रुपये तक हो और देय कर का पचास प्रतिशत यदि देय कर दस हजार रुपये से अधिक हो,

(2) खंड (ग), खंड (घ), खंड (ज), खंड (ठ), खंड (ड) या खंड (ण) में अभिदिष्ट दशा में ऐसे कर की धनराशि का, जो इस प्रकार बचा ली गयी होती, कम से कम पचास प्रतिशत किन्तु उसके डेढ़ गुने से अधिक नहीं,

(3) खंड (च) में अभिदिष्ट दशा में, प्रथम व्यतिक्रम के लिये अन्तर्ग्रस्त कर की धनराशि का पचास प्रतिशत अथवा उसकी दुगुनी धनराशि, जो भी अधिक हो, और द्वितीय तथा प्रत्येक अनुवर्ती व्यतिक्रम के लिये एक सौ रुपया अथवा अन्तर्ग्रस्त कर की धनराशि का चार गुना, जो भी अधिक हो,

(4) खंड (छ) में अभिदिष्ट दशा में, प्रथम तीन महीने में व्यतिक्रम के लिये प्रत्येक महीने या उसके भाग के निमित्त एक सौ रुपया और प्रथम तीन महीने के पश्चात् प्रत्येक महीने या उसके भाग के लिये जिसमें व्यतिक्रम किया जाता रहे, पांच सौ रुपया,

(5) खंड (झ), खंड (ट), खंड (ढ) या खंड (द) में अभिदिष्ट दशा में दो हजार रुपये से अनधिक धनराशि,

(6) खंड (ज) में अभिदिष्ट दशा में पांच हजार रुपये से अनधिक धनराशि, और

(7) खंड (त) अथवा (थ) में अभिदिष्ट दशा में एक हजार रुपये से अनधिक धनराशि,

अर्थ दंड के रूप में देगा।"

(2) उपधारा (3) में शब्द "व्यापारी" के पश्चात् शब्द "या अन्य संबद्ध व्यक्ति" रख दिये जायं।

धारा 21 का संशोधन

24—मूल अधिनियम की धारा 21 में,—

(1) उपधारा (1), में उसके प्रारम्भिक पैरा के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रख दिया जाय और सदैव से इस प्रकार रखा गया समझा जायगा, अर्थात्:—

"(1) यदि कर-निर्धारक अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण हो कि किसी व्यापारी का, किसी कर-निर्धारण वर्ष या उसके भाग के लिये, सम्पूर्ण विक्रय धन या उसका कोई भाग कर-निर्धारण से रह गया है अथवा कम निर्धारित किया गया है अथवा उस पर ऐसी दर से कर का निर्धारण किया गया है जो इस अधिनियम के अधीन कर-निर्धारण किये जाने की दर से कम हो, अथवा उसके संबंध में गलत तौर पर किन्हीं कटौतियों या छूट की अनुज्ञा दी गयी हो, तो कर निर्धारक अधिकारी व्यापारी को नोटिस जारी करने और ऐसी जांच करने, जिसे वह आवश्यक समझे, के पश्चात् उस व्यापारी पर विधि के अनुसार कर का निर्धारण या पुनर्निर्धारण कर सकता है :",

(2) उपधारा (2) के द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खंड में शब्द तथा अंक "धारा 10 या धारा 11" के स्थान पर शब्द तथा अंक "धारा 10, धारा 11 या धारा 30" रख दिये जायं।

धारा 22 का संशोधन

25—मूल अधिनियम की धारा 22 की उपधारा (1) में, उसके प्रारम्भिक पैरा के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रख दिया जाय, अर्थात्:—

"(1) कर-निर्धारक, अपील सुनने वाले, पुनरीक्षण या अतिरिक्त पुनरीक्षण अधिकारी, अपने द्वारा दिये गये आदेश के दिनांक से तीन वर्ष के भीतर किसी समय किसी भूल का जो अभिलेख पर स्पष्ट हो, सुधार कर सकता है।"

धारा 23 का संशोधन

26—मूल अधिनियम की धारा 23 में, उपधारा (2) में,—

(1) खंड (1) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिया जाय, अर्थात:—

अधिनियम संख्या 5, 1860	"(1) इस अधिनियम या भारतीय दंड संहिता, 1860 अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमित के अधीन किसी अपराध का अनुसंधान करना हो, अथवा उसके लिये अभियोग चलाना हो, या";

(2) खंड (6) में, अन्त में आये हुए पूर्ण विराम के स्थान पर कामा और शब्द "या" रख दिये जायें, और तत्पश्चात् निम्नलिखित खंड बढ़ा दिये जायें, अर्थात्--

"(7) वह केंद्रीय या राज्य सरकार के किसी अधिकारी को, किसी सरकारी सेवक के विरुद्ध कोई जांच करने के प्रयोजनार्थ हो,

(8) वह लोक लेखों की लेखा-परीक्षा के प्रयोजनार्थ हो।"

धारा 24 का संशोधन

27--मूल अधिनियम की धारा 24 में, उपधारा (3) में, निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड बढ़ा दिया जाय, अर्थात्:--

"प्रतिबन्ध यह है कि यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण उसे तत्काल कार्यवाही करना आवश्यक है तो वह ऐसे पूर्व प्रकाशन के बिना कोई नियम बना सकती है।"

धारा 28 के स्थान पर नयी धारा का रखा जाना

28--मूल अधिनियम की धारा 28 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात्:--

जांच चौकियों तथा नाके की स्थापना

"28--यदि राज्य सरकार की यह राय हो कि राज्य में माल आयात किये जाने के पश्चात् राज्य के भीतर माल की बिक्री के संबंध में इस अधिनियम के अधीन देय कर तथा अन्य देयों के अपवंचन को रोकने के उद्देश्य से ऐसा करना आवश्यक है तो वह गजट में विज्ञप्ति द्वारा, राज्य के भीतर ऐसे स्थानों पर, जो विज्ञप्ति में निर्दिष्ट किये जायं, जांच चौकियां तथा नाके स्थापित करने का निदेश दे सकती है।"

श्री रूपनाथ सिंह यादव--

मान्यवर, हमारी बिनती है कि हम इन दोनों संशोधनों पर विभाजन मांगेंगे जिसको आप करवा दें। मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड 23 द्वारा प्रस्तावित मूल अधिनियम की धारा 15 (क-1) के खंड (द) के भाग (7) में शब्द 'एक हजार' हटा दिया जाय और शब्द "दो हजार" रख दिया जाय, और अन्त में निम्नलिखित वाक्य जोड़ दिया जाय,

"और ऐसी अवधि के लिये कठोर कारावास का दंड दिया जायेगा जो एक वर्ष तक हो सकता है।"

मान्यवर, यह बहुत ही आवश्यक है। वित्त मंत्री जी ने कहा कि कर इवेजन होता है तो उसको रोकने के लिये शख्त कानून होना चाहिये। आपने एक हजार जुर्माना रखा है तो जो बहुत कम है। व्यापारी ने 20 हजार का फायदा किया तो वह एक हजार आपको दे देगा। इसलिये दो हजार का जुर्माना और एक साल की सजा होनी चाहिये। तभी आप इवेजन रोक पायेंगे। कोई व्यापारी भी जेल जाना नहीं चाहेगा। जब इस तरह का प्राविधान आप कर देंगे तो उसको डर रहेगा और कर प्रवंचना नहीं होगी। हम चाहते हैं कि व्यापारी ईमानदर रहे और कर दे। लेकिन अगर कोई चोरी और बेईमानी करता है तो चोर बेईमानों को फांसी भी देनी पड़े तो आप दें। सरकार अगर चाहती है कि करप्शन और बेईमानी दूर हो तो इस संशोधन को मान लें।

श्री नारायणदत्त तिवारी--

सम्मानित सदस्य ने भाषण में फांसी की बात की है और संशोधन 2,000 रुपये और एक वर्ष की सजा का ही रक्खा है।

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

यह तो आपके ही एक मुख्य मंत्री ने कहा है । हम तो कहते हैं कि जो भ्रष्ट है वह इस्तीफा दे दे ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

सम्मानित सदस्य, अपनी क्रांतिकारी बात कहने के बात व्यवहारिकता पर आ गये और 2,000 रु0 की ही बात की है । खंड त में लिखा है कि अगर कोई अपनी गाड़ी इस उद्देश्य से रोकता नहीं है या खड़ी करने से इंकार करता है, तो उस पर 1,000 रु0 जुरमाना हो । अलग-अलग कर अवन्चन में अलग-अलग दंड हैं । अधिनियम की धारा 14 में एक साल की साधारण सजा का प्राविधान पहले से लिखा हुआ है ।

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

त, थ पर चेक पोस्ट पर न रोकने पर कठोर कारावास का प्राविधान होना चाहिये ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

यही तो पढ़ रहा हूं । यह एक साल नाकाफी है, ऐसा नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 23 द्वारा प्रस्तावित मूल अधिनियम की धारा 15(क–1) के खंड (द) के भाग (7) में शब्द "एक हजार" हटा दिया जाय और शब्द "दो हजार" रख दिया जाय, और अन्त में निम्नलिखित वाक्य जोड़ दिया जाय:

"और ऐसी अवधि के लिये कठोर कारावास का दंड दिया जायेगा जो एक वर्ष तक हो सकता है।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 23, 24, 25, 26, 27 और 28 इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड 29

नयी धरा 28-क, 28-ख, 28-ग और 28-घ का बढ़ाया जाना

29—इस अधिनियम द्वारा यथाप्रतिस्थापित मूल अधिनियम की धारा 28 के पश्चात् निम्नलिखित धारायें बढ़ा दी जायं, अर्थात्:—

घोषणा के प्रति राज्य के बाहर से सड़क द्वारा माल का आयात या उसकी प्राप्ति

"28-क(1)—(क) कोई व्यक्ति, जो राज्य के बाहर किसी स्थान से राज्य के भीतर सड़क द्वारा ऐसा माल आयात करना चाहता हो, जो ऐसे परिमाण, माप या मूल्य से, जिसे राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा निर्दिष्ट करे, अधिक हो अथवा जिसको राज्य के बाहर किसी स्थान से राज्य के भीतर सड़क द्वारा ऐसा माल भेजा जाना हो, निर्यातकर्ता व्यापारी अथवा माल भेजने वाले को, जैसी भी दशा हो (जिसे आगे पारेषक कहा गया है) निर्धारित प्रपत्र में एक घोषणा-पत्र, दो प्रतियों में, यथाविधि भरा हुआ और उसके द्वारा हस्ताक्षरित, देगा

(ख) कोई व्यक्ति, घोषणा का प्रपत्र निर्धारित शुल्क का भुगतान करके उस क्षेत्र पर, जहां उसका मुख्य व्यापार स्थान स्थित हो, अथवा यदि उसके द्वारा कोई व्यापार न किया जाता हो तो जहां वह साधारणतः रहता हो, क्षेत्राधिकार रखने वाले कर-निर्धारक अधिकारी से प्राप्त कर सकता है ।

(2) उपर्युक्त माल ले जाने वाली गाड़ी का ड्राइवर या अन्य प्रभारी व्यक्ति उपधारा (1) में अभिदिष्ट घोषणा पत्र की प्रतियां, जो निर्धारित रीति से पारेषक द्वारा सत्यापित होंगी, तथा ऐसे अन्य लेख-पत्र भी, जिसमें ऐसे ब्योरे दिये हों जो निर्धारित किये जायं, पारेषक से लेगा, और उन्हें अपने साथ ले जायेगा और, धारा 28 के अधीन स्थापित किसी जांच चौकी या नाके को पार करने के पहले उसके प्रभारी अधिकारी को उक्त घोषणा-पत्र की एक प्रति देगा और माल सहित दूसरी प्रति तथा शेष लेख-पत्र माल आयात करने वाले व्यक्ति अथवा उस व्यक्ति को जिसे माल भेजा जाय, जैसी भी दशा हो, (जिसे आगे इस धारा में पारेषिती कहा गया है) देगा । जांच चौकी या नाके का प्रभारी अधिकारी, जिसे घोषणा-पत्र की एक प्रति दी जाय, उसके लिये एक रसीद देगा, और गाड़ी के ड्राइवर या अन्य प्रभारी व्यक्ति को किसी अन्य जांच चौकी या नाके पर, जिसे वह पार करे, घोषणा-पत्र की प्रति देना आवश्यक न होगा यदि वह उसके प्रभारी अधिकारी को ऐसी रसीद दिखला दे ।

(3) किसी ऐसी गाड़ी का ड्राइवर या अन्य प्रभारी व्यक्ति प्रत्येक ऐसी जांच चौकी या नाके पर अथवा धारा 13 की उपधारा (2) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाने पर किसी अन्य स्थान पर, गाड़ी को रोकेगा, और उसे तब तक रोके रखेगा जब तक कि उस जांच चौकी या नाके के प्रभारी अधिकारी अथवा धारा 13 की उपधारा (2) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी द्वारा, जैसी भी दशा हो, अपेक्षित हो और उसे गाड़ी की तलाशी लेने देगा तथा माल और उपधारा (2) में अभिदिष्ट सभी लेख-पत्रों का निरीक्षण करने देगा, और, यदि अपेक्षित हो, उसे अपना नाम तथा पता और गाड़ी के स्वामी तथा माल के पारेषक तथा पारेषिती का नाम तथा पता देगा ।

(4) जांच चौकी या नाके के प्रभारी अधिकारी अथवा धारा 13 की उपधारा (2) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी, जैसी भी दशा हो, को गाड़ी के ऐसे माल को, जो उपधारा (1) के अधीन विज्ञप्ति में निर्दिष्ट परिमाण, माप या मूल्य से अधिक हो, और—

(क) जो उपधारा (2) में अभिदिष्ट लेख-पत्रों में दिखाया न गया हो अथवा जिसके संबंध में कोई ऐसा लेख-पत्र न हो, या

(ख) जिसके संबंध में उक्त लेख-पत्र मिथ्या हों अथवा जिनके मिथ्या होने का समुचित संदेह हो,

रोकने या अभिग्रहीत करने की शक्ति होगी और वह उक्त किसी लेख-पत्र को भी रोक या अभिग्रहीत कर सकता है ।

(5) पारेषिती उपधारा (2) के अधीन उसे दिये गये घोषणा-पत्र तथा अन्य लेख-पत्रों की प्रति ऐसी अवधि के लिये रखेगा जो निर्धारित की जाय, और जब कभी उक्त अवधि में कर-निर्धारक अधिकारी द्वारा मांगी

जाय तो उन्हें उसके समक्ष प्रस्तुत करेगा, और यदि पारेषिती यह दलील दे कि उसने राज्य में माल लाये जाने के पश्चात् उसे राज्य के भीतर नहीं बेचा किन्तु या तो वह उसके द्वारा उपभुक्त कर लिया गया या अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान अथवा भारत के बाहर निर्यात के दौरान बेचा गया था तो कर-निर्धारक अधिकारी ऐसी अन्य सूचना तथा लेख-पत्र मांग सकता है जिसे वह उचित समझे ।

राज्य से होकर सड़क से माल का प्रेषण तथा पारगमन-पत्र का जारी किया जाना

28-ख--जब राज्य के बाहर से आने वाली तथा राज्य के बाहर किसी स्थान को जाने वाली गाड़ी राज्य से होकर गुजरे तो गाड़ी का ड्राइवर अथवा प्रभारी अन्य कोई व्यक्ति राज्य में अपने प्रवेश के पश्चात् सबसे पहली जांच चौकी अथवा नाके के प्रभारी अधिकारी से पारगमन-पत्र निर्धारित रीति से प्राप्त करेगा और राज्य से निकलने के पूर्व अंतिम जांच चौकी या नाके के प्रभारी अधिकारी को वही पारगमन-पत्र सौंप देगा, और ऐसा न किये जाने पर यह उपधारण की जायेगी कि उसके द्वारा ले जाये जाने वाला माल गाड़ी के स्वामी या प्रभारी व्यक्ति द्वारा राज्य के भीतर बेंच दिया गया है ।

रेलवे स्टेशन इत्यादि से माल छुड़ाने तथा बाहर ले जाने का विनियमन

28-ग--(1) कोई व्यक्ति जो राज्य के बाहर किसी स्थान से रेल, नदी अथवा वायु मार्ग द्वारा उतनी परिमाण, माप अथवा मूल्य से, जिसे राज्य सरकार धारा 28-क के अधीन विज्ञप्ति जारी करके निर्दिष्ट करे, अधिक का माल राज्य के भीतर आयात करना चाहता है अथवा जिसके पास ऐसा माल उपर्युक्त प्रकार से भेजा जाय,--

(क) तब तक उस माल को न तो छुड़ायेगा और न छुड़वायेगा जब तक कि वह ऐसे अधिकारी को, जिसे राज्य सरकार द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किया गया हो, एक घोषणा निर्धारित प्रपत्र में, दो प्रतियों में भर कर तथा अपने द्वारा हस्ताक्षरित करके ऐसे अधिकारी द्वारा पृष्ठांकन के लिये न प्रस्तुत कर दे;

(ख) छुड़ाने के उपरान्त माल को, यथास्थिति, रेलवे स्टेशन, स्टीमर या बोट स्टेशन, या एयरपोर्ट से तब तक न ले जायगा जब तक कि उसके पास खंड (क) में अभिदिष्ट अधिकारी द्वारा पृष्ठांकित घोषणा की प्रतियां न हों ।

(2) धारा 28-क की उपधारा (1) में अभिदिष्ट माल ले जाने वाली किसी गाड़ी की तलाशी लेने तथा ऐसे माल को रोकने या अभिग्रहण करने तथा उसमें उल्लिखित घोषणा के अनुरक्षण तथा प्रस्तुतीकरण संबंधी उक्त धारा की उपधारा (3), (4) तथा (5) के उपबन्ध, आवश्यक परिवर्तनों सहित, उपधारा (1) में अभिदिष्ट माल ले जाने वाली किसी गाड़ी तथा तत्संबंधी घोषणा के संबंध में लागू होंगे ।

(3) इस धारा में किसी बात से यह नहीं समझा जायगा कि उससे किसी रेल प्रशासन अथवा रेल सेवक पर कोई आभार आरोपित होता है अथवा इंडियन रेलवेज ऐक्ट, 1890 में यथापरिभाषित रेलवे पर माल की तलाशी लेने, रोक रखने या अभिग्रहीत करने की शक्ति दी गई हो । ऐक्ट सं 9, 189

धारा 13 अथवा 13-क के उपबन्धों का लागू होना

28-घ--यथास्थिति, धारा 13 की उपधारा (3) तथा (3-क) अथवा धारा 13-क की उपधारा (2) से (9) के उपबन्ध, आवश्यक परिवर्तनों सहित धारा २८-क अथवा धारा 28-ग के अधीन अभिग्रहीत अथवा प्रस्तुत माल अथवा लेख-पत्रों पर लागू होंगे "।

श्री रामलाल भाई—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड 29 द्वारा मूल अधिनियम में रखे जाने के लिये प्रस्तावित धारा (23-ग) की उपधारा (3) में शब्द "इस धारा में" के स्थान पर अंक तथा अक्षर "इस धारा या धारा 28-क की" रख दिये जायं।

श्री बन्शीधर पांडेय—

यह इसकी व्याख्या करें।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

मान्यवर, मुझे यह स्वीकार है।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड 29 द्वारा मूल अधिनियम में रखे जाने के लिये प्रस्तावित धारा (28-ग) की उपधारा (3) में शब्द "इस धारा में" के स्थान पर अंक तथा अक्षर "इस धारा या धारा 28-क की" रख दिये जायं?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड 29 इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खन्ड 30 से 34, खन्ड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

धारा-29 का संशोधन

30—मूल अधिनियम की वर्तमान धारा 29 को पुनः संख्यांकित करके उसे उसकी उपधारा (1) कर दिया जाय और इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्:—

"(2) यदि उपधारा (1) के अनुसार वापस करने योग्य पायी गई धनराशि उस आदेश के दिनांक से जिसके आधार पर धनराशि वापस की जाती है, अथवा उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) अधिनियम, 1973 के प्रारम्भ होने के दिनांक से, जो भी पश्चात्वर्ती हो, छः महीने की अवधि के भीतर वापस नहीं की जाती है तो व्यापारी ऐसे आदेश के दिनांक से अथवा, जैसी भी दशा हो, ऐसे प्रारम्भ के दिनांक से वापसी के दिनांक तक के लिये छः प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज का हकदार होगा।

स्पष्टीकरण—वापसी का दिनांक वह समझा जायगा जब वापसी का वाउचर तैयार करने की सूचना निर्धारित रीति से व्यापारी को दे दी जाय।"

नई धारा 29-ख का बढ़ाया जाना ऐक्ट संख्या, 74,1956

31—मूल अधिनियम की धारा 29-क के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्—

घोषित माल के संबंध में प्रतिपूर्ति

"29-ख—(1) यदि सेन्ट्रल सेल्स टैक्स ऐक्ट, 1956 की धारा 14 में अभिदिष्ट किसी माल की बिक्री या क्रय के संबंध में इस अधिनियम के अधीन कोई कर लगाया गया हो और बाद में ऐसे माल की अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान बिक्री की जाय, और ऐसे माल की अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान बिक्री के संबंध में उक्त सेन्ट्रल ऐक्ट के अधीन कर का भुगतान कर दिया गया हो तो इस अधिनियम के अधीन लगाए गये कर की प्रतिपूर्ति, कर निर्धारण अधिकारी को कर का भुगतान करने के दिनांक से अथवा उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) अधिनियम, 1973 के प्रारम्भ होने के दिनांक से, जो भी पश्चात्वर्ती हो, छः महीने के भीतर लिखित रूप में प्रार्थना-पत्र देने पर

अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान ऐसी बिक्री करने वाले व्यक्ति को की जायेगी ।

(2) यदि कर-निर्धारक अधिकारी का यह समाधान हो जाय कि प्रार्थना-पत्र उपधारा (1) के अधीन चलने योग्य है तो वह ऐसे कर की धनराशि की प्रतिपूर्ति प्रार्थी को निर्धारित रीति से कर देगा और, किसी अन्य दशा में, प्रार्थना-पत्र अस्वीकृत कर देगा :

प्रतिबन्ध यह है कि प्रार्थी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिये बिना कोई ऐसा प्रार्थना-पत्र पूर्णतः अथवा अंशतः अस्वीकृत न किया जायगा :

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि प्रतिपूर्ति करने योग्य पायी गई धनराशि प्रथमतः इस अधिनियम के अधीन प्रार्थी द्वारा देय कर अथवा किसी अन्य धनराशि के प्रति समायोजित की जायगी और केवल शेष धनराशि की, यदि कोई हो, प्रतिपूर्ति की जायगी ।"

नई धारा 34 का बढ़ाया जाना

32—मूल अधिनियम की धारा 33 के पश्चात् निम्नलिखित नई धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्:—

"34—राजस्व को कपट-वंचित करने के लिये किये गये अंतरण का शून्य होना—(1) जहां कि इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों की विचार अवधि में कर अथवा अन्य देयों का देनदार कोई व्यति अपने स्वामित्व में किसी स्थावर संपत्ति पर किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में प्रभार उत्पन्न करता है अथवा उसे अंतरित करता है और ऐसा इस इरादे से करता है कि ऐसा कर अथवा अन्य देय कपट-वंचित हो जाय तो ऐसा प्रभार अथवा अन्तरण उक्त कार्यवाहियों के समापन के परिणामस्वरूप ऐसे व्यक्ति द्वारा भुगतान किये जाने वाले किसी कर या अन्य देयों के संबंध में दावे के प्रति शून्य होगा:

प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा की कोई बात सद्भावी तथा प्रतिफल दाता अन्तरिती के अधिकारों को कम नहीं करेगी ।

प्रथम अनुसूची का संशोधन

(2) उपधारा (1) की कोई बात बैंकिंग रेग्यूलेशन ऐक्ट, 1949 में यथा परिभाषित बैंकिंग कम्पनी अथवा तदर्थ विज्ञप्ति द्वारा राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य वित्तीय संस्था के पक्ष में किसी प्रभार या अन्तरण पर लागू न होगी । ऐक्ट संख्या 10, 1949

33—मूल अधिनियम की प्रथम अनुसूची में—

(1) क्रम संख्या 2, 7, 12, 13, 17, 19, 20, 30, 35, 40, 53, 54, 57, 58, 60, 62, 67, 78, 79, 84, 89-क, 98, 101 और 102 के सामने की वर्तमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रख दी जायं, अर्थात्:—

क्रम-संख्या	माल का विवरण	स्थल जिस पर कर लगेगा
1	2	3
2—	सभी आयुध, जिसके अन्तर्गत रायफलें, रिवाल्वर, पिस्तौलें, उनके पुर्जे तथा सम्बद्ध सामान और उनका गोला बारूद भी है किन्तु खुखरी, भाला, छुरा तथा तलवार रही है ..	नि० अथवा आ०

क्रम-संख्या	माल का विवरण	स्थल जिस पर कर लगेगा
1	2	3
7	भांग, गांजा, अफीम तथा चरस	उपभोक्ता के हाथ बिक्री
12	सभी प्रकार की पालिश	नि० अथवा आ०
13	ईंट, तापसह ईंट (फायर ब्रिक्स) ईंट के टुकड़े और ईन्ट की रोड़ी	नि० अथवा आ०
17	सूती कालीन तथा पाइल दरियों को छोड़कर सभी प्रकार के कालीन	नि० अथवा आ०
19	सीमेंट:—	
	(क) यदि उत्तर प्रदेश के बाहर से आयात की गई हो	स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन आफ इंडिया, द्वारा आयात की गई सीमेन्ट लेने के लिए नियुक्त स्टाकिस्ट द्वारा बिक्री।
	(ख) यदि उत्तर प्रदेश में निर्मित की गई हो ..	निर्माता द्वारा बिक्री
20	सीमेंट जो उपर्युक्त मद 19 से भिन्न हो, किन्तु जिसके अन्तर्गत सफेद सीमेंट, हाई एल्युमिना सीमेंट, सीमेंट की चद्दरें (सादी अथवा नालीदार), सीमेंट की जालियां और सीमेंट वाटर प्रूफिंग कम्पाउन्ड भी है	नि० अथवा आ०
30	डिक्टाफोन, टेप रिकार्डर तथा इसी प्रकार के ध्वनि-अभिलेखन करने वाले अन्य उपकरण और उनके टेप, पुर्जे तथा सम्बद्ध सामान	नि० अथवा आ०
35	फोम रबर की वस्तुयें, रबरयुक्त क्वायर तथा फाइबर-फोम की वस्तुयें	नि० अथवा आ०
40	ग्रामोफोन, रिकार्ड प्लेयर, रिकार्ड चेंजर, उनके पुर्जे तथा सम्बद्ध सामान और ग्रामोफोन रिकार्ड तथा ग्रामोफोन की सुइयां ..	नि० अथवा आ०
53	दियासलाई, खाली दियासलाई की डिब्बियां, दियासलाई की तीलियां तथा दियासलाई शल्कल	नि० अथवा आ०
54	प्लास्टिक अथवा उसके मिश्रण से बने हुए गद्दे, कुशन और तकिये	नि० अथवा आ०
57	सभी प्रकार के तम्बू तथा मिल की बनी और हथकरघे की दरियां	नि० अथवा आ०
58	मिल के स्टोर तथा लोहे से बनी वस्तुयें जिसके अन्तर्गत लोहे या इस्पात के तार नहीं हैं, किन्तु इसके अन्तर्गत लोहे या इस्पात का ऐसा माल है, जो इस अनुसूची की किसी अन्य मद अथवा इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध के अधीन जारी की गयी किसी विज्ञप्ति के अन्तर्गत न आता हो ..	नि० अथवा आ०
60	मोटर साइकिल, और मोटर साइकिल कम्बीनेशन, मोटर स्कूटर और मोटरेट, तथा मोटर साइकिलों, मोटर साइकिल कम्बीनेशनों, मोटर स्कूटरों एवं मोटरेटों के टायर और ट्यूब तथा पुर्जे और सम्बद्ध सामान	नि० अथवा आ०

क्रम-संख्या	माल का विवरण	स्थल जिस पर कर लगेगा
1	2	3
62	मोटर गाड़ियां जिसके अन्तर्गत मोटर गाड़ियों के चेसिस भी हैं, और सभी आकार अथवा डिजाइन की मोटरबाडीज जिसके अन्तर्गत मोटर कारवां और टैंकर भी हैं, चाहे वे चेसिस पर बने हों या अलग से	उपभोक्ता के हाथ बिक्री अथवा उपभोक्ता द्वारा क्रय के लिए वित्त व्यवस्था करने वाली क्रय-विक्रय कम्पनी के हाथ बिक्री
67	पेंट तथा वार्निश और पेंट अथवा वार्निश करने में उपयोग में लायी जाने वाली सामग्री जो इस अनुसूची की किसी अन्य मद के अन्तर्गत आने वाली सामग्री से भिन्न हो ..	नि० अथवा आ०
78	रेफ्रिजरेटर, शीत-ताप- नियन्त्रण यन्त्र, वाटर-कूलर, रूम कूलर और उनके पुर्ज तथा सम्बद्ध सामान और प्रशीतन सामग्री जिसके अन्तर्गत पोलिस्ट्रीन फोम भी है	नि० अथवा आ०
79	रबर के गद्दे, रबर के कुशन तथा रबर के तकिये ..	नि० अथवा आ०
84	सिलाई की मशीनें, और उनके पुर्जे तथा सम्बद्ध सामान ..	नि० अथवा आ०
89-क	लोहे या इस्पात के तार	नि० अथवा आ०
98	टाइप राइटर, टैबुलेटिंग मशीनें, कैलकुलेटिंग मशीन और डुप्लीकेटिंग मशीनें तथा उनके पुर्जे और सम्बद्ध सामान जिसके अन्तर्गत रिबन भी है	नि० अथवा आ०
101	किसी अन्य एलाय (धातु मिश्र) सहित अथवा रहित निर्मित सोने अथवा चांदी की वस्तुएं एवं किसी अन्य एलाय (धातु मिश्र) सहित अथवा रहित निर्मित सोने और चांदी वस्तुएं	नि० अथवा आ०
102	स्टेनलेस स्टील से निर्मित वस्तुएं	नि० अथवा आ०

(2) क्रम-संख्या 112 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां बढ़ा दी जायं, अर्थात्—

क्रम-संख्या	माल का विवरण	स्थल जिस पर कर लगेगा
1	2	3
113	सभी प्रकार के पट्टे	नि० अथवा आ०
114	बुलडोजर, क्रेन तथा अन्य गाड़ियां या मशीनें, तथा उनके टायर और ट्यूब से भिन्न, पुर्जे तथा सम्बद्ध सामान, जो इस अनुसूची के किसी अन्य मद में सम्मिलित नहीं है ..	नि० अथवा आ०

1	2	3
115	सूती कालीन जिसके अन्तर्गत पाइल दरियां भी हैं ..	नि० अथवा आ०
116	तेंदू पत्ता	राज्य सरकार, गांव सभा या अन्य स्थानीय प्राधिकरण या उनके अभिकर्ताओं द्वारा बिक्री
117	किसी धातु या मिश्र धातु से बनाए गये बांट तथा माप ..	नि० अथवा आ०
118	वेल्डिंग रोड तथा वेल्डिंग इलैक्ट्रोड	नि० अथवा आ०

34	उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) अध्यादेश, 1972 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।	उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 17, 1972 का निरसन

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, 1973

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, 1948 ई० में अग्रेतर संशोधन करने के लिये

उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 15, 1948 ई०

विधेयक

भारत गणराज्य के तेईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) अधिनियम, 1973 कहलायेगा।

(2) धारा 31 पहली अक्तूबर, 1958 को प्रवृत्त हुई समझी जायेगी और धारा 2 की उपधारा (1) और (3), धारा 5, धारा 13 की उपधारा (1) और (2) धारा 15 की उपधारा (1) और (2), धारा 17 की उपधारा (1) और (2), धारा 18 और 19, धारा 20 की उपधारा (1) तथा धारा 26 और 27, 13 अक्तूबर, 1972 को प्रवृत्त हुई समझी जायेंगी, और शेष उपबन्ध अन्यथा स्पष्ट रूप से की गयी व्यवस्था के सिवाय, ऐसे दिनांक से प्रवृत्त होंगे जो राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा तदर्थ नियत करे, और विभिन्न उपबन्धों के संबंध में विभिन्न दिनांक नियत किये जा सकते हैं।

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड 30 में मूल अधिनियम की धारा 29 में प्रस्तावित धारा 2 में पांचवीं लाइन में शब्द 'व्यापारी' से लेकर 'हकदार होगा' तक निकाल दिये जा और उनके स्थान पर निम्न वाक्य रख दिया जाय :—

"सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।"

[श्री रूपनाथ सिंह यादव]

मान्यवर, मूल अधिनियम में ऐसा प्राविधान नहीं था। यह पहली बार हमारे माननीय समाजवादी वित्त मंत्री जी ने यह कहा कि व्यापारियों को सूद भी दिया जाय, अगर सरकार की गलती और अधिकारियों की लापरवाही की वजह से टाइप के अन्दर रिफण्ड नहीं होगा तो। इससे जाहिर होता है कि आप चाहते हैं कि आपके अधिकारी जाहिल और आलसी रहे और काम न करें। अगर भुगतान नहीं करते तो उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये, व्यवस्था तो यह है। यह नहीं कि सरकार का धन, जनता का धन उन व्यापारियों को दे दें, अपनी नासमझी के कारण, अपनी नालायकी के कारण। तो मैं कहूंगा कि उस अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही हो और जो ब्याज बिड़ला बन्धु को दे रहे हैं, उसको रोक लें। आप बिड़ला की वकालत कर रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि यह सरकार पूंजीपतियों के सहारे पर चल रही है। सरकार की गलती की वजह से 6 प्रतिशत ब्याज दे रहे हैं व्यापारियों को। इसलिये माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस संशोधन को मान लें और समाजवादी होने में अपना नाम लिखा लें।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

श्रीमन्, मुझे खेद है कि मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। हमारे माननीय दोस्त को हर तरफ पूंजीपति ही नजर आते हैं। लेकिन इससे पूंजीपति का संबंध नहीं है। मैं अर्ज करूंगा कि ये अपना संशोधन वापस ले लें।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड 30 में मूल अधिनियम की धारा 29 में प्रस्तावित धारा 2 में पांचवीं लाइन में शब्द 'व्यापारी' से लेकर "हकदार होगा" तक निकाल दिये जायं और उनके स्थान पर निम्न वाक्य रख दिया जाय:—

"संबंधित अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।"

(तुरन्त बाद)

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

मान्यवर, नियम यह है कि जब हम विभाजन मांगे तो उसकी व्यवस्था करनी होगी।

श्री उपाध्यक्ष—

हम विभाजन रख दें लेकिन जो आखिर में वक्तव्य हैं, रह जायेंगे। वैसे हमको कोई जल्दी नहीं। तो मैं उसे फिर रखता हूं:—

प्रश्न यह है कि खण्ड 30 में मूल अधिनियम की धारा 29 में प्रस्तावित धारा 2 में पांचवीं लाइन में शब्द "व्यापारी" से लेकर "हकदार होगा" तक निकाल दिये जायं और उनके स्थान पर निम्न वाक्य रख दिया जाय:—

"संबंधित अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी"।

(प्रश्न पुनः उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ:—

पक्ष में .. 26,

विपक्ष में .. 68)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 30, 31, 32, 33, 34 और खंड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाएं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री नारायणदत्त तिवारी—

श्रीमन्, मैं आप की आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, 1973 जैसा कि वह सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, 1973 जैसा कि वह सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री उपाध्यक्ष—

नियम 51 के अन्तर्गत मैंने सर्वश्री चन्द्रभान शर्मा, चन्द्र मोहन सिंह नेगी व राम बिलास पाण्डेय का प्रश्न वक्तव्य के लिए स्वीकार किया है।

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

क्या यह केवल वक्तव्य के लिये है ? सब घटनाओं को देख लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष—

वक्तव्य के लिये ही स्वीकार किया गया।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

यह जो सतीश चन्द्र महाविद्यालय से संबंधित है इस पर वक्तव्य अवश्य दिलवा दें....

श्री उपाध्यक्ष—

सब पढ़ने के बाद यह ऐसा नहीं है कि वक्तव्य दिलवाया जाय, अल्पसूचित प्रश्न के लायक है। आप अल्पसूचित प्रश्न कर लीजिये।

श्री रामबिलास पांडेय (जिला आजमगढ़)—

हमारा जो मंजूर किया है उसमें उसके बाद 3 मर्डर हुए हैं, महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ। आजमगढ़ में क्यों इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, मुख्य मन्त्री जी ध्यान दें....

श्री उपाध्यक्ष—

वह तो स्वीकार किया गया है। (श्री बांके लाल के खड़े होने पर)
बांकेलाल जी, क्या बात है ?

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)—

यह जो इंटर कालेज बन्द हो गया है इसमें छात्र, प्रिंसिपल और अध्यापकों में बहुत मन-मुटाव चल रहा है। इम्तहान का दो महीने का समय बाकी है। पढ़ाई बन्द हो गई है। आप ऐसी व्यवस्था कीजिये कि एक वक्तव्य दिलवा दीजये। बहुत नुकसान होगा। बच्चों का भी होगा और अभिभावकों का भी होगा जिसकी वजह से पूरे क्षेत्र में आतंक का वातावरण है।

श्री उपाध्यक्ष--

आप अल्प सूचित प्रश्न कर लें। हम स्वीकार कर लेंगे। आप देखें, इसमें घटना निश्चित नहीं है। फिर भी स्थिति स्पष्ट कर लें।

श्री बांकेलाल--

मेरा निवेदन है कि वक्तव्य के लिये स्वीकार कर लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

अभी नहीं। अगर अल्प सूचित में संतोष न हो तो आप कहिये।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)--

मान्यवर, इसको कार्यवाही के लिये भेज दें सरकार को। अल्प सूचित अलग से किये देते हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

कार्यवाही के लिये भेज देता हूं।

प्रदेश में खाद्यान्नों की कमी के कारण जनता में असन्तोष सम्बन्धी नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य के स्थगन की मांग

श्री उपाध्यक्ष--

यह 4 बजे समाप्त हो जाना है।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)--

यह तो 6-7 पेज का है।

श्री उपाध्यक्ष--

जब कार्य-स्थगन स्वीकार होता है तो 4 बजे के बाद दूसरा नहीं लिया जा सकता। आपका यह कार्य-स्थगन का शिकार हो जायगा।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

इसको स्थागित कर दें।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)--

इसको स्थगित कर दें दूसरे दिन के लिए।

श्री उपाध्यक्ष--

5 मिनट हैं 4 बजने में। तब तक यह पूरा पढ़ा भी नहीं जा सकेगा। 4 बजे तक ही होना चाहिये और काम।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)--

नियम में गुंजायश है। वक्तव्य के लिये कोई नियम बाधक नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष--

जब इस प्रस्ताव से कोई चीज अनुशासित होती है तो हमको उसका अधिकार थोड़े ही रह जाता है? यह भी एक कठिनाई आ रही है। अगर इसका कोई समाधान कर दें,

क्योंकि कार्य-स्थगन प्रस्ताव स्वीकार है। वह 4 बजे शुरू होगा तो जितने नियम हैं वह समाप्त हो जाते हैं।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

ऐसा कर सकते हैं कि सुबह हम फिर लिखकर एक कागज दे देंगे और इसको वैसे का वैसा रख दीजियेगा।

श्री उपाध्यक्ष—

अब तो समय नहीं है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

अब तो 5 मिनट ही बाकी रह गये हैं, इस पर तो कल ही दें।

श्री उपाध्यक्ष—

सवाल कर सकते हैं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

यह बहुत महत्वपूर्ण है। 5 मिनट में तो कुछ नहीं होगा। एक सवाल भी नहीं कर पायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं तो स्थगित नहीं कर सकता नियमतः। आपको नोटिस फिर देना पड़ेगा।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

तो फिर ऐसा कर दीजिये। इस पर हम लोग बहस मांग लेंगे। अब यह वक्तव्य सरकार का आ गया है, नियम 52 के अन्तर्गत हम लोग बहस मांग लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—

नियम ऐसा है कि कार्य-स्थगन का जो प्रस्ताव होता है 4 बजे पूर्ण हो गया होता तब तो हो गया होता। इसीलिये मैं जल्दी कर रहा था लेकिन विधेयक का मामला था, उसमें भी जल्दबाजी नहीं कर सकता था।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

नियम 52 में अगर कल यह नोटिस जाय और उसे स्वीकार कर लें तो कोई आपत्ति नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

इसको अभी क्या करें ? इसको हम स्थगित नहीं कर सकते। यह तो लैप्स होगा।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

नियम की क्या स्थिति है बतायेंगे। अभी इसको छोड़ देते हैं। हमको नियम देखना पड़ेगा। इस पर हम अपनी व्यवस्था को सुरक्षित रख रहे हैं।

प्रदेश के बिजली अभियन्ताओं द्वारा हड़ताल से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष--

अब कार्य स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा का मौका देने के पूर्व में नियम की स्थिति बताता हूं। माननीय अध्यक्ष भाषणों के समय को निर्धारित करेंगे परन्तु कोई भाषण 15 मिनट से अधिक अवधि का नहीं होगा। लेकिन जो प्रस्तावक हैं उनके लिये यह नहीं है। उनको थोड़ा और समय मिलेगा।

श्री नित्यानन्द स्वामा (जिला देहरादून)--

श्रीमन्, 5-6 लोगों के नाम हैं नोटिस में।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)--

उन माननीय सदस्यों की जागरूकता के लिये यह पूरा सदन उनके प्रति आभार प्रकट करता है लेकिन यह ऐसा विषय है जिस पर सब दलों को समुचित मौका मिलना चाहिये।

(इस समय 4 बजे श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

*श्री माधव प्रसद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

मान्यवर, मैं इसके लिये बहुत आभारी हूं कि आपने इस कार्य-स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में प्रारम्भ में ही अपनी अनुमति दी थी। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण और चिन्ताजनक विषय है....

श्री अध्यक्ष--

बिजली जब तक जल रही है तभी तक बोलेंगे। अगर बन्द हो जायेगी तो बन्द करना पड़ेगा।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

कोई चिन्ता की बात नहीं है। यहां पर हमें दिखाने के लिये ही बिजली दी गयी है।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

इसीलिये हम कहते हैं कि दीपक पर विश्वास लाइये।

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

बिजली के विषय में हम इसके पहले भी भली भांति चर्चा कर चुके हैं। मैं तो एक ही बात कहूंगा कि आज सारे प्रदेश में अंधेरा छाया हुआ है। यहां की अर्थ व्यवस्था को इसने बिलकुल झकझोर दिया है। मान्यवर, जब भी अशान्ति होती है और अधिकारियों के काबू की बात नहीं होती तो सेना को बुलाया जाता है। आज स्थिति इनके कन्ट्रोल के बाहर हो गयी है। इसीलिये इनको सेना को बुलाना पड़ा है। सेना की सहायता यह ले रहे हैं। आज हमारे मुख्य मन्त्री जी ने प्रारम्भ में कहा था कि यह सरकार हटने वाली नहीं है, मैं भी समझता हूं यह सरकार बेहया है, नहीं तो इसी ईशू पर इस्तीफा दे देती। मुझे वह घटना याद है जब स्वर्गीय श्री लालबहादुर शास्त्री जी ने एक रेलवे दुर्घटना के फलस्वरूप अपना इस्तीफा दे दिया था और यह कहा था कि मैं इस विभाग को सम्भाल नहीं सका, इसलिये मैं इस्तीफा देता हूं। तो एक तरफ यह उदाहरण उनका हमारे सामने है, दूसरी तरफ इस सरकार की यह बेहयाई हमारे सामने है। यह

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सरकार तो दल बदलुओं के आधार पर टिकी हुई है। मैं कहता हूं कि मंत्री पद की मर्यादा के लिये यह आवश्यक था कि आज विद्युत् मन्त्री इस्तीफा दे देते। पहले भी विद्युत् कर्मचारियों के मामले को यह सरकार सुलझा नहीं सकी थी। प्रजातंत्र की रक्षा के लिये आज इस सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिये था।

मान्यवर, विद्युत् विभाग के इंजीनियरों ने सरकार को नोटिस दी, उसके बाद हड़ताल भी प्रारम्भ कर दी। मैं कल दिल्ली में था, उनकी हड़ताल का परिणाम यह हुआ कि जो रेलें उत्तर प्रदेश में होकर चलती थीं, वे बन्द कर दी गयीं। आज इस प्रदेश की अर्थ व्यवस्था पहले से ही बहुत पिछड़ी हुई है। बिजली के कारण आज करोड़ों रुपये का नुकसान आज प्रदेश को उठाना पड़ रहा है। हमारे यहां 50 प्रतिशत ऐसे व्यक्ति हैं जिनको दोनों वक्त रोटी नहीं मिलती। आज इन्डस्ट्री भी बन्द हो गयी हैं। बिजली न होने से सारे प्रदेश में अंधेरा छा गया है। उद्योग पैरालाइज्ड हो गये हैं, खेती पैरालाइज्ड हो गयी है, रेलगाड़ियों का आना जाना बन्द हो गया है, अस्पतालों में बड़ी परेशानियां पैदा हो गयी हैं, गाजियाबाद के एक महिला अस्पताल, में तो बिजली न होने के कारण बड़ी परेशानी पैदा हो गई थी, सिंचाई हो नहीं पा रही है, सारे देश में पानी भी उपलब्ध नहीं है, करोड़ों मजदूर बेकार हो गये हैं, जो मजदूर अपनी रोज की मजदूरी करके, अपना पेट भरता था, उसके सामने जीवन-मरण का प्रश्न पैदा हो गया है। अंधेरा होने के कारण रात में ला ऐण्ड आर्डर की हालत बहुत बिगड़ गयी है। कानून व्यवस्था सरकार के काबू में नहीं रह गयी है। तो ऐसी सब हालत में आप कल्पना कर सकते हैं कि क्या सरकार को रहना चाहिये? यह सरकार जन जीवन के साथ खिलवाड़ कर रही है। करोड़ों रुपये की विद्युत् मशीनें बन्द कर दी गयी हैं। जिन पहलुओं पर चर्चा की गयी है उन को स्पर्श नहीं किया गया है। सरकार चुप बैठी हुई है। कई दिन पहले बिजली की जो कटौती की गयी उससे 30 करोड़ रुपये प्रति मास का लास हो रहा है। 200 करोड़ रुपये प्रति वर्ष हानि होने की सम्भावना है। 50 हजार मजदूर बेकार हो गये हैं।

मुझे लगता इस समय अरबों की हानि होगी। अब खामी दूर करना तो दूर रहा, उस वक्त तो इसलिये कटौती थी चूंकि बिजली की कमी थी, लेकिन आज की स्थिति तो दूसरी हो गई है, स्थिति ऐसी हो गई है कि जो कुछ था वह भी नष्ट हो गया है। यह क्यों हुआ, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। अभियंताओं ने बहुत पहले नोटिस दी थी, सरकार ने उन्हें बुलाकर उनसे कोई बातचीत क्यों नहीं की? इनकी गलत नीतियों क कारण यह प्रदेश जो पहले से ही पिछड़ा हुआ है, विकास में पिछड़ा हुआ है, किसी से छिपा हुआ नहीं है, यह प्रदेश अब और भी पिछड़ जायगा। यह भी किसी से छिपा हुआ नहीं है कि बिजली सारे विकास का प्राणाधार है।

इन्होंने अपनी 4 योजनाओं में नहीं अंदाजा लगाया कि प्रदेश में कितनी बिजली की आवश्यकता है, और न इन्होंने इसके लिये कोई योजना बनाई। इन्होंने जो योजना बनाई वह गलत थी और उसी के फलस्वरूप यह कटौती करनी पड़ी, जब हम उसकी पूर्ति नहीं कर पाये। सन् 1979 तक इसके पूरा होने की आशा नहीं है। कोई कहता है कि सन् 1985 तक इस की पूर्ति नहीं हो पायेगी। जबकि बिजली की मांग नित्य प्रति बढ़ती जा रही है। उस वक्त सरकार ने अपनी नीति पर पर्दा छोड़ दिया और आज प्रदेश को घोर संकट की स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। इनको आज कौन सी आवश्यकता थी कि सेना को बुलाते, आखिर आप कब तक सेना को इस तरह बुलायेंगे? आपने समस्या को संभाला नहीं और सेना के भरोसे बैठे हैं। आपने इस तरह से प्रजातन्त्र का सत्यानाश कर दिया। सेना उस वक्त बुलाई जाती है, जब ला ऐण्ड आर्डर की स्थिति आउट आफ कन्ट्रोल हो जाय। जो स्थिति हैदराबाद में हुई है, आन्ध्र में हुई है, वह सेना बुलाने की स्थिति है। यदि किसी आर्थिक कारणों से जन जीवन संत्रस्त होता है तो उसमें सेना का उपयोग नहीं किया जाता है। यह कारण पर्याप्त है कि आपको यहां सरकार में नहीं रहना चाहिये।

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी]

हमें अखबारों से पता चला है कि वह भी स्थिति को संभाल नहीं सके हैं। रिहन्द में उनसे सहायता ली गई, लेकिन वह उसे काबू में कर सकने के सक्षम नहीं हो सके, इस तरह से फिर दूसरी जगह से इंजीनियर्स लाकर किसी तरह कार्य चलाया जा रहा है। आपको पता था कि इस प्रदेश में कितनी बिजली की कमी थी, कितना घोर उसका संकट था, विद्युत कर्मचारी हड़ताल कर चुके थे, आपको यह भी पता था कि सितम्बर महीने में इन्हीं अभियंताओं ने नोटिस दी थी, अक्तूबर मास में भी नोटिस दी थी, कुछ दिनों तक कलम बन्द हड़ताल भी की थी। फिर भी म जानना चाहता हूं कि आपने उनसे कोई वार्ता क्यों नहीं की ? और आज यह स्थिति क्यों ले आए जब ऐसा गंभीर संकट उत्पन्न होने वाला था तो उसका रास्ता क्यों नहीं निकाला? उनकी मांगों का औचित्य आपने क्यों नहीं देखा ? तमाम मांगों में से उनकी एक मांग यह है कि समयबद्ध वेतन क्रम पर विचार। ऐसी ऐसी उचित मांगों की पूर्ति न करने और यह स्थिति लाने की जिम्मेदारी किस पर है ? क्यों इनको पता नहीं था कि यदि सब अभियंता हड़ताल पर चले जायेंगे तो क्या स्थिति होगी ? इनकी अक्षमता और लापरवाही के कारण आज यह विकट स्थिति आई है और इसके लिये प्रदेश की जनता को इस सरकार को कदापि क्षमा नहीं करना चाहिये।

एक ही उदाहरण है कि सरकार चली जाय। माननीय मुख्य मंत्री ने कह दिया कि हम रहेंगे। आज की स्थिति यह है कि एग्जिक्यूटिव इन रेस्पांसिबिल टु एक्जीक्यूटिव, एग्जिक्यूटिव इज नाट रेस्पांसिबिल टु लेजिस्लेचर। आज उनका इतना बहुमत है कि उनको इसकी चिन्ता नहीं है। खुद ही मुलजिम हैं, खुद ही फैसला करने वाले हैं। आज इधर बैठा हुआ व्यक्ति इतनी शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकता कि उनको उलटपुलट दे। आप जनता के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। फ्रान्स में इतनी ही अधिक संख्या थी कि सरकार को पलटा नहीं जा सकता था तो जनता ने सारी असेम्बली को घेर लिया था और कहा कि इस्तीफा देकर ही बाहर जा सकते हो। आप उन कुर्सियों पर बैठकर डेमोक्रेटिक प्रासेस का दुरुपयोग कर रहे हैं, आप कुर्सी छोड़कर भागें। आपको किसी प्रकार की हया शर्म नहीं है। दुराग्रह नहीं करना चाहिये। आप इंजीनियर्स को बुलाइये उनको बुलाकर निराकरण कीजिये। आपने कमीशन बना दिया वह शैतान की आंत हो गया। साल भर हो गया। पता नहीं चलता कि कब रिपोर्ट देगा। दूसरा जो आपने कमीशन बनाया उसनें रिपोर्ट दी है। लेकिन इसके पहले क्यों नहीं किया ? जब मालूम था कि संकट आने वाला है। मैं सरकार को सुझाव दूंगा कि यह दुराग्रह छोड़कर तुरन्त कोई रास्ता निकाले।

मुझे सूचना मिली है कि उत्पादक केन्द्रों में भारी तोड़ फोड़ हुई है। जनहित के कार्यों में उन्होंने धैर्य से काम नही लिया। अच्छा होता ऐसा काम न करते। जो जन-जीवन त्रस्त हो गया है, ऐसी स्थिति न होती। यद्यपि सबसे बड़ी गलती सरकार की है। उन्हें बुलाकर बात करनी चाहिये। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से और माननीय विद्युत मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह इस संकट को दूर करें। उनको बुलाकर कोई रास्ता निकाले ताकि आज जो स्थिति पैदा हुई है वह दूर हो जाय।

श्री राजबहादुर चन्द (जिला बस्ती)—

उनकी मांगों से आप सहमत हैं ?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मांगें सामने आ जायें तो विचार करेंगे। आप इतने दिन तक उनसे सहमत नहीं हो पाये। इंजीनियर्स की एक मांग है जो सस्पेंशन आर्डर हैं या डिसिप्लिनरी ऐक्शन हैं, उस पर जल्दी फैसला हो। हम इसको जरूर मानते हैं। कैरेक्टर रोल की बिना पर तरक्की के लिये आर्डर दे देते हैं, तरक्की केवल उसके आधार पर नहीं होनी चाहिये। जिनकी तरक्की नहीं हो

पाती है, अगर वह असिस्टेंट इंजीनियर्स ही रहने वाले हैं तो उनका स्केल बढ़ाइये। यह कोई जरूरी नहीं है, कि मांगें हमें मंजूर हैं या नामंजूर हैं। आपने उनकी मांगों पर विचार किया ? एक बार भी विचार नहीं किया। वह आपके सामने आते जो मुनासिब होता वह करते। इस कठिन परिस्थिति को दूर करने के लिये मैं तो जनता का आवाहन करता हूं कि सरकार के हाथ से यह गद्दी छीननी चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

माननीय चरण सिंह। आपको तकलीफ होगी, आप पन्द्रह मिनट बोलेंगे।

*श्री चरण सिंह (जिला मेरठ)—

मेरी आदत खराब है। मैं लम्बा बोल जाता हूं। लेकिन आज मेरी तबियत अच्छी नहीं है तो मैं संक्षेप में अपनी बात कहने की कोशिश करूंगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं और भारतीय क्रान्तिदल गवर्नमेंट सर्वेंट्स की हड़ताल करने में विश्वास नहीं करता। मेरी अपनी राय में हड़ताल करने का हक श्रमिकों को हो सकता है न कि राज्य कर्मचारी को। मैं जानता हूं कि मेरे बहुत से साथी इधर और उधर जो स्वयं हड़ताल कराते रहे हैं, वह मेरे से भिन्न मत रखते होंगे।

लेकिन राज्य कर्मचारियों को मैं फिर दुहराता हूं हड़ताल करने का हक हासिल नहीं होना चाहिये। सवाल यह होता है कि अगर राज्य कर्मचारी की कोई मांग है जिनको वह उचित समझते हैं और गवर्नमेंट आफ दी डे उसको मानने को तैयार नहीं है तो आखिर उनके लिये रास्ता क्या है ?

मैं यह अर्ज करूंगा कि उनके लिये दो तीन रास्ते खुले हुए हैं। पहली बात यह कि उनके संघ की तरफ से सारे इंस्टीट्यूशन के हित में जो वह उचित समझता हो अपनी मांग को पेश करे और उसको यह हक हासिल है कि लेजिस्लेचर के जितने मेम्बर थे उनके पास वह जाते, सबको अपनी बात समझाते, रूलिंग पार्टी तथा अपोजीशन पार्टी दोनों के मेंम्बर्स को लेकिन उन्होंने वह रास्ता नहीं अपनाया। जो कुछ मैंने पढ़ा अथवा जो कुछ कोशिश की गयी वह यह है कि 15 तारीख के नेशनल हेराल्ड में मैंने पढ़ा—दो-तीन रोज पहले इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के चेयरमैन की तरफ से कुछ निकला और फिर उसका जबाव निकला संघ की तरफ से। उस सबको मैंने पढ़ा। लेकिन किसी ने ब्रीफ नहीं किया और न आकर अपनी बात बतलाई। उनको यह हक था जो उनको करना चाहिये था ताकि लेजिस्लेचर सरकार पर जोर डालता अगर इससे भी कुछ होता तो दूसरा तरीका यह था कि संघ अपने सदस्यों से कह सकता था कि अबकी बार वह तनख्वाह न लें। उसका मारेल प्रेशर सरकार पर जरूर पड़ता।

इससे भी काम न चलता तो मैं समझता हूं कि एक मास इस्तीफा वह दे देते लेकिन यह करना हर्गिज उचित नहीं हो सकता कि सरकार उनकी मांग न माने तो वे ऐसा काम करें जिससे जनता की हानि हो, करोड़ों अरबों रुपयों की हानि हो, देश व समाज को हानि हो, जिसके वे स्वयं सदस्य हों। अगर सब इस्तीफा दे देते तो कदाचित् चीफ मिनिस्टर पर इतना मारेल प्रेशर पड़ता कि उनकी राय से इत्तिफाक न होते हुए भी उनकी बात को मानने के लिये मजबूर हो जाते। न मानते तो उनको इस्तीफा देने का हक हासिल था, लेकिन इस्ट्राइक करने का हक उनको हासिल नहीं था। मुख्य मंत्री जी ने मजबूर होकर फौज बुलाई लेकिन यह अर्ज करूंगा कि फौज का कर्मचारी भी सरकारी नौकर है। उनके लिये और पुलिस के लोगों के लिये नियम बने हुए हैं कि वे हड़ताल नहीं कर सकते। अगर अन्य सरकारी कर्मचारियों को हम

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चरण सिंह]

जानते हैं जैसे डाक्टर अस्पताल में हड़ताल कर सकता है और मरीजों को छोड़ सकता है, बिजली के इंजीनियर्स भी हड़ताल सकते हैं, तो उसी सिद्धान्त के अनुसार मिलीटरी तथा पुलिस को भी अख्तियार होना चाहिये हड़ताल करने का। अगर आप सबको अख्तियार देते हैं तो इन दोनों को भी हड़ताल करने का उसूलन अख्तियार आपको देना चाहिये।

इन दो क्लासेज को आप फिर अख्तियार क्यों नहीं देते ? जैसा मैंने अर्ज किया उसूलन में इसको बिलकुल गलत समझता हूं। ये हड़तालें क्यों होती हैं ? हड़तालें होती हैं इसलिये कि सरकार स्वयं सोच समझकर किसी की जायज मांग नहीं मानती और न ही उन पर विचार करती है। जो बरसरे इक्तदार हो उसको चाहिये कि राज्य कर्मचारी के जो रिप्रेजेन्टेशंस हों, उनकी जो उचित और माकूल बात हो तो उसे कर देना चाहिये। लेकिन अगर यह समझता है कि हमारी फलां बात नहीं मानी गयी। हम हड़ताल करेंगे, जन-जीवन को हानि पहुचायेंगे तो हर्गिज उसके सामने ईल्ड न किया जाय। लेकिन होता यह रहा है आल इंडिया तथा स्टेट लेविल पर कि पहले बात नहीं मानी गयी उनकी और जब धमकी दी हड़ताल की तो मान ली गयी। इसलिये हड़ताल नहीं होती है।

माननीय मंत्री जी मुझे माफ करें यदि मैं आपकी इजाजत से यह कहूं कि आपने अपने बयान में कहा है कि आप फर्म रहेंगे, इससे आपको क्या हासिल होगा ? जब बी0 के0 डी0 और कांग्रेस की सरकार थी उस समय भी बिजली कर्मचारियों ने हड़ताल की थी। गवर्नमेंट ने कहा था कि हम आपकी हड़ताल नहीं मानेंगे। 25 अगस्त को हड़ताल होती है और 28 अगस्त को उन्होंने उसे वापस ले लिया था। उसमें जब बिजली कर्मचारियों का जुलूस निकला था उस समय बहुगुणा जी ने प्रिसाइड किया था जिसमें कि आपकी पार्टी भी शामिल थी। मैं पूछता हूं कि आपने ऐसा क्यों किया। ये आपके खुद के बोये हुए बीज हैं। चाहे स्टूडेन्ट्स का मामला हो या राज्य कर्मचारियों का मामला हो जो आपको सूट करता है उसे आप भड़काते हैं। उसमें आप भी शामिल हैं जिसका कि नतीजा आज पूरे सूबे को भुगतना पड़ रहा है। इसलिये मैं आपके जरिये से कहना चाहूंगा कि आप इस मामले पर विचार करें कि हमारी नीतियां कहां थीं और अब कहां पहुंच गयी हैं।

हमारे राज्य कर्मचारियों को तकलीफें हैं, हमारा देश गरीब है। हर व्यक्ति की इच्छायें होती हैं। सभी चाहते हैं कि हमारे बेटी-बेटे के पास स्कूटर हो, कार हो, एम0 ए0 पास हो और सभी अच्छाइयां हों। लेकिन हमारा देश गरीब है। उनकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है उन्हें हम न बोनस दे सकते हैं और न कोई एलाउन्स दे सकते हैं। पढ़े-लिखे लोग हड़तालें करते हैं। और यह गवर्नमेंट घुटने पर घुटना टेकती चली जाती है। मैं इन एलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की खुलकर निन्दा करता हूं। देश की रिस्पांसिबिलिटी इनके ऊपर है। सेबोटेज किया गया है। मुझे मालूम हुआ है कि रिहन्ड के फाटक पानी में डाल दिये गये हैं, मालूम नहीं वे निकाले जा सकते हैं या नहीं किन्तु हो सकता है कि और जगहों पर भी ऐसी निन्दनीय वारदातें हुई हों।

मेरे सहयोगी, माननीय जयराम वर्मा जी से मुझे मालूम हुआ संघ के लोग 5-7 दिन हुये, इनसे मिलने आये थे। उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि तुम गवर्नमेंट के खिलाफ हड़ताल करने की कोशिश कर रहे हो। ऐसे मौके पर आपकी जिम्मेदारी हो जाती है मोरल रिस्पांसिबिलिटी हो जाती है कि अगर कहीं पर हडताल होती है तो आप उन्हें बुलाकर प्रश्न को हल करने की कोशिश करें। बहुत सी बातें मान लें और बहुत सी बातें माकूल हैं जो मान लेनी चाहिये थीं। लेकिन हमारी गवर्नमेंट का यह रिवाज हो गया है कि प्रेसर पड़े बिना कोई काम नहीं होता है। 15 सौ इंजीनियर्स वर्षों से काम कर रहे हैं। तीन साल से ज्यादा उन्हें हो गया है उन्हें परमानेंट नहीं किया गया। मालूम हुआ कि 823 जगहों पर लोग परमानेंट हो गये। ऐसा कब हुआ ? जब हड़ताल की नोटिस दी गई, मैं कहता हूं कि पहले क्यों नहीं किया।

जाहिर है कि राज्य कर्मचारी आपकी नीतियों से इस निर्णय पर पहुच गये हैं कि आप बिना प्रेसर के काम नही करते और प्रेसर से जल्दी से जल्दी काम हो जाता है । 744 अभी और परमानेंट करने हैं । संघ का कहना है कि 31 अगस्त को उनकी चीफ मिनिस्टर से मुलाकात हुई थी और आपने फिर बात करने का आश्वासन दिया था किन्तु अभी तक आपने उसका अवसर नहीं दिया और आपने उन्हें नहीं बुलाया । उनकी मांग है कि टाइम बाउन्ड इन्क्रीमेंट हो और प्रमोशन हो ।

इसमें दो राय क्या हो सकती है । मुझे नहीं मालूम आया आपने पे कमेटी को यह चीज रिकमेंड की है या नहीं, जहां तक मुझे याद है आपने केवल भेजा है। यह जो उनकी शिकायत है कि टाइम स्केल बना दें, वह दूर करनी चाहिये ।

दूसरी बात यह है कि डिसिप्लीन प्रोसीडिंग कोई चलती है तो उसमें बड़ी देर होती है । उनको कम करने के लिये उनकी शिकायत हो सकती है । उनका कहना है कि अगर कोई सस्पेंड हो जाता है तो 6 महीने क्या साल दो साल तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है । मैं समझता हूं कि हमदर्दी के साथ इस पर विचार करना चाहिये । अगर किसी का सस्पेंशन होता है और 6 महीने के अन्दर उस पर कोई फाइनल आर्डर नहीं होता है तो उनको रिइन्सटेट करें और जो सेंशन होगा, जो इन्क्वायरी हो उसके बाद करें । फिर उनका कहना है कि बोर्ड का चेयरमैन इंजीनियर होना चाहिये । यह निहायत मुनासिब बात है ।

कोई दो महीने पहले की बात है, मैंने यह कहा था कि सेक्रेटरी जो किसी डिपार्टमेंट का हेड हो वह ऐसे मामले को डील करता है जैसे सेल्स टैक्स को रेवेन्यू डिपार्टमेंट/पुलिस डिपार्टमेंट के मामले को एक ले मैन भी डिस्पोज आफ कर सकता है । लेकिन जहां टेक्निकल बात हो जैसे इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड है जहां करोड़ों और अरबों रुपये की बात है खर्च होने की, उसका चेयरमैन किसी टेक्निकल मैन या इंजीनियर को ही होना चाहिये । क्यों कि वही इस चीज को देख सकता है कि कौन सा इक्वीपमेंट मुनासिब है और कौन सा इक्वीपमेंट मुनासिब नहीं है । टेक्निकल आदमी ही इस बात को कह सकता है कि मेंटिनेंस प्लांट ठीक है या नही है । साथ ही जो और प्रोसीडिंग्स होती हैं या कोई रिपोर्ट होती है उस पर सेक्रेटरी की राय हो तो टेक्निकल व्यक्ति ही कह सकता है कि यह राय सही है या नहीं है । एक ठाकुर एस0 एन0 सिंह जो निहायत मेहनती और ईमानदार व्यक्ति थे वहां थे लेकिन कुछ गैरजिम्मेदार लोगों ने उनके विरुद्ध ऐसा प्रोपोगंडा किया कि आप आये तो उनको वहां से हटा दिया । उनकी मांग है कि बोर्ड में इंजीनियर होने चाहिये और चेयरमैन भी आई0 ए0 एस0 के बजाय इंजीनियर ही होना चाहिये ।

आजकल जो बोर्ड के चेयरमैन हैं वे चाहे आई0 ए0 एस0 आफिसर हैं लेकिन उनकी योग्यता क्या है ? उनकी शिकायत यह भी है कि टेक्निकल क्वालिफाइड परसन को यह समझा जाता है अनक्वालिफाइड और नान टेक्निल व्यक्ति के मुकाबले । उनकी बराबर शिकायत रही है कि टेक्निकल आफिसर के मुकाबले आई0 ए0 एस0 और पी0 सी0 एस0 वालों को ही प्रिफरेंस दिया जाता है । 5 साल तक ये इंजीनिरिंग पढ़ते हैं और शहरों के मुकाबले देहातों में ही ज्यादा रहने का उनको मौका मिलता है । इसलिये होना यह चाहिये कि कोई सुयोग्य इंजीनियर ही उनका चेयरमैन मुकर्रर किया जाय । उसी तरह से सेक्रेटरी में 6 में एक टेक्निकली क्वालिफाइड है और 5 दूसरे हैं । मैं समझता हूं कि इस पर विचार करने की जरूरत है ।

जहां तक उनकी यह डिमांड है कि डी0 ए0 लिंक होना चाहिये लीविंग बेज के साथ वह मुनासिब नहीं है । लेकिन अगर वह यह डिमांड करें कि जो आई0 ए0 एस0 आफिर 1000–2500 रुपये तक तनख्वाह पाते हैं उनको 100 रुपये डी0 ए0 मिलता है तो उनको

[श्री चरण सिंह]

भी मिले, मैं समझता हूं कि उनकी यह डिमांड जायज होगी । यह गवर्नमेंट आफ इंडिया करती रही है । और स्टेट गवर्नमेंट के लिये प्रोबलम पैदा करती रही है । मेरी अपनी राय है कि जो इनकम टैक्स देने के काबिल हों उनको तो डी० ए० मिलने का हक ही नहीं होना चाहिये ।

मेरा खयाल है कि डी० ए० छोटी तनख्वाह वालों को ही मिलना चाहिये । उससे ज्यादा तनख्वाह वालों को उससे कम और जब उससे बड़ी तनख्वाह वाले हैं या जो इनकम टैक्स के असेसमेंट की परिधि में आ गये हैं, उनको डी० ए० पाने का मुस्तहक नहीं होना चाहिये । अच्छा समाजवाद इस तरह से आयेगा और अच्छी गरीबी मिटेगी । मैं तो कहता हूं कि 4–5 सौ तनख्वाह जिनकी हो, और जो इनकम टैक्स देने की परिधि में आ गये हों उनका डी० ए० बन्द कीजिये । ये राज्य कर्मचारी हैं, लेबर तो हैं नहीं जो डी० ए० की मांग करें । लेकिन जो आई० ए० एस० कर्मचारी 100 रुपये डी० ए० लेते हैं, उसके लिये अगर वे डिमांड करते हैं तो मेरी राय में उनकी वह डिमांड जायज हो सकती है । इन शब्दों के साथ मैं पुनः माननीय मुख्य मंत्री जी से अपील करता हूं कि वे इसके लिये कोई रास्ता निकालें और इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न न बनावें । आज की सिचुएशन में यह उनकी मारेल रिस्पांसिबिलिटी है, यह भी आपको सोचना है ।

चौधरी गिरधारी लाल (जिला बिजनौर)—

श्रीमान्, मुझे आज बड़ा दुख इस बात का है कि हमारे सूबे के अन्दर जिसको डेमोक्रेसी का सूबा माना जाता है वहां पर आज हमारा नेशनलाइज्ड, राष्ट्रीयकृत संगठन मिलिटरी के हाथ में गया । मेरा इस तमाम किस्से से सम्बन्ध रहा है और मैं बहुत सी बातों को अच्छी तरह से जानता हूं कि इस झगड़े की शुरूआत यह है कि यह झगड़ा ब्यूरोक्रेट्स और टेक्नोलोजिस्ट्स का है । यह झगड़ा काफी अरसे से चल रहा है । मुझे खेद है कि बीच में कुछ संभला था लेकिन फिर उसी रास्ते पर आ गया है ।

मैं इंजीनियरों के स्ट्राइक की बहुत तारीफ तो नहीं करूंगा लेकिन इसके साथ ही साथ उनके पास इसके सिवाय और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था । हमारे जो इलेक्ट्रीसिटी इंजीनियर्स हैं ये बोर्ड के कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी नहीं हैं । वह देखते हैं कि अन्य विभाग जैसे पी० डब्लू० डी०, इरीगेशन तथा एल० एस० जी० ई० डी० उनका हेड आफ दि डिपार्टमेंट ऐसा होता है, उसकी एक टेक्नीकल हैसियत होती, औकात होती है, जिससे वह पूरे मुहकमें को इधर से उधर चलाता है और उस विभाग की प्रतिष्ठा और शान को कायम रखता है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या वही पोजीशन इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड के चेयरमैन की है ? आप देखेंगे कि बिलकुल नहीं है। वास्तव में उसके सी० ई० की या एस० ई० की कोई शक्ति नहीं है ।

अब प्रश्न उठता है कि यह कैसे हुआ । जैसा कि मैंने पहले कहा कि यह ब्यूरोक्रेट्स और टेक्नोलोजिस्ट्स का झगड़ा है । यह मामला बहुत अर्से से चल रहा है । लेकिन एक समय इसका रूख बदला गया और इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड का चेयरमैन एक कुशल चीफ इंजीनियर को बनाया गया । उस समय अजीब बात हुई । मेरा उससे सम्पर्क था । उस समय मुख्य मंत्री जी से ब्यूरोक्रेसी का एक डैपुटेशन मिला और उन्होंने कहा कि यह तो हमारी काडर पोस्ट थी । एक तरफ तो आप रिजर्वेशन के लिये मुंह चलाते हैं और दूसरी तरफ उनकी यह रिजर्व पोस्ट थी । बोर्ड का चेयरमैन आई० सी० एस० होना चाहिये । एक इंजीनियर कैसे बन गया ।

मुख्य मंत्री (श्री कमला पति त्रिपाठी)—

श्रीमन्, न मुझसे ऐसा कोई डैपूटेशन मिला और न मैंने ऐसी बात कही ।

चौधरी गिरधारी लाल—

मैं आपकी बात नहीं कह रहा हूं । लेकिन मैं उस समय की बात कह रहा हूं जब मेरे पास यह विभाग था । जिस समय इस बोर्ड का चेयरमैन एक चीफ इंजीनियर को बनाया गया तो उस समय मुख्य मंत्री से ब्यूरोक्रेसी का एक डैपूटेशन मिला । नेता सदन को यह गलतफहमी नहीं होगी । उन्होंने कहा कि यह पोस्ट हमारे आदमी को मिलनी चाहिये । यह प्रश्न मेरे सामने आया । मैंने कहा कि यह कोई रिजर्व पोस्ट नहीं है कि उनका होना लाजमी है । और मैंने कहा कि मेरे से आकर बात कर लें और उन्होंने तो हंसी में टाल दिया, मैं चाहता हूं कि इस तरह का असन्तोष न होने पाये और मैंने कहा कि वह आयेंगे तो हम भुगत लेंगे । मैं इसकी ज्यादा गहराई में इस वक्त नहीं जाऊंगा कि किस तरीके से इसके साथ तमाशा हुआ ।

आप यह देखें कि बिजली बोर्ड में जो उसके सदस्य हैं सिवा एक इंजीनियर के सब आई० पी० सी०, सी० आर० पी० सी० के ब्योरोक्रेट लोग हैं जिन्होंने कि बहुत दिनों तक जिलों में ला एण्ड आर्डर का काम किया है और कोई दूसरा आदमी नहीं है, एक दो मेम्बर कोई भले ही हों जो टेक्निकल या कोई बिजिनेस एडमिनिस्ट्रेशन या इंडस्ट्रीयल मैनेजमेंट का तजुर्बा रखते हों क्योंकि एक कामर्शियल लाइन्स पर यह एक नेशनेलाइज्ड आर्गेनाइजेशन चल रही है । कुछ समय पहले हमारे नेता सदन जो हैं और अभी जैसे कि माननीय नेता विरोधी दल ने बात कही कि हमारे जो कम्युनिकेशन्स के मिनिस्टर हैं उन्होंने भी उनकी मांगों को स्वीकार किया था और इसीलिये उनकी कमर भी ठोकी थी और उन्हें प्रोत्साहन भी दिया था । जिस वक्त कोई मुनासिब बात होती है तो उसमें वह पीछे नहीं हटते ।

तो मैं बता रहा था कि इस बिजली बोर्ड में अकेला एक मेम्बर इंजीनियर है और बाकी ७—८ वही सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, सेक्रेटरी ओबरा प्रोजेक्ट, वित्त सचिव, उद्योग सचिव, कृषि सचिव, इन सबों के बीच में केवल एक मेम्बर इंजीनियर वहां बैठा है । जब ऐसी बात होगी तो इस तरह की प्रतिक्रिया उसकी होगी ही । एक ओर उनको कोई शक्ति नहीं, उनके हाथ में कोई पावर नहीं जिस से वह अपनी जिम्मेदारी को ठीक तौर से निभा सकें । उनके बीच में उस अकेले इंजीनियर के सामने एक अजीब वातावरण बन जाता है, यह जरा गहराई से सोचने की बात है । मैं चाहता हूं कि पूरे बोर्ड के कार्यकलाप को किसी निष्पक्ष जुडीशियरी के आदमी से एग्जामिन कराया जाय । बहुत से फाइनेंस के एक्सपर्ट और अकाउन्ट्स के लोग वहां बैठे हैं ।

मैंने उनकी बहुत सी मांगें सुनीं । मांगें तो बढ़ती भी रहती हैं और घटती भी रहती हैं । हमने भी मांगों को आजादी से पहले बहुत बढ़ाया, यह मांगों का घटाना बढ़ाना सब को हमने ही सिखाया है । लेकिन क्या यह सही बात नहीं है कि एक तरफ क्या उनके ऊपर इसकी प्रतिक्रिया नहीं होती कि जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं सब स्थायी हैं, कोई उनको पद से हटा नहीं सकता और उनके अधिकार को कम नहीं कर सकता और दूसरी तरफ दो चार इंजीनियर शायद स्थायी हों बाकी सब अस्थायी हैं और सब के सामने एक अनिश्चितता और असरटेन्टी बनी हुई है ।

टाइम स्केल की बात उन्होंने कही सब बातों का मुझे पता लगा । मैं इसके पक्ष में नहीं हूं कि सब लोग आकर मेम्बर असेम्बली के ऊपर पोलिटिकल प्रेशर डाले, मुझे किसी से नहीं बल्कि अखबारों के द्वारा इन तमाम बातों की वाकफियत हुई । लेकिन जैसा मैंने कहा इन तमाम बातों को देखते हुये वह भी इन्सान हैं, उनकी फीलिंग इसमें है । मेरे से एक रिटायर्ड इंजीनियर मिलते हैं और बताते हैं कि फलां आई० ए० एस० अफसर मेरे से ३ ४ पोजीशन नीचे थे, मैं हमेशा टाप में रहता था लेकिन देश के निर्माण के नारे सुनकर मैं इंजीनियरिंग में चला गया और पीछे रह गया । हमारे इंजीनियर्स समाज के टेलेन्ट्स हैं और उनके ऊपर इस तरह की तमाम बातों की एक प्रतिक्रिया होती है । लेकिन यह सब देख कर मुझे अफसोस है कि इतना

[चौधरी गिरधारी लाल]

समय लग गया और कैसे हड़ताल की नौबत आ गई। बिजली बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेटर्स और एक्सपर्ट स उसके और नेता सदन बैठें और इन समस्याओं का कोई हल निकाले।

अभी जैसा कि हमारे जनसंघ के नेता ने कहा कि यू० पी० में ७० हजार ट्यूबवेल्स हैं, उनकी शार्टेज हो रही है। इर्रीगेशन का ही प्रश्न आपके सामने नहीं है बल्कि पीने के पानी का भी है। परसों ही एक आदमी मुझसे कह रहा था कि हम लोग पानी कैसे पीयेंगे जब ट्यूबवेल्स ही बन्द हो जायेंगे। इन्डस्ट्रीज का सवाल है, अस्पतालों का सवाल है और एक बड़ी भारी चुनौती है। तो मैं नेता सदन से दर्ख्वास्त करूंगा कि वे इन तमाम बातों को देखें और एक लीड लें और बिला किसी लिहाज के ऐसा कदम उठायें कि जिससे यह झगड़ा समाप्त हो। यह प्रदेश के ९ करोड़ व्यक्तियों का सवाल है, इसका हर व्यक्ति पर किसी न किसी रूप में असर पड़ता है, इससे कोई अछूता नहीं रहेगा। मैं इंजीनियर्स के इस कदम की बहुत सराहना तो नहीं करूंगा लेकिन फिर भी उनके पास दूसरा क्या चारा था। इन तमाम बातों को देखते हुए, मुझे उम्मीद है कि आप कोई मुनासिब कदम उठायें, जरूर वे इन बातों को मानेंगे।

*श्री अनन्तराम जायसवाल--

मान्यवर, अध्यक्ष जी, २४ अक्तूबर से २ नवम्बर, तक इंजीनियर्स के नीचे जो सेवा वाले लोग हैं, उन लोगों की हड़ताल चालू थी। बिजली के उत्पादन में गतिरोध के और जो कारण हैं, उनमें एक कारण यह भी है कि वे हड़ताल पर थे जिसके कारण उत्पादन नहीं बढ़ रहा है। २ नवम्बर को वह हड़ताल खत्म हो रही थी, उसी दिन से इंजीनियर्स ने हड़ताल करने का नोटिस पहले से दे रखा था। ३१ दिसम्बर, १९७२ को माननीय मुख्य मंत्री जी से और अभियन्ता संघ के पदाधिकारियों से बातचीत हुयी, ऐसा मैं समझता हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी के हस्तक्षेप और उनकी अपील पर उन्होंने २ नवम्बर से अपनी हड़ताल स्थगित कर दी। उस वक्त माननीय मुख्य मंत्री जी ने परिषद् के अध्यक्ष को आदेश दिया था कि १० दिन के अन्दर उनकी मांगों के सम्बन्ध में निर्णय लें और उसके बाद मामला मुख्य मंत्री जी को निर्दिष्ट होगा जो अन्तिम निर्णय देंगे।

नवम्बर में अभियन्ता संघ के पदाधिकारियों ने ३ दफा परिषद के अध्यक्ष से बातचीत की। और उस बातचीत के दौरान यह तय हो गया था कि वे इन अभियन्ताओं की जो प्रमुख मांगें हैं, कि १ अप्रैल, १९६९ से उनको केन्द्रीय रेट पर डी०ए० दिया जायगा वह करीब करीब तय हो गया था लेकिन एक शर्त लगा दी थी कि १२ १/२ सौ से ऊपर पाने वाले को यह रियायत नहीं मिलेगी। यह मामला वहां पर रुक गया, उसके बाद ३ दिसम्बर को माननीय मुख्य मंत्री से पुनः वार्ता हुयी और माननीय मुख्य मंत्री जी की हिदायत पर माननीय वित्त मंत्री जी से भी वे ४ नवम्बर को मिले। उनके सामने उन्होंने अपनी पूरी मांगें रखीं और वे सराहना करते हैं कि वित्त मंत्री जी ने उनकी बातों को ध्यान से सुना। उसके बाद वित्त मंत्री जी ने १० नवम्बर, १९७२ को वाराणसी में एलान किया। अगर यह बात सही है तो १२ १।२ सौ के ऊपर भी केन्द्रीय भत्ता मिलेगा। इसका प्रसारण भी उस तारीख को आल इंडिया रेडियो से हुआ और ११ नवम्बर को नेशनल हेराल्ड के मुख्य पृष्ठ पर यह समाचार छपा। और उन्होंने यह भी कहा कि बोर्ड इस सम्बन्ध में निर्णय ले ले, सरकार इसको देखे। लेकिन इसके बाद यह मामला जहां का तहां रुक गया और यह तय नहीं हो पाया।

फिर विधान सभा की पिछली बैठक के तुरन्त बाद, संघ के पदाधिकारी हमसे मिले और मैं समझता हूं कि हमारी तरह से वे दूसरों से भी मिले। मुख्य मंत्री जी अपने चुनाव के उलझन में पड़े हुए थे। इसलिये मैंने विद्युत मंत्री जी से कहा कि इसके लिये हड़ताल फिर से शुरू होने वाली है। अगर यह हड़ताल शुरू हो गई तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगी। मिलिट्री के लोग हमारे

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यहां के जो बड़े उत्पादन केन्द्र हैं इनका संचालन नहीं कर सकेंगे। इसलिये भारी संकट प्रदेश के सामने आयेगा। मालूम नहीं उनसे बातचीत की या नहीं। लेकिन ऐसा लगता है कि यह मामला जहां का तहां पड़ा रह गया और हड़ताल की नौबत आ गई।

मान्यवर, यह हड़ताल शुरू होने वाली थी पहले लेकिन आहिस्ता आहिस्ता यह 16 जनवरी से हड़ताल शुरू हो गई। उसका नतीजा देख रहे हैं हम, जैसा कि माधव प्रसाद जी त्रिपाठी ने कहा कि व्यापार बन्द, उद्योग बन्द, खेती को नुकसान हो रहा है। जो घरेलू जरूरत है पानी की वह नहीं मिल रहा है। आदमी आदमी को पानी के लिये तरसना पड़ रहा है। आटे की चक्कियों में जहां आटा पिसता है उसके लिये लोग परेशान हो रहे हैं। इस तरह से पूरा गतिरोध है। मान्यवर, विधान सभा में रोशनी है, हमारे यहां मान लीजिये दारुलशफा में रोशनी है बाकी शहरों में आप राजधानी के बाहर चले जाइये तो लोगों को बिजली नहीं मिल रही है। सारे प्रदेश का व्यापार ठप है। हर तरह से उसका असर अस्पतालों में और दूसरे केन्द्रों में भी पड़ रहा है और वह भी बढ़ रहा है। मिलेट्री के इंजीनियर्स को आपने लगा रक्खा है लेकिन उनसे कुछ भी करते धरते नहीं बन रहा है और नतीजा यह है कि उत्पादन बन्द है। तो ऐसी हालत में एक तरफ तो आप मौके-मौके सहमति प्रकट करते हैं उनके साथ अपनी रजामन्दी जाहिर करते हैं यहां तक कि सार्वजनिक रूप से उसका ऐलान कर देते हैं। तो खाली इसमें अभियन्ताओं का दोष नहीं है। इस हड़ताल में सरकार भी बराबर की सहयोगी है।

एक तरफ तो ऐलान करते हैं फिर उसको पूरा नहीं करते हैं---जहां तक कि उनको डी० ए० की मांग का सवाल है। जो उनकी दूसरी मांग है टाइम-स्केल वह उनको मिलना चाहिये समयबद्ध वेतन उनको मिलना चाहिये। यह उनकी मांग है। उनका यह कहना है कि आज की हालत में बहुत कम इंजीनियर्स और खास तौर पर जो सहायक अभियन्ता है---उसको ऊंची जगह पर पहुंचने में शायद ही कभी मौका मिले। उनका पूरा सेवाकाल बीत जायेगा लेकिन उनको मौका नहीं मिलेगा। उसका नतीजा यह होगा कि जिस वक्त भर्ती हुई थी उसके बाद से पूरे सेवा काल तक उनको पदोन्नति मिलने वाली नहीं है और पूरे सेवा काल में आज वे जहां हैं वहीं रह जायेंगे। ऐसी हालत में टाइम स्केल वाली मांग इसलिये जायज हो जाती है कि इस तरह का इन्सैन्टिव अगर नहीं रहेगा तो लोग काम क्यों करेंगे और हर जगह और सब जगह ऐसा होता है---चाहे आप इधर से उधर चले जायं।

दूसरे देशों में भी लोग अपनी जगह पर ही रहते हैं लेकिन अपनी जगह पर ही बराबर तरक्की होती चली जाती है। और अपने बड़े से बड़े अफसर की तनख्वाह उसी जगह पर बने रहते हुए पाते हैं। यह प्रेरणा बनी रहती है। लेकिन यह हमारे यहां नहीं है। एक कर्मचारी भरती हुआ उसको उसी जगह सड़ा दिया जाता है। इस लिये मैं कहूंगा कि इसमें भी हमदर्दी के साथ विचार होना चाहिये। लेकिन इसका टर्म आफ रेफरेन्स ही नहीं बनाया गया जो आयोग बिठाया है उसके लिये। नतीजा यह हुआ है कि उन्होंने एक सदस्यीय आयोग का भी बहिष्कार किया और इसलिये इस पर हमदर्दी से विचार होना चाहिये था वह नहीं हुआ। और जो आयोग है उसका बहिष्कार किया गया क्या मंत्री जी इसको बतायेंगे कि क्या यह बात सही है ?

इसी तरह से उनकी और एक मांग है उनका कहना है कि 1500 इन्जीनियर्स हैं और उनमें से शायद ही कोई स्थायी या मुस्तकिल हो पाया हो। बोर्ड के जन्म के पहले जो सरकारी सेवा में थे और डपुटेशन पर आ गये। सरकारी सेवा में मुस्तकिल हो गये और जो बोर्ड की सेवा में आकर रत हो गये वे गैर मुस्तकिल हो गये। जब यह हालत रहेगी कि सारे के सारे लोग गैर मुस्तकिल या आज भरती किय गये और कल निकालने की नौबत आ गयी तो क्या होगा। मान्यवर, अभी भी आपको सैकड़ों साल लगेंगे जब कि बिजली का उत्तरोत्तर विकास होता चला जायेगा। इससे कर्मचारियों की मांग बढ़ती जायेगी फिर भी आपको

[श्री अनन्तराम जायसवाल]

इनको अस्थायी बनाये हुए हैं और आकरण अस्थायी रक्खे हैं जिनसे उन लोगों में शिकायत की नौबत आ जाय ।

इसी तरह से वह मांग कर रहे है कि प्रयोजना भत्ता दिया जाय। उनका कहना है कि हम लोग बाहर काम करते है, ऐसी योजनाओं पर काम करते हैं जहां न अस्पताल की सुविधा है, न पढ़ने की सुविधा है और न अन्य सुविधाएं है। ऐसी जगहों पर जो हमारे साथी काम करते हैं उनको भत्ता मिलना चाहिये। इसके बारे में हमदर्दी से विचार करने की गुंजायश है। फिर उनकी मांग यह है कि आवास सुविधा भी नहीं मिलती। दूसरे विभाग के लोगों को आसानी से अवास की सुविधा मिल जाती है। मैं कहना चाहता हूं कि आप आई० ए० एस० कैडर के लोगों को देखें। यहां लखनऊ में उनके मकान होंगे लेकिन दूसरी जगह रह रहे हैं। जब उनका ट्रांसफर होता है तब भी वह सरकारी मकानों पर कब्जा किये रहते हैं। लेकिन इनके अलावा दूसरे लोगों की सुविधा की ओर आपका ध्यान नहीं जाता जिसका नतीजा है कि लोगों में असंतोष होता है। फिर उनका कहना है कि लेख पद्धति में सुधार किया जाय। सबसे बड़ी बात है कि बोर्ड का संचालन अभियन्ता करे।

आज हालत यह है मान्यवर, कि जो पदानुगत अधिकार है उनसे सपन्न आई० ए० एस० कैडर है। कुछ ऐसा इन्होंने सरकार को ग्रसित कर लिया है कि सरकार उभर नहीं पती कोई भी जगह हो वह घुस जाते हैं। विद्युत परिषद् के अध्यक्ष पद के लिए वह किसी भी तरह क्वालीफाइड नहीं है। जो प्रशासनिक सेवा है उसमें फर्स्ट क्लास विद्यार्थी जाना पसन्द नहीं करते। वह या तो डाक्टर्स की सेवा को पसन्द करते हैं या इंजीनियरिंग को पसन्द करते हैं। तो मान्यवर, छटा हुआ कैडर इन सेवाओं में जाता है। वहां उसकी प्राविधिक शिक्षा होती है। लेकिन जब वह नौकरी में आता है तो देखता है कि आई० ए० एस० का आफिसर जो केवल गाल बाजाता है और कामा फुलस्टाप ठीक करता है, यह भी नहीं यह भी सब नीचे के स्तर पर सुपरिन्टेन्डेन्ट करता है और वह केवल नीचे से तैयार हुये ड्राफ्ट को कुछ सुधारता रहता है, इसको सारी सुविधाएं मिल रही है। इसका कारण यह है कि उनकी पहुंच मिनिस्टर्स तक होती है। सिक्रेटेरियट का जो गठन है तो उसके नाते उनकी पहुंच मिनिस्टर तक रहती है। उनको कुछ मौका भी मिल जाता है कि वह चुगली कर सके, एक जगह से दूसरी जगह कब्जा करते जाय लेकिन अभियन्ताओं को कोई मौका नहीं मिलता। उनमें असंतोष होता है।

बहस शुरू होने के थोड़ी देर पहले भानुप्रताप जी से बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि विद्युत् परिषद् में जाकर देखें तो बहुत ठाठ बाट है जहां गाल बजाने वाले लोग बैठते हैं। एक अभियन्ता को पंचबगलियां में टिन शेड के नीचे काम करना पड़ता है जहां गर्मी में लू और जाड़े में ठिठुरन। लेकिन आई० ए० एस० अफसर वातानुकूलित वातावरण में काम करता है जिसमें कालीन, कुर्सी का ऐसा इन्तजाम कि देखकर बड़े से बड़ा नबाव भी मात खा जाय। मेरा तो वहां जाने का इत्तिफाक नहीं हुआ लेकिन जो लोग गये हैं वह कहते है कि इस तरह का अलगाव है। यह सारी सुविधाओं को उठाकर उसको जलील करते हैं, रोब गांठते हैं। आज देश की एकता को इस प्रकार का भेद और दुराव तोड़ रहा है और वह फिर प्रस्फुटित होता इस तरह की हड़तालों में। आज यह हो रहा है कि नित्य जीवन के नये-नये स्तर स्थापित होते जा रहे हैं।

एक तरफ शान शौकत, ठाट बाट से रहने वाले लोग है (इस समय 5 बजकर 15 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री शिवराज सिंह पीठासीन हुए) जो किसी मेहनत या विशेष योग्यता में नहीं आते हैं लेकिन काम चोरी करके ऊपर पहुंच जाते हैं और दूसरी ओर रात दिन मेहनत करके भी ऊपर नहीं पहुंच पाते हैं । इससे कलह बढ़ती है। हमारी न्यूनतम आमदनी और खर्चा क्या हो इसकी मर्यादा नहीं रक्खी गई है। इससे कलह बढ़ती जा रही है। अग्रेजों के खिलाफ जब आन्दोलन चला था तो प्रस्ताव था कि किसी कर्मचारी को 500 रुपये

से ऊपर वेतन नहीं मिलना चाहिये। लेकिन वह प्रस्ताव नादानी का प्रस्ताव था, क्योंकि खाली नौकरशाही पर ही हो और बाकी छोड़ दिये जायं तो चारों ओर लालच हो जावेगा और एक वर्ग पर यह रह जावेगा। लेकिन अब आप हिन्दुस्तान में यह मर्यादा कायम कर सकते थे ऐसा न करने से कलह बढ़ती जा रही है और यह संकट हमारे सामने हैं। इसको हमदर्दी से न समझने से यह मामला चलता रहेगा।

(इस समय 5 बज कर 16 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

अनुशासन की कार्यवाही जिन पर होती है उनको महीनों और सालों निलम्बित रहना पड़ता है। उनको चार्ज शीट नहीं मिलती है। नियम बना रक्खा है कि 6 महीने में कार्यवाही का निस्तारण हो जाना चाहिये। इस नियम का पालन क्यों नहीं होता है। असेम्बली में पूछा जाता है फिर भी कार्यवाही अधिकारियों को दोषी करके दंडित नहीं किया जाता है। बहुत से बेगुनाह लोगों को सालों परेशान होना पड़ता है। क्या कोई इंजीनियर बोर्ड का संचालन नहीं कर सकता है ? सिंचाई सचिव के लिये उत्तर प्रदेश के मुख्य अभियन्ता को सेन्ट्रल वाटर एन्ड पावर कमीशन ने लिया है। सेन्टर वाले हमारे अभियन्ताओं को ऊंची तनख्वाह देकर अपने यहां ले जा रहे हैं लेकिन हमारे यहां उनकी मांगों को सुना भी नहीं जाता है। इस कारण वह यहां से भाग रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

आपका समय समाप्त हो गया।

श्री अनन्त राम जायसवाल—

इन शब्दों के साथ मैं कहना चाहता हूं कि यह सरकार बराबर दोषी है और इसके कारण इस प्रदेश को संकट का सामना करना पड़ रहा है। इस कारण इस सरकार के रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसको जाना चाहिये।

*श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी-गढ़वाल)—

मान्यवर, आज प्रदेश के अन्दर गंभीर स्थिति है। आर्थिक जीवन ठप्प हो गया है, खेतों में पानी नहीं पहुंच रहा है। कल-कारखाने ठप्प हो गये हैं और इसका असर सिर्फ मैदानी क्षेत्र पर ही नहीं है, पर्वतीय क्षेत्र पर भी इसका प्रभाव पड़ चुका है। तमाम छोटे-छोटे नये धंधे बंद हो गये और नगरों में अंधेरा छाया हुआ है। 90 प्रतिशत इंजीनियर आज हड़ताल पर हैं। आज तक कहा जाता था कि मजदूर हड़ताल करते हैं। राजनैतिक दल इनको भड़काते हैं और वगैर पढ़े लिखे होने के कारण वह हड़ताल कर देते हैं। लेकिन यह इंजीनियर तो पढ़े लिखे लोग हैं फिर यह रास्ता क्यों अपना रहे हैं जो वगैर पढ़े लिखे लोग अपनाते थे।

मैं यह कहना चाहता हूं कि श्री चरण सिंह का भाषण हुआ। एक तरफ तो कहते हैं कि मांगे सही हैं और दूसरी ओर कहते हैं कि हड़ताल गलत है। अगर मांगें सही हैं तो कर्मचारी हड़ताल करने का अधिकारी है। क्या मांगे हैं और उनकी ऐसी कौन सी मांगे हैं जिनको सरकार सिद्धान्तः अस्वीकार कर सकती है। वे टेक्निकली क्वालीफाइड लोग हैं, उनके ऊपर विश्वास नहीं है जो कि आपकी योजनाओं को कार्यान्वित करेंगे, जो आपके प्रोजेक्ट बनायेंगे। यकीन किस पर है ? आई०ए०एस० के ऊपर है। और यह आई०ए०एस० ऐसी बला है कि आपकी जो कामर्शियल इन्स्टीटयूशन्स हैं, जहां कि एक व्यापारी आदमी चाहिये, वहां आई०ए०एस० काम करेगा। किसी कारखाने के संचालन का काम है, वहां आई०ए०एस०, किसी मिल के ऐडमिनिस्ट्रेशन का काम, वहां आई० ए० एस०

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गोविन्द सिंह नेगी]

और पी०सी०एस० । कोई भी सरकारी संस्था बन जाय उसमें आई०ए०एस०/पी०सी०एस० बैठा देते हैं । तो उनके अंदर असंतोष है । और वह जायज है । उसे हल्के ढंग से टाला नहीं जा सकता ।

दूसरी मांग उनको परमानेंट बनाने की है । आप स्वयं स्वीकार करते हैं कि प्रदेश के विद्युतीकरण के लिये आपके पास विशाल योजनायें हैं । आप स्वयं स्वीकार करते हैं कि प्रदेश के अंदर विद्युत् के प्रसार के लिये बहुत बड़ा कार्य-क्रम चलाया जा रहा है । अगर वह कार्य-क्रम चलाया जा रहा है और जो योजनायें आपके सामने हैं, तो जो इंजीनियर काम करते हैं उसमें उनको परमानेंट बनाने में कौनसी दिक्कत है । वे पहले सरकारी सेवा में थे । स्थायी थे । वहां से स्तीफा देकर आपके यहां आये, आपने स्तीफा मांगा । विद्युत् बोर्ड में आकर वे अस्थायी हो गये । यह किस तरह की सच्चाई है ।

दूसरी मांग टाइम–स्केल की है । सही बात है । आप यह सुविधा आई०ए०एस० को देते हैं । बड़े-बड़े कमीश्नरों को टाइम-स्केल दिया जा रहा है । मैं पूछना चाहता हूं कि उसी क्वालीफिकेशन के आपके एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर्स, सुपरेंटेंडिंग इंजीनियर्स हैं । आप उनको भी टाइम-स्केल क्यों नहीं देते । हकीकत है । एक बेचारा असिस्टेंट इंजीनियर्स जो आज नौकरी में आयेगा, 15/20 साल तक असिस्टेंट इंजीनियर ही रहेगा । उसको पदोन्नति नहीं मिलेगी । तो कम से कम जो उसको आर्थिक लाभ होना चाहिये, जो कि आप आई० ए०एस० के बारे में स्वीकार कर रहे हैं और दे रहे हैं, उसको देने में क्या आपत्ति है । नियम मौजूद हैं, स्टेट्यूटरी नियम हैं । बाय-लाज हैं । सरकार का कोई जी०ओ० भी चला गया कि 6 महीने से ज्यादा किसी भी कर्मचारी को सस्पेंड नहीं रखा जायेगा । वर्ष हो गये । चार्जशीट दे रखी है । उसके बाद सस्पेंशन करते हैं । चार्जशीट तब देते हैं, जब सहादत पहुंच जाती है । चार्जशीट और सहादत मौजूद है, तो क्यों विलम्ब होता है अनुशासनिक कार्यवाही में ।

तीसरी मांग है उनकी वेतन की । देश के अन्य सूबों के अंदर इंजीनियर्स का कुछ वेतन और उत्तर प्रदेश, जो इतना बड़ा प्रदेश है, इतने बड़े कार्यक्रम है विद्युतीकरण के, यहां दूसरा वेतन है । उनकी मांग है कि जो देश के अन्य सूबों के अंदर विद्युत् परिषद् बन गये हैं, उनके अंदर जो वेतन-मान देते हैं, वह उनको दें । लेकिन वस्तु स्थिति क्या है ? बिजली बोर्ड के दफ्तर में आपके आई० ए० ए स० आलीशान भवन में, वातानुकूलित भवन में ऐशो-आराम की जिन्दगी बिताते हैं, लेकिन एक इंजीनियर जो दूरस्थ अन्तराल में शारीरिक मेहनत करते हैं, दोपहरी में, ठंडक में, तमाम तकलीफों को झेलते हुये काम करते हैं, उनको कोई एलाउन्स नहीं ।

मान्यवर, कैसे जगह वे काम करते हैं ? उन जगहों में वे काम करते हैं जहां उनके बाल-बच्चों के लिये स्कूल की सुविधा नहीं, चिकित्सा की सुविधा नहीं, डाक्टर नहीं, मनोरंजन के कोई साधन नहीं । उन जगहों पर वे काम करते हैं । उसके बरखिलाफ आप सिविल सर्वेन्टस को चाहें वे सचिवालय में बैठें और चाहे विद्युत् भवन बैठें तमाम सुविधायें देते हैं । ऐसी स्थिति में अगर वे प्रोजेक्ट एलाउन्स की बात करते हैं तो उनकी तरफ से यह ज्यादती नहीं है । मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि अब तक तो मजदूर हड़ताल पर थे और आपने फौज की मदद से टरबाइन्स को चलाने की कोशिश की थी । उसका नतीजा आपने फौरन देख लिया किस तरीके से टरबाइन्स चलायी गयीं । जब हड़ताल खत्म हुयी तब आपकी तरफ से वक्तव्य आने शुरु होने लगे कि उत्पादन घटना शुरू हो गया है और जब मजदूरों की हड़ताल चल रही थी तब सरकार की तरफ से वक्तव्य आते थे कि उत्पादन बढ़ रहा है । आज आप इंजीनियरों के बिना सेना के जरिये अगर टरबाईन्स को चलाना चाहेंगे तो मैं आपसे निवेदन करुंगा कि आप पिछली हड़ताल का तजुर्बा लीजिए, कहीं ऐसा न हो कि हड़ताल के बाद स्थिति और खराब हो जाए ।

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं। वे तो बड़े उदार व्यक्ति हैं। उन्होंने ऐसे संकट के समय बड़ा उदारता के कई परिचय दिये हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे इस मामले में हस्तक्षेप करें और इंजीनियरों को बुलायें। इतना संकट पैदा हो गया है उसको और अधिक गहरा न होने दें। मैं यकीन करता हूं कि वे ऐसा दृष्टिकोण नहीं अपनायेंगे जिसके बारे में चौधरी चरण सिंह जी ने कहा और आप इसको प्रेस्टिज प्वाइन्ट नहीं बनायेंगे। अगर आपने इस समस्या को पुलिस, फौज और गोलियों के जरिये साल्व करने की कोशिश की तो यह प्रदेश तबाह हो जायगा।

श्री अध्यक्ष--

मैं समझता हूं कि बोलने वाले अधिक हैं। हर एक सदस्य 7-7 मिनट ले ले। यह मैं समझता हूं ठीक है।

श्री हुकुम सिंह परिहार (जिला आगरा)--

मेरा व्वयस्था का प्रश्न है। समस्त पार्टियों के नेता बोल चुके हैं। मैं बार-बार खड़ा हुआ हूं लेकिन आपने मुझे समय नहीं दिया है।

श्री अध्यक्ष--

अभी तक माननीय जायसवाल साहब ने 2-3 नामों के बारे में नहीं कहा है कि वे अपना इस्तीफा दे गये हैं।

श्री हुकुम सिंह परिहार--

वे संसोपा के नेता हैं। उन्होंने स्वयं ही स्पष्टीकरण कर दिया है।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

इस झगड़े को बाद में ले लीजियेगा।

श्री हबीब अहमद (जिला इलाहाबाद)--

पहला राउन्ड खत्म हो जाने दीजिये।

श्री अध्यक्ष--

आपको मौका देंगे।

*श्री चन्द्रभान शर्मा--

अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई शक नहीं है कि इंजीनियरों की मांगों के बारे में विद्युत मंत्री की तरफ से एक बड़ी भारी कमी हुयी है और वह कमी यह है कि हमारे प्रदेश के विद्युत मंत्री इतने कमजोर हैं कि उनके ऊपर विद्युत बोर्ड के चेयरमैन जो आई०ए०एस० आफिसर हैं इस कदर हावी हैं कि उनके दिमाग के ऊपर हमेशा चेयरमैन का डर बना रहता है। वे उनसे ऐसे डरते हैं जैसे, शेर से बकरी। मैं दो बार मंत्री जी से विद्युत् परिषद् के चेयरमैन के बारे में बात करने गया। मैंने अपनी रिजेनेबिल बात उनके सामने रखी, मगर उनके मुंह से यही निकला कि वे नाराज हो जायेंगे, वे आई०ए०एस० आफिसर हैं।

आज जो उत्तर प्रदेश में बिजली का संकट है वह इसलिये है कि आपने आई०ए०एस० आफिसरों को मसलहत से बिठाया हुआ है। आपके बुरे रवैये की वजह से, और कोताह नजरिये की वजह से तमाम डिपार्टमेंटस में इनफिरियारिटी कांप्लेक्स है। और वह यह महसूस करते है कि जो

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चन्द्रभान शर्मा]

नान-टेक्निकल आदमी जिसकी इंटेग्रिटी ठीक नहीं है, इखलाक ठीक नहीं है, कार्य करने का तरीका ठीक नहीं है और बरताव भी पब्लिक के लोगों के साथ, डिपार्डमेंट के लोगों के साथ और मिनिस्टरों के साथ ठीक भी नहीं है, उसकी वजह से इनके अन्दर कमजोरी और गन्दगी पैदा हो गयी है तो मैं कहना चाहता हूं कि आप कितनी ही कोशिश करें, जब तक इस बेसिक पालिसी को चेंज नहीं करेंगे, मजबूती पैदा नहीं करेंगे और मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक आप इस बात की ऐनालेसिस करके इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के चेयरमैन की पोस्ट को टेक्निकल आदमी से नहीं भरेंगे तब तक यह संकट टलने वाला नहीं है। यह संघर्ष जारी रहेगा और समस्यायें उत्पन्न होती रहेंगीं। इस पर गम्भीरता से विचारिये। इस वास्ते कि आई०ए०एस० कैडर डायरेक्ट, रेक्रूटेड नहीं है। बहुत से नायब तहसीलदारी से आये हैं। बहुत से तहसीलदारी से और बहुत से डिप्टी कलेक्टरी से और उसमें जो उनकी आदतें पड़ गयी हैं---भ्रष्टाचार की आदतें, खुशामद की आदतें पड़ गयी हैं वह इस ऐडमिनिस्ट्रेशन को दुख देती है और आज इस तरह के फ्रैक्शन पैदा करती हैं।

क्योंकि टाइम बहुत थोड़ा है, मैं कहूंगा कि जितनी उनकी मांगें हैं वह मानी जा सकती थीं अगर चेयरमैन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड सहानुभूतिपूर्वक और ढंग से उनको समझा कर रखते, तो आपकी तबियत पसीजती और मांगों को माना जाता। लेकिन उनका जो मगरूर दिमाग है वह छोटे कर्मचारियों की भावना को पसन्द नहीं करता और वह बदले की भावना रखते हैं। इसलिये मैं अनुरोध करता हूं कि चेयरमैन एक टेक्निकल आदमी होना चाहिये। पिछले दिनों सब के अन्दर यहां यह मांग उठी। उसके बाद अभियन्ता संघ के प्रेसीडेंट, सेक्रेटरी और उनका डेपुटेशन चेयरमैन इलेक्ट्रिलिटी बोर्ड के पास गया। लेकिन उनकी बात सुनने के पहले ही चेयरमैन ने यह टांट और तंज दिया कि पहले चेयरमैन टेक्निकल बनवा लीजिये तब मैं आपकी बात सुनूंगा। जिसके दिमाग में इतना खनत और फितूर भरा हो वह कैसे उनकी मांगों को सहानुभूतिपूर्वक रख सकता है और सुन सकता है। तो उनके कनफर्मेशन की बात, उनके टाइम स्केल की बात, पदों की बातें ऐसी हैं जिनको मानने को आप आज भी तैयार हैं, तैयार रहते हैं और रहना चाहिये, लेकिन उनका इंटरप्रिटेशन और रवैये की वजह से इस बोर्ड का सत्यानाश हो रहा है और अगर यही पालिसी रही तो 50 करोड़ के घाटे में नहीं हम सैकड़ों करोड़ के घाटे में चले जायेंगे और यह आई० ए० एस० का कैडर एक ऐशो-इशरत का अड्डा और मजे उड़ाने की जगह बन जायगी।

इन बातों के साथ-साथ इतना ही कहूंगा कि बेसिक पालिसीज पर अमल कीजिये और तमाम मांगों को सही तरीके से सुनिये और इस मामले को इम्मिडिएटली तय कीजिये और उनकी समस्याओं को दूर कीजिये। क्योंकि तीन प्रान्तों में अकाल पड़ रहा है, चौथा प्रान्त यू० पी० का होगा। रबी की फसल है, पानी की अजहद जरूरत है। ट्यूबवेल बन्द पड़े हैं। मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, देहरादून में यह हालत है कि रात को कोई किसी को लूट ले, किसी को मार दे, हाथ को हाथ नहीं सूझता। आपको इन चीजों को लखनऊ में अहसास नहीं होता कि देहात में क्या हो रहा है, इंडस्ट्री की क्या हालत है, शहरों में कितना अन्धकार है। इस वास्ते मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसको प्रेस्टिज ईश्यू न बनाकर प्रदेश की जनता पर रहम करें।

श्री अध्यक्ष--

श्री राज मंगल पांडेय।

श्री राज मंगल पांडेय (जिला देवरिया)--

मान्यवर,.....

श्री हुकुम सिंह परिहार--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है....

श्री नित्यानन्द स्वामी--

मैं व्यवस्था चाहता हूं.....(व्यवधान).....5 मिनट तो दीजिये जो नोटिस देते हैं ? कोई सदन के अन्दर व्यवस्था होनी चाहिये। अगर सरकारी पक्ष से किसी को बुलाते हैं तो मंत्री जी को कहिये...

श्री अध्यक्ष--

अब बुला लिया है तो ठीक है।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

यह कोई ऐसा डिबेट नहीं है कि एक इधर से और एक उधर से बोले। उसका जवाब तो मंत्री जी देंगे।

श्री राम बिलास पांडेय (जिला आजमगढ़)--

हम लोगों ने कार्य-स्थगन प्रस्ताव दिया है। हम लोगों को तो बुलवा लेते। उसके बाद मुख्य मंत्री जी बोल लेते।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

एक फैसला हमेशा के लिये कर दीजिये। जो लोग नोटिस देते हैं, एक नोटिस में अगर 10 नाम हैं तो एक को आप बुला लीजिये लेकिन जब अलग-अलग नोटिस देते हैं.....

श्री अध्यक्ष--

अब उनको बुला लिया है तो बुला लिया।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

अगर आपने गलत बुला लिया है तो मैं आपसे इसकी व्यवस्था चाहता हूं। आखिर इस सदन में आप नियमों के अनुसार काम करेंगे या नहीं ?

श्री अध्यक्ष--

नियमों के हिसाब से बुला सकते हैं।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

कोई नियम ऐसा नहीं है। मैं आपको नियम बताता हूं। नियमावली के अनुसार आपको बुलाना चाहिये जिसने नोटिस दिया है उसको। आप नियम 56 निकालिये।

श्री राज मंगल पांडेय--

अगर 20 आदमियों ने नोटिस दी है तो क्या बीसों को बुलायेंगे ?

श्री नित्यानन्द स्वामी--

एक नोटिस में अगर कई लोगों ने हस्ताक्षर किये हैं तो एक को बुलायेंगे लेकिन अगर अलग-अलग नोटिस दिये हैं तो हर एक को बुलाना पड़ेगा चाहे आप समय बढ़ाइये चाहे कुछ करिये। यह हम पिछले कई बार से देख रहे हैं कि आप केवल एक आदमी को बुला लेते हैं।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठे। पहले उनको बोल लेने दीजिये। उनको बुला चुके हैं।

श्री हुकुम सिंह परिहार—

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। अगर आप मुझे समय नहीं देते हैं तो यह एक पार्टी के साथ अन्याय है।

श्री भगेलू सिंह (जिला गोंडा)—

हुकुम सिंह परिहार इन्दिरा के भोंपू हैं।

श्री हुकुम सिंह परिहार—

यह गुप्ता पार्टी बोल रही है।

आपने इस फैसले को लटकाये रखा है। सात दिन पहले एक पार्टी का चुनाव हुआ। आपने अभी तक उसको लटकाये रखा है और नेता पद की घोषणा नहीं की। इसलिये मैं इस सदन का त्याग करता हूं।

(श्री हुकुम सिंह परिहार सदन त्याग कर चले गये।)

श्री भगेलू सिंह—

जाने दीजिये, यह इन्दिरा के भोंपू हैं।

श्री अध्यक्ष—

मैं उनको बोलने की इजाजत दे देता। लेकिन खैर, चले गये तो चले गये।

*श्री राज मंगल पांडेय—

मान्यवर, इसके पहले कि मैं कुछ कहूं मैं चौधरी साहब को इस माने में बधाई देना चाहता हूं कि इन्होंने बड़ी निर्भीकता से यह माना कि सरकारी कर्मचारी और खासकर जो राजपत्रित कर्मचारी हैं उनको इस तरीके से हड़ताल करने का कोई हक नहीं है। आज यह प्रश्न नहीं है कि इन इंजीनियरों की मांगे उचित हैं या नहीं। प्रश्न तो यह है कि इस प्रदेश में खरीफ के पहले सरकार को सूखे का सामना करना पड़ा था। करोड़ों रूपये दुर्भिक्ष सहायता के रूप में देने पड़े। प्रदेश के कोने-कोने में टेस्ट वर्क्स चलाये जा रहे हैं ताकि वहां के गरीब लोगों को रोजी रोटी मिल सके। तो एक तरफ तो हमारी खरीफ की सारी फसल बरबाद हो गयी और दूसरी तरफ जब रबी की सिंचाई का मौका आया तो इन इंजीनियरों ने हड़ताल कर दी।

चाहे उनकी मांगें कितनी ही अच्छी क्यों न हों, इस प्रदेश का कोई भी आदमी, जिसमें जरा भी विवेक है, किसी भी सूरत में यह नहीं कह सकता कि उनकी यह हड़ताल मुनासिब है। यह केवल विद्युत बोर्ड में ही नहीं बल्कि आज इस प्रदेश में बहुत सी ऐसी सेवायें हैं जिन पर 12–12 साल से कार्यरत और फिर भी परमानेन्ट नहीं हुये। आज ये इंजीनियर्स प्रदेश के जन जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आज अन्धाकुप हो जाने से चोरियों और डकैतियों का जो हाल हो रहा है वह भी आप देख रहे हैं। उत्पादन के जितने केन्द्र हैं वह सब बन्द पड़े हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि प्रदेश की आज क्या हालत है?

आज रोलिंग फ्लावर मिल्स सारी बन्द हो गयी है। प्रदेश की 9–10 करोड़ जनता के सामने खाने की समस्या पैदा हो गयी है। अगर यह हड़ताल कुछ दिनों तक चलती रही तो

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आप अन्दाज लगा सकते हैं कि क्या स्थिति हो जायेगी। लाखों लोगों को पानी नहीं मिल सकेगा, हजारों मजदूर बेकार हो जायेंगे, उद्योग बन्द हो जायेंगे। मान्यवर, जब भी चुनाव का वक्त आता है हड़ताल शुरू हो जाती हैं और विरोध पक्ष के लोग उसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। इस सदन में पहले विवाद हो चुका है कि हड़ताल अगर करनी हो तो वह चुनाव के समय न हो, उसके काफी दिन पूर्व हो। विरोध पक्ष के लोग इनको माध्यम बना कर अपना फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। ऐसे समय में जब कि प्रदेश की बुरी हालत हो, हड़ताल करना मुनासिब नहीं है, भले ही मांगे कितनी ही सही क्यों न हों विरोध पक्ष की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। इन इंजीनियरों की बहुत सी मांगे मान ली गयी हैं, कुछ मांगों के बारे में आश्वासन भी दिया गया है, एक कमीशन जो बैठा है उसको भी मामला दे दिया गया है। उसकी रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है.... (व्यवधान) .... तो जब तक उनको निश्चित रुप से यह पता न हो जाये कि उनकी मांगे स्वीकार नहीं होंगी, इस तरह का कदम उठाना और ऐसे समय जब कि उनकी सर्विसेज की अत्यन्त आवश्यकता हो, मुनासिब नहीं कहा जा सकता।

आई० ए० एस० और आई० सी० एस० तथा इन्जीनियरों के बीच फर्क डालने की जो कोशिश की जाती है वह भी गलत है। इस विद्युत परिषद् में पहले एस० एन० सिंह साहब थे। वे बहुत बड़े इंजीनियर थे। उनका यहां पर कई बार विरोध किया गया, उनके ऊपर कई भ्रष्टाचर आदि के गम्भीर आरोप लगाये गये। उनकी योग्यता पर भी आक्षेप किया गया। यह कहा गया कि इनको निकाल देना चाहिये। वह एक तजुर्बा किया गया। अब यह दूसरा तजुर्बा कर रहे हैं। जहां तक श्री त्रिवेदी जी का प्रश्न है, एक एक्जीक्यूटिव इंजीनियर ने मुझसे यह कहा कि त्रिवेदी जी के काल में विद्युत परिषद् में काफी सुधार हुआ है। जहां इतना भ्रष्टाचार हो वहां उसे रोकने में काफी समय लगता है, इसलिये अभी समय चाहिये। लेकिन इसको स्वीकार करना पड़ेगा आज त्रिवेदी जी के जमाने में बहुत काम हुआ है। हो रहा है और होने की आशा है।

एक सदस्य—

इनको चीफ मिनिस्टर बना दीजिये।

श्री राज मंगल पांडेय—

आप इंजीनियरों और सर्विसेज में कोई मतभेद पैदा करने की कोशिश न करें। यह मुनासिब भी नहीं है कि हम उनके बीच कोई खाई पैदा करने की कोशिश करें। मैं विरोध पक्ष से निवेदन करूंगा कि यह समय ऐसा नहीं है कि जब इन इंजीनियरों की इस हड़ताल में सहायता की जाय। हड़ताल के लिये इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही होना चाहिये ताकि उनको नसीहत मिल सके। उनको यह मालूम होना चाहिये कि अगर वे गलत काम करेंगे तो शासन उसको बरदाश्त नहीं करेगा।

*श्री नित्यानन्द स्वामी—

अध्यक्ष महोदय, मैं केवल 3 बातें सदन के सामने रखूंगा। पहली बात तो यह रखना चाहता हूं कि आज जो स्थिति है वह बड़ी गम्भीर है। कोई आक्षेप करने से ज्यादा लाभ नहीं होगा। देहरादून की दो दिनों की स्थिति मुझे मालूम है, लखनऊ आदि जिलों के बारे में अखबारों में पढ़ा है और आज स्थिति इतनी खराब हो गयी है कि एसेन्शियल सर्विसेज पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। पीने के पानी की भी समस्या पैदा हो गयी है, अस्पतालों के सामने भी भीषण संकट पैदा हो गया है। ऐसे वक्त हमको इस प्रश्न को कोई प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाना चाहिये। उसको दूर रखकर विचार करना चाहिये। (व्यवधान)।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नित्यानन्द स्वामी]

आपके और इंजीनियर्स के बीच जो झगड़ा है, इंजीनियर्स गलत हैं या आप गलत हैं, यह चाहे चार दिन बाद फैसला हो जाये, लेकिन तब तक यहां की जनता के साथ जो खिलवाड़ होगा, जो उसको परेशानी झेलनी पड़ेगी, उसको सुधारने का दायित्व सरकार का है, इस बात से सरकार "न" नहीं कह सकती। यह बात बहस की हो सकती है, इसको लेकर एक डिबेट हो सकता है कि उनको स्ट्राइक का अधिकार दिया जाये या नहीं। लेकिन यदि विद्युत परिषद् के अध्यक्ष जी, उस ट्रेड यूनियन का उद्घाटन करें, उस पार्टी की ट्रेड यूनियन का उद्घाटन करें, जिसे गोबिन्द सिंह नेगी जी चलाते हैं, तो मुझको बताया जाये कि उनके इस क्रिया कलाप से ट्रेड यूनियन मूवमेंट को बढ़ावा मिलेगा या नहीं, उसको प्रोत्साहान मिलगा या नही ? यह बात आपके विचारने की है। माननीय सदस्यों को स्मरण होगा कि इस बात को लेकर मैंने हाउस में एक प्रश्न भी उठाया था कि क्या यह सच है कि उन्होंने उस ट्रेड यूनियन का उद्घाटन किया और क्या उनको उस ट्रेड यूनियन के बीच में जाना चाहिए था या नहीं। शायद आपने हमारी उस बात का और उससे आगे होने वाले परिणामों की ओर ध्यान नहीं दिया।

अब मैं आपके सामने कुछ और विचारणीय विषय रखना चाहता हूं। जो हमारे आस-पास के प्रान्त हैं, उनके अन्दर जो इंजीनियर्स के वेतनमान हैं उनको आप देखें। वहां पर असिस्टेंट इंजीनियर का 500 से 1,100 का ग्रेड है, जबकि उत्तरप्रदेश में 300 से 900 का ग्रेड है। यह मैं अपने पड़ोसी राज्यों हिमांचल प्रदेश और हरियाणा की बात बता रहा हूं। वहां पर एक्जीक्यूटिव इंजीनियर का ग्रेड 800 से 1,600 रुपया है और हमारे यहां 600 से 1250 रुपया है। सुपरिन्टेंडेंट का ग्रेड उन राज्यों में 1,600 से 2,000 रु० का है जबकि हमारे प्रदेश में 1300 से है। अब आगे की बात मैं इसलिये नहीं कहता कि उस पर इस संदर्भ में ज्यादा विचार होना आवश्यक नहीं है। यदि आप समान कार्य के लिये समान वेतन के सिद्धान्त को स्वीकार करते हैं, तो क्या कारण है कि पड़ोसी राज्यों के इंजीनियर्स को ज्यादा वेतन मिले और हमारे यहां के लोगों को कम मिले। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं आपसे यह जानना चाहता हूं कि कौन से ऐसे पड़ोसी राज्य हैं और कौन से ऐसे कर्मचारी हैं, जिनकी सर्विस कंडीशंस के रूल्स न बने हों। जबकि हमारे यहां स्थिति दूसरी है, यहां पर इंजीनियर्स के सर्विस रूल्स नहीं बने हैं और उसी का परिणाम यह है कि करीब 14–15 सौ इंजीनियर्स प्रमोशन को पड़े हुए हैं और करीब इतने ही स्थायी होने को रुके पड़े हैं। उनके लिये एक टाइम-स्केल होना चाहिये। जब आप उनकी इन तमाम न्यायोचित बातों पर विचार नहीं करते तो उनका एक कदम ऐसा आता है कि वे हड़ताल की तरफ जायें।

साथ ही यह भी एक बात अवश्य है कि यहां पर जो शक्ति भवन है, वहां पर एक लग्जरियस लाइफ है, लेकिन इन मांगों के अन्दर कहां पर अनौचित्य है, यह आपको देखना है। मैं श्री त्रिवेदी जी का नाम इस संदर्भ में नहीं लेना चाहता, क्या ऐसा संभव नहीं है कि एक ऐसी पोस्ट भी वहां हो, एक टेक्निकल आदमी हो, जो सभी टेक्निकल कामों को समझता हो।

उनकी यह शिकायत है कि हमारे डे-टु-डे वर्किंग को समझने वाला वहां पर कोई आदमी नहीं है। क्या आप ऐसे आदमी की सर्विस वहां पर नहीं दे सकते हैं। मैंने एक बात और कहा था यदि ये लोग विद्युत के बारे में कोई फैसला ले लें तो सन् 1980 तक उत्तर प्रदेश में पूर्ण ब्लैक-आउट हो जाएगा। जितना ज्यादा विद्युत उत्पादन हो रहा है, उससे ज्यादा हम उसका उपभोग कर रहे हैं। नये कनेक्शन हम देते चले जा रहे हैं, नये उद्योग धंधों को बिजली देते चले जा रहे हैं, किन्तु विद्युत उत्पादन उस गति से बिलकुल नहीं बढ़ रहा है। एक बात मैं और कहना चाहता हूं जिसे बार-बार कहा जा चुका है और यहां पर नहीं कहना चाहता था किन्तु सन्दर्भवश कहना पड़ता है, कहीं पर आप पौने दो पैसे प्रति यूनिट बिजली दें और कहीं पर 42 पैसे में बिजली दें। साधारण उपभोक्ता 42 पैसों में बिजली लेता है। यह जो विषम असमानता है, यह चीज भी आज जनमानस पर जाकर बहुत चुभती है। मान्यवर, जो आपने समय मेरे लिये निर्धारित किया है, उसको ध्यान में रख कर अन्त में मैं

यही कहना चाहता हूं आज आपके लिए यह प्रेस्टीज का प्रश्न नहीं है, इसमें प्रदेश की नौ करोड़ जनता का सवाल है। आज जनजीवन में त्राहि-त्राहि मची हुई है। आप बाहर निकल कर देखें, घरों में बत्तियां बन्द हैं, सब कारोबार बंद है। कृपा करके इसको शीघ्र हल करें, नहीं तो बड़ी भारी हानि हो जायगी।"

श्री मदन मोहन मिश्र (जिला रायबरेली)—

यह रिश्वत लेते हैं।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

रिश्वत लेने वालों को फांसी दे दें। फांसी इसलिए नहीं देते, आप हिस्सेदार हैं उसमें।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

माननीय अध्यक्ष जी, यह तो बड़ी अच्छी बात है, आज यह न आया होता तो उधर से यह बात न निकलती। अध्यक्ष जी, जो घटना आज हुई है, इस सरकार के सामने, यह कोई अप्रत्याशित रूप से नहीं आयी है। यह उसका रिजल्ट है, जिस प्रकार की इस पार्टी की सरकार यहां पर और वहां पर है, वह जो कार्यक्रम कर रही है। मुझे क्षमा करेंगे, सरकार के नेता लोग जबाव देते वक्त, चूंकि शक्ति में हैं उन सारी बातों को कह देंगे। लेकिन आज ऐसा विषय उपस्थित हो गया है कि आज उस चीज को डिफेंड करने की बात कह रहे हैं जिस को उकसाने में उनका पहले हाथ रहा है। दिस इज जस्ट ए बिगिनिंग आफ दि ट्रबिल्स। तीन साल से इस देश की आर्थिक स्थिति के सम्बन्ध में, बिजली के सम्बन्ध में, खाद और पानी के सम्बन्ध में, सारी चीजों के सम्बन्ध में इस सरकार ने जितने आश्वासनों को देना शुरू कर दिया है, यह पहली मुठभेड़ अभियन्ताओं की आयी है। अभी किसानों का आयेगा, कंज्युमर्स का आयेगा, शहर में रहनेवालों का सूचकांक ऊंचा होता जा रहा है, उनका आयेगा। कितना मुकाबला होगा? मुझे अफसोस हुआ कि भाई राजमंगल पांडेय बोल रहे थे। अगर अभियन्ताओं की हड़ताल न होती, अगर इन अभियन्ताओं की शिकायत होती तो आज उनको डिफेंड करने की स्थिति में रहते। लेकिन आज हो सकता है, यह पार्टी उधर चली जाय, और उधर के लोग इधर चले आएं।

श्री राजमंगल पांडेय—

मैं उनकी मांग को, उस मौके पर, मेरा निश्चित मत है, कभी समर्थन नहीं करता।

श्री बंशीधर पांडेय—

व्यक्तिगत नहीं आपकी सरकार। इनका उदाहरण अभी दे दूं। मैंने अखबार में पढ़ा है कि उन्होंने कहा है कि सख्त कार्यवाही करेंगे और 64 अभियन्ता निकाल भी दिये गये हैं। मैं अभी कहे देता हूं, मंत्री का आश्वासन बाद में आयेगा। सरकार को बरखास्त किये हुए इंजीनियरों को रखना पड़ेगा। सबसे पहले को झुक कर बाउ करेगी। मैं यह बात पहले कह देता हूं। सरकार की जुर्रत नहीं कि निकाले हुए इंजीनियरों को बाहर रख सके। इस का कारण है, सरकारी कर्मचारियों ने हड़ताल किया था जब दोनों पार्टी की सरकार थी। कितने लोग निकाले गये थे।

1966 में हड़ताल हुई थी, जब दोनों की संयुक्त कांग्रेस सरकार थी। लेकिन 1967 में चौधरी चरण सिंह का जमाना आ गया और मैं माननीय राज मंगल पांडेय को याद दिलाऊं, जितने कमचारी निकाले गये थे, दुनिया के इतिहास में किसी सरकार ने वह कार्यक्रम नहीं किया जिनको डिस्मिस किया गया, जिस डिस्मिसल को हाई कोर्ट ने एप्रूव कर दिया, इस सरकार ने रिट्रास्पेक्टिव इफक्ट दे कर उनको अप्वाइंट किया। मैं आपसे कहना चाहता

[श्री बंशीधर पांडेय]

हूं कि यह आई०ए०एस० वर्सेज इंजीनियर्स का झगड़ा नहीं है। आई०ए०एस० भी सरकार के कर्मचारी हैं और इंजीनियर्स भी सरकार के कर्मचारी हैं।

मैं कहना चाहता हूं कि पोलिटिकल स्तर पर इस सरकार का निकम्मापन साबित हो चुका है, यहां से ले कर दिल्ली तक। जनता के अन्दर बड़े-बड़े आश्वासन पैदा कर दिये गये हैं जिनकी पूर्ति यह कभी नहीं कर सकती। गरीबी हटाओं के संबंध में क्या केंद्रीय सरकार ने 2/3 आश्वासन पूरा कर दिया ? क्या 2/3 हरिजनों को जमीन मिल गयी। बिजली तथा लोहे से संबंधित एसेंशियल सर्विसेज हैं लेकिन बिजली का उत्पादन लोहे का उत्पादन घट रहा है क्योंकि उनमें हड़तालें हो रही हैं। खाडिलकर साहब ने दिल्ली में यहां तक कह दिया कि रश पद्धति की इस सरकार पर पूरी तरह से छाप है। जहां कुछ नहीं करता है वहां पर आपस में लड़ते हैं। (व्यवधान) आपके कारण ही तो सारी मुसीबत है अक्ल आ जाय और आपके बहकावे में यह सरकार न आये तो इस देश का भला हो सकता है ऐसी स्थिति में यह सरकार अभियन्ताओं के साथ एक पीसमील डिसकशन न करे।

हरित क्रांति का दावा भी इस सरकार ने किया था। जरा सा सूखा और बाढ़ आ गयी हरित क्रांति का दीवाला निकल गया। 390 करोड़ रुपये का गल्ला बाहर से मंगाने के लिये लालायित हैं। मार्केट नहीं मिल रहा है। लोहा, बिजली तथा सीमेंट की कीमतें बढ़ गयीं, सूचकांक कितना बढ़ता जा रहा है लेकिन यह सरकार आश्वासनों के कार्ड्स आफ हाउस पर टिकी हुई है। मेरा निवेदन है कि उतने आश्वासन दीजिये जितने आप पूरा कर सकें। परिणाम इसका यह है कि हिन्दुस्तान भर में जितना लास इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को उत्तर प्रदेश में है उतना और किसी प्रदेश में नहीं है। यहां पर 25, 30 प्रतिशत का घाटा है जब कि आल इंडिया फीगर्स 12,15 तथा 17 फीसदी के हैं। लिहाजा कंसालिडेटेड रूप में बैठ कर इन सारी बातों पर यह सरकार विचार करे और और निर्णय ले और आवश्यकता होगी तो विरोधी पक्ष भी उसमें सहयोग देने को तैयार है।

*श्री भानु प्रताप सिंह (जिला बस्ती)—

अध्यक्ष महोदय, आज जो समस्या इस सदन तथा इस प्रदेश की 9 करोड़ जनता के सामने है उसके दो पहलू हैं। एक तो हड़ताल अनुचित है और दूसरे अभियन्ताओं की मांगों का औचित्य। अगर इन दोनों पहलुओं पर अलग-अलग करके विचार किया जाय तो आप किसी सही नतीजे पर पहुंच सकेंगे। जहां तक हड़ताल के औचित्य का सवाल है मैं इस बात पर सहमत नहीं हूं कि अन्य सब लोगों को तो हड़ताल की इजाजत रहे, उसे ठीक माना जाय लेकिन सरकारी कर्मचारी की हड़ताल ठीक न मानी जाय और उसे वह हक न रहे। मैं यह बात इसलिये कहता हूं कि यों भी देश में समाजवाद स्थापित करने का आपका लक्ष्य है धीरे-धीरे उधर कदम भी आप उठा रहे और एक स्टेज आयेगा ही जब इस देश में पूरे तौर से समाजवाद स्थापित होगा, उस दिन हर इंसान राज्य का नौकर होगा और वह किसी न किसी रूप में राज्य कर्मचारी होगा और आपके उस तर्क के अनुसार कि राज्य कर्मचारी हड़ताल नहीं कर सकता उस समय कोई भी हड़ताल नहीं कर सकेगा। इस तर्क को मैं स्वीकार नहीं कर सकता ऐसे अवसरों पर जब देश में संकट हो उस समय हड़ताल करना उचित नहीं है।

दूसरे देशों में जैसे जापान और जर्मनी और जापान जहां कि लोगों को अपनी जिम्मेदारियों का ख्याल है, जहां अच्छी परम्परायें बनी हैं वहां पर हड़तालें नहीं हो सकती हैं। इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि उन्होंने अपनी परम्परायें ही ऐसी बनाई हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपने कभी किसी भी वर्ग के साथ बिना हड़ताल के,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लूट मार या उपद्रव किये किसी जायज बात को माना है ? जब राज्य कर्मचारियों की हड़ताल हुई थी और 5 बजे हम लोग यहां से बाहर निकले थे तो बाहर गेट पर कर्मचारी मुख्य मंत्री को गाली देते हुये हमने सुना था। उसका नतीजा यह हुआ कि जब शासन बदला तो सबसे पहला काम यह हुआ कि उन लोगों को पुनः उनके पदों पर बैठा दिया गया। आज जो परम्परायें बिगड़ी हैं उनके जन्मदाता कौन हैं ? क्या आपने बराबर इस तरह का प्रदर्शन नहीं किया ? आज हरएक के मन में यह धारणा बन गई है कि यदि सरकार झुकती है तो वह केवल हड़तालों के बल पर ही झुकती है।

अभी एक महाशय कह रहे थे कि लोग कहते हैं कि हिन्दी राज-भाषा है और वे हिन्दी नहीं समझते हैं, ताकत की भाषा समझते हैं। वही यहां की राज-भाषा बन गई है। इस सारे झगड़े की जड़ ये ब्यूरोक्रेट और टेक्नोक्रैट ही हैं। मैं आपको अपना एक अनुभव बताना चाहता हूं। मुझे एक जरूरत पड़ गई थी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के कार्यालय में, इसलिये मैं वहां गया। जैसा कि माननीय जायसवाल जी ने कहा, मुझे भी वहां के ठाट-बाट देखने पर आश्चर्य हुआ। ऐसा कोई अन्य कार्यालय उत्तर प्रदेश में नहीं है। मैं एक के बाद एक अधिकारी के पास गया। मुझे कहा गया कि यह तो आपका एक टेक्निकल प्रश्न है इसलिये आप चीफ इंजीनियर के पास जाइये। मैं चीफ इंजानियर के कार्यालय में गया। वहां मैं गया तो एक इंजानियर ने मेरे सभी प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर दे दिया।

मैं पुनः उस बात को दोहराना चाहता हूं कि किन परिस्थितियों में ये इंजीनियर लोग काम करते हैं। मैं मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वे किसी दिन जाकर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के दफ्तर के भवन में देखें जिसके अन्दर पूरा विभाग शासन कर रहा है और जो वास्तव में काम कर रहा है, टिन शेड के नीचे काम कर रहा है, कोई पार्टीशन-वाल तक उसमें नहीं है, सैकड़ों इंजानियर उसके अन्दर काम कर रहे हैं। मैंने उस टिन शेड के अन्दर उतने कोलाहल में उस इंजानियर से बात की। आप उन इंजानियरों से काम लेना चाहते हैं। इसलिये यहां पर यह सही कहा गया कि यह टेक्नोक्रैट और ब्यूरोक्रैट के बीच एक लड़ाई की शुरुआत है।

आज कृषि और उद्योगों पर संकट है। मैं मानता हूं यह है, लेकिन उसे दूर करने की जिम्मेदारी किस पर है, क्या उसकी जिम्मेदारी सरकार पर नहीं है। जब यह कहा जाता है कि उन्हें बात करने के लिये बुला लिया जाय नहीं बुलाया जाता है। महीनों से यह संकट बढ़ता चला जा रहा किन्तु आप बात करने के लिये तैयार नहीं हैं। क्या आपको इस बात की चिन्ता नहीं है कि कृषि में, उत्पादन में और अस्पतालों में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ? अस्पतालों में लोग बीमार पड़े हैं, एक्सरे नहीं हो पा रहा है और आप उसे प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाये हुए हैं। इसलिये अगर उन्होंने गैर जिम्मेदारी का व्यवहार किया है तो मैं यह कहना चाहूंगा कि सरकार ने कम जिम्मेदारी का काम नहीं किया है।

मैंने एक जगह पढ़ा था कि वह पिता अपने बच्चे का सबसे बड़ा अहित करता है जो कभी यह स्पष्ट नहीं कर पाता कि कब उसका बच्चा नाराज होता है और कब खुश होता है। जो बात एक पिता के लिये सत्य है, वही बात एक सरकार के लिय भी सत्य है। यह सरकार स्पष्ट नहीं कर पाती। कभी तो वह कड़ाई दिखलाती है और कभी बड़ी मुलायम हो जाती है इस तरह से काम नहीं चलेगा। कोई एसी सही और ठीक परम्परा डालनी होगी। अन्त में मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यदि इन के टेक्नोक्रैट की तरफ आपका यही रवैया रहा तो यह हड़ताल और भी आगे बढ़ सकती है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

अब समय नहीं है। इसके लिये दो घंटे ही समय रहता है। 6 बजे तक ही इस पर विवाद होगा।

श्री राम बिलास पांडेय—

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय नहीं दिया, इसके विरोध में सदन का त्याग करता हूं।

(श्री राम बिलास पांडेय सदन त्याग कर चले गये।)

श्री हबीब अहमद—

मान्यवर, आपने पहले मुझसे कहा था कि बाद में मौका देंगे। मुझे केवल एक दो मिनट बोल लेने दें।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

अध्यक्ष महोदय, मेरा तीन मिनट इन लोगों ने इसी तरह से ले लिया।

श्री हबीब अहमद—

अध्यक्ष महोदय, आपने इंडिपेंडेंट मेम्बर को तो बोलने का मौका दिया लेकिन मैं मुस्लिम मजलिस दल का सदस्य हूं और मुझे बोलने का मौका नहीं देते।

श्री अध्यक्ष—

आप भी इंडिपेंडेंट हैं।

श्री हबीब अहमद—

मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूं। आप अपनी सूची देख लें, मैं एक दल का सदस्य हूं।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें, मैं आपको इजाजत नहीं देता हूं।

श्री हबीब अहमद—

आपने मुझे समय देने के लिये कहा था लेकिन आपको याद नहीं है। मैं कोई लम्बी चौड़ी बात नहीं कहूंगा। एक मिनट मुझे इस पर बोलने का मौका दें। अब तक तो इतनी देर में मैं अपनी बात खत्म भी कर दिये होता। आप ऐसी ज्यादती कर रहे हैं कि दल वाले सदस्य को भी नहीं बोलने देना चाहते हैं तो अब मैं भी जाता हूं।

(श्री हबीब अहमद सदन त्याग कर चले गये।)

*श्री कमलापति त्रिपाठी—

मान्यवर, मुझे यह आशा तो थी कि आज जब यह सदन बैठ रहा है तो यह प्रश्न उठाया जायेगा जरूर। लेकिन मुझे यह भी आशा थी कि इस विषय के ऊपर जब विचार-विमर्श होगा वाद-विवाद होगा तब कुछ जिम्मेदारी से काम लिया जायेगा। और एक ऐसे अवसर जब कि कुछ लोगों ने स्वार्थ से अनुचित समय पर तमाम बातें कीं। समझाने के बाद भी इस विचार से कदम उठा लिया है कि पिस्तौल प्वाइंट पर अपनी सारी बातें इनसे मनवा लें, उस समय यह सदन एक विशेष गम्भीरता के साथ इस प्रश्न पर विचार करेगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, सारे प्रदेश में अन्धकार हो गया है, बिजली बन्द हो गयी है, रेलें बन्द हो गयी हैं, वायरलेस बन्द हो गये हैं और कारखाने बन्द हो गये हैं। ये ऐसी बातें नहीं हैं जो किसी को मालूम न हो। जब बिजली का काम करने वाले इंजीनियर साहबान काम छोड़ कर बैठ जायेंगे तो यह नतीजा होता ही, यह नतीजा हो रहा है और यह दुखद स्थिति है, गम्भीर स्थिति है और यही कारण है कि एक ऐसे समय में हड़ताल की। यह जो अभियन्ता वर्ग है, मैं अभियन्ताओं और टेक्निकल परसन्स जो होते हैं उनका मान्यवर, बड़ा सम्मान करता हूं और अभियन्ता वर्ग यह जानता भी है। मैं उनकी कला का और जो मामले उनके सुपुर्द रहते हैं, उसका भी सम्मान करता हूं क्योंकि उनसे देश बनता है और यह भी वे जानते हैं कि हमेशा उनके साथ मेरी सहानुभूति रही है। पर किसी भी प्रशासन के लिये यह सम्भव नहीं है कि उसके साथ ब्लैकमेलिंग की जाय। और अगर ब्लैकमेलिंग की जायगी तो यह प्रशासन सख्ती के साथ उसका मुकाबला करेगा और हम इस प्रश्न पर निश्चय कर चुके हैं....

श्री राम बचन (जिला आजमगढ़)—

आप इस पर सुदृढ़ रहियेगा।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

आप डिगाना चाहते हैं लेकिन मैं डिगूंगा नहीं। क्योंकि मैं आपका सम्मान करता हूं। आज भी आपने मुझे डिगाने की कोशिश की है और मैंने निश्चय कर लिया है कि नहीं डिगूंगा।

मान्यवर, इनकी बहुत सी मांगे मानी गईं। एक बार हड़ताल की धमकी दी थी तब और जब इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड के मजदूरों ने हड़ताल की थी। और उनकी भी बहुत सी समस्यायें थीं, उनकी मांगे मान ली गई थीं। इसके बाद हड़ताल की जिसको बिना शर्त वापस लिया गया और जेल से छोड़ा गया। हमारे नेगी जी बैठे हैं। इनकी बड़ी दुर्दशा है, जब बोलने लगते हैं तो जायसवाल जी ने उन्हें न जाने क्या कह दिया।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

यह तो आपकी ड्रम बीटिंग है।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

आई० एन० टी० यू० सी० ने विरोध किया उनके यूनियन ने काम किया। बहरहाल वे आये और उन्होंने उसको वापस लिया और जो पकड़े गये थे, उन्हें छोड़ा गया। उनकी मांगे पहली ही मानी जा चुकी थीं। बाकी जो मांगे विचाराधीन थीं और जो मानने लायक थीं उनको मान लिया गया। उस समय उन्होंने भी नोटिस दे दिया था क्योंकि उनको ऐसी उम्मीद थी कि इनके साथ-साथ उनकी मांगें भी मान ली जायेंगी। उनसे बातचीत की गई और किसी तरह से उन्होंने वापस लीं। अभी हमारे भाई भानुप्रताप सिंह जी कह रहे थे कि आप उनसे बात नही करते हैं। उनको पता नहीं है दसियों बार उनसे बात की है। इस बार उन्होंने मांगे पेश कीं। बहुत सी मांगे मान ली गई हैं। लेकिन आपने केवल 15 मिनट का समय दिया है। ऐसी मांगे हमने मान ली हैं जो उनको संतुष्ट करने के लिये ही नहीं बल्कि उचित समझ कर मान ली हैं जो बोर्ड के स्थापित होने से पिछले 15 साल में नहीं मानी गई हैं।

उनकी एक मांग थी कि वेतन आयोग बिठा दिया जाये और वेतन तथा भत्ते सम्बन्धी प्रश्न उसको दे दिये जायं। वहां एक हाई कोर्ट जज को स्थापित कर दिया गया है जो

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

15 जनवरी तक रिपोर्ट दे देगा । उन्होंने अपने कागजात भी दिये हैं और 16 तारीख को वह रिपोर्ट आ गई है । उसमें उनकी सिफारिशें आ गई हैं । उनको 8.33 भत्ता दिया है जिसको आप बोनस कहते हैं । अनुग्रह भत्ता भी बोर्ड ने 71–72 का दे दिया है । पहले कभी नहीं मिलता था । उनकी मांग के अनुसार 1,250 रुपये तक केन्द्रीय दर पर महंगाई भत्ता स्वीकार किया गया है । हमारे प्रदेश के पी० सी० एस० आफिसर्स को 900 रुपये तक ही यह भत्ता मिलता है । यह भी आप देखें कि हमने उनको महंगाई भत्ता 1 अप्रल, 1969 से दिया है जब कि पहला निणय था कि 1969 से दिया जाये । उनकी मांग पर एरियर्स भी दे दिये हैं । उनके स्थायी पद केवल 80 थे । परिषद् ने हमारे निर्णय के अनुसार 823 स्थायी पद सृजित किये हैं ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

जो पद सृजित किये गये हैं उनमें से कितने स्थायी किये गये हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

स्थायी होते जा रहे हैं । बहुत से हो गये हैं । अभी कहा गया कि उनके आवास के लिये कुछ भी नहीं किया गया । उनके आवास के लिये 5 लाख का प्राविधान किया गया था जो पहले कभी नहीं हुआ था और अगले वर्ष के लिये 50 लाख का किया गया है कि इनको स्थायी निवास बना दिया जाये । फील्ड होस्टल बना दिये जायं ताकि जहां वे काम करते हैं वहां रह सकें । यह उनकी मांगें मानी गईं । आप समझें कि कितने उनके प्रोमोशन हुये हैं । आज से 3 वर्ष पहले केवल 30 प्रोमोशन इनके हुये थे लेकिन इस समय हम उनका 96 प्रतिशत प्रोमोशन कर चुके हैं । आपकी सरकार से गये हुये इंजीनियर्स का जो डेपूटेशन पर गये हुये हैं उन सब के विलीनीकरण की व्यवस्था कर दी गई जो कार्य कि पिछले 12 साल में नहीं हो पाया था ।

एक उनकी मांग थी कि सचिवालय में उनका एक इंजीनियर रख दिया जाय । हम एक ज्वाइन्ट सेक्रेटरी रखते हैं अब उसको एडीशनल सेक्रेटरी करने का हमारा इरादा है । वह अन्दोलन तो कर ही रहे थे उनकी मांगे कुछ ऐसी थीं कि जिन के बारे में हम विचार कर ही रहे थे और 11 तारीख को जब हमने मिलने की बात की तो उन्होंने नोटिस दे दिया, सारी मांगों की मानने का उनका नोटिस आया कि हमारी यह यह मांगे मानी जायं वरना विद्युत् परिषद् यह बता दे कि हम उन के पावर हाउसेज को चलता छोड़ें या बन्द कर के छोड़ें नोटिस के साथ ही भूख हडताल भी उन्होंने शुरू कर दी ।

11 तारीख को दस बजे तक हम बैठे रहे कि उनके यानी संघ के अध्यक्ष या कार्यकर्ताओं से बातचीत करें लेकिन वह उस दिन गयब हो गये और नहीं आये । 12 तारीख को अभियन्ता संघ के सचिव और दो तीन लोग आये और कहा कि 12 तारीख को हम सारे पावर हाउसों को छोड देंगे और वह पूछे कि कल चलता हुआ उनको छोड़ दें या बन्द कर के छोड़ दें । मैंने कहा कि इसका क्या मतलब है तो उन्होंने कहा कि यह हमारा हड़ताल का नोटिस नहीं है, हम हड़ताल करना नहीं चाहते हैं । हमारी केवल 3 मांगे हैं । मैंने कहा कि आपकी कौन 3 मांगे हैं । तो बताया कि एक तो यह कि प्रिआडिट जो होता है उसे बन्द किया जाय । यह एक पुराना सिस्टम चला आता है, वह एक लेखा पद्धति है, आज की नहीं है, न यह कोई आई० ए० एस० आफिसर्स की ही बनायी हुई है बल्कि जब एक इंजीनियर ही श्री लक्ष्मण देव जी अध्यक्ष थे तो उन्होंने यह अकाउन्टिग की पद्धति बनायी थी और वही अभीतक चली आ रही है । उसके बाद सेन्ट्रल वाटर पावर कमीशन में श्री जैन ने जो उसके अध्यक्ष थे उन्होंने उस को बदला । उन्होंने कहा कि इसका आमूल परिवर्तन करो । हमने कहा कि इस मामले को स्टडी करने दें और इंजीनियर्स से ही इसकी सलाह

लेने दें, इतना पुराना अकाउन्टिंग सिस्टम एक दम से तो बदला नहीं जा सकता, आप हमें अभी इस बात को स्टडी करने का मौका दें ।

इसी सदन में कई बार यह सवाल हुआ है और कहा गया है कि कैसे यह पेमेन्ट कर दिया इसी को लेकर यह प्रिआडिट सिस्टम चलाया गया था यानी पहले आडिट कर लिया जाय तब पेमेन्ट किया जाय । उन्होंने कहा कि इस सिस्टम को बन्द किया जाय । एक मांग यह थी कि 1,250 से 2,250 रुपये तक के लोगों को महंगाई भत्ता दिया जाय । हमने कहा कि यह मामला पे कमीशन को रिफर्ड है, पे कमीशन इसको देख रहा है, तीन चार दिन में उसकी रिपोर्ट आ जायगी उसको आने दीजिये । मैंने उनको बताया कि हमारे यहां पी० सी० एस० आफिसर्स को केवल 900 तक ही महंगाई दी जाती है । लेकिन आपके यहां हम 1,250 तक दे रहे हैं और अब आप 2,250 तक चाहते हैं । लेकिन फिर भी आप आयोग की रिपोर्ट आने दें । एक मांग उनकी यह थी कि उनका एक इंजीनियर सेक्रेटेरिएट में हो । उधर से बोर्ड के अध्यक्ष की बात कही गई लेकिन उन्होंने अध्यक्ष को लिखकर दिया है कि अगर उनको हटाया गया तो हम हड़ताल कर देंगे । सेक्रेटरी के बारे में हमने उनसे कहा कि हम उनको जो अभी ज्वाइन्ट सेक्रेटरी हैं उनको एडीशनल सेक्रेटरी बना देंगे । हमने कहा कि हम इन मांगों पर इस तरह से गौर कर रहे हैं । 100 रुपये भत्ते के बारे में हमने कहा कि वेतन आयोग की रिपोर्ट आ रही है...

श्री अध्यक्ष—

एक मिनट बाद आपके भाषण का समय समाप्त हो जायगा ।

श्री कमला पति त्रिपाठी—

3 मिनट हमारे उन्होंने आरम्भ में ले लिये, उतना तो पूरा कर ही दीजिये । इस तरह से हमने उनकी जायज मांगे मान लीं और कुछ के लिये कहा कि इस तरह से हम उनको पूरा करने की चेष्टा करेंगे और कर रहे हैं ।

एक मांग उनकी यह भी थी कि हम अपने यहां घर पर नौकर रख सकें । घर का काम करने के लिये उसका पैसा विद्युत् परिषद् दे। उनके निजी कार्य के लिये 1 से अधिक उनके स्तर के अनुसार उन्हें आर्डली दिये जायं और उनको छूट हो कि जब चाहें उनको वे निकाल दें । यह भी उनकी एक मांग थी ।

जो मांगे उनकी मानने लायक थीं वे मानीं और जो मानने लायक नहीं थीं उनको नहीं माना गया । उन्होंने भूख हडताल कर दी । उनसे बात करने के बाद मैं दिल्ली गया । उसके बाद 1 दिन का बोर्ड को नोटिस दे दिया कि कल सुबह से वे हडताल करेंगे। इस बीच भूख हडताल करते रहे। मैंने कहा कि रबी अभियान चल रहा है, देश के ऊपर संकट हैं, प्रदेश में भी संकट है, ऐसे समय में अपने स्वार्थ के लिये काम बन्द करना प्रदेश की जनता के लिये आप बड़ा भारी न्याय करेंगे, वे ऐसा काम न करें । उनसे यह भी कहा गया कि उनकी कुछ बातें मान ली गयी हैं और कुछ पर हम विचार करेंगे, आप लोग जाकर अपना-अपना काम करें । लेकिन भूख हड़ताल नहीं तोडी और मंत्री जी की ओर से यह खबर आयी कि चीफ मिनिस्टर्स आफ इज रिजेक्टेड । इसके बाद नोटिस दी कि कल से हम हड़ताल कर देंगे ।

जब उन्होंने शाम के 6 बजे से नोटिस दे दी कि सुबह से हड़ताल करेंगे, तो उन्होंने रिहन्ड के 4 गेट गिरा दिये । पानी आना बन्द हो गया ओबरा, माता टीला में और कई जगहों पर प्रातः काल से हड़ताल कर दी । आप सोचें कि अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिये, गजेटेड कर्मचारियों को तो यों भी हड़ताल नहीं करना चाहिये, ऐसा किया । उनकी तनख्वाहें

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

भी काफी लम्बी चौड़ी हैं, क्या कारण है कि वे हड़ताल करें ? मैं माननीय भानु प्रताप सिंह जी से कहूंगा कि अगर वे प्रशासन में हों तो वे देखेंगे कि किस प्रकार से प्रशासन चलाया जा सकेगा। इस वक्त को चुनकर और इस समय हड़ताल करके सरकार के साथ ब्लैकमेलिंग किया है । इस प्रकार का विद्रोह ये करें, उसे कभी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है इसका नतीजा क्या होने वाला है ? उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही होगी और हम पूरी बिजली जेनेरेट करने की कोशिश कर रहे हैं । आप लोगों से प्रार्थना है कि आप लोग मुझे सहयोग दें और उनको भी अक्ल सिखायें कि काम पर चले जायं और यह हड़ताल समाप्त करें ।

श्री अध्यक्ष—

अब हम उठते हैं और कल 11 बजे बैठेंगे ।]

(इसके बाद सदन 6 बजकर 4 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ ।
17 जनवरी, 1973 ई० ।

विधान सभा सदस्य पुस्तकालय

नत्थी 'क'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या 11 का उत्तर पीछे पृष्ठ 403 पर)

यमुना प्रोजेक्ट के अन्तर्गत इस समय निम्नांकित अधीक्षण अभियन्ता, उनके समक्ष अंकित मंडल में कार्य कर रहे हैं ।

1—श्री गंगा नारायण टंडन — अधीक्षण अभियन्ता, टोंस सिविल निर्माण मंडल प्रथम, देहरादून ।

2—श्री देशराज सिंह .. अधीक्षण अभियन्ता, टोंस सिविल निर्माण मंडल, द्वितीय, देहरादून ।

3—श्री गंगा नरायण टंडन — अधीक्षण अभियन्ता, अनुसंधान एवं नियोजन मंडल, देहरादून (दोहरा कार्यभार) ।

4—श्री देशराज सिंह — अधीक्षण अभियन्ता, यमुना सिविल निर्माण मंडल, देहरादून (दोहरा कार्यभार) ।

इस प्रोजेक्ट के अन्तर्गत कार्य कर रहे ठेकेदारों कम्पनियों की सूची निम्न प्रकार है :—

1—मेसर्स हिन्दुस्तान कन्सट्रक्शन कम्पनी, बम्बई ।
2—मेसर्स पटेल इन्जीनियरिंग कम्पनी, बम्बई ।
3—मेसर्स फ्रन्टियर कन्सट्रक्शन कम्पनी, कानपुर ।
4—मेसर्स जैसप एन्ड कम्पनी, कलकत्ता ।
5—मेसर्स त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स, नैनी, (इलाहाबाद) ।
6—मेसर्स टरनर होर लिमिटेड, बम्बई ।
7—मेसर्स नागल वर्कशाप, नांगल ।
8—मेसर्स प्रोटोस इन्जीनियरिंग कम्पनी, मद्रास ।
9—मेसर्स ओटिस इन्जीनियरिंग कम्पनी, बम्बई ।
10—मेसर्स कल्याण सिंह कन्ट्रैक्टर्स, विकास नगर (देहरादून) ।
11—मेसर्स गुप्ता कन्सट्रक्शन कं0, डाक पत्थर (देहरादून) ।
12—मेसर्स ओम प्रकाश अमरजीत, हरबर्टपुर (देहरादून) ।
13—मेसर्स अटल सिंह, कन्ट्रक्टर्स, विकास नगर (देहरादून) ।
14—मेसर्स इंडियन हयूम पाइप कम्पनी, लिमिटेड, बम्बई ।
15—मेसर्स मोहन ट्रेडिंग कम्पनी, देहरादून ।
16—मेसर्स दून ट्रेडर्स, देहरादून ।
17—मेसर्स कृष्णा स्टील, देहरादून ।
18—मेसर्स सहारनपुर आयरन एन्ड स्टील रोलिंग मिल्स, देहरादून ।
19—मेसर्स सेन्ट्रल इंडिया मशीनरी मैनुफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड, भरतपुर (राजस्थान) ।
20—मेसर्स माडर्न कन्सट्रक्शन कम्पनी, देहरादून ।
21—मेसर्स नरेश चन्द्र गुप्ता अमर सिंह, हरबर्टपुर (देहरादून) ।
22—मेसर्स लक्ष्मण सिंह सूरजमल, हरबर्टपुर (देहरादून) ।
23—मेसर्स राजेन्द्र प्रसाद घनश्याम अग्रवाल, हरबर्टपुर (देहरादून) ।
24—मेसर्स सेठा राम ब्रादर्स, हरबर्टपुर (देहरादून) ।
25—मेसर्स राजेन्द्र सिंह कन्सट्रक्शन, देहरादून ।

पी0 एस0 यू0 पी0—ए0 पी0 306 एल0 ए0—1973—835.